अध्याय-13

व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य

महानिदेशालय कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान (डीजीएफएएसएलआई)

13.1 श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीफासली), मुंबई, कारखानों एवं पत्तनों में कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित मामलों में मंत्रालय के तकनीकी स्कंध के रुप में कार्य करता है। यह कारखानों एवं पत्तनों में व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी नीति और नियमों के निरुपण/समीक्षा में केंद्र सरकार की सहायता करता है, कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंधों के कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन में राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के कारखाना निरीक्षणालयों से संपर्क बनाए रखता है, तकनीकी मामलों पर सलाह देता है, गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण) अधिनियम, 1986 को लागू करवाता है औद्योगिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य, औद्योगिक हाईजीन इत्यादि में अनुसंधान कार्य करता है; तथा औद्यागिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करता है जिसमें औद्योगिक सुरक्षा में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, औद्योगिक स्वास्थ्य में तीन महीने का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम – (औद्योगिक स्वास्थ्य का एसोसिएट फेलो एएफआईएच), जोख़िम प्रक्रिया उद्योगों में कार्यरत पर्यवेक्षीय कार्मिकों के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य पर एक माह का विशिष्ट प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शामिल हैं।

13.2 डीजीफासली संगठन की संरचना में मुख्यालय, पांच श्रम संस्थान और 11 मुख्य पत्तनों में गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय शामिल हैं। मुंबई स्थित मुख्यालय में तीन प्रभाग/स्कंध है, नामतः कारखाना सलाह सेवा प्रभाग, गोदी सुरक्षा प्रभाग और पुरस्कार कक्ष।

13.3 केंद्रीय श्रम संस्थान, मुंबई ने वर्ष 1959 से कार्य करना शुरु किया और वर्तमान परिसर में संस्थान फरवरी 1966 में स्थानांतरित हुआ। समय के साथ संस्थान ने प्रगति की है और निम्नलिखित प्रभागों सहित एक प्रमुख राष्ट्रीय संसाधन केंद्र का दर्जा प्राप्त कर लिया है:

- **औद्योगिक सुरक्षा**
- **औद्योगिक हाईजिन**
- **औद्योगिक चिकित्सा**
- **कार्य–परिवेश अभियांत्रिकी**
- **कर्मचारी प्रशिक्षण और उत्पादकता**
- **भीषण दुर्घटना जोखिम नियंत्रण**

13.4 संस्थान के विभिन्न प्रभागों की गतिविधियों में अध्ययन एवं सर्वेक्षण करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, संगोष्ठियां एवं कार्यशाला आयोजित करना, तकनीकी सलाह देना, सुरक्षा ऑडिट करना, वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणों की जांच करके निष्पादन रिपोर्ट जारी करना, व्याख्यान देना इत्यादि शामिल है।

13.5 कोलकाता, चेन्नई, कानपुर और फरीदाबाद स्थित क्षेत्रीय श्रम संस्थान उनसे संबंधित देश के विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करते हैं। इन संस्थानों में से हरेक में निम्नलिखित प्रभाग/अनुभाग हैं:

- **औद्योगिक सुरक्षा**
- **औद्योगिक हाईजिन**
- **औद्योगिक चिकित्सा**

13.6 भारत के 11 मुख्य पत्तनों नामतः कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कांडला, मार्मुगाव, तूतिकोरिन, कोच्चि, न्यू मैंगलोर और जवाहरलाल नेहरु पोर्ट में गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय स्थापित किए गए हैं। एन्नोर पत्तन पर गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है।

13.7 दिनांक 31.12.2021 को संगठन में मानवशक्ति की स्थिति निम्नललिखित है–

डीजीफासली में स्टाफ की स्थिति

विभाग का नाम	समूह क			समूह ख			समूह ग			कुल		
	एस	डब्ल्यू	वी	एस	डब्ल्यू	वी	एस	डब्ल्यू	वी	एस	डब्ल्यू	वी
मुख्यालय	15	08	07	24	15	09	19	09	10	58	32	26
के.श्र.सं, मुंबई	22	16	06	06	04	02	85	52	33	113	72	41
क्षे.श्र.सं, चेन्नई	09	07	02	02	01	01	29	13	16	40	21	19
क्षे.श्र.सं, फरीदाबाद	08	06	02	02	01	01	11	06	05	21	13	08
क्षे.श्र.सं, कानपुर	09	03	06	02	01	01	29	16	13	40	20	20
क्षे.श्र.सं, कोलकाता	09	06	03	02	01	01	29	10	19	40	17	23
गो.सु.नि	14	07	07	11	08	03	31	08	23	56	23	33
कुल	**86**	**53**	**33**	**49**	**31**	**18**	**233**	**114**	**119**	**368**	**198**	**170**

नोट: *एस: स्वीकृत, डब्ल्यू: कार्यरत, वी: रिक्त*

क) –संगठन की गतिविधियां

कारखानों में सुरक्षा तथा स्वास्थ्य

13.8 कारखानों में कार्यरत कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित विभिन्न मामलों को विनियमित करने का प्रमुख विधान, कारखाना अधिनियम, 1948 है। यह अधिनियम एक केंद्रीय विधि है जिसका मुख्य उद्देश्य कारखानों में कार्यरत कामगारों को औद्योगिक और व्यवसायिक जोखिमों से बचाना है। राज्य सरकार और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन अधिनियम के अंतर्गत अपने नियमों को निरुपित करते हैं तथा अपने कारखाना निरीक्षणालयों/महानिदेशालयों द्वारा अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का प्रवर्तन करते हैं।

13.9 अधिनियम के उचित प्रवर्तन के लिए श्रम और रोज़गार मंत्रालय संसद के प्रति उत्तरदायी है। विभिन्न राज्यों और संघशासित प्रदेशों में अधिनियम के प्रावधानों के समान अनुप्रयोग के लिए डीजीफासली द्वारा बनाए गए आदर्श नियम परिचालित किए जाते हैं, जो कि स्थानीय जरुरतों के अनुसार आवश्यक आशोधनों के बाद राज्य कारखाना नियमों में शामिल किए जाते हैं। आदर्श नियमों को तैयार करते समय डीजीफासली, श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से राज्यों और संघशासित प्रदेशों के मुख्य कारखाना निरीक्षकों के लिए वार्षिक सम्मेलन आयोजित करता है, जिसमें राज्य सरकारों की भागीदारी और सहयोग शामिल है। अधिनियम को लागू करने और प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित सभी मामलों पर इन सम्मेलनों में चर्चा की जाती है। इसके अलावा, कारखानों में दुर्घटना और बीमारियों की रोकथाम के लिए अपनाए गए तरीकों और तकनीकों में प्रगति के बारे में भी यह सम्मेलन चर्चा का एक मंच है। मुख्य कारखाना निरीक्षकों के साथ परामर्श करके इन आदर्श नियमों को अद्यतन किया जाता है।

II. गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय

13.10 गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986, दिनांक 14 अप्रैल 1987 को अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम के अधीन गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) नियम, 1989 और विनियम, 1990 बनाए गए। सामान के लोडिंग और अनलोडिंग और ढुलाई से जुड़े गोदी कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के मामले, जिसमें गोदी कार्य के

आनुषंगिक अन्य कार्य भी शामिल हैं – इस अधिनियम और विनियम के अंतर्गत शामिल हैं। इसके अतिरिक्त भारत के प्रमुख पत्तनों में डीजीफासली द्वारा गोदी सुरक्षा निरीक्षणालयों के माध्यम से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जोखिमपूर्ण रसायन के उत्पादन, भंडारण और आयात नियम 1989 प्रवर्तित किए जाते हैं।

13.11 प्रमुख पत्तनों पर अधिनियम और विनियमों का प्रवर्तन डीजीफासली, मुंबई के माध्यम से श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस अधिनियम के तहत महानिदेशक को गोदी सुरक्षा का मुख्य निरीक्षक नियुक्त किया गया है। गोदी सुरक्षा का मुख्य निरीक्षक प्रमुख पत्तनों पर पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत निरुपित जोख़िमपूर्ण रसायनों का विनिर्माण, भंडारण एवं आयात नियमावली 1989 के प्रवर्तन के लिए भी सक्षम प्राधिकारी है।

13.12 एन्नोर को छोडकर जहां पर निरीक्षणालय की स्थापना की जा रही है, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कांडला, मार्मुगाव, तूतिकोरिन, कोचिन, न्यू मैंगलोर और जवाहरलाल नेहरु पोर्ट स्थित सभी प्रमुख पत्तनों पर गोदी सुरक्षा निरीक्षणालयों में तैनात निरीक्षकों द्वारा उपर्युक्त संविधियों का प्रवर्तन किया जा रहा है। फिलहाल, इस पत्तन पर क्रियाकलाप गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय चेन्नई में तैनात निरीक्षक द्वारा किया जा रहा है।

13.13 निरीक्षणालयों का प्रमुख क्रियाकलाप संविधियों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। निरीक्षक के सांविधिक उत्तरदायित्व में पोत, टैंकर, लूज़ गीयर, कंटेनर हैंडलिंग उपकरण, गोदी, कंटेनर यार्ड और टर्मिनल, जोख़िमपूर्ण अधिष्ठापन और विमुक्त भंडारण व टैंक का निरीक्षण, दुर्घटनाओं (घातक और गंभीर) और खतरनाक घटनाओं की जांच करना, नियोक्ताओं का अभियोजन, शिकायतों पर कार्रवाई, परामर्श सेवाएं प्रदान करना और प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला, सुरक्षा दिवस के आयोजन आदि जैसे सुरक्षा संवर्धनात्मक क्रियाकलापों को संचालित करना शामिल है। निरीक्षणालय इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में ज़िम्मेदार एजेन्सी को अभियोजित भी करता है।

13.14 गोदी सुरक्षा कानूनों के प्रशासन और प्रवर्तन के लिए सभी मुख्य बंदरगाहों पर गोदी सुरक्षा निरीक्षणालयों द्वारा किए गए प्रवर्तन कार्यकलापों (विभिन्न निरीक्षण, जांच, अभियोजन, प्रचार गतिविधियों, आदि) का विवरण **अनुबंध– I** में दिया गया है।

III प्रशिक्षणकार्यक्रम

व्यावसायिक कार्यक्रम

कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता और प्रभावी अनुपालन उपायों के लिए डीजीएफएएसएलआई द्वारा अपने केंद्रीय/क्षेत्रीय श्रम संस्थानों के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं:

- कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 40 (ख) और इसके अधीन बनाए गए नियमों में यथाअपेक्षित केंद्रीय श्रम संस्थान, मुंबई, क्षेत्रीय श्रम संस्थान कोलकाता, चेन्नई, कानपुर और फरीदाबाद में औद्योगिक सुरक्षा पाठ्यक्रम में एक वर्षीय उन्नत/पोस्ट डिप्लोमा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें विभिन्न निजी और सरकारी संगठनों के उम्मीदवार योग्य सुरक्षा अधिकारी बनने के लिए भाग लेते हैं।

- औद्योगिक स्वास्थ्य के एसोसिएट फेलो (एएफआईएच), कार्यस्थल पर श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सेवाओं के लिए कारखानों में व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्रों में फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किए जाने वाले योग्य चिकित्सा चिकित्सकों के लिए 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स।

- कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 41 ग (ख) के तहत खतरनाक प्रक्रिया उद्योगों में कार्यरत पर्यवेक्षकों के लिए 4 सप्ताह का सर्टिफिकेट कोर्स।

- कारखानों के नवनियुक्त निरीक्षकों के लिए 3 सप्ताह का बेसिक कोर्स।

- कारखानों के वरिष्ठ निरीक्षकों के लिए 2 सप्ताह का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।
- उद्योगों के लिए इन–प्लांट प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- उद्योग कर्मचारियों के लिए अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे लंबी अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम (2 या उससे अधिक दिन की अवधि), लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम (1 या 2 दिन की अवधि), आधे दिन की अवधि ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठी, कार्यशाला, प्रशस्ति कार्यक्रम, वार्तालाप, आदि।

IV. अध्ययन और सर्वेक्षण

13.15 संविधि में समावेशन हेतु उचित मानकों का निरुपण करने तथा कारखानों और पत्तन क्षेत्र में कार्य की दशाओं, सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार को मदद करने के लिए इसके प्रयास के तौर पर डीजीफासली द्वारा राष्ट्रीय अध्ययन और सर्वेक्षण आयोजित किए जाते हैं। प्रबंधन के अनुरोध पर इकाई स्तर के परामर्श अध्ययन किए जाते हैं तथा संबंधित कारखानों में और अधिक सुधार के लिए सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु रिपोर्टें प्रस्तुत की जाती है।

V. औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र

13.16 केंद्रीय श्रम संस्थान और क्षेत्रीय श्रम संस्थानों के औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र पैनलों, मॉडलों, चार्ट, ग्राफ्स, आलेखों आदि के माध्यम से जोखिम संप्रेषण का प्रसार करते हैं जिसे उद्योगों के कामगार, कार्यपालक तथा अन्य देशों के प्रतिनिधि देखने आते हैं।

VI. वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणों का परीक्षण

क. श्वसन वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण

13.17 केंद्रीय श्रम संस्थान, मुंबई स्थित श्वसन वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण परीक्षण प्रयोगशालाऐं कनस्तर, डस्ट मास्क, एससीबीए एअर क्वालिटी उपकरण आदि का संबंधित बीआईएस मानकों के अनुसार निष्पादन परीक्षण करती हैं।

ख. गैर श्वसन वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण

13.18 केंद्रीय श्रम संस्थान, मुंबई स्थित गैर श्वसन वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण परीक्षण प्रयोगशालाऐं हेल्मेट, सुरक्षा जूतों, सुरक्षा चश्मों, सुरक्षा पट्टों, वेल्डिंग चश्मों आदि का संबंधित बीआईएस मानकों के अनुसार निष्पादन परीक्षण करती हैं।

VII. बी आई एस समितियों में प्रतिनिधित्वः

13.19 सुरक्षा और स्वास्थ्य मामलों से संबद्ध विभिन्न बी आई एस समितियों/उपसमितियों में डीजीफासली के अधिकारियों ने प्रतिनिधित्व किया और मसौदा मानकों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं।

VIII संवर्द्धनात्मक क्रियाकलाप (पुरस्कार योजनाऐं)

कार्यकलाप और भावी योजनाएं

(क) 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 के दौरान किए गए क्रियाकलाप

1. **व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, 2021**: भारत सरकार ने व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 को अधिनियमित किया है और इसे भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा सहमति दी गई है। डीजीफासली व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 के तहत व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (केंद्रीय) नियम बनाने वाली समिति का हिस्सा रहा है। इसके अलावा, भारत सरकार ने कारखानों, गोदी कार्यों और भवन और अन्य सन्निर्माण कार्यों से संबंधित सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाओं से संबंधित प्रावधानों पर मानकों को तैयार करने के उद्देश्य से चार विशेषज्ञ समितियों का गठन किया है। व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 की धारा 18 के तहत अग्नि सुरक्षा मानकों को तैयार करने के लिए विशेष रूप से एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। निम्नलिखित दो विशेषज्ञ समितियों का नेतृत्व महानिदेशक, डीजीएफएएसएलआई कर रहे हैं:

I. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 की धारा 18, धारा 23 और धारा 24 के तहत कारखानों से संबंधित सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाओं से संबंधित प्रावधानों पर मानक और नियम बनाने के उद्देश्य के लिए विशेषज्ञ समिति और

ii. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 की धारा 18, धारा 23 और धारा 24 के तहत गोदी कार्य से संबंधित सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाओं से संबंधित प्रावधानों पर मानक और नियम बनाने के उद्देश्य के लिए विशेषज्ञ समिति।

2. **समझौता ज्ञापनः** हमारे देश की ओएसएच स्थिति को बढ़ाने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय इस क्षेत्र में अन्य देशों और संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है।

i. डीजीयूवी, जर्मनीः डीजीफासली ने 2015 में डीजीयूवी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इसे 13 नवंबर, 2018 को नवीनीकृत किया गया था। इसके अलावा, डीजीयूवी के साथ समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत करने का प्रस्ताव मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है। उक्त समझौता ज्ञापन एक आपसी सहयोग स्थापित करने के उद्देश्य से है जो कार्य पर सुरक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ाने, कार्य से संबंधित दुर्घटनाओं और बीमारियों की घटना को कम करने और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

ii. संघीय पर्यावरणीय, औद्योगिक और परमाणु पर्यवेक्षण सेवा, रूसः डीजीफासली, श्रम और रोजगार मंत्रालय और संघीय पर्यावरण, औद्योगिक और परमाणु पर्यवेक्षण सेवा, रूस के बीच एक प्रस्तावित मसौदा समझौता ज्ञापन भी मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।

3. जनवरी, 2021 से दिसंबर, 2021 की अवधि के दौरान डीजीएफएएसएलआई द्वारा व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों का विवरण **अनुबंध–II** में उल्लिखित है।

4. यह निदेशालय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और कारखानों, निर्माण स्थलों और बंदरगाहों में कार्यरत कामगारों पर व्यावसायिक चोटों और बीमारी की रोकथाम के दृष्टिगत व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता अभियान चलाकर "आज़ादी का अमृत महोत्सव" मना रहा है। कार्यक्रमों का विवरण **अनुबंध–III** में उल्लिखित है।

5. गोदी सुरक्षा कानूनों के प्रशासन और प्रवर्तन के लिए सभी मुख्य बंदरगाहों पर गोदी सुरक्षा निरीक्षणालयों द्वारा प्रवर्तन कार्यकलाप (विभिन्न निरीक्षण, जाँच, अभियोजन, प्रचार क्रियाकलाप, आदि) किए गए।

6. गोदी सुरक्षा के सभी निरीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 3 समीक्षा बैठकें आयोजित की गई।

7. ड्राफ्ट इंस्पेक्टर मैनुअल को सभी आईडीएस अधिकारियों को टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया है और यह अंतिम रूप देने के बाद सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध होगा।

8. सभी मुख्य बंदरगाहों में ई–श्रम पोर्टल में असंगठित कामगारों के पंजीकरण के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया है।

9. स्वच्छता अभियान और हिंदी पखवाड़ा का आयोजन डीजीएफएएसएलआई (मुख्यालय), सीएलआई, आरएलआई और आईडीएस कार्यालयों में किया गया।

(ख) जनवरी, 2022 से मार्च, 2022 के लिए भविष्य की योजनाएं / प्रस्तावित क्रियाकलाप

1. पूर्वोत्तर राज्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिलांग में एक नया क्षेत्रीय श्रम संस्थान स्थापित किया जा रहा है।

2. जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए खानपान सेवाओं के लिए जम्मू में क्षेत्रीय श्रम संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है।

3. गुणात्मक और मात्रात्मक के एकत्रण के लिए डीजीएफएएसएलआई का एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जा रहा है।

4. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीआईएफ/डीआईएसएच से दुर्घटनाओं और जोखिमकारी घटनाओं पर वास्तविक समय के आंकड़ों के साथ–साथ व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर आंकडे।

5. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 के तहत नियम/मानक तैयार करना।

6. जहाजकुली के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए सुरक्षा निष्पादन रिपोर्ट जारी करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का कार्यान्वयन।

7. भारत के सभी मुख्य बंदरगाहों में ई–श्रम पोर्टल के प्रति जागरूकता के लिए और अधिक शिविर आयोजित किए जाएंगे।

8. डीजीएफएएसएलआई में ई–ऑफिस और स्पैरो का कार्यान्वयन।

9. मुख्य कारखाना निरीक्षक सम्मेलन का आयोजन।

खनन क्षेत्र, श्रम सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य

खान सुरक्षा महानिदेशालय (खा.सु.म.नि.)

13.20 खान सुरक्षा महानिदेशालय (डी.जी.एम.एस.) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है। डीजीएमएस का मुख्यालय धनबाद (झारखण्ड) में स्थित हैं।

13.21 डीजीएमएस भारतीय खानों में नियोजित कर्मियों की स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण को प्रशासित करता है तथा मंत्रालय को इस क्षेत्र में तकनीकी सहायता प्रदान करता है। भारत के संविधान के अनुसार खानों में नियुक्त कर्मियों की सुरक्षा, कल्याण और स्वास्थ्य केन्द्र सरकार विषय है। (प्रविष्ट 55– संघ सूची अनुच्छेद 246)। इसे खान अधिनियम, 1952 तथा इसके तहत बने नियमों /विनियमों द्वारा विनियंत्रित किया जाता है। खान अधिनियम और उसके अधीनस्थ विधानों को प्रशासित करने के अतिरिक्त खनन क्षेत्र में खान सुरक्षा महानिदेशालय अन्य संबद्ध विधानों को भी प्रशासित करता है।

13.22 खनिज राष्ट्र का अपव्ययी संपत्ति है। पृथ्वी/धरती के भीतर से इसे खोदकर निकालने में असंख्य खतरों का सामना करना पड़ता है। खनन एक अत्यंत जोखिमपूर्ण कार्य है तथा यह प्रकृति की अज्ञात शक्तियों के साथ युद्ध सदृश्य है। भूमिगत खानों में रूफ एवं साइड्स की दशा बिना किसी पूर्व संकेत के ही बदल सकती है। जल के अचानक प्रवाह, प्राणघातक और ज्वलनशील गैसों के रिसाव या रूफ या साइड्स के गिरने जैसे खतरे अप्रत्याशित खतरे होते हैं।

13.23 खनिज को किसी भी देश के आर्थिक विकास का मेरूदण्ड माना जाता है और भारत वर्ष इस उपहार से उत्कृष्ट रूप से संपन्न है। प्रगतिशील औद्योगिकरण ने मांगों में वृद्धि और इसके फलस्वरूप विभिन्न खनिज उत्पादन में वृद्धि को महसूस किया है। पंचवर्षीय योजना के निरंतर प्रभाव के अन्तर्गत खनन में अपूर्व वृद्धि हुई है। बढ़े हुए लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए खनन गतिविधियों का मशीनीकरण हुआ है। वृहत पैमाने पर मशीनीकरण द्वारा खानों में नियोजित कर्मियों को स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधित खतरों में वृद्धि हुई है। तदनुसार खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) की भूमिका बढ़ गयी है।

13.24 महानिदेशालय द्वारा प्रशासित खान अधिनियम, 1952, इसके अन्तार्गत अधीनस्थ विधान और अन्य सम्बद्ध विधान निम्नलिखित हैं:–

- खान अधिनियम, 1952 (ओएसएचएण्डडब्ल्यूसी संहिता, 2020 में सम्मिलित)
- कोयला खान विनियम, 2017
- धात्विक खान विनियम, 1961
- तेल खान विनियम, 2017
- खान नियम, 1955

- खान व्यवसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966
- खान बचाव नियम, 1985
- खान शिशुगृह नियम ,1966
- कोयला खान पिट हेड बाथ नियम, 1959

खण्ड 1.1 विद्युत अधिनियम, 2003

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम, 2010

खण्ड 1.2 संबद्ध विधान

- कारखाना अधिनियम, 1948: अध्याय III एवं IV
- पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम– 1986 के नियम 1989 के तहत खतरनाक रसायनों का उत्पादन, भंडारण तथा आयात
- कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम, 1974

विषय II.

खा.सु.म.नि की भूमिका एवं कार्यकलाप

खा.सु.म.नि. की कल्पना (विजन)

13.25 खानों में नियोजित कर्मियों को जोखिम रहित तथा सुरक्षित एवं कल्याणकारी दशाओं को प्राप्त करना।

खा.सु.म.नि. का उद्देश्य

13.26 खानों में एवं उसके आस–पास दुर्घटनाओं एवं व्यावसायिक बीमारियों की पहचान कर उन्हें निम्नांकित विधियों से कम करनाः–

- उपयुक्त विधान, नियमों, विनियमन, मानकों एवं निर्देशों का विकासः
- अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपायों और
- कार्यरत व्यक्तियों और हितधारकों के बीच सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति विकसित करने के लिए जागरूकता की पहल।

खा.सु.म.नि. के वर्तमान कार्य विस्तृत रूप में इस प्रकार हैः

1. खान का निरीक्षण
2. निम्नलिखित की जाँच पड़ताल

   (क) दुर्घटना

   (ख) खतरनाक घटनाएँ–संकट कालीन प्रतिक्रियाएँ

   (ग) शिकायत और अन्य मामले
3. निम्नलिखित की मंजूरीः

   (क) सांविधिक अनुमति, छुट एवं रियायत

   (ख) खान सुरक्षा उपकरण, सामग्री और साधनों का अनुमोदन
4. भावी योजना हेतु दुर्घटनाओं से संबंधित सूचना एवं रिपोर्ट (विनियमो/नियमो के अनुसार) आदि संबंधित पड़ताल का रख–रखाव।
5. उपरोक्त के आधार विविध संसदीय समितियों की आवश्यकतानुसार रिपोर्ट भेजे जाते है।
6. कार्यशालाओं आदि के माध्यम से पारस्परिक क्रियाएँ, सुरक्षा उपकरण, सामग्री और कार्य सुरक्षा अभ्यासों का विकास ।
7. खानों(कोयला एवं गैर–कोयला) से सम्बंधित दुर्घटनाओं के आँकड़ों से जुड़ी डाटा का संकलन, प्रसंस्करण, और रख–रखाव।
8. प्रकाशनः निम्नलिखित का आवधिक प्रकाशन करने के लिएः–

   (ए) भारत में खानों की सांख्यिकी, खण्ड– I (कोयला)– (वार्षिक)

   (बी) भारत में खानों की सांख्यिकी, खण्ड–II (गैर–कोयला) –(वार्षिक)

   (सी) दुर्घटना की मासिक समीक्षा (खा.सु.म.नि. बेब–साइट पर) (मासिक)

   (डी) खा.सु.म.नि. मानक टिप्पणी– वार्षिक
9. अन्य संगठनों यथा– सीएसओ, आईबीएम, श्रम ब्यूरो, और राज्य सरकारों, कोयला मंत्रालय आदि को खान दुर्घटनाओं व सुरक्षा से संबंधित डाटा का प्रसारण।

10. सुरक्षा विधान और मानकों को विकसित करने में सहायता

11. सुरक्षा सूचना प्रसार

12. सक्षमता प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए परीक्षओं का संचालन कर यह सुनिश्चित करना कि केवल सक्षम व्यक्ति ही (कोयला खान विनियम, 2017 तथा धातु विनियम 1961 के तहत) खान प्रबंधक, सर्वेक्षक, ओवरमैन, फोरमैन आदि के पद पर नियुक्त किया जाते है।

13. सुरक्षा उन्नयन उपायों के साथ–साथः

(क) निम्नलिखित का आयोजन

- खान सुरक्षा सम्मेलन
- बेहतर सुरक्षा मानक बरकरार रखने के लिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार
- सुरक्षा सप्ताह और अभियान

(ख) प्रोत्साहनः

– सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता संबंधी कार्यक्रम

– निम्नलिखित के जरिये सुरक्षा प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी

कामगार निरीक्षक

सुरक्षा समिति

त्रिपक्षीय समीक्षाऐं

संगठनात्मक स्वरूप

13.27 डीजीएमएस केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत एक अधीनस्त कार्यालय है, जिसका मुख्यालय धनबाद, (झारखण्ड) में है। इसके शीर्षस्थ अधिकारी खान सुरक्षा महानिदेशक है। महानिदेशक को मुख्यालय स्तर पर खनन विद्युत और यॉंत्रिक अभियंत्रण, व्यावसायिक स्वास्थ्य, विधि, सर्वेक्षण, सांख्यिकी, प्रशासन और लेखा संवर्ग के विशेष अधिकारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। मुख्यालय में एक तकनीकी पुस्तकालय और विज्ञान एवं तकनीकी प्रयोगशाला भी है, जो संगठन को सुविधाएँ मुहैया कराता है। क्षेत्रीय संगठन के पास क्षेत्रीय कार्यालय का टू–टीयर नेटवर्क है। पूरे देश को आठ जोनों में विभाजित किया गया है जो एक उप–महानिदेशक के प्रभार में होता है। प्रत्येक जोनल कार्यालय के अन्तर्गत तीन से चार क्षेत्रीय कार्यालय है। प्रत्येक क्षेत्र खान सुरक्षा निदेशक के प्रभाराधीन है। इस प्रकार कुल मिलाकर 29 ऐसे क्षेत्रीय कार्यालय हैं। क्षेत्रीय कार्यालय से दूर गहन खनन कार्य के महत्वपूर्ण क्षेत्र में तीन उप–क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं। ऐसे तीन उप–क्षेत्रीय कार्यालयों में से प्रत्येक कार्यालय उप–निदेशक के प्रभार में है। प्रत्येक जोन में खनन संवर्ग के निरीक्षण अधिकारियों के अतिरिक्त विद्युत एवं यॉंत्रिक अभियंत्रण एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य संवर्ग के अधिकारी भी होते हैं। महानिदेशालय में कुल 732(नियमित) स्वीकृत तथा 231 (आउटसोर्स) पद हैं ,जिसमे 01.11.2021 तक 554 पदस्थापित पदों की स्थिति निम्नवत है :–

अधिकारियों की श्रेणी	स्वीकृत पद की संख्या	पदासीन कर्मियों की संख्या
श्रेणी- क	279	152
श्रेणी- ख (राजपत्रित)	38	26
श्रेणी- ख (अराजपत्रित)	186	157
श्रेणी- ग	229	144
श्रेणी-ग(आउटसोसिंग के लिए स्वीकृत)	231	75
कुल	732(नियमित) तथा 231(आउटसोर्सिंग)	554

निम्नांकित तालिका डीजीएमएस के वर्षवार कल स्वीकत पदों को दर्शाती है।

वर्ष	स्वीकृत पद	भरे हुए पद
2017	963	598
2018	963	567
2019	963	555
2020	963	551
2021	963	554

विषयःIII दुर्घटना की प्रवृति

13.28 कोयला खानों में होने वाली प्राणघातक एवं गंभीर दुर्घटनाओं की प्रवृति **आ ति 1** में दी गई है। ऐसा देखा जाता है कि गंभीर चोट दर में वर्षो के दौरान लगातार गिरावट आई है। मृत्यु दर 0.1 से 0.3 के बीच रही है। दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय ने अनेक उपाय किए हैं, जिसका विवरण **आ ति 10 एवं आ ति 11** में दिया गया है।

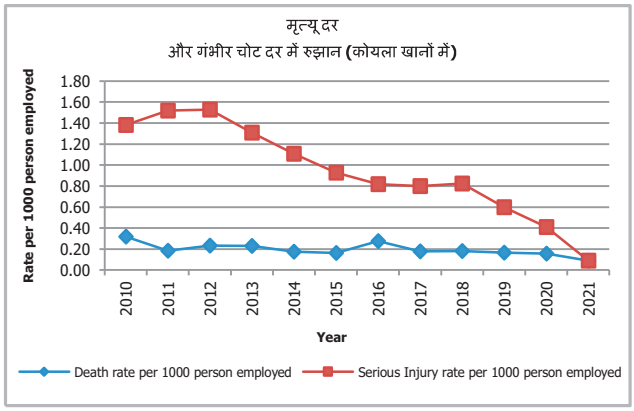

आ ति 1: कोयला खानों में मृत्युदर और गंभीर चोट दर की प्रवृति

***2021 के आंकड़े 30 सितम्बर, 2021 तक हैं।**

13.29 धातु के खानों में प्राणघातक तथा गंभीर दुर्घटनाओं की प्रवृति को **आकृति–2** में दर्शाया गया है। दोनों की दरों में उत्तार– चढ़ाव है किन्तु कुछ वर्षो में गंभीर चोट दर में गिरावट आई है।

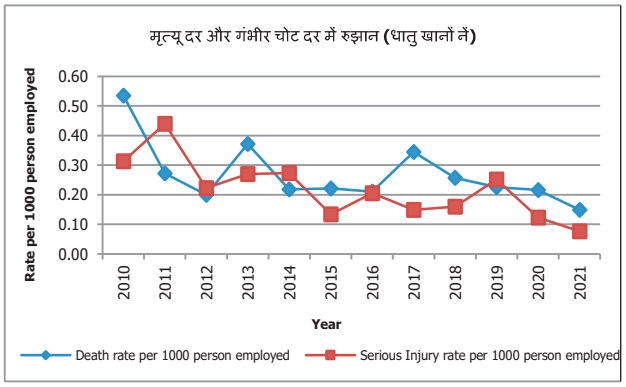

आ तिः2 धातु की खानों में मृत्युदर और गंभीर चोट दर की प्रवृति

13.30 तेल खानों में प्राणघातक तथा गंभीर दुर्घटनाओं की प्रवृत को **आकृति– 3** में दर्शाया गया है। दोनों की दरों में उतार– चढ़ाव है, किन्तु कुछ वर्षो में गंभीर चोट दर में गिरावट आई है।

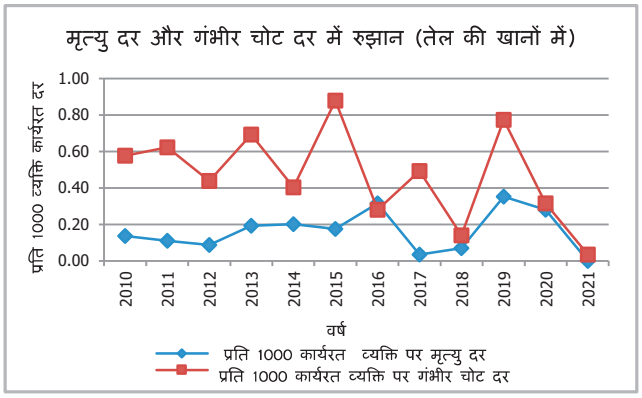

आ ति 3: तेल की खानों में मृत्युदर और गंभीर चोट दर की प्रवृति

विषयः सुरक्षा के उपाय

13.31 खानों में सुरक्षा के उपाय को प्रवर्तित करने के लिए खा.सु.म.नि. के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा निरीक्षण एवं जाँच–पड़ताल किए जाते है। कोयला,धातु एवं तेल के खानों में निरीक्षण करने के साथ–साथ खा.सु.म.नि. सभी प्राणघातक दुर्घटनाओं, विशेष गंभीर दुर्घटनाओं एवं खतरनाक घटनाओं का भी अन्वेषण करता है और ऐसे सदृश घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए निवारक उपायों की अनुशंसा करता है। वर्ष 2001 से 2020 तक दुर्घटना की प्रवृति को तालिका 13.5ए में दर्शाया गया है। प्रति 1000 नियोजित व्यक्तियों की प्राणघातक दुर्घटना एवं मृत्युं दर की प्रवृति का 10 वर्षीय औसत को वर्ष 1951 से 2010 तक तथा वर्ष 2011 से 2019 तक तालिका 13.5बी में दर्शाया गया है।

13.32 खान अधिनियम की 1952 की धारा 22 एवं 22ए, कोयला खान विनियम, 2017 की विनियम 116 तथा धातु खान विनियम, 1961 का विनियम 108 के तहत किसी भी खान में या उसके किसी हिस्से में व्यक्तियों को नियोजित करने पर रोक लगाने या उसे निषिद्ध करने हेतु संशोधन, सूचनाएँ एवं निषेधाज्ञा जारी करने की शक्ति खान सुरक्षा महानिदेशक में निहित है। वर्ष, 2006 के बाद की गई निरीक्षणों एवं जाँच– पड़तालों की संख्या तालिका 13.6 में दी गई है।

विषयः V:– परिपत्र

13.33 व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के जटिल मामलों पर खान सुरक्षा महानिदेशालय खनन् उद्योग को परिपत्र जारी करता है। आवश्यकतानुसार तकनीकी

परिपत्र, अनुमोदन परिपत्र, सामान्य परिपत्र, सामान्य अनुदेश, तकनीकी अनुदेश वैधानिक परिपत्र तथा वैधानिक अनुदेश जारी किए जाते हैं।

मानक विन्यास

13.34 विदेशों के विगत अनुभवों/अनुभव के आधार पर डीजीएमएस द्वारा निम्नलिखित विकासात्मक पहलें की गई हैं,

- सुरक्षा कानूनों का संशोधन,
- परिपत्रों के माध्यम से पहचाने गए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अधिक सुरक्षित प्रचालनों के लिए दिशा–निर्देश जारी करना तथा
- डीजीएमएस के अधिकारियों को उनके मार्गदर्शन हेतु तकनीकी अनुदेश जारी करना।

विषयः– VIः– सक्षमता जाँच

13.35 यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल सक्षम व्यक्ति ही खान प्रबंधक, सर्वेक्षक, ओवरमैन, फोरमैन आदि के पदों पर नियुक्त हो सके, इसके लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय कोयला खान विनियम 2017 एवं धात्विक खान विनियम, 1961 के तहत गठित खनन् परीक्षा बोर्ड की ओर से परीक्षाएँ संचालित करता है और सक्षमता प्रमाण–पत्र देता है। इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों एवं 01.04.2021 से 31.10.2021 तक निर्गत सक्षमता प्रमाण–पत्रों का विवरण तालिका 13.7 में दिया गया है।

खान सुरक्षा उपकरणों का अनुमोदन

13.36 कोयला खान विनियम, 2017, धात्विक खान विनियम, 1961, तेल खान विनियम, 2017, खान बचाव विनियम, 1985 एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार नियम 2010 के विविध प्रावधानों के तहत निर्मित सांविधिक अनिवार्यता को पूरा करने के लिए खानों में व्यवहार्य विविध उपकरणों का अनुमोदन मुख्य खान निरीक्षक (खान सुरक्षा महानिदेशक के रूप में भी पदनामित है) द्वारा अब ऑनलाइन दिया जाता है। अनुमोदन की प्रक्रिया में उपकरणों के प्रयोग की संवीक्षा करना है जो मुख्य रूप से निर्माताओं द्वारा अपनाई गई गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली एवं उसके उपकरण/सामग्री आदि के उत्पाद की क्षमता को जानने के लिए किया जाता है, जो खानों में प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षित ढ़ंग से कार्य कर सके तथा प्रतिकूल दशा में लंबी अवधि तक के प्रयोग के मातहत कारगर हो सके। उपकरणों के लिए संदर्भित भारतीय मानकों की संपुष्टि आवश्यक होती है और यदि भारतीय मानक उपलब्ध नहीं होता है तो इसकी संपुष्टि अन्य देशो के मानक प्रमाणीकरण संस्थाओं जैसे (आई.एस.ओ./ई.एन./डी.आई.एन.) इत्यादि द्वारा की जाती है। संगत मानकों के अनुसार आवेदन के सापेक्ष अनुमोदित प्रयोगशाला की जाँच प्रमाण–पत्र भी शामिल होना चाहिए। प्रलेखों की समीक्षा करने के उपरान्त यदि व्यवस्थित पाए जाते है तो विभिन्न खानों में पीट सक्षमता की जाँच के लिए फील्ड जाँच का अनुमोदन दिया जाता है। उपकरणों के सफल फील्ड जाँच किए जाने के बाद संबंधित खान प्रबंधन से निष्पादन रिपोर्ट लिया जाता है। यदि उपरोक्त रिपोर्ट संतोषजनक पाया जाता है, तो एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

13.37 खनन एक खतरनाक व्यवसाय है। इसलिए, खानों में उपयोग किए जाने वाले उपकरण, मशीनरी, उपकरण, उपकरण और अन्य सामग्री सुरक्षित, मजबूत, विश्वसनीय और प्रतिकूल वातावरण में सुरक्षित रूप से काम करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। उपकरण को प्रतिकूल स्थिति में भी लंबे समय तक उपयोग के लिए सुरक्षित रहने की आवश्यकता है।

13.38 समय–समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी इन विनियमों के तहत वैधानिक अधिसूचना के अलावा खानों में उपयोग के लिए विभिन्न उपकरणों को मंजूरी देने का उद्देश्य मुख्य रूप से कोयला खान विनियम, 2017, धातु युक्त खान विनियम, 1961, तेल खान विनियम, 2017, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा से संबंधित उपाय और विद्युत आपूर्ति) विनियम, 2010 और खान बचाव नियम, 1985 के विभिन्न प्रावधानों के तहत निहित वैधानिक दायित्व को पूरा करना है।

13.39 अनुमोदन के लिए आवश्यक उपकरणों/यंत्रावली/साधित्रों तथा सामग्रियों को वृहत रूप में निम्न प्रकार से संवर्गीकृत किया जा सकता हैः–

- निजी बचाव उपकरण
- पर्यावरण प्रबोधन उपकरण एवं यंत्र

- खनन प्रचालन को संचालित करने के लिए मशीन एवं अन्य उपकरण तथा
- भूमिगत खानों में प्रयोग हेतु सुरक्षा सामग्री

13.40 निम्नलिखित तालिका दिनांक 01.04.2021 से 31.10.2021 के दौरान अनुमोदित की गई मदों का विवरण दर्शाती है।

मदें	नियमित अनुमोदन या स्वीकृत अनुमोदन विस्तार की सं.	क्षेत्रीय जाँच अनुमोदन/स्वीकृत क्षेत्रीय जाँच अनुमोदन विस्तार की सं.	स्वीकृत अनुमोदनों की कुल सं.
श्वास उपकरण	01	1	2
डिटोनेटर	12	0	12
विस्फोटक	3	0	3
गैस डिटेक्टर	1	0	1
विस्फोटन मीटर	1	0	1
कुल	18	1	19

13.41 दिनांक 01.04.2020 से 30.09.2020 तक की अवधि के दौरान खानों में प्रयोग की जानेवाली याँत्रिक उपकरण जो स्वीकृत की गई, का विवरण इस प्रकार है:–

क्रम सं.	अनुमोदन का प्रकार (संख्या में)	अनुमोदन की संख्या
1	क्षेत्रीय जाँच / विस्तार	07
2	नियमित अनुमोदन/ विस्तार	08
दिए गए अनुमोदनों की कुल संख्या		15

13.42 दिनांक 01.04.2021 से 31.10.2021 तक की अवधि के दौरान खानों में प्रयोग की जानेवाली विद्युत उपकरण जो स्वीकृत की गई, का विवरण इस प्रकार है:–

क्रम सं.	अनुमोदन का प्रकार	अनुमोदन की संख्या
1	क्षेत्रीय जाँच अनुमोदन	26
2	क्षेत्रीय जाँच विस्तार	00
3	नियमित अनुमोदन	06
4	नवीनीकरण	47
दिए गए अनुमोदनों की कुल संख्या		79

- खनन उपकरण, उपस्कर और परीक्षण कार्यप्रक्रिया का बीआईएस द्वार मानकीकरण।

विषयः VII सांख्यिकी प्रभाग, डीजीएमएस

13.43 खान सुरक्षा महानिदेशालय में कम्प्युटर साधित सूचना प्रबंधन (सांख्यिकी) प्रणाली है, जिसका रख–रखाव सांख्यिकी प्रभाग द्वारा किया जाता है। सांख्यिकी प्रभाग वर्ष 2017 से ही राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) हेतु ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का रख–रखाव कर रहा है। यह प्रभाग खान सुरक्षा संबंधित प्राप्त विविध आँकडों (विवरणी एवं प्रतिवेदन के रूप में प्राप्त) की समीक्षा, प्रसंस्करण एवं संकलन करता है।

विजन : भारतीय खानों में नियोजित खनन कर्मियों की स्वास्थ्य, कल्याण एवं सुरक्षा के राष्ट्रीय मान्य तथा अनतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक मानकों को सुनिश्चित करने की दिशा में पूरक एवं अनुपूरक योगदान करना।

सांख्यिकी प्रभाग का कार्य

क्र. सं.	मुख्य गतिविधियाँ
1.	खानों (कोयला एवं गैर-कोयला) से संबंधित नियोजन, मशीनों, बारूदो, दुर्घटना सांख्यकी संबंधित ऑकड़ो का संकलन, प्रसंस्करण तथा रख-रखाव करना।
2.	संसदीय स्थायी समिति संबंधित कार्य- यथापेक्षा ऑकड़ो की आपूर्ति।
3.	कोल इंडिया लिमिटेड की सुरक्षा समिति संबंधित कार्य-यथापेक्षा ऑकड़ों की आपूर्ति।

4.	संसदीय प्रश्नों से संबंधित कार्य 1. संसदीय प्रश्नों के संबंध में उत्तर का प्रसंस्करण करना (सभी सत्र) 2. संसदीय प्रश्नों से जुड़ी आँकड़ो का प्रसंस्करण।
5.	दुर्घटना रिपोर्ट: 1. डाटाबेस में दुर्घटना संबंधित प्रपत्र एवं प्रतिवेदनों में आँकड़ो का प्रविस्टिकरण। 2. दुर्घटना आँकड़ो का प्रसंस्करण, 3. डाटाबेस में दुर्घटना के आँकड़ो का रख-रखाव।
6.	कोयला एवं गैर-कोयला खानों की वार्षिक विवरणियों का प्रसंस्करण करना:
	1. प्रस्तुत/ प्राप्त विवरणीयों की समीक्षा 2. आँकड़ो का प्रसंस्करण
7.	1. प्रकाशन: समय-समय पर निम्नांकित को प्रकाशित करना: ए) भारत में खानों की सांख्यिकी – खण्ड- I (कोयला) – वार्षिक बी) भारत में खानों की सांख्यिकी – खण्ड- II (गैर-कोयला) – वार्षिक सी) दुर्घटनाओं की मासिक समीक्षा- मासिक 2. इसके अतिरिक्त प्रभाग निम्नांकित प्रकाशनों में भी सहायता करता है: ए) डीजीएमएस वार्षिक प्रतिवेदन – वार्षिक बी) डीजीएमएस मानक टिप्पणी – वार्षिक सी) कोयला एवं गैर-कोयला खानों के दुर्घटना परिदृश्य पर विशेष बुलेटिन - (आवश्यकतानुरूप) डी) भारत में खान आपदाओं पर विशेष बुलेटिन- (आवश्यकतानुरूप)
8.	राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान): 1. राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) संबंधित आवेदनों से जुड़े आँकड़ो की प्रविष्टि एवं प्रसंस्करण 2. राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) डाटाबेस का रख-रखाव 3. राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार समिति की बैठकों ,कार्यशालाओं आदि का आयोजन।
9.	अन्य संगठनो जैसे सीएसओ, आइबीएम, श्रम ब्यूरो, राज्य सरकारो, कोयला मंत्रालय आदि को आँकड़ा प्रसारित करना।
10.	परिणामी बजट संबंधित आँकड़ों का अद्यतन करना तथा उसका रख-रखाव
11.	आरएफडी संबंधित आँकड़ो का अद्यतन एवं रख-रखाव 1. निरीक्षण एवं पड़ताल संबंधित डाटाबेस का रख-रखाव 2. अनुमति मामलों संबंधित डाटाबेस का रख-रखाव
12.	खान प्रबंधन तथा इस महानिदेशालय के उप-क्षेत्रीय, क्षेत्रीय एवं जोनल कार्यालयों से प्राप्त दुर्घटना संबंधित आँकड़ो का समन्वयन।
13.	डीजीएमएस के विविध शाखाओं को यथासमय यथापेक्षित समन्वित करना।
14.	सॉफ्टवेयर का विकास (समन्वय एवं संक्षिप्तीकरण) 1. खान सांख्यिकी 2. राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान)
15.	यह प्रभाग यथासमय यथोपेक्षित आइआइटी (आइएसएम) धनबाद, आइआइटी एवं बीआईटी आदि जैसे विविध संगठनों के अनसंधानकर्ताओं को भी सहायता प्रदान कर रहा है।

16.	खानों का पंजीकरण करने के लिए डाटाबेस का रख-रखाव किया जाता है, जहाँ यूनिक पहचान संख्या (खान कोड़) बनाकर उसे संबंधित जोन/ क्षेत्र को भेजा जाता है।
17.	मानक टिप्पणी बनाना 1. दुर्घटना विश्लेषण 2. अनुपातों का संकलन तथा व्युत्पत्ति
18.	श्रम सुविधा पोर्टेल के माध्यम से कोयला एवं गैर-कोयला खानों के विवरणों का संकलन
19.	प्रधान मंत्री की कल्पना को ध्यान में रखकर आँकड़ा एकत्रीकरण तथा निम्नांकित क्षेत्र में ऑनलाइन यूजर के लिए आवश्यक डाटा उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन पटल बनाने का प्रयास जारी है। 1. वार्षिक विवरणी 2. दुर्घटनाओं का समय श्रृंखलाबद्ध विश्लेषण
20.	विविध मानदण्डों उदाहरण के लिए कारण, स्थान, राज्य, आयु आदि पर दुर्घटनाओं का विस्तृत विश्लेषण।

13.44 सांख्यिकी प्रभाग खान सुरक्षा के विविध गतिविधियों के संबंध में सूचना एवं सांख्यिकी के विविध कम्प्युटर साधित डाटाबेस का रख–रखाव करता है। डाटाबेस का रख–रखाव तथा प्रसंस्करण कार्य प्रभाग द्वारा विकसित किये गये सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है।

मुख्य उपलब्धियाँ

13.45 अ नलाइन प्रणालियाँ

- श्रम–सुविधा पोर्टल के माध्यम से खानों का ऑनलाइन निरीक्षण। यादृच्छिक निरीक्षणों का जोखिम आधारित सृजन।
- वेब एप्लिकेशन मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन रसीद, डीलिंग और अनुमति/छूट/छूट का अनुदान।
- वेब एप्लिकेशन मॉड्यूल के माध्यम से सुरक्षा उपकरणों की ऑनलाइन प्राप्ति, व्यवहार और अनुमोदन प्रदान करना।
- राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) के लिए ऑनलाइन आवेदन और आवेदनों की जांच
- खान प्रबंधनों द्वारा ऑनलाइन वार्षिक रिटर्न दाखिल करने और सांख्यिकीय आंकड़ों की गणना के लिए ऑनलाइन सांख्यिकीय मॉड्यूल।
- खान प्रबंधन द्वारा दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं की सूचना प्रस्तुत करने और सांख्यिकीय डेटा की गणना के लिए ऑनलाइन दुर्घटना और सांख्यिकीय मॉड्यूल।
- सभी सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा के लिए अब कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रणाली लागू कर दी गई है।

13.46 विधायी सुधार

- कोयला खान विनियम, 1957 को कोयला खान विनियम 2017 के रूप में व्यापक रूप से संशोधित किया गया है। इसी तरह, तेल खान विनियम, 1984 को तेल खान विनियम, 2017 के रूप में संशोधित किया गया है ताकि तकनीकी के अनुरूप खान श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य में परिवर्तन शामिल किया जा सके। खनन उद्योग में प्रगति।
- खानों में महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध को राजपत्र अधिसूचना संख्या एसओ 506 (ई) दिनांक 29.01.2019 द्वारा शिथिल किया गया था।
- व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता, 2020 को भारत के राजपत्र में 29 सितंबर, 2020 को अधिसूचित किया गया है।
- व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति नियमावली के मसौदे को धारा 135 व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता, 2020 के तहत तैयार किया गया है, जिसे 19 नवंबर, 2020 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

13.47 सीबीटी आधारित सांविधिक जांचों में रूपांतरण

- कोयला खान विनियम 2017 और धात्विक खान विनियम, 1961 के तहत जांच कराने के लिए

उपनियमों को व्यापक रूप से संशोधित किया गया है और क्रमशः अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. द्वारा 555 (ई), जी.एस.आर. 556 (ई), जी.एस.आर. 557 (ई), जी.एस.आर. 558 (ई) और जी.एस.आर. 559(अ) धनबाद, दिनांक 11 अगस्त, 2021 तथा अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 560 (ई), जी.एस. आर. 561(ई), जी.एस.आर. 562(ई), जी.एस.आर. 563 (ई), जी.एस.आर. 564(ई), जी.एस.आर. 565(ई) और जी.एस.आर. 566(अ) धनबाद, दिनांक 11 अगस्त, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

- कोयला खान विनियम, 2017 और धातुयुक्त खान विनियम 1961 के तहत प्रबंधक के सक्षमता प्रमाणपत्र के अनुदान के लिए परीक्षा अब केवल कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) है और इन प्रमाणपत्रों के लिए कोई मौखिक परीक्षा नहीं है।

- ओवरमैन, फोरमैन, सर्वेयर, सरदार, माइनिंग मेट, ब्लास्टर और गैस परीक्षण योग्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने की परीक्षा भी केवल कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) होगी और इन प्रमाणपत्रों के लिए कोई मौखिक परीक्षा नहीं होगी।

- खनन इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले व्यक्तियों के लिए, गैस परीक्षण परीक्षा की आवश्यकता को हटा दिया गया है और प्रमाण पत्र केवल छूट के आधार पर दिया जाएगा।

- विधायी परिपत्र– डीजीएमएस (विधान)(परीक्षा) 2021 का परिपत्र संख्या 01, इस संबंध में किए गए सुधारों के बारे में जानकारी के व्यापक प्रसार के लिए जारी किए गए हैं।

- प्राथमिक चिकित्साः "प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण के संचालन के लिए मानक और प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने" के संबंध में किए गए सुधारों के बारे में व्यापक प्रसार के लिए डीजीएमएस (तकनीकी) (ओएच) परिपत्र संख्या 2021 का 01, धनबाद दिनांक 06.08.2021 सूचना के जारी किया गया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान)

13.48 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रतियोगिता (वर्ष 1982 के लिए) वर्ष 1983 में राष्ट्रीय खान सुरक्षा पुरस्कार की शुरूआत की गई, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर उत्तम सुरक्षा निष्पादन को उचित पहचान देना तथा खानो में सुरक्षा मानको को बेहतरीन बनाने के लिए खनन् संचालको के बीच प्रतिस्पर्धात्मक उत्साह पैदा करना है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय खानों में नियोजित कर्मियों में होने वाले व्यावसायिक रोगों एवं मौतों में कमी लाने के लिए उचित व्यावसायिक स्वास्थय एवं सुरक्षा विधान बनाकर और मानक निर्धारण कर तथा उनके अनुपालन का प्रबोधन कर विविध प्रोन्नयनकारी पहल तथा जागरूकता कार्यक्रमों के द्वारा एक ऐसे वातावरण सृजित करने का प्रयास करती है, जिसमे सुरक्षा को उचित प्राथमिकता दी गयी हो। राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) ऐसी प्रोन्नयनकारी पहल है। राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार योजना खान अधिनियम 1952 के परिधि में आनेवाले सभी खानों पर लागू होता है। प्रतियोगिता वर्ष 2015 एवं 2016 के लिए दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा एक समारोह में कुल 73 राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) दिया गया।

13.49 प्रतियोगिता वर्ष 2017,2018, 2019 और 2020 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) हेतु पुरस्कार विजेता खानों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। इन प्रतियोगिता वर्ष के लिए पुरस्कार समारोह शीघ्र ही आयोजित किया जाएगा।

भारत में खनन गतिविधियों का विकास

13.50 वर्ष 2006 से 2015 तक खनन गतिविधियों में हुयी वृद्धि **तालिका 13.1** में दर्शायी गयी है। खान दुर्घटनाओं की प्रवणताओं को **तालिका 13.2** में दर्शायी गया है। **तालिका 13.3** कोयला खानों में कारणवार दुर्घटना प्रवृतियों को दर्शाता है। **तालिका 13.4** गैर–कोयला खान दुर्घटनाओं की कारणवार प्रवृति को दर्शाता है। खान दुर्घटनाओं और उनसे होने वाले हताहत खान सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण पक्ष है। इन्हें **तालिका 13.5ए एवं 13.5बी** में दर्शाया गया है।

13.51 खान सुरक्षा महानिदेशालय निर्धारित मानदण्ड के अनुसार खान सुरक्षा संबंधित तकनीकी निरीक्षण एवं पड़ताल करता है इससे संबंधित डाटाबेस का रख–रखाव

किया जाता है तथा विविध वर्षों के आँकड़ें को **तालिका 13.6** में दर्शाया गया है।

13.52 **तालिका 13.7** विविध प्रबंधकों तथा खानों के अन्य नियोजित कर्मियों से प्राप्त आवेदनों एवं निर्गत सक्षमता प्रमाण–पत्रों को दर्शाता है।

दुर्घटना अनुभव

13.53 वर्ष1971–80 से 2011–20 तक दस वर्षीय औसत के आधार पर खानों में नियोजित प्रति हजार व्यक्तियों के संदर्भ में प्राणघातक दुर्घटनाओं एवं मृत्युदर की दुर्घटना प्रवृतियाँ निम्नवत हैं:–

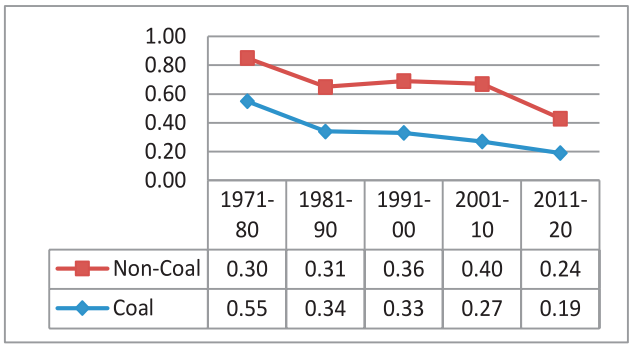

	1971-80	1981-90	1991-00	2001-10	2011-20
Non-Coal	0.30	0.31	0.36	0.40	0.24
Coal	0.55	0.34	0.33	0.27	0.19

13.54 उपरोक्त आरेख में मृत्युदर तथा दस वर्षीय प्रवृति की दीर्घकालिक प्रवृति को दर्शाया गया है।

उपरोक्त आरेख कोयला एवं गैर–कोयला खानों में निम्नलिखित प्रति 1000 व्यक्तियों का दस वर्षीय औसत के आधार पर मृत्यु दर की प्रवृति को दर्शाता है। कोयला खानों के लिए यह प्रवृति समयान्तराल के दौरान क्रमिक गिरावट दर्शाता है, हालॉकि गैर–कोयला खानों के लिए यह प्रवृति नही है।

13.55 दुर्घटनाओं के सूक्ष्म विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष 2021 के दौरान कोयला खानों में घटित कुल दुर्घटनाओं का 24% प्राणघातक दुर्घटनायें डम्परों, ट्रकों आदि के कारण घटित हुई, और 21% छट गिरने के कारण घटित हुईं। गैर–कोयला खानों में वर्ष 2021 के दौरान प्राणघातक दुर्घटनाओं का उच्चतम प्रतिशत 33% रहा जो व्यक्तियों के गिरने के कारण रहा। इसके बाद के कारण थे: व्यक्तियों के गिरना और विस्फोटक दोनों 20% रहे।

13.56 जहाँ तक वर्ष 2021 के दौरान कोयला खानों में घटित गंभीर दुर्घटनाओं का प्रश्न है, व्यक्तियों एवं वस्तुओं के गिरने से होने वाले दुर्घटनाओं का अनुपात क्रमशः 33% तथा 11% रहा। गैर–कोयला खानों के लिए मुख्य योगदानकर्ता थे: व्यक्तियों का गिरना, गैर–परिवहन मशीनरी तथा वस्तुओं का गिरना, जिसमें प्रत्येक का योगदान 17% है।

निम्नलिखित आकृतियाँ 4 एवं 5 में वर्ष 2021 के दौरान कोयला खानों में कारणवार प्राणघाती तथा गंभीर दुर्घटनायें दर्शायी गयी है।

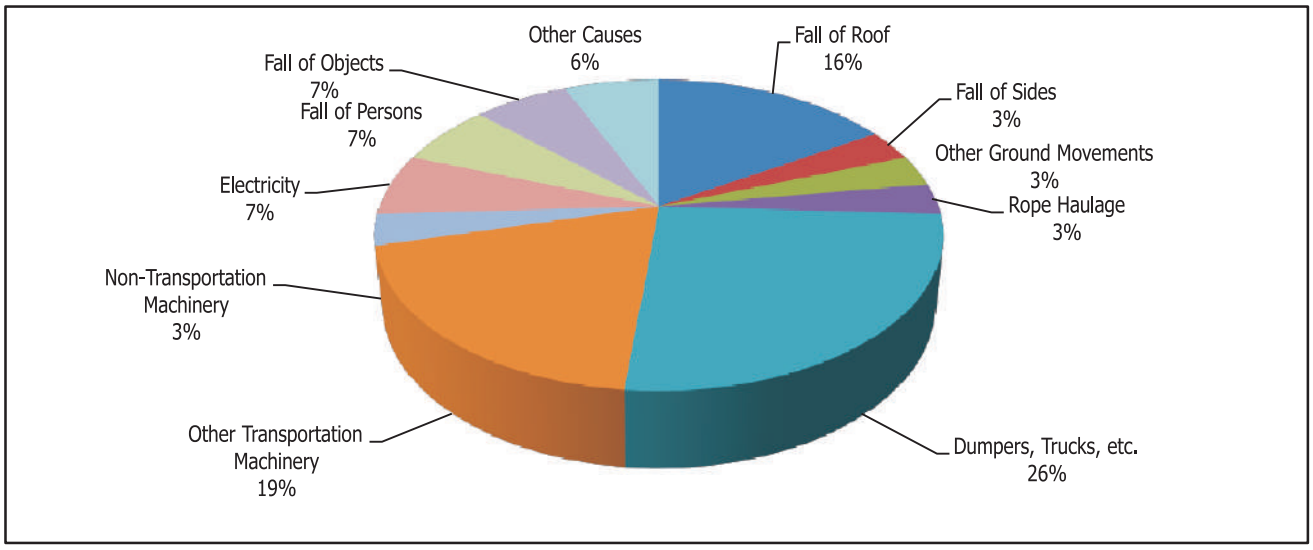

आकृति4: वर्ष 2021के दौरान कोयला खानों में प्राणघातक दुर्घटनाओ का कारणवार वितरण

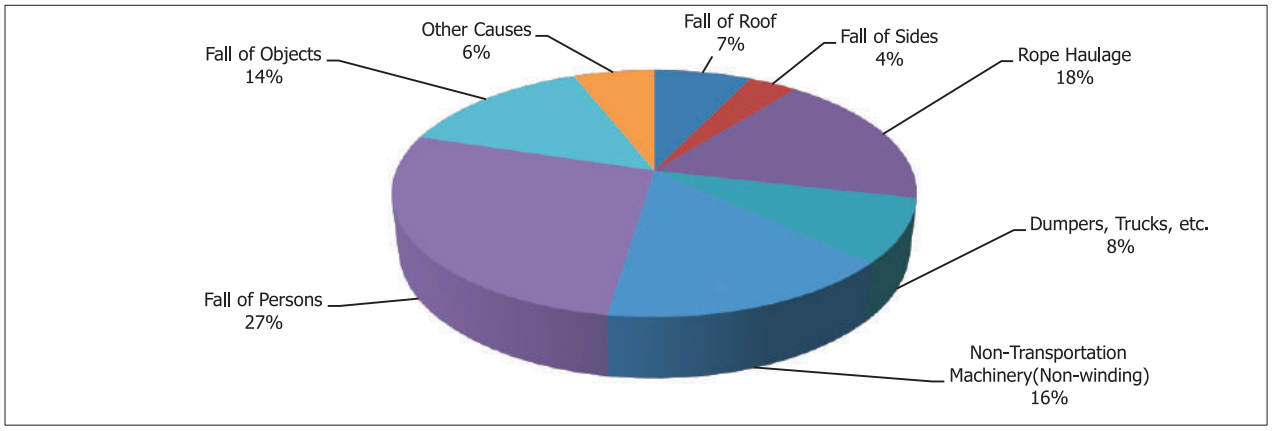

आकृति5: वर्ष 2021के दौरान कोयला खानों में गंभीर दुर्घटनाओ का कारणवार वितरण

*नीचे दिए गए आँकड़े6 एवं 7 वर्ष 2021 में गैर–कोयला खानों में घटित कारणवार क्रमशःघातक एवं गंभीर दुर्घटनाओं को दर्शाते हैं।

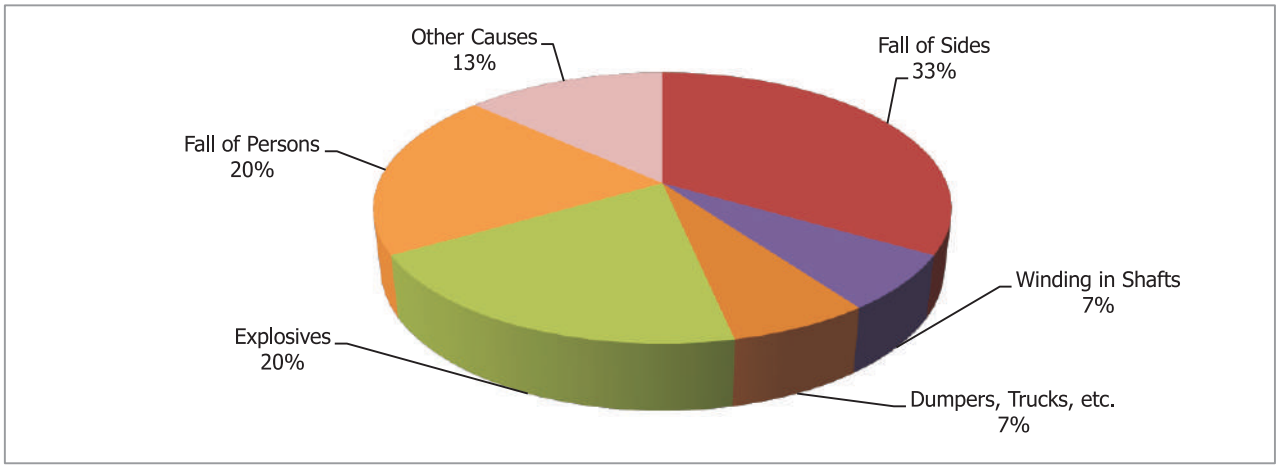

आकृति 6: वर्ष 2021 के दौरान गैर-कोयला खानों में प्राणघातक दुर्घटनाओ का कारणवार वितरण

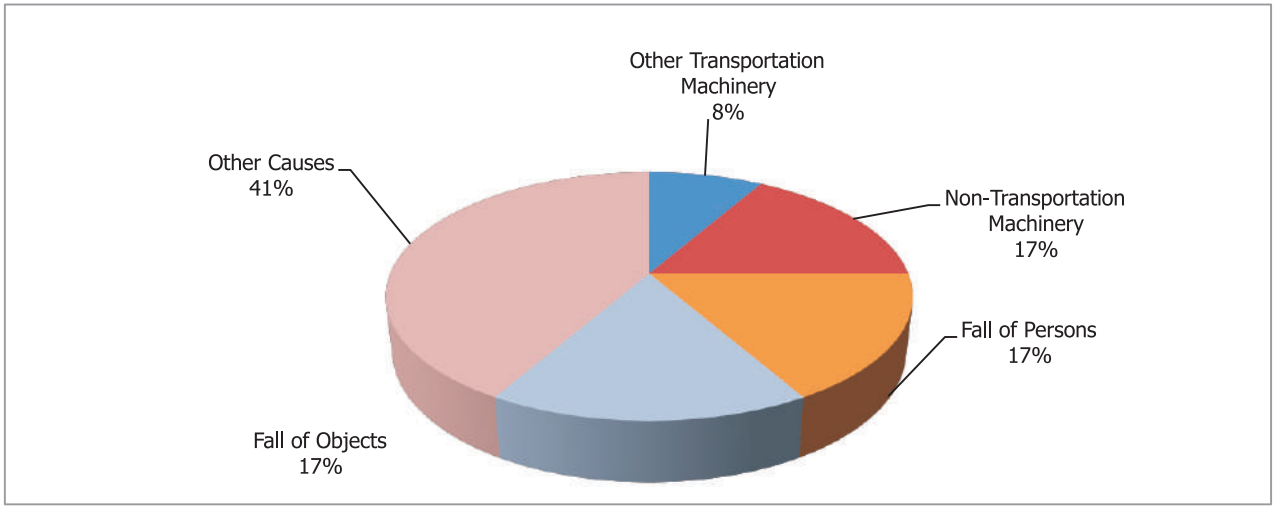

आकृति7: वर्ष 2021 के दौरान गैर-कोयला खानों में गंभीर दुर्घटनाओ का कारणवार वितरण

*तालिका 13.2 वर्ष 2001 से 2021 तक खानों में दुर्घटनाओं की प्रवृत्ति दर्शाती है। दुर्घटनाओं को कोयला,और गैर-कोयला खानों में वगीकृत किया गया है। दुर्घटनाओं को आगे घातक और गंभीर दुर्घटनाओं में वर्गीकृत किया गया है।

वर्ष	तालिका 13.2					
	खानों में दुर्घटनाओं की प्रवृति					
	कोयला खानों में दुर्घटनाओं की संख्या			गैर-कोयला खानों में दुर्घटनाओं की संख्या		
	प्राणघातक	गंभीर	योग	प्राणघातक	गंभीर	योग
2001	105	667	772	71	199	270
2002	81	629	710	52	205	257
2003	83	563	646	52	168	220
2004	87	962	1049	57	188	245
2005	96	1106	1202	48	108	156
2006	78	861	939	58	78	136
2007	76	923	999	56	79	135
2008	80	686	766	54	83	137
2009	83	636	719	36	94	130
2010	97	480	577	54	61	115
2011	65	533	598	44	82	126
2012	79	536	615	36	45	81
2013	77	456	533	58	52	110
2014	59	379	438	39	44	83
2015	54	302	356	45	35	80
2016	67	268	335	39	37	76
2017	56	266	322	46	21	67
2018	49	266	315	46	23	69
2019	51	193	244	45	60	105
2020	48	118	166	40	24	64
2021*	31	84	115	15	12	27

* वर्ष 2021 के आँकड़े अनंतिम हैंऔर ये दिनांक 31.10.2021 तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार हैं।

*तालिका 13.3 वर्ष 2016 से 2021 तक कोयला खानों में कारणवार दुर्घटना की प्रवृति को दर्शाती है। कोयला खानों में दुर्घटना के 14 बड़े कारण हैं। दुर्घटनाओं को आगे प्रणघातक एवं गंभीर दुर्घटनाओं में वर्गीकृत किया गया है।

तालिका 13.3

1) कोयला खानों में दुर्घटनाओं की प्रवृति – कारणवार

कारण	प्राणघातक दुर्घटनाओं की संख्या						गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*
चाल का गिरना	8	3	3	2	4	5	11	7	9	5	5	6
पार्श्व पतन	5	5	2	4	4	1	8	16	14	9	2	3
अन्य भू- संचलन	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	2	0
शॉफ्ट वाइन्डिंग	1	0	0	2	0	0	0	2	14	3	0	0
रॉप होलेज	5	5	2	1	1	1	26	20	20	18	14	15
डम्फर, ट्रक इत्यादि	20	19	15	12	15	8	12	8	13	6	6	7
अन्य परिवहन मशीन	3	2	1	4	1	6	7	2	6	4	1	0
गैर-परिवहन मशीन	9	10	10	8	7	1	17	16	24	28	11	13
विस्फोटक	0	2	2	1	3	0	3	3	1	2	1	0
विद्युत	2	2	5	2	1	2	6	6	4	4	5	0
गैस,धूल, आगआदि	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
व्यक्तियों का गिरना	4	2	3	5	5	2	87	85	74	52	41	23
वस्तुओं का गिरना	2	2	0	3	1	2	43	72	40	27	14	12
अन्य कारण	3	3	4	6	5	2	48	29	47	35	30	5
योग	**67**	**56**	**49**	**51**	**48**	**31**	**268**	**266**	**266**	**193**	**118**	**84**

*वर्ष 2021 केआंकड़े अनंतिम हैंऔर ये दिनांक 31.10.2021 तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार हैं।

आकृति 8 2016–2021 के दौरान खानों में हुई घातक दुर्घटनाओं का प्रतिशत दर्शाता है। यह देखा जा सकता है कि घातक दुर्घटना का प्रमुख कारण डंपर, ट्रक आदि हैं।

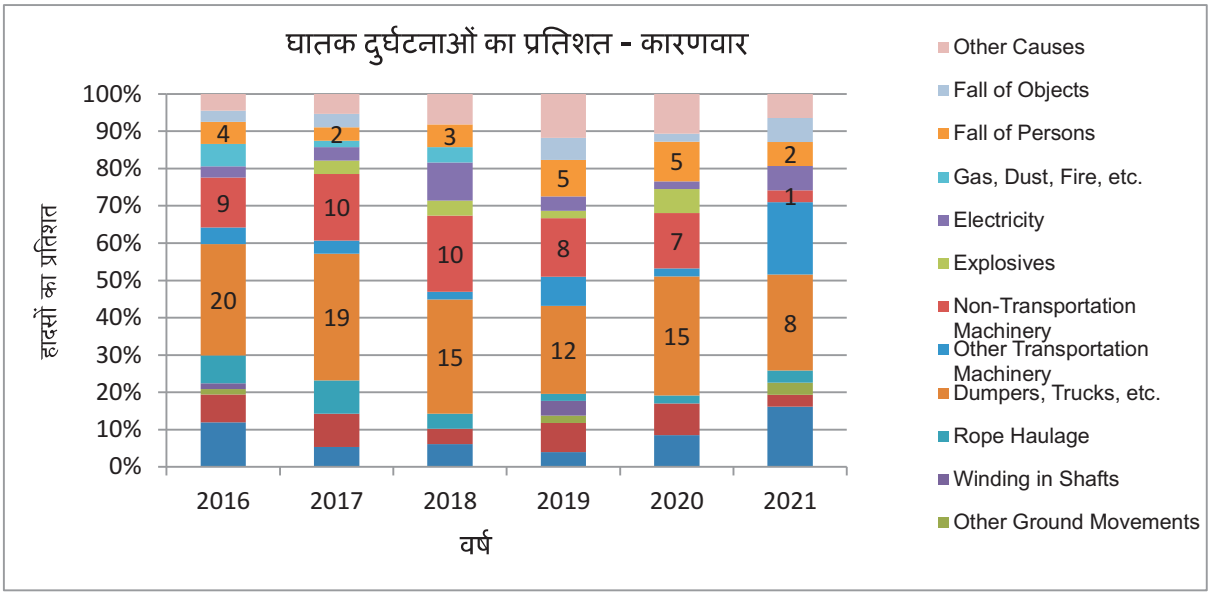

चित्र. 8 कोयला खानों में घातक दुर्घटना का प्रतिशत– कारण–वार

आकृति 9 2016–2021के दौरान खानों में हुई गंभीर दुर्घटनाओं का प्रतिशत दर्शाता है। यह देखा जा सकता है कि गंभीर दुर्घटना का प्रमुख कारण व्यक्ति का गिरना और उसके बाद रस्सी ढोना और अन्य कारण हैं।

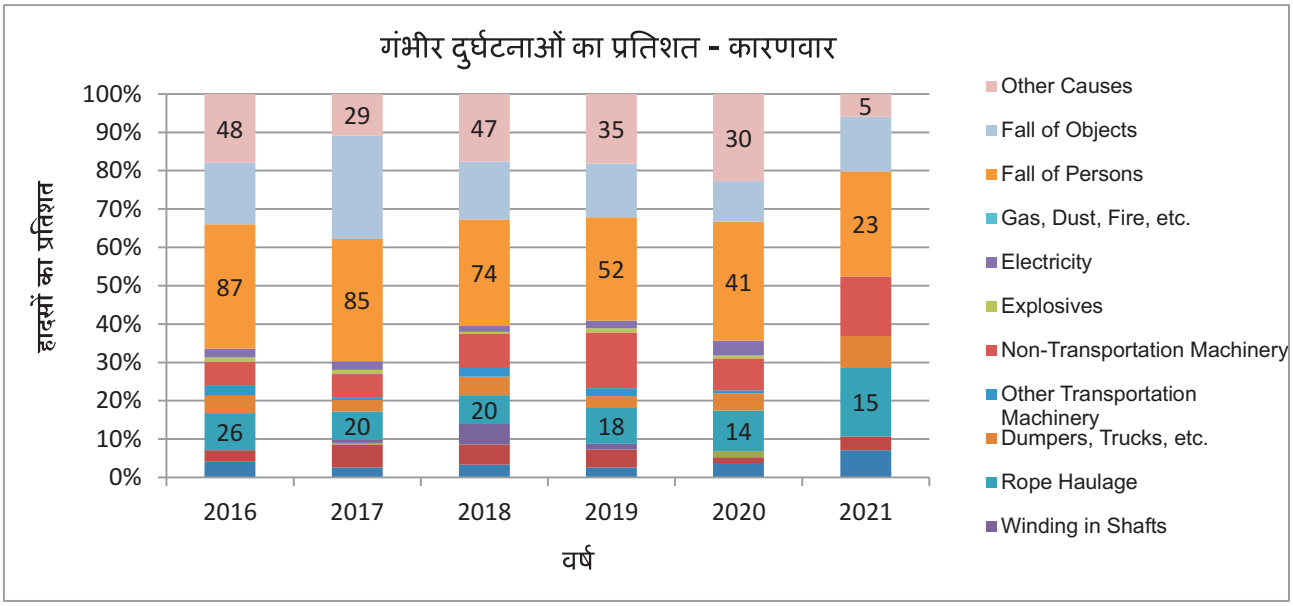

आकृति 9 कोयला खानों में गंभीर दुर्घटना का प्रतिशत– कारण–वार

*आ ति 8 और आ ति 9 से पता चलता है कि घातक और गंभीर दुर्घटनाओं के कारण अलग–अलग हैं। घातक दुर्घटना का प्रमुख कारण "डम्पर, ट्रक आदि" है। जबकि गंभीर दुर्घटना के लिए यह "व्यक्ति का गिरना" है।

तालिका 13.4 गैर–कोयला खदानों में 2016 से 2021 तक दुर्घटनाओं की प्रवृत्ति को कारणवार दर्शाती है। गैर–कोयला खदानों में दुर्घटनाओं के 14 व्यापक कारण हैं। दुर्घटनाओं को आगे घातक और गंभीर दुर्घटनाओं में वर्गी त किया जाता है।

तालिका 13.4

मामलें	1) गैर कोयला खदानों में दुर्घटनाओं की प्रवृत्ति– कारणवार											
	2) घातक दुर्घटनाओं की संख्या						3) गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
छत का गिरना	0	1	3	4	1	0	0	0	0	1	0	0
किनारों का गिरना	6	9	9	7	7	5	3	0	1	0	0	0
अन्य जमीनी आंदोलन	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0
शाफ्ट में घुमावदार	1	1	1	1	0	1	0	2	0	1	0	0
रस्सी हुलाई	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
डंपर, ट्रक आदि।	8	5	9	5	10	1	1	0	0	2	2	0
अन्य परिवहन मशीनरी	0	1	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1
गैरपरिवहन मशीनरी-	1	7	7	4	5	0	3	3	2	6	2	2
विस्फोटकों	3	6	0	6	0	3	0	0	1	0	1	0
बिजली	0	2	1	3	2	0	2	3	0	2	1	0
गैस, धूल, आग, आदि।	1	0	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0
व्यक्तियों का गिरना	9	8	6	10	9	3	14	3	6	14	5	2
वस्तुओं का गिरना	4	4	5	2	2	0	6	4	4	10	6	2
अन्य कारण	6	1	3	2	2	2	5	5	8	20	7	5
कुल	**39**	**46**	**46**	**45**	**40**	**15**	**37**	**21**	**23**	**60**	**24**	**12**

*वर्ष *2021* के आंकड़े अनंतिम हैं और *2021* के आंकड़े *30.09.2021* तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार हैं।

*तालिका 13.5क2001से 2021तक खानों में दुर्घटनाओं और परिणामी हताहतों की प्रवृत्ति को दर्शाती है। खदानों को कोयला और गैर–कोयला खानों में वर्गी त किया गया है। दुर्घटनाओं को घातक और गंभीर दुर्घटनाओं में वर्गी त किया गया है।

तालिका 13.5क

खानों में दुर्घटनाएं और परिणामी हताहत

वर्ष	कोयला					गैर कोयला				
	घातक दुर्घटना			गंभीर दुर्घटना		घातक दुर्घटना			गंभीर दुर्घटना	
	दुर्घटना	मृत्यु	घायल	दुर्घटना	मृत्यु	घायल	दुर्घटना	मृत्यु	घायल	दुर्घटना
2001	105	141	14	667	706	71	81	8	199	200
2002	81	97	15	629	650	52	64	3	205	206
2003	83	113	12	563	578	52	62	16	168	169
2004	87	96	14	962	977	57	64	9	188	194
2005	96	117	19	1106	1119	48	52	4	108	109
2006	78	137	15	861	876	58	71	9	78	79
2007	76	78	77	923	940	56	64	13	79	92
2008	80	93	16	686	693	54	73	35	83	85
2009	83	93	14	636	646	36	44	3	94	101
2010	97	118	23	480	488	54	91	5	61	63
2011	65	67	10	533	546	44	50	9	82	84
2012	79	83	6	536	542	36	38	5	45	45
2013	77	82	11	456	457	58	74	15	52	53
2014	59	62	3	379	391	39	45	10	44	50
2015	54	55	9	302	307	45	48	13	35	38
2016	67	94	7	268	271	39	50	10	37	38
2017	56	61	0	266	272	46	68	11	21	32
2018	49	62	11	266	269	46	52	12	23	23
2019	51	56	6	193	198	45	54	9	60	62
2020	48	53	18	118	121	40	50	8	24	25
2021*	31	36	2	84	87	15	29	3	12	13

*वर्ष *2021* के आंकड़े अनंतिम हैं और *2021* के आंकड़े *31.10.2021* तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार हैं।

'तालिका *13.5* ख नियोजित प्रति *1000* व्यक्तियों (दस वार्षिक औसत) पर घातक दुर्घटनाओं और मृत्यु दर की प्रवृत्ति को दर्शाती है। तालिका औसत दुर्घटना, दुर्घटना दर, औसत मृत्यु और मृत्यु दर को दर्शाती है।

तालिका संख्या 13.5ख

घातक दुर्घटनाओं में रुझान और नियोजित प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृत्यु दर (दस वार्षिक औसत)

वर्ष	कोयला खान				गैर कोयला खान			
	औसत दुर्घटना	दुर्घटना दर	औसत मृत्यु	मृत्यु दर	औसत दुर्घटना	दुर्घटना दर	औसत मृत्यु	मृत्यु दर
1951-60	222	0.61	295	0.82	64	0.27	81	0.34
1961-70	202	0.48	260	0.62	72	0.28	85	0.33
1971-80	187	0.40	264	0.55	66	0.27	74	0.30
1981-90	162	0.30	185	0.34	65	0.27	73	0.31
1991-2000	140	0.27	170	0.33	65	0.31	77	0.36
2001-2010	87	0.22	108	0.27	54	0.32	67	0.40
2011-2020	61	0.17	68	0.19	44	0.20	53	0.24

*तालिका 13.6 2006 से 2021 तक खानों में निरीक्षण और जांच की संख्या को दर्शाती है। खदानों को आगे कोयला, धातु और तेल खदानों में विभाजित किया गया है।

1) तालिका13.6

2) निरीक्षण और जांच की संख्या

वर्ष	निरीक्षणों की संख्या				पूछताछ की संख्या				
	कोयला	धातु	तेल	कुल	कोयला	धातु	तेल	कुल	महायोग
2006	4192	2630	219	7041	951	338	27	1316	8357
2007	4330	2309	183	6822	796	380	24	1200	8022
2008	4614	2838	216	7668	840	417	24	1281	8949
2009	4404	3325	250	7979	899	372	52	1323	9302
2010	3486	3297	243	7026	911	463	52	1425	8451
2011	3216	3688	321	7225	956	452	68	1476	8701
2012	3811	3635	292	7738	933	537	40	1510	9248
2013	4038	3898	329	8265	890	449	60	1399	9664
2014	4664	4694	588	9946	1035	540	111	1686	11632
2015	6047	5889	786	12722	1280	653	36	1969	14691
2016	4634	7766	638	13038	1165	586	96	1847	14885
2017	4259	4813	639	9711	1169	1068	32	2269	11980
2018	3253	4258	606	8117	937	618	54	1609	9726
2019	2284	3078	456	5818	901	544	85	1530	7348
2020	2373	1139	198	3710	742	401	139	1282	4992
2021*	1164	1060	180	2404	528	314	38	880	3284

*वर्ष *2021* के आंकड़े अनंतिम हैं और *2021* के आंकड़े *30.09.2021* तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार हैं

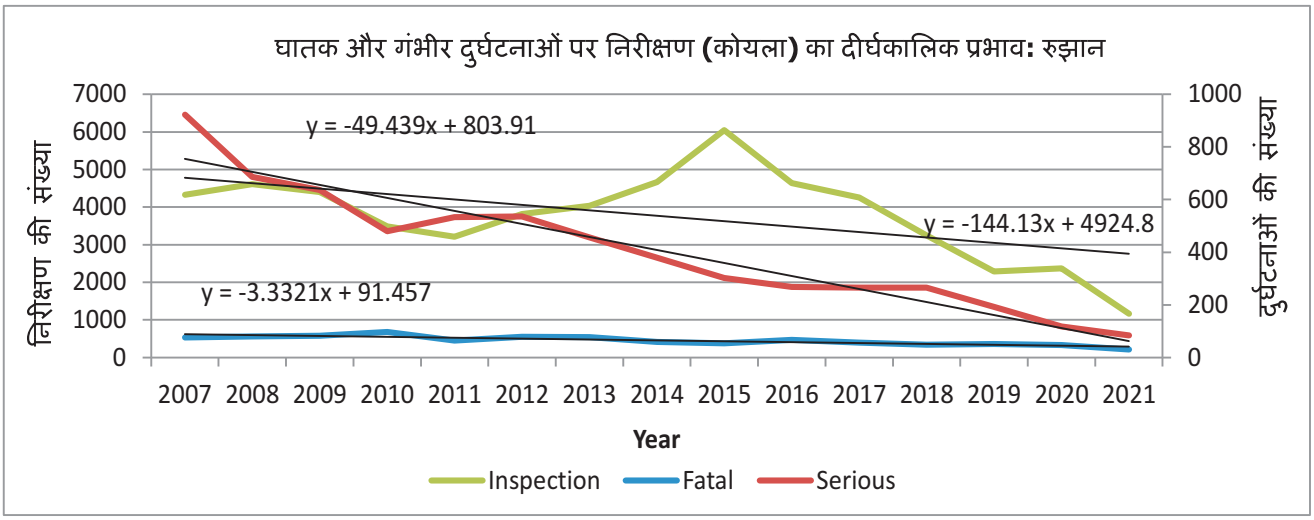

आकृति . *10* घातक और गंभीर दुर्घटनाओं पर निरीक्षण(कोयला) का दीर्घकालिक प्रभाव: रुझान

निरीक्षण (कोयला) का दीर्घकालिक प्रभावः रुझान 'आकृति 10 निरीक्षण हेतु उपरोक्त आरेख में प्रवणता को प्राथमिक अक्ष पर निरीक्षण की संख्याओं को लेकर बनाया गया है। डिपेंडेंट वैरिएबल के रूप में दुर्घटनाओं की संख्या को लेकर द्वितीयक अक्ष पर प्राणघातक एवं गंभीर दुर्घटनाओं के रुझानों को बनाया गया है। ऐसा देखा जा सकता है कि लंबे समय से प्राणघातक एवं गंभीर दुर्घटनाओं के रूझानों में गिरावट आई है। गंभीर दुर्घटनाओं के लिए गिरावट का अनुपात प्राणघातक दुर्घटनाओं की तुलना में ज्यादा तीव्र है। वर्ष 2015 के दौरान निरीक्षणों संख्या में बढ़ोत्तरी के कारण गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या में गिरावट आयी है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम इस नतीजे पर पहुँच सकते है कि कोयला खानों में समग्र सुरक्षा में सुधार की दिशा में निरीक्षण का साकारात्मक प्रभाव रहा है। (अर्थात प्राणघातक एवं गंभीर दुर्घटनाओं की सं. में कमी आना)

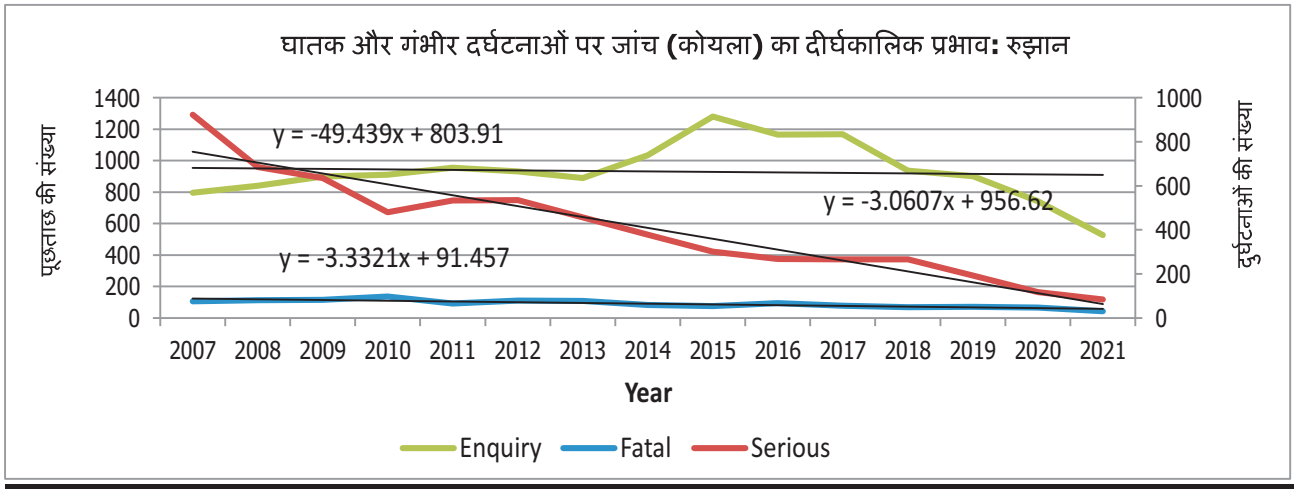

आकृति 11.घातक और गंभीर दुर्घटनाओं पर जांच (कोयला) का दीर्घका लक प्रभाव: रूझान

जाँच–पड़ताल हेतु उपरोक्त आरेख में प्रवणता को प्राथमिक अक्ष पर जांच की संख्यायों को लेकर बनाया गया है। इसी प्रकार डिपेंडेंट वैरिएबल के रूप में दुर्घटनाओं की सं. को लेकर द्वितीय अक्ष पर प्राणघातक एवं गंभीर दुर्घटनाओं को बनाया गया है। ऐसा देखा जा सकता है कि लंबे समय से प्राणघातक एवं गंभीर दुर्घटनाओं की प्रवृति में गिरावट आई है, अर्थात दुर्घटनाओं में कमी आई है। गंभीर दुर्घटनाओं के लिए गिरावट की ढाल प्राणघातक दुर्घटनाओं की तुलना में ज्यादा तीव्र है। लंबे समय से पड़ताल की संख्या में हल्की बढ़ोत्तरी पाई गई है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम इस नतीजे पर पहुँच सकते है कि कोयला खानों में समग्र सुरक्षा में सुधार की दिशा में निरीक्षण का सकारात्मक प्रभाव रहा है। (अर्थात प्राणघातक एवं गंभीर दुर्घटनाओं की सं. में कमी आना)

तालिका 13.7

1 अप्रैल, 2021 से 31 अक्टूबर, 2021 के दौरान प्राप्त आवेदन और योग्यता प्रमाण पत्र जारी किए गए

योग्यता प्रमाणपत्रों की श्रेणी	कोयला खान विनियम, 2017		लौहधातु खान विनियम, 1961	
	प्राप्त आवेदन	जारी प्रमाणपत्र	प्राप्त आवेदन	जारी प्रमाणपत्र
प्रबंधक	451 + 6205 (सीबीटी)	870	425 + 7927 (सीबीटी)	514
सर्वेक्षक	27 + 254 (सीबीटी)	87	18 + 96(सीबीटी)	39
ओवरमैन/फोर मैन	1529 + 659 (सीबीटी)	1845	234 + 1141(सीबीटी)	350
1. सिरदार/ मेट	434 (सीबीटी)	-	954 (सीबीटी)	-
2. ब्लास्टर	-	-	179 (सीबीटी)	-
3. वाइंडिंग इंजन चालक	-	-	-	-
4. गैस टेस्टिंग	163 + 1066 (सीबीटी)	-	-	-

सीबीटी - कंप्यूटर आधारित परीक्षा (दिसंबर*2021* के महीने में आयोजित की जाने वाली)

राष्ट्रीय खान सुरक्षा सम्मेलन

13.57 राष्ट्रीय खान सुरक्षा सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिपक्षीय मंच है, जिसमें नियोजक के प्रतिनिधिगण, मजदूर संघो के प्रतिनिधिगण, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत खान सुरक्षा महानिदेशालय के सरकारी प्रतिनिधिगण, विविध प्रशासनिक मंत्रालय/ विभागों के प्रतिनिधिगण तथा राज्य सरकार एवं सम्बद्ध संस्थाओं, पेशेवर निकाय, सेवा संगठनो आदि के प्रतिनिधिगण भाग लेते है। वे खान सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करने के साथ–साथ पारस्परिक सहयोग के आधार पर वर्तमान उपायों की पर्याप्तता की भी समीक्षा करते है। सम्मेलन खान श्रमिकों के स्वास्थय, सुरक्षा एवं कल्याण के भावी सुधार के उपायों का भी सुझाव देता है। पहला सम्मेलन 1958 में आयोजित किया गया था। 12वां सम्मेलन 28 और 29 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें खान सुरक्षा से संबंधित कई मुद्दों पर विस्तार से विचार–विमर्श किया गया था। इन सम्मेलनों की कई सिफारिशों को वैधानिक समर्थन दिया गया है और अधिकांश अन्य को प्रबंधन प्रथाओं और नीतियों में समाहित कर लिया गया है। सम्मेलन के दौरान निकाले गए निष्कर्षों और सिफारिशों को अनुपालन के लिए खनन उद्योगों को पहले ही परिचालित किया जा चुका है।

13.58 01.04.2021 से 31.10.2021 के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां की गईं।

- शैक्षणिक संस्थान, अनुसंधान संगठन आदि की अनुसंधान एवं विकास गतिविधि का अनुमोदन।

- धूंघ भरे मौसम के लिए दृष्टि वृद्धि प्रणाली का विकास – सीआईएमएफआर, धनबाद
- आईआईटी, बॉम्बे द्वारा पृथ्वी संचार प्रणाली के माध्यम से.

13.59 01.04.2021 से 31.10.2021 की अवधि के दौरान खानों में उपयोग के लिए दिए गए उपकरण, उपकरण, सामग्री और मशीनरी की मंजूरी नीचे दी गई है:

01.04.2021 से31.10.2021 के दौरान उपकरण, सहायक उपकरण और पीपीई की स्वीकृति		
क्र.सं.	अनुमोदन का प्रकार	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से स्वीकृत अनुमोदनों की संख्या
1.	क्षेत्र/परीक्षण/विस्तार की संख्या	शून्य
2.	नियमित स्वीकृति/विस्तार	02
	कुल	02

डीजीएमएस में ई–गवर्नेंस

13.60 ई–गवर्नेंस को सरकार के सभी स्तरों पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग के रूप में समझा जाता है ताकि नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए, व्यावसायिक उद्यमों के साथ बातचीत और सरकार की विभिन्न एजेंसियों के बीच संचार और सूचनाओं का आदान–प्रदान किया जा सके। त्वरित, सुविधाजनक कुशल और पारदर्शी तरीके से।

13.61 डीजीएमएस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिशों के अनुसार आईटी का उपयोग करते हुए ई–गवर्नेंस शुरू किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ई–गवर्नेंस रोड मैप बनाया गया है, जिसमें औपचारिक संगठनात्मक संरचना और परियोजना प्रबंधन संरचना की स्थापना पर महत्व देते हुए इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का सुझाव दिया गया है।

डीजीएमएस ने वर्ष 2020–21 के दौरान कई आईटी पहल की हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क. डीजीएमएस की वेबसाइट को पुनः डिजाइन और कस्टमीकृत किया गया है ताकि प्रयोक्ता के लिए बेहतर इंटरफेस और विभिन्न हितधाकरों के लिए पारदर्शिता लायी जा सके।

ख. डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल जैसे "स्वीकृति प्रणाली", अनुमति/रियायत/छूट। प्रणाली" को विकसित किया गया है और उपयोगकर्ता उद्योग द्वारा उपयोग के लिए इसे लाइव बनाया गया है।31.10.2021 तक अनुमति/रियायत/छूट के लिए कुल 11534 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं और 11277 को तदनुसार निपटाया गया है।

ग. "राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) प्रणाली" सॉफ्टवेयर मॉड्यूल को एनएसए (खान) के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने, डेटा के मूल्यांकन और सत्यापन और पुरस्कार विजेताओं की सूची तैयार करने के लिए लाइव किया गया है। इससे व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही आई है। प्रतियोगिता वर्ष 2015 और 2016 के लिए क्रमशः कुल 290, 378 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) समारोह 16 दिसंबर 2019 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। प्रतियोगिता वर्ष 2017, 2018, 2019 और 2020 के लिए, संबंधित वर्षों के लिए कुल 315, 223, 470 और 425 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं।

घ. "दुर्घटना और सांख्यिकी प्रणाली" सॉफ्टवेयर मॉड्यूल विकसित किया गया है और 01.08.2020 को लाइव किया गया है। इस प्रणाली ने ऑनलाइन प्रणाली के द्वारा, खदान उपयोगकर्ता द्वारा दुर्घटना की सूचना भेजना, डीजीएमएस के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा दुर्घटना जांच रिपोर्ट दाखिल करना, दुर्घटना रिपोर्ट का पालन करना, कार्रवाई को अंतिम रूप देना और संबंधित जानकारी का प्रसार और खनन उद्योग के लिए अलर्ट जारी करना। सुरक्षा मानकों में सुधार को समर्थ बनाया है। इसके अतिरिक्त, प्रणाली खान उपयोगकर्ताओं द्वारा सांख्यिकीय विवरण ऑनलाइन दाखिल करने के

लिए मंच प्रदान करती है। 31.10.2021 तक, वेब पोर्टल पर कुल 122 घातक दुर्घटनाएं, 239 गंभीर दुर्घटनाएं और 51 खतरनाक घटनाएं दर्ज की गई हैं।

ङ. निरीक्षण, पूछताछ, अनुवर्ती कार्रवाई, दैनिक आधार पर की गई प्रचार पहलों का विवरण तैयार करने के लिए अधिकारियों द्वारा दैनिक गतिविधियों की ऑनलाइन लॉगिंग के लिए मॉड्यूल विकसित किया गया है। इससे अधिकारियों द्वारा मासिक सारांश कार्य की ऑनलाइन पीढ़ी और रिपोर्टिंग और डीजीएमएस वेब साइट पर डैश बोर्ड को वास्तविक समय में अपडेट करने की सुविधा होगी।

च. "अकाउंट्स एंड बजट सिस्टम" सॉफ्टवेयर मॉड्यूल को "डिजिटल डीजीएमएस" के एक भाग के रूप में विकसित किया गया है।

छ. निरीक्षण के लिए ऑनलाइन उत्पादन के लिए, कोयला खदानों के लिए "जोखिम–आधारित निरीक्षण प्रणाली" के तौर–तरीकों को विकसित किया गया है और श्रम सुविधा पोर्टल में शामिल किया गया है।

ज. डिजिटल इंडिया और सुरक्षित रिकॉर्ड कीपिंग को ध्यान में रखते हुए खान योजनाओं सहित पुराने अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। यह सुरक्षित रिकॉर्ड कीपिंग और आसान और समय पर पहुंच सुनिश्चित करेगा।

डीजीएमएस में हाल की पहलः

- कोयला खदानों के लिए "जोखिम–आधारित निरीक्षण प्रणाली" के तौर–तरीके विकसित किए गए हैं। सभी श्रेणियों की कोयला खदानों की वास्तविक जोखिम रेटिंग को प्राथमिकता देते हुए श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन असाइनमेंट के लिए निरीक्षण तैयार किए जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए सॉफ्टवेयर एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है और इसे श्रम सुविधा पोर्टल में शामिल करके कार्यान्वित किया गया है। धातुयुक्त खदानों के लिए जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली प्रगति पर है।

- कोयला खान विनियम, 2017 और तेल खान विनियम, 2017 को अधिसूचित किया गया है। खान अधिनियम 1952 के तहत गठित धारा 12 समिति में मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन और माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स के संशोधन प्रस्ताव के मसौदे पर चर्चा कर राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेजा गया है। खान बचाव नियम और खान नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तकनीकी विकास, परिवर्तित खनन विधियों, मशीनरी और कार्य वातावरण आदि को देखते हुए संशोधन आवश्यक हैं।

- 29.01.2019 को प्रकाशित गजट अधिसूचना संख्या एसओ 506 (अ.) के तहत असाधारण भाग– II, खंड–3, उप–खंड (ii) के रूप में, खान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुसार महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध किसी भी खदान में खुली खदान सहित जमीन के ऊपर की खदान में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच और किसी भी खदान में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों में पर्याप्त प्रावधान के अधीन छूट दी गई है। उनकी व्यावसायिक सुरक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में सुविधाएं और सुरक्षा उपाय।

- खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस), श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार और प्राकृतिक संसाधन खान और ऊर्जा विभाग, क्वींसलैंड सरकार, ऑस्ट्रेलिया, खानों में सुरक्षा, परीक्षण और अनुसंधान स्टेशन (सिमटारस) के माध्यम से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, तकनीकी प्रगति और सर्वोत्तम प्रथाओं पर जानकारी साझा करने और प्रसार करने के लिए समझौता (एमओयू), उपग्रह केंद्रों के साथ एक विश्व स्तरीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य अकादमी की स्थापना और इसे भारत और इसके पड़ोस में खनिज उद्योग से जुड़े व्यक्तियों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित करना जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और जोखिम आधारित सुरक्षा प्रबंधन योजना और आपातकालीन निकासी प्रणाली के निर्माण में उद्योग को लैस करना है ।

अनुच्छेदः–IX व्यावसायिक स्वास्थ्य दशाएं

13.62 खान के कामकाज और उसके पर्यावरण को कुछ स्वास्थ्य खतरों के स्रोत के रूप में माना जाता है,

जिससे वायुजनित धूल रोग जैसे एस्बेस्टोसिस, कोयला कामगार न्यूमोकोनियोसिस, सिलिकोसिस आदि होते हैं। ये रोग रोके जा सकते हैं लेकिन एक बार हो जाते हैं; तो वे इलाज योग्य नहीं होते हैं।

अतः कार्य स्थलों पर धूल को नियंत्रित करके और नियमित अंतराल पर खानों में वायुजनित धूल सर्वेक्षण करके ऐसी बीमारियों को रोकना आवश्यक है।

अन्य सावधानियां जो बरती जा रही हैं उनमें चिकित्सा परीक्षण और खान श्रमिकों की पुनः परीक्षा शामिल है, ताकि प्रारंभिक चरणों में वायुजनित धूल रोगों का निदान और पता लगाया जा सके ताकि निवारक, पुनर्वास उपाय और चिकित्सा देखभाल की जा सके।

अनुच्छेदः–X अधिसूचित रोग (धारा 25 और 26)

13.63 खान अधिनियम, 1952 की धारा 25 के तहत, न्यूमोकोनियोसिस, एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, तंत्रिका प्रकार के मैंगनीज जहर और फेफड़े या पेट के कैंसर या फुस्फुस और पेरिटोनियम यानी मेसोथेलियोमा को पहले से ही खनन कार्यों से जुड़ी बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया था।

उपरोक्त बीमारियों के अलावा, तीन और अतिरिक्त बीमारियां अर्थात शोर प्रेरित बहरापन, रेडियम या रेडियोधर्मी पदार्थों के कारण रासायनिक और पैथोलॉजिकल अभिव्यक्तियों के सीधे संपर्क के कारण होने वाले कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस को राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 399 अ. के माध्यम से खनन से दिनांक 21 फरवरी, 2011संबंधित बीमारियों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

एयरबोर्न डस्ट कंसंट्रेशन यानी एस्बेस्टस फाइबर के लिए थ्रेशोल्ड अनुमेय सीमा 2 फाइबर प्रति मिलीलीटर से घटाकर 1 फाइबर प्रति मिलीलीटर कर दी गई है। खान प्रबंधन द्वारा डीजीएमएस को रिपोर्ट किए गए सीडब्ल्यूपी, सिलिकोसिस और एनआईएचएल के मामले नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस	सिलिकोसिस	शोर प्रेरित बहरापन
2008	1	3	-
2009	0	0	-
2010	1	0	-
2011	5	1	0
2012	5	0	2
2013	0	4	0
2014	1	1	0
2015	0	0	8
2016	2	0	0
2017	2	0	0
2018	2	9	0
2019	1	0	0
2020	0	0	0
2021*	2	0	0

***31.10.2021 तक**

13.64 पत्थर की खानों में व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान (एनआईएमएच), नागपुर द्वारा डीजीएमएस के सहयोग से वित्त वर्ष 2015–2016, 2016–2017और 2017– 2018सिलिकोसिस के मामलों का पता लगाने के लिएपरियोजना 'स्टोन माइन्स में धूल से संबंधित रोग का बहु केंद्रित अध्ययन और सतत निवारक कार्यक्रम का विकास' परियोजना के तहत किया गया है। । परियोजना के दौरान 2537व्यक्तियों की जांच की गई है, एनआईएमएच द्वारा सिलिकोसिस के 136मामलों का पता लगाया गया है और डीजीएमएस को अधिसूचित किया गया है जो नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	सिलिकोसिस की संख्या
2017	105
2018	31

13.65 सिलिकोसिस के मामलों का पता लगाने के

लिए पत्थर खदानों और अन्य धातु खदानों में राज्य सरकार के अधिकारियों और अन्य खान प्रबंधन की मदद से डीजीएमएस द्वारा वर्ष 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021 में विभिन्न राज्यों में व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किए गए हैं। सर्वेक्षण के दौरान 11850 व्यक्तियों की जांच की गई है और सिलिकोसिस के 268 मामले सामने आए हैं जो नीचे दिए गए हैं:

पहचान वर्ष	सिलिकोसिस की संख्या
2017	157
2018	54
2019	51
2020	0
2021*	6

*31.10.2021तक

संवर्धनात्मक पहल

- काम करने वाले व्यक्तियों, पर्यवेक्षकों और खनन अधिकारियों के बीच खान सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 03.09.2021 को एक फिल्म **"सुरक्षा मंत्र"** रिलीज किया गया।

- दिसंबर, 2019 के दौरान वर्ष 2015 और 2016 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) का आयोजन
- जनवरी 2020 के दौरान खानों में सुरक्षा पर 12वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन
- वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताहमनाना
- सुरक्षा प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी को बढ़ावा देना
- खनन उद्योग को कार्यशालाओं, समीक्षा बैठकों के माध्यम से सुरक्षा प्रबंधन योजना तैयार करने की प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करना।
- खनन में आधुनिक तकनीक और नवाचार पर कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन।
- बेहतर पहुंच के लिए राज्य खनन विभाग के अधिकारियों के साथ सुरक्षा जागरूकता शिविरों का आयोजन।

खानों में महिला सशक्तिकरण

13.66 दिनांक 29.01.2019 को असाधारण भाग–II, खंड–3, उप–खंड (ii) के रूप में प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 506(अ) के तहत खान अधिनियम, 1952 के उपबधों के अनुसार महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध, किसी भी खदान में खुली खदान सहित जमीन के ऊपर की खदान में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच और किसी भी खदान में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों में पर्याप्त सुविधाओं के प्रावधान के अधीन छूट दी गई है। और उनकी व्यावसायिक सुरक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में सुरक्षा उपाय।

राजपत्र अधिसूचना संख्या 393 ((का.आ.506 (अ)) दिनांक 29 जनवरी 2019 के तहत दी गई छूट के अनुसार खानों में महिलाओं के रोजगार का ब्यौरा।

शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच जमीन के ऊपर कार्यरत महिलाओं की संख्या	जमीन के नीचे काम करने वाली महिलाओं की संख्या
227	27

*30 सितंबर 2021 तक

अन्य पहल

- "स्वीकृति नीति" को व्यवसाय करने में आसानी के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए सरल और सुव्यवस्थित किया गया। 17 जुलाई 2017 से पूरी तरह से ऑनलाइन मॉड्यूल पर।
- बीआईएस द्वारा खनन उपकरण, उपकरण और परीक्षण प्रक्रिया का मानकीकरण।
- सुरक्षा प्रबंधन योजनाः कार्यशालाओं, समीक्षा बैठकों के माध्यम से खनन उद्योग को सुरक्षा प्रबंधन योजना तैयार करने की प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करना।
- खनन में आधुनिक तकनीक और नवाचार पर

कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन।

- बेहतर पहुंच के लिए राज्य खनन विभाग के अधिकारियों के साथ सुरक्षा जागरूकता शिविरों का आयोजन।
- डीजीएमएस के विभिन्न क्षेत्रों में "खानों में सुरक्षा प्रबंधन योजना (एसएमपी) का विकास, कार्यान्वयन और निगरानी" पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

भविष्य की योजनाएं:

डीजीएमएस का आधुनिकीकरण

13.67 यह सुनिश्चित करने के लिए कि डीजीएमएस खनन उद्योग की भविष्य की चुनौतियों और सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग और खानों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को शामिल करने के कारण इसकी व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य स्थिति को लेने में सक्षम है, डीजीएमएस, "डीजीएमएस का आधुनिकीकरण "के लिए लिया जाता है:

- नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं की प्रदायगी में सुधार, और
- सरल, जवाबदेह, उत्तरदायी और पारदर्शी शासन बनाने के लिए ई–गवर्नेंस।

13.68 श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दो समितियों का गठन किया, यानी एक डीजीएमएस के आधुनिकीकरण के तरीके और साधन सुझाने के लिए और दूसरी ई–डीजीएमएस के लिए। समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए, डीजीएमएस सलाहकार को नियुक्त करने की प्रक्रिया में है।

13.69 व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति (ओएसएच एवं डब्ल्यूसी) संहिता, 2020 की धारा 136 के तहत कोयला, धातुयुक्त खदानों और तेल खदानों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर मसौदा नियमों का निर्माणः श्रम और रोजगार मंत्रालय ने तैयार करने के लिए तीन विशेषज्ञ समितियों का गठन किया है। कोयला, धातुयुक्त खानों और तेल खदानों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर मसौदा विनियम। समितियों में विचार–विमर्श जारी है।

13.70 धातुयुक्त खानों के लिए ऑनलाइन जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली कार्यान्वयन।

अनुबंध-I

गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय द्वारा की गई गतिविधियां

1. गोदी सुरक्षा निरीक्षणालयों द्वारा निरीक्षण	लक्ष्य		उपलब्धि	
	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर
i. जहाज निरीक्षण	*	*	101	104
ii. गोदी निरीक्षण			181	213
iii. गियर निरीक्षण			147	191
iv. खतरनाक प्रतिष्ठान			4	8
v. अंतर्देशीय कंटेनर डिपो			0	0
vi. अन्य दौरे			413	450
कुल			846	966
माह योग			**1812**	

2. पत्तनों में रिपोर्ट करने योग्य दुर्घटनाएं	
कुल दुर्घटनाएं	30
घातक दुर्घटनाएं	20

3. अभियोजन मामलों के निपटान में प्रगति	
वर्ष के दौरान दायर	16
वर्ष के दौरान निर्णय लिया	6

4. घातक हादसों की जांच में प्रगति	
वर्ष के दौरान शुरू किया गया	15
वर्ष के दौरान संपन्न	11

अनुबंध-II

डीजीएफएएसएलआई द्वारा संचालित गतिविधियों का विवरण

क्र. सं	शीर्षक	संख्या		
1.	परामर्श अध्ययन/सर्वेक्षण/लेखापरीक्षा - प्रारंभ	9		
2.	परामर्शी अध्ययन/सर्वेक्षण/लेखापरीक्षा - पूर्ण	5		
		कार्यक्रम	**प्रतिभागी**	**संगठन**
3.	औद्योगिक सुरक्षा में एडवांस डिप्लोमा (एडीआईएस)	5	230	182
4.	औद्योगिक स्वास्थ्य के एसोसिएट फेलो (एएफआईएच)	5	202	200
5.	आधे दिन की अवधि ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	368	4184	2709
6.	संगोष्ठी/कार्यशाला	7	1012	904
7.	इन-प्लांट प्रशिक्षण कार्यक्रम	1	20	1
8.	प्रशंसा और प्रचार कार्यक्रम	4	118	60
9.	वार्ता वितरित	8	108	18
10.	गोदी सुरक्षा निरीक्षणालयों द्वारा निरीक्षण	1812		
11.	व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का परीक्षण	क) श्वसन उपकरण		80
		ख) गैर-श्वसन उपकरण		153

अनुबंध-III

आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम

क्र. सं.	माह	प्रशिक्षित कामगारों की संख्या	संगठनों की संख्या (कारखाने, निर्माण स्थल और पत्तन)
1.	जुलाई, 2021	4313	55
2.	अगस्त, 2021	4909	70
3.	सितंबर, 2021	5085	75
4.	अक्टूबर, 2021	4478	55
5.	नवंबर, 2021	5629	36
6.	दिसंबर, 2021	7101	48

अध्याय-14

श्रमिक शिक्षा

14.1 राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं इकाई/ ग्रामीण स्तर पर श्रमिक शिक्षा योजना को कार्यान्वित करने के लिए दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रशिबो) की सीापना वर्ष 1958 में हुई ।

- बोर्ड त्रिपक्षीय संस्था है जिसमें श्रमिकों/ नियोक्ताओं, केन्द्र/राज्य सरकार एवं शैक्षणिक संस्थानों से प्रतिनिधि होते हैं।
- देश के सामाजिक–आर्थिक विकास में प्रभावात्मक भागीदारी हेतु श्रमिकों को उनके हक और कर्मकों के बारे में जागरूक करना ।
- **सारणी 14.1** में दर्शाए गए अनुसार, बोर्ड द्वारा संगठित, असंगठित, ग्रामीण तथा अनौपचारिक क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है।
- बदलते परिदृश्य को देखते हुए बोर्ड के कार्यक्रम श्रमिक, श्रम संघों तथा प्रबंधनों की व्यापक शैक्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के कार्यक्रम नई दिशा, आयाम एवं अभिविन्यास प्रतिबिंबित करते है।

संरचना

14.2 दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (भूतपूर्व केश्रशिबो) का नेतृत्व अध्यक्ष करते हैं। इसका मुख्यालय, नागपुर में है । बोर्ड के प्रमुख निदेशक हैं जिनको एक अपर निदेशक, वित्तीय सलाहकार, उप निदेशक/ आंचलिक निदेशक, क्षेत्रीय निदेशक एवं अधीनस्थ कर्मचारी आदि सहायता करते हैं। बोर्ड अपने 50 क्षेत्रीय निदेशालयों एवं 07 क्षेत्रीय निदेशालयों के जरिए कार्यक्रम आयोजित करता है। दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई एवं भोपाल में स्थित 06 आंचलिक निदेशालय अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड की गतिविधियों का अनुवीक्षण करते हैं।

14.3 योजना की प्रगति की समीक्षा करने एवं श्रमिक शिक्षा कार्यक्रमों के यथोचित कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाने हेतु प्रत्येक त्रिपक्षीय क्षेत्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है। भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान (भा. श्र.शि.सं.) बोर्ड का शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान है, जिसकी स्थापना 1970 में हुई।

बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रम

14.4 संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए तीन स्तरीय बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

- प्रथमतः चयन किए गए शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। शिक्षा अधिकारियों के सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, शिक्षा अधिकारी क्षेत्रीय निदेशालय हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं।
- द्वितीय स्तर पर, श्रमिक संघों द्वारा सर्मथित विभिन्न संस्थानों के श्रमिक तथा नियोक्ताओं द्वारा भेजे गए श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जाना है। इन प्रशिक्षित श्रमिकों को प्रशिक्षक कहा जाता है।
- तृतीय स्तर पर, इन प्रशिक्षकों द्वारा संबंधित संस्थानों के जन–साधारण श्रमिकों के लिए कक्षाएं चलाई जाती हैं।

राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम

14.5 शिक्षा अधिकारियों को पूर्व रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करने तथा बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशकों एवं शिक्षा अधिकारियों के लिए पुनः अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने के साथ–साथ केन्द्रीय श्रमिक संघ

संगठनों/परिसंघों एवं स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए विभिन्न विषयों पर भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए श्रमिक संघों के तीन बिंदु 1) औद्योगिक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण, 2) ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को शिक्षा एवं 3) महिला एवं बाल श्रम जैसे विशेष मुद्दों पर जोर दिया गया।

14.6 जनवरी, 2021 से दिसम्बर, 2021 की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सके क्योंकि मुंबई के परिसर को आईआईटी, मुंबई द्वारा किए गए संरचनात्मक ऑडिट के अनुसार असुरक्षित घोषित किया गया है। हालांकि आभासी प्रशिक्षण, भा.श्र.शि.सं., मुंबई द्वारा आयोजित किए जा रहे है।

क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्रम

14.7 जनवरी, 2021 से दिसम्बर, 2021 तक की अवधि के दौरान क्षेत्रीय निदेशालयों द्वारा ग्रामीण श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के, दुर्बल वर्ग के श्रमिकों के लिए इकाई स्तर की कक्षाओं का आयोजन किया गया। जिसका विवरण निम्नलिखित **सारणी 14.1** में दिया गया है:

असंगठित श्रमिकों का संगठन एवं ग्रामीण स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण

14.8 प्रारम्भ में बोर्ड ने संगठित क्षेत्र की गतिविधियों की ओर ध्यान केंद्रित किया था। श्रमिक शिक्षा समीक्षा समिति की सिफारिश पर बोर्ड ने सन् 1977–1978 से ग्रामीण क्षेत्रों पर अपना विशेष् ध्यान दिया है। प्रारंभ में 7 पायलट परियोजनाएं प्रारंभ की गई थी, ग्रामीण श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम अब एक नियमित एवं सतत कार्यक्रम बन गया है। कार्यक्रम के उद्देश्य निम्न हैं:

- श्रमिकों और नागरिकों के रूप में समस्याओं, विशेष अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में महत्वपूर्ण जागरूकता को पैदा करना;
- आत्मविश्वास बढ़ाना तथा उनमें वैज्ञानिक अभिवृद्धि का निर्माण करना;
- उनके संगठनों के विकसित करने के लिए उन्हें शिक्षित करना ताकि वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपने सामाजिक–आर्थिक कार्यों एवं उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकें तथा ग्रामीण समाज के जनतांत्रिक, नामतः धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को सुदृढ़ बना सकें;
- स्वयं एवं समाज हित की रक्षा करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए शिक्षित करना;
- परिवार कल्याण योजना तथा सामाजिक बुराइयों से लडने के लिए प्रेरित करना।

14.9 ग्रामीण जागरूकता शिविर आयोजित करने के लिए शिक्षा अधिकारियों को सहायता करने हेतु क्षेत्रीय निदेशालयों में ग्रामीण स्वयंसेवकों को एक सप्ताह का अभिविन्यास/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाया जाता है। इन शिविरों में ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन श्रमिक, जनजातीय श्रमिक, कलाकार, वन श्रमिक एवं शिक्षित बेरोजगार श्रमिक आदि सम्मिलित होते हैं।

14.10 हथकरघा, विद्युत करघा, खादी एवं ग्रामीण उद्योग, औद्योगिक संपदा, लघु उद्योग इकाई, हस्तशिल्प, रेशम उद्योग, बीड़ी उद्योग, दुर्बल वर्ग के श्रमिकों जैसे– महिला श्रमिकों, विकलांग श्रमिकों, रिक्शा चालकों, निर्माण श्रमिकों, स्वच्छता एवं सफाई कर्मी आदि के लिए बोर्ड द्वारा श्रमिकों की कार्यात्मक और शैक्षिक आवश्यकता पर आधारित एक से चार दिवसीय निर्धारित कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

निष्पादन

14.11 जनवरी, 2021 से दिसम्बर, 2021 की अवधि के दौरान बोर्ड ने विभिन्न अवधि के **11270** कार्यक्रम आयोजित किया हैं और विभिन्न क्षेत्रों के **417582** श्रमिकों को प्रशिक्षित किया है। नीचे **सारणी 14.2** में विवरण दिया गया हैं।

प्रमुख उपलब्धिय

सशक्तिकरण कार्यक्रम

14.12 वर्ष के दौरान महामारी की स्थिति में 4 दिन की अवधि के कार्यक्रम जून, 2021 तक कम आयोजित किए गए। ग्रामीण शिविरों पर समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2003–04 से 4–दिवसीय

सशक्तीकरण कार्यक्रम शुरू किए हैं। जनवरी, 2021 से दिसम्बर, 2021 की अवधि के दौरान, असंगठित, कमजोर और ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों के लिए आयोजित **134** सशक्तिकरण कार्यक्रमों में **5326** श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है।

पंचायतीराज संस्थानों के लिए विशेष कार्यक्रम

14.13 पंचायतीराज संस्थान ने ग्रामीण संरचना विकास तथा गरीबी निर्मूलन कार्यक्रमों के लिए योजना बनाने और विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी चुने हुए पंचायतीराज सदस्यों को सौंपी है जिसके लिए पंचायतीराज सदस्यों में ज्ञान और कौशल होना आवश्यक हैं। पंचायतीराज की सफलता के लिए, पंचायतीराज के सदस्यों को अपनी जिम्मेदारीयों को बेहतर तरीके से निभाने हेतु उनका शिक्षित तथा प्रशिक्षित होना जरूरी है। भारत सरकार की अपेक्षानुसार पंचायतीराज संस्थान के चुने हुए सदस्यों को शिक्षित करने के लिए बोर्ड ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 2–दिवसीय अवधि के विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रारंभ किया हैं।

14.14 जनवरी, 2021 से दिसम्बर, 2021 की अवधि के दौरान, पंचायती राज संस्थानों (एन.ई. क्षेत्र सहित) के चयनित सदस्यों के लिए महामारी फैलने और तालाबंदी के कारण कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। महामारी की स्थिति फेलने तथा तालाबंदी के कारण।

असंगठित क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम

14.15 प्रवासी कार्यकर्ता के लिए केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 2020–21 से बोर्ड विशेष कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है।

14.16 जनवरी, 2021 से दिसम्बर, 2021 की अवधि के दौरान, ग्रामीण/असंगठित श्रमिकों के प्रवासी श्रमिकों के लिए **460** कार्यक्रम किए गए और **17831** श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया।

श्रम कल्याण और विकास कार्यक्रम

14.17 श्रम मंत्रालय ने श्रमिकों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ग्रामीण/असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच जागरूकता पैदा करने का कार्य बोर्ड को सौंपा है।

14.18 तदनुसार, बोर्ड ने वर्ष 2003–2004 से अपने 50 क्षेत्रीय निदेशालयों के माध्यम से ग्रामीण/असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच कार्यान्वित करने के लिए 02 दिवसीय एक नया कार्यक्रम "श्रम कल्याण एवं विकास" आरंभ किया है। जनवरी, 2021 से दिसम्बर, 2021 की अवधि के दौरान बोर्ड ने श्रम कल्याण एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण और असंगठित क्षेत्रों के **31493** श्रमिकों के लिए **799** जागरूकता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया।

14.19 इसके अलावा, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों को वितरण के लिए पुस्तिकाओं और पत्रक के रूप में बोर्ड द्वारा विकसित जानकारीपूर्ण अध्ययन सामग्री।

सहायता अनुदान योजना

14.20 केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड अपनी सहायता अनुदान योजना के माध्यम से श्रमिक संघों और शैक्षिणिक संस्थानों आदि को उन्हें अपने श्रमिक शिक्षा कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

14.21 बोर्ड की सहायता अनुदान योजना 1960 में प्रारंभ हुई और तब से बहुत विकसित हो चुकी है। श्रमिक संघों से प्राप्त सुझावों तथा मांगों पर विचार करते हुए इसे समय–समय पर परिवर्तित एवं संशोधित किया गया। सहायता अनुदान योजना तथा व्यय पद्धति में अप्रैल, 2005 को अंतिम संशोधन किया गया ताकि इस सुविधा का बड़े पैमाने पर ट्रेड यूनियनों को लाभ प्रदान किया जा सके। सहायता अनुदान के नियमों एवं प्रक्रिया को श्रमिक संघों की आवश्यकताओं के अनुकूल सरल एवं संशोधित कर दिया गया है।

14.22 श्रमिक संघ संगठनों की स्थानीय आवश्यकता के अनुसार 3 से 7 दिवसीय पूर्णकालिक आवासीय एवं गैर–आवासीय कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। अनुदानग्राहीयों को कार्यक्रम के विषयों और प्रतिभागियों की संख्या के संबंध में ढ़ील दी जाती है। ग्रामीण श्रमिकों के लिए सहायता अनुदान योजना को भी विस्तारित कर दिया गया है।

14.23 पंजीकृत श्रमिक संघों और अन्य संस्थानों को अपने श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बोर्ड सहायता अनुदान प्रदान करता है।

14.24 केंद्रीय श्रमिक संघ संगठनों और राष्ट्रीय परिसंघों को राष्ट्र स्तरीय पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए बोर्ड सहायता अनुदान की स्वीकृति भी प्रदान करता है।

हिंदी का उपयोग

14.25 नागपुर में राजभाषा हिंदी के उपयोग की समीक्षा के लिए बोर्ड की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की एक बैठक प्रधान कार्यालय, नागपुर में आयोजित की गई। वास्तविक हिंदी कार्यशाला बोर्ड के अधिकारियों के लिए 20/10/2021 से 22/10/2021 को आयोजित की गई थी।

14.26 14 सितंबर, 2021 को हिंदी दिवस मंत्रालय के दिशानिर्देशों और एसओपी के अनुसार मनाया गया है यानी सामाजिक दूरी, स्वच्छता, मास्क पहनना आदि का पालन किया गया। प्रधान कार्यालय, नागपुर में 01.9.2021 से 14.9.2021 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। भा.श्र.शि.सं. और बोर्ड के सभी क्षेत्रीय निदेशकों ने भी हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के सदस्यों ने उत्साह से भाग लिया।

विभिन्न दिनों की विविधता/घोषणा

14.27 दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (तत्कालील के Join), भा.श्र.शि.सं., मुंबई के प्रमुख कार्यालय और सभी आंचलिक एवं क्षेत्रीय कार्यालयों ने अवसरों को चिह्नित करने के लिए निम्नलिखित दिनों का अवलोकन किया: –

- आतंकवाद विरोधी दिवस
- स्वतंत्रता दिवस
- सदभावना दिवस
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह
- स्वच्छ भारत अभियान
- महात्मा गांधी के 151 साल पूरे होने पर समारोह।

14.28 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ भारत सरकार के एसओपी के दिशा निर्देशों के अनुसार वेबिनार, प्रभावी सेमिनार आदि आयोजित किए गए। जहाँ भी आवश्यक हो, प्रतिज्ञाएँ प्रशिक्षुओं और कर्मचारियों के सदस्यों को दी गईं।

नई पहल

प्रवासी कामगारों के लिए विशेष कार्यक्रम तथा कोविड–19

14.29 जनवरी, 2021 से दिसंबर, 2021 की अवधि के दौरान, बोर्ड ने प्रवासी कामगारों तथा नॉवेल कोरोना वायरस के लिए कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न की और भारत सरकार के दिशा–निर्देशों और इस वायरस के रोकथाम के लिए एसओपी के अनुसार प्रतिभागियों को कोविड–19 के टीकाकरण के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यह वाइरस। विशेष रूप से **90** कार्यक्रम आयोजित किए गए और **3461** प्रतिभागियों को ग्रामीण और असंगठित क्षेत्र में प्रशिक्षित किया गया।

14.30 दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड ने ग्रामीण श्रमिकों के लिए मनरेगा के साथ–साथ अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लाभ के बारे में ग्रामीणों को जानकारी प्रदान करना है।

14.31 परियोजना के अधीन निम्नलिखित गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं –

1. ग्राम स्तरीय कार्यक्रम:

14.32 ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्र के कार्यक्रम में जुलाई, 2021 से आजीविका सृजन समूह के गठन हेतु अधिकारिता कार्यक्रम।

सारणी 14.1
श्रमिक शिक्षा योजना के अंतर्गत आयोजित पाठ्यक्रम

क्र.सं.	राष्ट्रीय स्तर	क्र.सं.	क्षेत्रीय स्तर	क्र.सं.	इकाई स्तर	क्र.सं.	विशिष्ट श्रेणियाँ
1	असंगठित को संगठित करना	1	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	1	इकाई स्तर की कक्षाएं	1	कार्यात्मक प्रौढ़ साक्षरता कक्षाएं
2	असंगठित को संगठित करना	2	व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम	2	आवश्यकता पर आधारित विशेष कार्यक्रम	2	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सशक्तीकरण कार्यक्रम (4 दिवसीय)
3	सामाजिक सुरक्षा सहायक	3	संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (1/2 दिवसीय)	3	संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (2 दिवसीय)	3	दुर्बल वर्ग के श्रमिकों के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम (4 दिवसीय)
4	पर्यवेक्षी विकास	4	स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम (1/2/3 दिवसीय) सीटीपी	4	प्रशिक्षित श्रमिकों के लिए संयंत्र स्तर पर कार्यक्रम (1 दिवसीय)	4	ग्रामीण श्रमिकों के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम (4 दिवसीय)
5	जेसीएम सदस्यों की भूमिका	5	आवश्यकता पर आधारित विशेष कार्यक्रम (1-2 दिवसीय)			5	असंगठित श्रमिकों के लिए पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम (1 दिवसीय)
6	असंगठित श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ	6	श्रमिकों एवं उनके जीवन-साथियों के लिए जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (4/2 दिवसीय)			6	ग्रामीण जागरूकता शिविर (2 दिवसीय)
7	राष्ट्रीय विकास में श्रम संघों की भूमिका	7	मनरेगा			7	ग्रामीण श्रमिकों के लिए पनुः प्रशिक्षण कार्यक्रम (1दिवसीय)
8	श्रमिक संघ का नेतृत्व					8	2 दिवसीय कार्यक्रम के लिए:
						8 (क)	पत्थर तोडने वाले/असंगठित श्रमिकों के लिए कार्यक्रम इ.
						8 (ख)	महिला श्रमिक
						8(ग)	अ.जा./अ.ज.जा. के श्रमिक के लिए कार्यक्रम
						8(घ)	बाल श्रमिक/ बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिए कार्यक्रम
						8(ड)	श्रम कल्याण एवं विकास कार्यक्रम
						8(च)	निर्माण श्रमिक
						8(छ)	एचआईवी/ एड्स कार्यक्रम
						8(ज)	नॉवेल कोविड-19
9	औद्योगिक विकास और व्यापार संघों की भूमिका						
10	पुनश्चर्या पाठ्यक्रम						
11	नेतृत्व विकास						
12	पुनश्चर्या पाठ्यक्रम						
13	निर्माण क्षमता						
14	प्रभावी नेतृत्व के विकास के लिए कौशल						
15	पुनश्चर्या पाठ्यक्रम						
16	टीम कार्य						
17	कौशल का उन्नयन और युवा श्रमिक संघ नेताओं के ज्ञान को अद्यतन करना						
18	कार्यालय प्रबंधन						
19	महिला श्रमिक						
20	बदलते परिदृश्य में श्रमिक संघों के सामने चुनौतियां						

सारणी 14.2

वर्ष 2021-22 के दौरान दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (भूतपूर्व केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड) की गतिविधियां

गतिविधि	लक्ष्य 2021-22	01.01.2021 से 31.12.2021 तक की उपलब्धियां	
		कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
क्षेत्रीय स्तर			
प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (10 दिवसीय)	5	2	60
निर्माण क्षमता पर कार्यक्रम (5 दिवसीय)	19	5	81
भागीदारी प्रबंधन पर श्रमिकों के लिए संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (1/2 दिवसीय)	1114	733	13983
स्वयंकोष निर्माण/ सीटीपीजी कार्यक्रम (1/2/3 दिवसीय)	2080	299	5613
आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद (1/2 दिवसीय) उद्यम स्तर	50	79	1748
संयंत्र स्तर पर परिसंवाद (1 दिवसीय)	-	52	1049
प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर कार्यक्रम	25	9	235
असंगठित क्षेत्र			
असंगठित श्रमिकों / दुर्बल वर्ग के श्रमिकों के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम (4 दिवसीय)	60	105	4179
असंगठित क्षेत्र / पत्थर तोड़नेवाले / निर्माण श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	382	1068	42012
महिला श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	322	897	35347
बाल श्रमिक / बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	213	141	5544
अ.जा./अ.ज.जा. श्रमिकों के लिए कार्यक्रम	230	280	10917
एससीएसपी श्रमिकों के लिए कार्यक्रम	437	2014	78487
टीएसपी श्रमिकों के लिए कार्यक्रम	549	781	30064
श्रम कल्याण और विकास पर कार्यक्रम (2 दिवसीय)	737	799	31493
पंचायतीराज के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	-	41	1550
श्रमिकों और उनके जीवनसाथी के लिए जीवन की गुणवत्ता पर कार्यक्रम (4 दिवसीय)	8	17	665
श्रमिकों और उनके जीवनसाथी के लिए जीवन की गुणवत्ता पर कार्यक्रम (2 दिवसीय)	25	51	2001
असंगठित क्षेत्र में प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय)	206	460	17831
कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम	-	90	3461
उत्तर-पूर्व क्षेत्र तथा पंचायतीराज कार्यक्रम (3 दिवसीय)	16	50	1503
नेतृत्व विकास कार्यक्रम (10 दिवसीय)	8	3	91
आजीविका सृजन समूह के गठन के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम (4 दिवसीय)	589	29	1147
ग्रामीण क्षेत्र			
ग्रामीण जागरूकता शिविर (2 दिवसीय)	3177	2874	113206
मनरेगा के कार्यक्रम	317	391	15315

अध्याय-15

कार्यक्रम

15.1 यह मंत्रालय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान संगठित एवं असंगठित क्षेत्र दोनों में श्रम बल के जीवन और प्रतिष्ठा में सुधार लाने के लिए कई स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों/स्कीमों का विशेष जोर बाल श्रम उन्मूलन, बंधुआ श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वास, श्रम कल्याण, व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य तथा रोजगार सृजन पर है। कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्कीमें हैं; कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), असम में बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, असंगठित कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम) तथा व्यापारियों तथा स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) (पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन), राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी), रोजगार सृजन कार्यक्रम (अर्थात नेशनल कैरियर सेवा तथा प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई)) और बीड़ी,सिने तथा गैर–कोयला खान कामगारों के लिए श्रमिक कल्याणकारी स्कीमें भी अन्य प्रमुख योजनाएं हैं।

15.2 श्रम और रोजगार मंत्रालय में निगरानी एवं मूल्यांकन एकक (एमईयू) अनुसूचित जाति कल्याण कार्यक्रमों, अनुसूचित जनजाति संघटक और पूर्वोत्तर संघटक व्यय की समीक्षा सहित सीएस/सीएसएस स्कीमों की मॉनीटरिंग का काम देखता है।

15.3 वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष (2021–22) के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों/केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय को 12755.90 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया है। स्कीमों के परिव्यय का विवरण तालिका 15.1 में दिया गया है।

15.4 सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए, इस मंत्रालय ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति कल्याण आबंटनों (एडब्ल्यूएससी) के लिए 2117.50 करोड़ रुपये (कुल आबंटन का 16.60%) तथा अनुसूचित जनजाति संघटक (एसटीसी) के अंतर्गत आबंटन के लिए 1097.02 करोड़ रुपये(कुल आबंटन का 8.60%) उद्दिष्ट किए हैं जिनका विवरण **तालिका 15.1** में दिया गया है।

15.5 वर्ष 2021–22 के दौरान योजना आबंटन का दस प्रतिशत (1275.60 करोड़ रुपये) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए दस प्रतिशत जीबीएस के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों (पू.क्षे.) तथा सिक्किम की विशिष्ट परियोजनाओं/स्कीमों के लिए चिहिन्त किया गया है।

15.6 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय 13 केंद्रीय क्षेत्र तथा 3 केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों का कार्यान्वयन करता है। यह मंत्रालय स्वायत्त निकायों यथा वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान और दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड को अनुदान सहायता भी देता है। स्कीमों की सूची के साथ बजट प्रावधान एवं व्यय **तालिका 15.2 और 15.3** में दिया गया है।

तालिका 15.1

श्रम और रोजगार मंत्रालय: वित्तीय वर्ष केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों का वित्तीय परिव्यय 2021-22

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	स्कीमों का नाम	कुल वित्तीय परिव्यय 2021-22	अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु आबंटन	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु आबंटन
केंद्रीय क्षेत्र (कें. क्षे.) योजनाएं				
1	श्रम और रोजगार सांख्यिकी प्रणाली (एलईएसएस)	150.00	24.90	12.90
2	श्रम कल्याण स्कीम (एलडब्ल्युएस)	150.00	24.90	12.90
3	असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू)	150.00	24.90	12.90
4	कर्मचारी पेंशन स्कीम(ईपीएस), *1995*	7,364.00	1,220.28	631.06
5	असम में बागान कामगारों की सामाजिक सुरक्षा	60.00	0.00	0.00
6	प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन (पीएमएसवाईएम) योजना	400.0	66.40	34.40
7	व्यापारियों तथा स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) (पूर्वर्ती प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना)	150.00	24.90	12.90
8	आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई)	3,130.00	522.90	270.90
9	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जिसमें स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता अनुदान और बंधुआ मजदूरों को सहायता की प्रतिपूर्ति शामिल है।	120.00	19.92	10.32
अन्य केंद्रीय व्यय (ओसीई)				
10	दत्तोपंत ठेंगड़ी नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट (डीटीएनबीडब्ल्यूईडी) को अनुदान	90.00	14.94	7.74
11	वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) को अनुदान	15.00	2.50	1.50
केंद्रीय पोषित योजनाएं (सीएसएस) - रोजगार सृजन कार्यक्रम				
12	प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई)	900.00	150.00	78.00
13	अ.जा.,अ.जजा. और अ.पि. वर्गों की कोचिंग और मार्गदर्शन	19.90	11.50	6.50
14	राष्ट्रीय कैरियर सेवाएं (एनसीएस)	57.00	9.46	5.00
	कुल	**12,755.90**	**2,117.50**	**1097.02**

तालिका 15.2

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(करोड़ रुपये में)

बजट प्रावधान एवं व्यय

क्र.सं.	स्कीम का नाम	बजट अनुमान 2020-21	संशोधित अनुमान 2020-21	वास्तविक अनुमान 2020-21	संशोधित अनुमान 2020-21	संशोधित अनुमान 2020-21	31 दिसंबर, 2021 तक व्यय
I	**केन्द्र द्वारा कुल स्थापना पर किया गया व्यय**						
1	सचिवालय	75.13	72.36	63.88	77.00	71.10	50.89
2	श्रम ब्यूरो	29.00	25.76	24.42	26.80	27.02	21.10
3	मुख्य श्रमायुक्त, केन्द्रीय सरकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण, अनुसंधान और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अन्य व्यय	128.37	104.30	100.04	114.00	107.06	80.63
4	कारखाना सलाह सेवाएं महानिदेशालय (डीजीफासली)	37.00	28.62	28.50	30.04	30.28	21.05
5	खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस)	79.50	73.10	78.12	75.50	79.85	62.08
6	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	26.00	28.36	27.43	26.00	25.80	25.33
7	रोजगार महानिदेशालय	68.00	56.60	53.98	58.05	56.40	43.42
8	श्रम कल्याण महानिदेशक (स्थापना)	151.00	137.90	135.24	143.11	145.66	110.30
केन्द्र द्वारा कुल स्थापना पर किया गया व्यय		**594.00**	**527.00**	**511.61**	**550.50**	**543.17**	**414.80**
II	**कामगारों हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनाएं /परियोजनाएं**						
9	श्रम और रोजगार सांख्यिकी प्रणाली (एलईएसएस)	25.00	27.00	23.27	150.00	53.00	17.33
10	श्रम कल्याण स्कीम	150.00	100.00	55.62	150.00	89.00	34.29
11	असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय मंच का सृजन और आधार से जुड़ी पहचान संख्याओं का आबंटन	50.00	50.00	45.50	0.00	0.00	0.00
12.	असंगठित कामगारों के लिए बीमा योजना	200.00	1.00	0.00	0.10	0.10	0.00
13.	कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995	7457.00	7457.00	7519.01	7364.00	7431.00	7364.00

14.	असम में बागान कामगारों की सामाजिक सुरक्षा	40.00	40.00	27.38	60.00	50.00	30.00
15.	प्रसूति लाभों को प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना	500.00	330.00	319.71	400.00	350.00	324.08
17	व्यापारियों तथा स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना पूर्व में प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना	180.00	15.00	5.94	150.00	1.00	0.16
18	ईएसआई डाटाबेस के अंतर्गत सभी बीमित व्यक्तियों की आधार संख्या को जोड़ना और उनका प्रमाणीकरण	3.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
19	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना		2600.00	2567.83	0.00	0.00	0.00
20	आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना		1000.00	405.00	3130.00	5000.00	2396.00
21	असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस	0.00	0.00	0.00	150.00	280.00	34.21
22	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना	110.00	49.00	41.20	110.00	20.00	0.83
23	बंधुआ मजदूरी का पुनर्वास	10.00	1.00	1.35	10.00	10.00	2.96
कुल- केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं		**8725.10**	**11670.10**	**11011.81**	**11674.10**	**13284.10**	**10203.86**
III अन्य केंद्रीय क्षेत्र व्यय							
स्वायत्त निकाय							
24	केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड	85.00	85.00	84.50	90.00	110.00	81.69
25	राष्ट्रीय श्रम संस्थान	15.00	13.03	12.23	15.00	11.55	8.64
कुल- स्वायत्त निकाय		100.00	98.03	96.73	105.00	121.55	90.33

IV केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें							
26	अ.जा., अ.जजा. और अ.पि. वर्गों की कोचिंग और मार्गदर्शन	17.00	10.00	10.76	19.90	17.90	12.86
27	प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना	2550.00	1364.80	1255.15	900.00	250.00	250.00
28	राष्ट्रीय कैरियर सेवाएं	79.39	49.63	43.77	57.00	32.00	12.64
कुल- केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें		**2646.39**	**1424.43**	**1309.68**	**976.90**	**299.90**	**275.50**
वसूली				-9.45			
महायोग		**12065.49**	**13719. 56**	**12920.38**	**13306.50**	**14248.72**	**10984.49**

तालिका 15.3

श्रम और रोजगार मंत्रालय का विगत पांच वर्षों का बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और व्यय

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
2016-17	6242.60	5174.08	4949.30
2017-18	7378.38	6592.90	6528.57
2018-19	7700.00	9749.58	9291.23
2019-20	11184.09	11184.09	10085.02
2020-21	12065.49	13719.56	12920.38

अध्याय-16

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा केंद्र

16.1 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा केन्द्रों (पूर्व में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग –सह–मार्गदर्शन केन्द्र) की स्थापना रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (अब रोजगार महानिदेशालय), श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई थी। ये केन्द्र कोचिंग, परामर्श एवं संबंधित प्रशिक्षण कार्याक्रमों के माध्यम से रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अ.जा./अ.जा.जा. वर्ग के नौकरी खोजने वाले शिक्षित व्यक्तियों की रोजगारशीलता में वृद्धि लाने के लिए उन्हें सेवाएं प्रदान करते हैं। इन केन्द्रों द्वारा आयोजित किए जाने वाले कुछ कार्यक्रमों में आत्मविश्वास निर्माण, व्यकितगत मार्गदर्शन, मॉक इंटर्व्यू, टंकण, आशुलिपि एवं कम्प्यूटर में अभ्यास आदि शामिल हैं।

आवेदकों का रोजगार केंद्रों में इनके पंजीकरण के समय तथा अधिसूचित रिक्तियों के लिए उनके नाम भेजते समय मार्गदर्शन किया जाता है। केन्द्र सरकार अ.जा./अ.जा. जा. वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर प्लेसमेंट के लिए नियोक्ताओं के साथ संपर्क बनाए रखता है। अतिरिक्त ब्यौरे हेतु अध्याय 24 देखें।

श्रम कल्याण निधि /योजनाएं

16.2 संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित 5 कल्याण निधियों अर्थात अभ्रक की खानों के लिए श्रम कल्याण निधि; चूना पथर एवं डोलामाईट की खानों के लिए श्रम कल्याण निधि; लौह अयस्क खानों, मैगनीज अयस्क एवं क्रोम अयस्क की खानों के लिए श्रम कल्याण निधि ; सिने कामगार कल्याण निधि और बीड़ी कामगार कल्याण निधि के अंतर्गत अभ्रक की खानों, लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क एवं क्रोम अयस्क की खानों, चूना पत्थर और डोलोमाईट की खानों में काम करने वाले कामगारों तथा सिने और बीड़ी कामगरों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों तथा दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) सहित) के लिए चिकित्सीय, आवासीय, शैक्षिक, मनोरंजन, जलापूर्ति और परिवार कल्याण संबंधी लाभ उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों तथा दिव्यांग व्यकितयों (पीडब्ल्यूडी) के संबंध में बजट/व्यय/लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या के संबंध में अलग से कोई ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

बंधुआ श्रमिकों के लिए पुनर्वास

16.3 मुक्त बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वास के कार्य में राज्य सरकार को सहायता प्रदान करने के क्रम में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए मई, 1978 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना आरंभ की गई थी। सरकार 17 मई, 2016 से बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीम को पुनर्जीवित कर चुकी है। पुनर्जीवित स्कीम को "बंधुआ श्रमिक, 2016 के पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम" के नाम से जाना जाता है। संशोधित स्कीम केंद्र की स्कीम है। राज्य सरकार को नकद पुनर्वास सहायता के प्रयोजनार्थ किसी समरूप अंशदान का भुगतान करना अपेक्षित नहीं है। प्रत्येक वयस्क पुरुष लाभार्थी को वित्तीय सहायता 20,000 रुपये से बढ़ाकर 01 लाख रुपये कर दी गयी है, विशेष श्रेणी के लाभार्थियों जैसे अनाथ बालक अथवा संगठित जबरन भिखारी गिरोह से छुड़ाए गए अथवा अन्य जबरन बाल श्रमिकों एवं महिलाओं को 02 लाख रुपये और वंचित या उपेक्षा के चरण मामलों यथा किन्नरों या वेश्यालयों, मसाज पार्लरों, प्लेसमेण्ट एजेन्सियों आदि जैसे यौन शोषण अथवा मानव तस्करी आदि से बचाई गई महिलाओं या बच्चों या दिव्यांगजनों को अथवा वे स्थितियां जिसे

जिला मजिस्ट्रेट उचित समझते हैं, उन्हें 03 लाख रुपये वित्तीय सहायता कर दी गई है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व

16.4 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के प्रतिनिधित्व से संबंधित आंकड़ा निम्नानुसार दिया गया है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एवं इसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों एवं स्वायत्त निकायों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का प्रतिनिधित्व (दिनांक 01.01.2021 की यथा स्थिति)

समूह	कुल कर्मचारियों की संख्या	आरक्षण मानक के अनुसार		स्थिति में		अधिशेष (+) कमी (-)	
		अ.जा. (15%)	अ.ज.जा. (7.5%)	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज. जा.
समूह 'क'	3568	535	268	536	230	1	-38
समूह 'ख'	1665	250	125	262	120	12	-5
समूह 'ग' (भूतपूर्व समूह'घ' सहित)	23033	3455	1727	2323	1582	-1132	-145
कुल*	28266	4240	2120	3121	1932	-1119	-188

16.5 दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 4% पद आरक्षित किए जाने हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) द्वारा धारित पदों की संख्या एवं आंकड़े निम्नलिखित हैं:

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एवं इसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों एवं स्वायत्त निकायों में दिव्यांग व्यक्तियों (नि:शक्तजन) का प्रतिनिधित्व (दिनांक 01.01.2021 की यथा स्थिति)

कर्मचारियों की श्रेणी	कुल कर्मचारियों की संख्या	दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा धारित पदों की संख्या
समूह 'क'	3568	38
समूह 'ख'	1665	17
समूह 'ग' (भूतपूर्व समूह 'घ' सहित)	23033	481
कुल*	**28266**	**536**

** ईपीएफओ को छोड़कर*

अध्याय-17

श्रम सांख्यिकी

श्रम ब्यूरो, चण्डीगढ़/शिमला के कार्य तथा संगठनात्मक ढाँचा:

17.1 श्रम ब्यूरो वर्ष 1920 में अपनी स्थापना से ही श्रम के विभिन्न पहलुओं पर अखिल भारतीय तथा राज्य स्तर पर श्रम आंकड़ों के संग्रहण, संकलन, विश्लेषण तथा वितरण में कार्यरत्त रहा है। ये आंकड़े उचित नीतियाँ बनाने हेतु तथा श्रम बल के विभिन्न समूहों की स्थितियों में सुधार हेतु उचित उपाय सुझाने के लिए अनिवार्य आंकड़ा उपलब्ध करवाने में सहायक होते हैं। **ब्यूरो के मुख्य क्रियाकलापों में शामिल हैं:**

i) (क) औद्योगिक श्रमिकों (ख) खेतिहर तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों (ग) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चुनिन्दा आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य सूचकांकों तथा (घ) मजदूरी दर सूचकांकों का संकलन तथा रख–रखाव।

ii) विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत कानूनी तथा स्वैच्छिक विवरणियों के आधार पर श्रम के विभिन्न पहलुओं जैसे रोज़गार, बेरोज़गारी, मज़दूरी तथा उपार्जन, अनुपस्थिति, श्रम आवर्त, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण सुविधाएं, औद्योगिक संबंध आदि पर सांख्यिकीय सूचना का संग्रहण, संकलन तथा वितरण।

iii) संगठित/असंगठित क्षेत्रों के साथ–साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रमिकों, महिला श्रमिकों, ठेका श्रमिकों को शामिल करते हुए श्रम संबंधी मामलों पर अनुसंधान अध्ययन तथा सर्वेक्षण एवं विनिर्माण उद्योगों, खान, बागान तथा सेवा क्षेत्र में व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण आयोजित करना।

iv) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के कार्मिकों तथा प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न राज्य तथा केन्द्रीय ऐजन्सियों द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण देना।

v) श्रम के क्षेत्र में नियमित तथा तदर्थ प्रकाशन निकालना।

17.2 श्रम ब्यूरो के दो मुख्य स्कंध चंडीगढ़ और शिमला में हैं और इसके छह क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, गुवाहाटी और मुंबई में हैं। मंत्रालय ने जयपुर, इंदौर और हैदराबाद में तीन नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की मंजूरी दे दी है।

श्रम ब्यूरो की मुख्य उपलब्धियाँ तथा गतिविधियाँ

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

17.3 श्रम ब्यूरो द्वारा मासिक आधार पर नियमित रूप से संकलित तथा अनुरक्षित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निम्नानुसार है:–

क) **औद्योगिक श्रमिकों के लिए आधार 2016=100 पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक**

1. औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या (सीपीआई–आईडब्ल्यू) श्रमिक वर्ग जनसंख्या द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक निर्धारित बास्केट की कीमतों में परिवर्तन की दर को मापती है। इसे 1946 से श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित और अनुरक्षित किया जा रहा है।

2. नए आधार संबंधी सूचकांक (2016=100) सितंबर, 2020 से जारी किया गया है। नवंबर, 2021 तक के सूचकांक संकलित और जारी किए गए हैं।

3. श्रृंखला के लिए भार आरेख वर्ष 2016 के दौरान किए गए श्रमिक वर्ग परिवार आय और व्यय सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त किया गया है। व्यापक समूहों के लिए भार कोष्ठक 17.1 में प्रस्तुत किया गया है।

4. सूचकांक संख्या प्रत्येक बाद के महीने के अंतिम कार्य दिवस को प्रेस विज्ञप्ति और मासिक सूचकांक पत्र के माध्यम से जारी की जाती है। इन्हें ब्यूरो की वेबसाइट www.labourbureaunew.gov.in पर डालने के अलावा ब्यूरो के मासिक प्रकाशन "इंडियन लेबर जर्नल" में भी प्रकाशित किया जाता है।

5. वर्ष 2020 के लिए एक वार्षिक रिपोर्ट में अंतर्विष्ट समूह/उप–समूह स्तर पर सूचकांक संख्याओं संबंधी उपयोगी जानकारी भी ब्यूरो द्वारा लाई जाती है।

6. वार्षिक प्रतिशत भिन्नताओं, मासिक प्रतिशत भिन्नताओं और वर्ष–दर–वर्ष मुद्रास्फीति को दर्शाने वाले सीपीआई (आईडब्ल्यू) पर तीन विवरण क्रमशः तालिका 17.1, 17.2 और 17.3 में प्रस्तुत किए गए हैं।

7. इन सूचकांकों का उपयोग मजदूरी के संशोधन, परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के निर्धारण, मुद्रास्फीति के रुझान को मापने और नीति निर्माण के लिए किया जाता है।

(ख) 31 आवश्यक वस्तुओं के लिए खुदरा मूल्य सूचकांक

17.4 31 आवश्यक वस्तुओं का खुदरा मूल्य सूचकांक भी प्रत्येक महीने संकलित किया जाता है और इन चयनित वस्तुओं के मूल्यों में उतार–चढ़ाव की निगरानी की सुविधा के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को आपूर्ति की जाती है। इन सूचकांकों को औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या और श्रृंखला के तहत एकत्र किए गए मूल्य डेटा के तहत निर्धारित भार से प्राप्त भार आरेख के आधार पर संकलित किया जाता है। नवंबर, 2021 तक के सूचकांकों को संकलित किया गया और संबंधित एजेंसियों को प्रसारित किया गया।

(ग) आवास सूचकांक

17.5 मुख्य श्रमिक वर्ग परिवार आय और व्यय सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में, 88 केंद्रों पर रिपीट हाउस रेंट सर्वेक्षण किया गया है और सभी 88 केंद्रों के लिए आवास सूचकांक संकलित किए गए हैं। यह सर्वेक्षण वर्ष में दो बार छह महीने के अंतराल पर 2 सूचकांक प्रति केंद्र प्रति वर्ष की दर से आवास सूचकांकों को संकलित करने के लिए आयोजित किया जाता है। इन सूचकांकों का उपयोग सीपीआई (आईडब्ल्यू) के संकलन में किया जाता है।

17.6 आईएलओ की सिफारिश के अनुसार, पारिवारिक आय और व्यय सर्वेक्षण 10 वर्षों से अधिक के अंतराल पर नहीं किया जाना चाहिए। यह सर्वेक्षण मूल्यों और जीवन यापन की लागत के आंकड़ों पर तकनीकी सलाहकार समिति (एसपीसीएल पर टीएसी) के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है। तदनुसार, श्रम ब्यूरो ने सीपीआई–आईडब्ल्यू की श्रृंखला को एक नए आधार पर अद्यतन करने की दृष्टि से वर्ष 2016 में एक नया श्रमिक वर्ग परिवार आय और व्यय सर्वेक्षण आयोजित किया है। 2016=100 के आधार पर सूचकांक की नई श्रृंखला सितंबर, 2020 के महीने के लिए 22 अक्टूबर, 2020 को जारी की गई है।

(घ) ग्रामीण श्रमिकों तथा खेतिहर श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई (आर एवं एएल)) (आधारः 1986–87=100)

1. 600 प्रतिदर्श गांवो से एकत्रित खुदरा मूल्य आंकड़ों पर आधारित ग्रामीण श्रमिकों तथा इसके उप समूह खेतिहर श्रमिकों के लिए आधार 1986–87=100 पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को 20 राज्यों तथा अखिल भारत के लिए मासिक आधार पर संकलित किया जा रहा है।

2. श्रम ब्यूरो ने माह नवंबर, 2021 तक खेतिहर और

ग्रामीण श्रम (आधार 1986–87=100) के लिए सीपीआई संख्या संकलित और जारी की है। सीपीआई–एएल और सीपीआई–आरएल में वार्षिक भिन्नता का तुलनात्मक विवरण बाक्स 17.2 में प्रस्तुत किया गया है।

3. वर्ष 2020–21 के लिए खेतिहर और ग्रामीण श्रमिकों के लिए सीपीआई संख्या पर वार्षिक रिपोर्ट (आधारः 1986–87 = 100) प्रगति पर है।

4. मासिक सूचकांक और मुद्रास्फीति की वार्षिक दर क्रमशः तालिका 17.4 और 17.5 में प्रस्तुत की गई है।

5. इन सूचकांकों का उपयोग न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत कृषि में रोजगार के संबंध में न्यूनतम मजदूरी के संशोधन और निर्धारण के लिए किया जाता है, मनरेगा के तहत मजदूरी में संशोधन, सीएसीपी द्वारा कृषि फसलों की खरीद/समर्थन मूल्य का निर्धारण, मध्याह्न–भोजन योजना के तहत भोजन पकाने की लागत का अद्यतनीकरण।

ग्रामीण श्रमिकों तथा खेतिहर श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई (आरएल एवं एएल)) का आधार अद्यतन

17.7 विभिन्न समितियों/आयोगों जैसे कि सचिवों की समिति, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग, द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग, नीति आयोग (पूर्व में योजना आयोग) तथा तकनीकी सलाहकार समिति (मूल्य एवं निर्वाह लागत सांख्यिकी) द्वारा की गई अनुशंसाओं/दिये गये सुझावों के अनुसरण में श्रम ब्यूरो द्वारा सीपीआई/आरएल एवं एएल के आधार अद्यतन करने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। सीपीआई/आरएल एवं एएल की नई शृंखला की कवरेज को चण्डीगढ़ (पूर्णतः शहरीकृत) तथा लद्दाख को छोड़कर समस्त राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों तक बढ़ाया जायेगा। सीपीआई/आरएल एवं एएल की नई शृंखला की आधार अवधि 2019 होगी। एनएसएस डेटा के 75वें दौर की अनुपस्थिति में, एनएसएस डेटा के 68वें दौर का उपयोग करने के लिए कीमतों और जीवन यापन की लागत के आंकड़ों पर तकनीकी सलाहकार समिति (एसपीसीएल पर टीएसी) का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। सूचकांक संकलन के लिए एनएसएस डेटा के 68वें दौर का उपयोग करके वजन उत्पन्न किया गया था। एसपीसीएल पर टीएसी द्वारा अनुमोदित होने के बाद सूचकांक संख्या की नई श्रृंखला जल्द ही जारी की जाएगी।

(च) **मजदूरी दर डाटाः**

17.8 600 प्रतिदर्श गांवों से 25 कृषि और गैर–कृषि व्यवसायों के लिए मजदूरी दर डेटा का मासिक आधार पर संग्रह नियमित रूप से किया जा रहा है। सितंबर, 2021 तक के वेतन दर के आंकड़े संकलित और प्रकाशित किए गए हैं। वर्ष 2020–21 के लिए "ग्रामीण भारत में मजदूरी दर" नामक पुस्तिका प्रगति पर है।

(छ) **कानूनी तथा स्वैच्छिक विवरणियां**

17.9 श्रम ब्यूरो श्रम के विभिन्न पहलुओं जैसे औद्योगिक विवाद, श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा उपाय, निरीक्षण, निरीक्षण मशीनरी इत्यादि तथा प्रशासन के सह–उत्पाद के रूप में निर्मित इस प्रकार की सांख्यिकी, 11 चयनित श्रम कानूनों के प्रवर्त्तन एवं कार्यान्वयन के संबंध में सांख्यिकी के संग्रहण, संकलन तथा प्रचार–प्रसार संबंधी कार्य सौंपा गया है। 10 श्रम विधियों के अन्तर्गत विवरणी सांविधिक हैं जबकि एक विधि के लिये यह स्वैच्छिक है। केन्द्रीय श्रम आयुक्त, राज्य श्रम आयुक्त तथा राज्यों के मुख्य कारखाना निरीक्षक इन अधिनियमों को लागू करवाते हैं इसलिये ये प्रशासनिक श्रम सांख्यिकी के मुख्य स्रोत हैं। इन अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों/सूचनाओं के आधार पर श्रम ब्यूरो इन अधिनियमों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक रिपोर्ट/समीक्षा जारी करता है।

17.10 श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सभी केंद्रीय श्रम विधियों/अधिनियमों को चार श्रम संहिताओं में समाहित कर दिया है। कारखाना अधिनियम 1948, बागान श्रम

अधिनियम 1951 और मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, 1961 को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं कोड के तहत कवर किया गया है। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को औद्योगिक संबंध कोड के तहत कवर किया गया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 को मजदूरी संहिता के तहत कवर किया गया है, जबकि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 और प्रसूति लाभ अधिनियम 1961 को सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत शामिल किया गया है। श्रम ब्यूरो को दिये गये वर्तमान अधिकार के अतिरिक्त जो केवल 11 श्रम अधिनियमों तक ही सीमित है, अब सभी चार श्रम संहिताओं के तहत श्रम विवरणियों के लिए प्रशासनिक सांख्यिकी को एक जगह समायोजित करने के लिए श्रम ब्यूरो को नोडल एजेंसी नामित करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ज) फील्ड सर्वेक्षण तथा अध्ययन

17.11 ब्यूरो द्वारा श्रम आंकड़ों की उपलब्धता में अन्तर को दूर करने हेतु श्रम के विभिन्न पहलुओं जैसे (i) रोजगार (ii) मजदूरी तथा उपार्जन, (iii) अर्थव्यवस्था के संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों की कार्यकारी तथा निर्वाह दशाओं पर आवधिक/तदर्थ सर्वेक्षणों का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, श्रम ब्यूरो 20 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के 600 प्रतिदर्श गांवों से प्रतिमाह नियमित रूप से 25 खेतिहर तथा गैर खेतिहर व्यवसायों के लिए मजदूरी दर आंकड़े एकत्रित करता है। संदर्भ वर्ष के दौरान उपलब्धियॉ निम्नानुसार है:

(झ) व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण

17.12 मजदूरी दर सूचकांक के निर्माण हेतु नियोजन, मजदूरी दरें एवं महंगाई भत्ते के संबंध में व्यवसार–वार आँकड़ें प्राप्त करने के लिये वांछित आँकड़ें/सूचना उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण के विभिन्न दौर आयोजित किये जा रहे हैं।

17.13 व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण के 7वें दौर के तहत 56 उदयोगों को शामिल करते हुए कुल 10 रिपोर्टें तैयार कर ली गयी हैं तथा सभी रिपोर्टें अर्थात पाँच वस्त्र उद्योग, परिधान वस्त्र उद्योग, तीन बागान उद्योग, चाय संसाधन उद्योग, खनन उद्योग, 10 विनिर्माण उद्योग, दस इंजीनियरिंग उद्योग, नौ इंजीनियरिंग उद्योग, नौ विनिर्माण उद्योग तथा चार सेवा क्षेत्र उद्योग, मन्त्रालय द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदन के बाद श्रम ब्यूरो द्वारा जारी की गयी हैं। ओडब्ल्यूएस के 8वें दौर के संचालन के लिए संशोधित प्रस्ताव मंत्रालय को भेज दिया गया है और यह वर्तमान में मंत्रालय के विचाराधीन है।

(ञ) ठेका श्रमिक सर्वेक्षण

17.14 ठेका श्रमिक सर्वेक्षण का उद्देश्य ठेका श्रम (विनियमन तथा उत्पादन) अधिनियम, 1970 के तहत प्रावधानों की तुलना में उद्योगों के विभिन्न समूहों में नियोजित ठेका श्रमिकों की समस्याओं की सीमा तथा प्रकृति तथा कार्यकारी स्थितियों का अध्ययन करना है। सर्वेक्षण के तहत एकत्रित सूचना ठेका श्रमिकों का ठेकेदार वार नियोजन, इन श्रमिकों द्वारा निष्पादित कार्य, ठेका श्रमिक के रोजगार को वरीयता देने के कारण, कार्यकारी दशाएं, मजदूरी तथा भत्ते, शुल्क तथा कटौतियां, कल्याण सुविधाए, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, ठेकेदार द्वारा रिकार्ड का रख–रखाव आदि से संबंधित होती है ।

17.15 अब तक 39 उद्योगों में 47 सर्वेक्षण किए जा चुके हैं। भारतीय खाद्य निगम में ठेका श्रमिक सर्वेक्षण हेतु फील्ड कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अनुसूचियों की संवीक्षा जारी है।

(ट) उद्योगों/नियोजनों के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की कार्यकारी एवं निर्वाह दशाएं

17.16 उद्योगों/नियोजनों के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की कार्यकारी एवं निर्वाह दशाओं से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना इस सर्वेक्षण का उद्देश्य है। अब तक 31 सर्वेक्षण हो चुके हैं तथा सभी की रिपोर्ट भी प्रकाशित की जा चुकी हैं। अंतिम सर्वेक्षण, रेडीमेड वस्त्र उद्योग में किया गया था। इसकी प्रारूप रिपोर्ट अनुमोदन हेतु मन्त्रालय

को प्रेषित की जा चुकी है।

(ठ) उद्योग में महिला कामगारों की सामाजार्थिक स्थितियां

17.17 इस स्कीम का उद्देश्य महिला श्रमिकों को श्रम कानूनों की तुलना में उपलब्ध कार्य एवं निर्वाह दशाओं तथा कल्याण सुविधाओं का अध्ययन करने हेतु आँकड़ों को एकत्रित करना है। अब तक नियोजन के विभिन्न क्षेत्रों में महिला श्रमिकों के 22 सर्वेक्षण किये जा चुके हैं तथा इन सबकी रिपोर्ट भी जारी हो चुकी हैं।

(ड) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन के मूल्यांकन पर अध्ययन

17.18 इस सर्वेक्षण का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न सूचीबद्ध नियोजनों में लागू न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की सीमा का मूल्यांकन करना है । अब तक ऐसे 28 अध्ययन आयोजित किए गए है तथा सभी रिपोर्टें प्रकाशित कर दी गई हैं।

(ढ) शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति कामगारों की कार्यकारी एवं निर्वाह दशाएँ

17.19 श्रम ब्यूरो ने अब तक 9 अनुसूचित जाति श्रमिकों तथा 9 अनुसूचित जनजाति श्रमिकों के सर्वेक्षण आयोजित किए हैं। एक सर्वेक्षण लुधियाना एवं एसबीएस नगर, पंजाब में "अनक्लीन व्यावसायों में अनुसूचित जाति के श्रमिकों की कार्यकारी एवं निर्वाह दशाओं" पर आयोजित किया गया है। सर्वेक्षण की रिपोर्ट का प्रारूप मन्त्रालय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

(ण) श्रम सांख्यिकी में प्रशिक्षण

17.20 वैश्विक कोविड महामारी के कारण श्रम ब्यूरो द्वारा श्रम सांख्यिकी में कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया।

(त) उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण

17.21 श्रम ब्यूरो सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के अधीन वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (श्रम भाग) के माध्यम से एकत्रित औद्योगिक सांख्यिकी के संसाधन एवं प्रचार–प्रसार हेतु उत्तरदायी है। इसका मुख्य उद्देश्य विनिर्माण उद्योगों में अनुपस्थिति, श्रम आवर्त्त, उपार्जन, नियोजन एवं श्रम लागत के संबंध में एक प्रणालीगत डाटाबेस निर्मित करना तथा विनिर्माण उद्योगों में श्रम लाग के विभिन्न घटकों जैसे मजदूरी/वेतन, बोनस, भविष्य निधि, कल्याण व्यय इत्यादि का विश्लेषण करना है। वर्ष 2014–15 से 2017–18 के लिये उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (खंड–1)– नियोजन एवं श्रम लागत पर सांख्यिकी तथा वर्ष 2014–15 से 2016–17 के लिये उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण– अनुपस्थिति, श्रम आवर्त्त, नियोजन एवं श्रम लागत पर सांख्यिकी (खंड–II) संबंधी रिपोर्टों को श्रम ब्यूरो द्वारा जारी कर दिया गया है।

(थ) मजदूरी दर सूचकांक का आधार अद्यतन

17.22 श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित मजदूरी दर सूचकांक एक निश्चित अवधि के दौरान मजदूरी दरों में हुए सापेक्ष बदलावों को दर्शाते हैं जिसमें आधार वर्ष 1963=100 होता है। ये सूचकांक तीन क्षेत्रों अर्थात विनिर्माण, बागान तथा खनन में 21 चयनित उद्योगों हेतु संकलित किये जाते हैं। श्रम ब्यूरो ने सक्रिय रूप से मजदूरी दर सूचकांक के आधार अद्यतन कार्य को शुरू किया है जिसमें आधार 1963–65=100 को 2016=100 किया जा रहा है। मजदूरी दर सूचकांक से संबंधित तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा 37 उद्योगों और तिमाही–वार अनुसूची को अंतिम रूप दिया गया है ताकि वेतन अवधि 2016, 2017, 2018, 2019 तथा 2020 हेतु व्यावसाय–वार आँकड़े प्राप्त किये जा सकें और मजदूरी दर सूचकांक से संबंधित तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अंतिम रूप दिये गये प्रत्येक व्यवसाय हेतु भार निर्मित किया जा सके, जिसे तैयार किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में इकाइयों की सूची की तैयारी का कार्य जारी है।

(द) श्रम ब्यूरो का अधिकारिक ल गो जारी किया जाना

17.23 माननीय श्री संतोष कुमार गंगवार, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा 20 अगस्त, 2020

को श्रम ब्यूरो, चण्डीगढ़ कार्यालय के लॉगो को श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के सचिव श्री हीरालाल सामरिया तथा वरिष्ठ श्रम एवं रोजगार सलाहकार और श्रम ब्यूरो के महानिदेशक श्री डी.पी.एस. नेगी की उपस्थिति में लॉन्च किया गया। लांच किया गया नया लॉगो यह प्रदर्शित करता है कि श्रम ब्यूरो कार्यालय कार्य तथा श्रमिकों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने वाला आंकड़ा आधारित संगठन है। लॉगो उन तीन लक्ष्यों अर्थात सटीकता, वैधता तथा विश्वसनीय को भी दर्शाता है जिन्हें श्रम ब्यूरो गुणवत्तापरक आँकड़ों के संकलन हेतु प्राप्त करने का प्रयास करता है। ब्लू व्हील एक कॉगव्हील है जो कार्य को दर्शाता है। नीले रंग का चयन यह दर्शाता है कि हम अंत्यावसायी श्रमिक वर्ग से संबंधित आँकड़ो के लिये कार्य करते हैं। ग्राफ केवल ऊपर नहीं जा रहा जैसा कि वास्तविक दुनिया में आँकडों में उतार–चढ़ाव होता है क्योंकि ये जमीनी वास्तविकता को दर्शाते हैं। ग्रामीण खेतिहर श्रमिकों के फल को द्योतित करते हुए गेहूँ की बालियों (व्हीट इयर्स) के साथ राष्ट्रीय ध्वज के रंगो से मेल खाता तिरंगा ग्राफ लॉगो में अत्यंत सुन्दर ढंग से स्थापित किया गया है।

(ध) श्रम ब्यूरो के कार्यालय भवन का उद्घाटन

17.24 श्रम ब्यूरो के नवनिर्मित कार्यालय भवन–"श्रम ब्यूरो भवन" का उद्घाटन माननीय श्री संतोष कुमार गंगवार, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा 11 सितम्बर, 2020 को किया गया है। इस अवसर पर श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के सचिव श्री हीरालाल सामरिया तथा वरिष्ठ श्रम एवं रोजगार सलाहकार एवं श्रम ब्यूरो के महानिदेशक श्री डी.पी.एस. नेगी भी मौजूद रहे। समस्त आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह इमारत श्रम ब्यूरो की आधारभूत सरंचनात्मक आवश्यकताओं को पूरी करेगी।

(न) डिजिटाईजेशन एवं अ टोमेशन

17.25 श्रम ब्यूरो द्वारा सभी गतिविधियों की डिजिटाईजेशन एवं ऑटोमेशन को उच्च प्राथमिकता दी गई है। संगठन आँकड़ा संसाधन शृंखला अर्थात आँकड़ों के संग्रहण से इनके प्रचार–प्रसार तक मानवीय इन्टरफेस को सार्थकता से कम करने के लिये महत्वपूर्ण तरीके से काम कर रहा है तथा आधुनिक आईटी टूल्स का प्रयोग करते हुए आंकड़ा संग्रहण की समस्त प्रक्रिया को ऑनलाईन करने के लिये कड़ी मेहनत कर रहा है। डिजिटाईजेशन एवं आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस से बड़े आँकड़ों के संग्रहण एवं विश्लेषण में बहुत ही कम समय लगेगा तथा इसके माध्यम से आँकड़ों की विश्वसनीयता बढ़ेगी और ब्यूरो द्वारा विभिन्न श्रम एवं मूल्य सांख्यिकी को जारी करने में लगने वाले समय में कमी आयेगी।

(प) चालू सर्वेक्षण

17.26 श्रम ब्यूरो को निम्नलिखित तीन "अखिल भारतीय" सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा गया है:

i. प्रवासी श्रमिकों हेतु अखिल भारतीय सर्वेक्षण

ii. घरेलु श्रमिकों हेतु अखिल भारतीय सर्वेक्षण

iii. अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण (एक्यूईईएस)

(i) <u>प्रवासी कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण:</u>

- **उद्देश्य:** सर्वेक्षण का उद्देश्य
  - देश में घरेलू/आंतरिक प्रवासी कामगारों की संख्या का अनुमान लगाना।
  - उनकी घरेलू विशेषताओं, सामाजिक आर्थिक स्थितियों और काम करने की परिस्थितियों पर डेटा एकत्र करना।
  - उनके काम पर कोविड–19 के प्रभाव का अध्ययन करना।
- **सर्वेक्षण का कवरेज:**
  - सर्वेक्षण में भारत के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है क्योंकि यह एक अखिल भारतीय नमूना सर्वेक्षण है।
- **सर्वेक्षण का क्षेत्र कार्य:**
  - इस इस सर्वेक्षण का क्षेत्र कार्य प्रगति पर है।

(ii) **घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण**

- **उद्देश्यः** सर्वेक्षण के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैंः
  - सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य प्रमुख राज्यों और अखिल भारत द्वारा डीडब्ल्यू की संख्या/अनुपात का अनुमान लगाना और अखिल भारतीय और महत्वपूर्ण सामाजिक–जनसांख्यिकीय प्रमुख विशेषताओं द्वारा इन डीडब्ल्यू/ परिवारों का प्रतिशत वितरण जो उन्हें/लिव–आउट डीडब्ल्यू के परिवारों को रोजगार देते हैं।
  - घरेलू कामगारों वाले परिवारों की घटनाओं और विशेषताओं का आकलन
  - विभिन्न प्रकार के परिवारों द्वारा नियोजित घरेलू कामगारों की औसत संख्या का अनुमान लगाना।
- **सर्वेक्षण का क्षेत्र कार्य**
  - इस सर्वेक्षण का क्षेत्र कार्य वर्क अभी आरंभ होना शेष है।
- **सर्वेक्षण का कवरेजः**
  - सर्वेक्षण भारत के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करने का प्रयास करेगा क्योंकि यह एक अखिल भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण है।

(iii) **अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण (एक्यूईईएस)**

- **पृष्ठभूमिः** एक्यूईईएस के दो घटक/भाग हैंः
  - 10 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस);
  - अर्थव्यवस्था के 9 चयनित क्षेत्रों से 9 या उससे कम कामगारों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में एरिया फ्रेम एस्टाब्लिशमेंट सर्वे (एएफईएस)।

भाग 1– त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस)

- **क्यूईएस का उद्देश्य**
  - क्यूईएस एक स्थापना–आधारित सर्वेक्षण है और अर्थव्यवस्था के 9 चयनित क्षेत्रों के तहत 10 या अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में रोजगार में परिवर्तन के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
- **क्यूईएस में शामिल नौ क्षेत्रः**
  - विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रेस्तरां, आईटी/बीपीओ और वित्तीय सेवा गतिविधियाँ।
- **क्यूईएस का नमूना आकार आवंटन**
  - 09 क्षेत्रों में लगभग 12000 प्रतिष्ठानों कोक्यूईएस में शामिल किया जाएगा।
- **सर्वेक्षण का क्षेत्र कार्यः**
  - त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) का क्षेत्र कार्य 1 अप्रैल 2021 से शुरू किया गया था।हालांकि, कोविड –19 महामारी की दूसरी लहर और गणनाकारों की सुरक्षा को देखते हुए, लॉकडाउन में क्यूईएस सर्वेक्षण न्यूनतम भौतिक यात्राओं के साथ टेलीफोन/इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी रहा एवं हालात सामान्य होते हीवास्तविक मुलाकातें बढ़ गईं।
  - त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण की पहली तिमाही (अप्रैल से जून, 2021) की रिपोर्ट 27 सितंबर, 2021 को श्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री द्वारा जारी की गई थी।

त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षणः (पहली तिमाही रिपोर्ट (अप्रैल से जून, 2021))

तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (पहली तिमाही) का एक हिस्सा पहली तिमाही (अप्रैल–जून, 2021) के दौरान चयनित 9 क्षेत्रों में प्रतिष्ठानों की परिचालन स्थिति और रोजगार की स्थिति पर कोविड–19 महामारी पर सूचना एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

सारांश परिणाम इस प्रकार हैं:

25 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक ल कडाउन अवधि के दौरान रोजगार पर कोविड–19 का प्रभावः

17.27 भारतीय अर्थव्यवस्था के संगठित गैर–कृषि क्षेत्र में रोजगार पर कोविड–19 महामारी के प्रभाव का आकलन करने के लिए, 27% प्रतिष्ठानों में महामारी के कारण रोजगार में कमी आई है।

17.28 25 मार्च, 2020 और 30 जून, 2020 की अवधि के दौरान 9 क्षेत्रों में कुल रोजगार 23 लाख गिर गया। हालांकि, उद्योगों में न केवल महामारी के बाद वापस उछाल आया, बल्कि 1 जुलाई, 2020 से कुल रोजगार में लगभग 40 हजार (निवल अतिरिक्त) की वृद्धि हुई। रोजगार परिदृश्य के उज्जवल पक्ष में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि 81% कामगारों को लॉक–डाउन अवधि (25 मार्च–30 जून, 2020) के दौरान पूर्ण वेतन प्राप्त हुआ, 16% को कम मजदूरी मिली और केवल 3% को किसी मजदूरी से वंचित किया गया। स्वास्थ्य और वित्तीय सेवा क्षेत्र में, हालांकि, 90% से अधिक कामगारों को पूरा वेतन मिला। हालांकि, निर्माण क्षेत्र में, 27% को घटी हुई मजदूरी स्वीकार करनी पड़ी और 7% के पास कुछ नहीं बचा।

17.29 सर्वेक्षण में 25 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020 की अवधि के दौरान लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में प्रतिष्ठानों की परिचालन स्थिति, रोजगार की स्थिति और मजदूरी पर प्रभाव पर कोविड–19 महामारी के प्रभाव संबंधी डेटा एकत्र करने का भी प्रयास किया गया है। वित्तीय सेवा क्षेत्र (71.6%) के पश्चात स्वास्थ्य क्षेत्र (88.9%) में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान चालू होने वाले प्रतिष्ठानों की सबसे अधिक संख्या है। शिक्षा क्षेत्र (76.5%), आवास और रेस्तरां क्षेत्र (72%) और व्यापार क्षेत्र (71.5%) में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान गैर–संचालन वाले प्रतिष्ठानों की सबसे अधिक संख्या है।

25 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020 तक ल कडाउन अवधि के दौरान अनुमानित रोजगार में परिवर्तनः

17.30 रिपोर्ट में 25 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020 की अवधि के दौरान अनुमानित रोजगार में बदलाव को भी प्रस्तुत किया गया है, जिसके दौरान राष्ट्रीय लॉकडाउन चालू था। सभी अनुमानित प्रतिष्ठानों में से, 69.5% ने राष्ट्रीय लॉकडाउन की अवधि के दौरान रोजगार में कोई बदलाव नहीं होने की सूचना दी, जबकि 26.7% प्रतिष्ठानों ने 25 मार्च, 2020 की तुलना में 1 जुलाई, 2020 को रोजगार में कमी की सूचना दी।

17.31 वित्तीय क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र में रोजगार देशव्यापी लॉकडाउन के प्रभाव से काफी हद तक अप्रभावित रहा, जैसा कि वित्तीय सेवा क्षेत्र में 84.5% प्रतिष्ठानों और 78.4% शैक्षिक प्रतिष्ठानों ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान रोजगार में कोई बदलाव नहीं होने की सूचना दी।

17.32 दूसरी ओर, देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान घटी हुई रोजगार विनिर्माण क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र और आवास और रेस्तरां क्षेत्र के लिए अपेक्षाकृत अधिक थी। संबंधित क्षेत्रों में सभी अनुमानित प्रतिष्ठानों में से, विनिर्माण क्षेत्र में 38.1% प्रतिष्ठान, निर्माण क्षेत्र में 34.5% प्रतिष्ठान और आवास और रेस्तरां क्षेत्र में 34.3% प्रतिष्ठानों ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान रोजगार में कमी की सूचना दी। स्वास्थ्य क्षेत्र ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान रोजगार में वृद्धि की रिपोर्ट करने वाले अनुमानित प्रतिष्ठानों का उच्चतम प्रतिशत हिस्सा (7.0%) दर्ज किया।

ल कडाउन के दौरान पूर्ण वेतन, कम वेतन या बिना वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के प्रतिशत का अनुमानः

17.33 रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन अवधि (25 मार्च से 30 जून, 2020) के दौरान 81% कामगारों को पूरी मजदूरी मिली, 16% को कम मजदूरी मिली और केवल 3% को किसी भी मजदूरी से वंचित किया गया। स्वास्थ्य

और वित्तीय सेवा क्षेत्र में, हालांकि, 90% से अधिक कामगारों को पूरा वेतन मिला। हालांकि, निर्माण क्षेत्र में, 27% को घटी हुई मजदूरी स्वीकार करनी पड़ी और 7% के पास कुछ नहीं बचा।

भाग 2– क्षेत्रीय फ्रेम प्रतिष्ठान सर्वेक्षण (एएफईएस)

- **एएफईएस का उद्देश्य**

एएफईएस के दो उद्देश्य हैं–

  - अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से के लिए रोजगार अनुमान प्रदान करना, जिसमें 9 या उससे कम कामगारों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों को शामिल किया गया है।
  - क्रमिक तिमाहियों में रोजगार में सापेक्षिक परिवर्तन का आकलन करना।

- **एएफईएस में शामिल नौ क्षेत्रः**
  - विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रेस्तरां, आईटी/बीपीओ और वित्तीय सेवा गतिविधियाँ

- **एएफईएस का नमूना आकार आवंटन**
  - कुल 16000 एफएसयू (शहरी में 8000 और ग्रामीण में 8000) लगभग 2.5 लाख प्रतिष्ठानों को कवर करते हैं।

- **सर्वेक्षण का क्षेत्र कार्यः**
  - एएफईएस का क्षेत्र कार्य अक्टूबर, 2021 के पहले सप्ताह में शुरू किया गया है।

17.34 श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित किये जाने वाले उपर्युक्त सर्वेक्षणों से संबंधित अनुसूचियों, सैंपलिंग डिजाइन तथा अन्य तकनीकी विवरणों का परीक्षण एवं इनको अंतिम रूप देने के लिये मन्त्रालय के आदेश दिनांक 09 सितम्बर, 2020 के अनुसार प्रो० एस०पी० मुखर्जी की अध्यक्षता एवं प्रो० अमिताभ कूंडु की सह–अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। इस समूह की पहली बैठक 08 अक्तूबर, 2020 को हुई थी जबकि दूसरी बैठक श्रम शक्ति भवन में दिनांक 22 अक्तूबर, 2020 को हुई थी। इस विशेषज्ञ समूह को चार सर्वेक्षणों में से प्रत्येक सर्वेक्षण के तकनीकी पहलुओं पर ध्यान देने के लिये चार उप–समूहों में विभाजित कर दिया गया है तथा उप–समूह नियमित तौर पर बैठक कर रहे हैं।

(फ) **प्रकाशन**

17.35 ब्यूरो अपने द्वारा किये गये सांख्यिकीय अनुसंधान कार्य, अध्ययन तथा सर्वेक्षणों के आधार पर कई संख्या में प्रकाशन निकालता है। 2020 के दौरान जारी किये/अन्तिम रूप दिये जा चुके प्रकाशनों की सूची को **तालिका 17.6** में दर्शाया गया है।

बॉक्स 17.1	
सीपीआई-आईडब्ल्यू के अंतर्गत व्यापक समूहों के लिए भार: 2016=100	
समूह	**भार**
खाद्य और पेय पदार्थ	39.17
पान, सुपारी, तंबाकू और नशीले पदार्थ	2.07
कपड़े और जूते	6.08
आवास	16.87
ईंधन और प्रकाश	5.50
विविध	30.31
कुल	100.00

तालिका 17.1

आधार: 2001=100 और 2016=100 पर औद्योगिक कामगारों (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भिन्नता का तुलनात्मक विवरण।

आधार	वित्तीय वर्ष	सूचकांक	प्रतिशत विभिन्नता (वार्षिक)
I. 2001=100	2006-07	125	6.83
	2007-08	133	6.40
	2008-09	145	9.02
	2009-10	163	12.41
	2010-11	180	10.43
	2011-12	195	8.33
	2012-13	215	10.26
	2013-14	236	9.77
	2014-15	251	6.36
	2015-16	265	5.58
	2016-17	276	4.15
	2017-18	284	2.90
	2018-19	300	5.63
	2019-20	322	7.33
II. 2016=100	2020(अप्रैल, 20 – अगस्त, 20)	333	5.19
	2020-2021(सितंबर,20 – मार्च, 21)	119.0	

नोट: i) **सूचकांक मूल्य, संबंधित वित्त वर्ष औसतों की वार्षिक औसत है।**

ii) **सितंबर, 2020 से प्रभावी वर्ष 2020-21 के लिए प्रतिशत भिन्नता 2.88 के रूपांतरण कारक का उपयोग करके आधार 2016=100 के आंकड़ों से ली गई है। 2020-21 (सितंबर, 2020 से मार्च, 2021) के लिए परिवर्तित आंकड़ा 342.7 है।**

तालिका 17.2

सी.पी.आई-आई.डब्ल्यू (आधार: 2001=100 और 2016=100) में मासिक विभिन्नता

वित्तीय वर्ष	2014-2015		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
माह	सूच कांक	प्रतिशत विभिन्नता	सूच कांक	प्रतिशत विभिन्नता	सूच कांक	प्रतिशत विभिन्नता	सूच कांक	प्रतिशत विभिन्नता	सूच कांक	प्रतिशत विभिन्नता	सूच कांक	प्रतिशत विभिन्नता	सूच कांक	प्रतिशत विभिन्नता
अप्रैल	242	1.26	256	0.79	271	1.12	277	0.73	288	0.35	312	0.97	329	0.92
मई	244	0.83	258	0.78	275	1.48	278	0.36	289	0.35	314	0.64	330	0.30
जून	246	0.82	261	1.16	277	0.73	280	0.72	291	0.69	316	0.64	332	0.61
जुलाई	252	2.44	263	0.77	280	1.08	285	1.79	301	3.44	319	0.95	336	1.20
अगस्त	253	0.40	264	0.38	278	-0.71	285	0.00	301	0.00	320	0.31	338	0.60
सितंबर	253	0.00	266	0.76	277	-0.36	285	0.00	301	0.00	322	0.63	118.1	0.62
अक्टूबर	253	0.00	269	1.12	278	0.36	287	0.70	302	0.33	325	0.93	119.5	1.19
नवंबर	253	0.00	270	0.37	277	-0.36	288	0.35	302	0.00	328	0.92	119.9	0.33
दिसंबर	253	0.00	269	-0.37	275	-0.72	286	-0.69	301	-0.33	330	0.61	118.8	-0.92
जनवरी	254	0.40	269	0.00	274	-0.36	288	0.70	307	1.99	330	0.00	118.2	-0.51
फरवरी	253	-0.40	267	-0.74	274	0.00	287	-0.35	307	0.00	328	-0.61	119.0	0.68
मार्च	254	0.40	268	0.37	275	0.36	287	0.00	309	0.65	326	-0.61	119.6	0.50

नोट: (i) सितम्बर,2020 के लिए सूचकांक 2016=100 नये आधार पर आधारित है।

(ii) सितंबर, 2020 के लिए प्रतिशत भिन्नता को **2.88** के लिंकिंग फैक्टर का उपयोग करके 2016=100 के आंकड़े को परिवर्तित करके निकाला गया है।

तालिका 17.3

औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति की वार्षिक दर

(आधार: 2001=100 और 2016=100)

वर्ष/ माह	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	सूचकांक	मुद्रास्फीति की दर	सूचकांक	मुद्रास्फीति की दर	सूचकांक	मुद्रास्फीति की दर	सूचकांक	मुद्रास्फीति की दर	सूचकांक	मुद्रास्फीति की दर	सूचकांक	मुद्रास्फीति की दर	सूचकांक	मुद्रास्फीति की दर	सूचकांक	मुद्रास्फीति की दर
जनवरी	237	7.24	254	7.17	269	5.91	274	1.86	288	5.11	307	6.6	330	7.49	118.2	3.15
फरवरी	238	6.73	253	6.3	267	5.53	274	2.62	287	4.74	307	6.97	328	6.84	119.0	4.48
मार्च	239	6.7	254	6.28	268	5.51	275	2.61	287	4.36	309	7.67	326	5.5	119.6	5.64
अप्रैल	242	7.08	256	5.79	271	5.86	277	2.21	288	3.97	312	8.33	329	5.45	120.1	5.14
मई	244	7.02	258	5.74	275	6.59	278	1.09	289	3.96	314	8.65	330	5.10	120.6	5.24
जून	246	6.49	261	6.1	277	6.13	280	1.08	291	3.93	316	8.59	332	5.06	121.7	5.57
जुलाई	252	7.23	263	4.37	280	6.46	285	1.79	301	5.61	319	5.98	336	5.33	122.8	5.27
अगस्त	253	6.75	264	4.35	278	5.3	285	2.52	301	5.61	320	6.31	338	5.62	123.0	4.79
सितंबर	253	6.3	266	5.14	277	4.14	285	2.89	301	5.61	322	6.98	118.1	5.62	123.3	4.41
अक्टूबर	253	4.98	269	6.32	278	3.35	287	3.24	302	5.23	325	7.62	119.5	5.91	124.9	4.5
नवंबर	253	4.12	270	6.72	277	2.59	288	3.97	302	4.86	328	8.61	119.9	5.27	125.7	4.84
दिसंबर	253	5.86	269	6.32	275	2.23	286	4.00	301	5.24	330	9.63	118.8	3.67		

नोट: (i) मुद्रास्फीति की दर की गणना पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में प्रतिशत वृद्धि के रूप में की गई है।

(ii) सितंबर, 2020 से सूचकांक नए आधार 2016=100 पर है।

(iii) 2.88 के लिंकिंग फैक्टर का उपयोग करके 2016=100 के आंकड़े को परिवर्तित करके सितंबर, 2020 से मुद्रास्फीति प्राप्त की गई है।

बॉक्स 17.2: आधार: 1986-87=100 पर खेतिहर मजदूरों (सीपीआई-एएल) और ग्रामीण मजदूरों (सीपीआई-आरएल) के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भिन्नता का तुलनात्मक विवरण

वर्ष	सी.पी.आई-ए.एल	सी.पी.आई-आर.एल	वार्षिक प्रतिशत विभिन्नता	
			सी.पी.आई-ए.एल	सी.पी.आई-आर.एल
1995-1996	237	238		
1996-1997	256	256	8.02	7.56
1997-1998	264	266	3.13	3.91
1998-1999	293	294	10.98	10.53
1999-2000	306	307	4.44	4.42
2000-2001	305	307	-0.33	0.00
2001-2002	309	311	1.31	1.30
2002-2003	318	321	2.91	3.22
2003-2004	331	333	4.09	3.74
2004-2005	340	342	2.72	2.70
2005-2006	353	355	3.82	3.80
2006-2007	380	382	7.65	7.61
2007-2008	409	409	7.63	7.07
2008-2009	450	451	10.02	10.27
2009-2010	513	513	14.00	13.75
2010-2011	564	564	9.94	9.94
2011-2012	611	611	8.33	8.33
2012-2013	672	673	9.98	10.15
2013-2014	750	751	11.61	11.59
2014-2015	800	802	6.67	6.79
2015-2016	835	839	4.37	4.61
2016-2017	870	875	4.19	4.29
2017-2018	889	895	2.18	2.29
2018-2019	907	915	2.02	2.23
2019-2020	980	986	8.05	7.76
2020-2021	1034	1040	5.51	5.48

नोटः-. (i) वर्ष 1995-96 के लिए औसत पांच माह अर्थात् नवम्बर,1995 से मार्च,1996 पर आधारित है।

(ii) सूचकांक मूल्य संबंधित वित्त वर्ष की वार्षिक औसतें हैं ।

(iii) कृषि श्रमिक/ग्रामीण श्रमिक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की आधार 1986-87=100 पर श्रृंखला नवम्बर,1995 के सूचकांक से प्रकाशित की गई थी। कृषि श्रमिक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मामले में पुरानी (1960-61) तथा नई (1986-87) श्रृंखला के बीच सम्पर्क कारक 5.89 है जबकि ग्रामीण श्रमिक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की श्रृंखला पहली बार नवम्बर,1995 के सूचकांक से आरम्भ की गई थी।

स्रोतः श्रम ब्यूरो, शिमला

कोष्ठक: 17.4: सीपीआई (एएल) में मासिक भिन्नता (आधार 1986-87=100)

माह	2015-2016		2016-2017		2017-2018		2018-2019		2019-2020		2020-2021		2021-2022	
	सूच कांक	पिछले महीने की तुलना में प्रतिशत भिन्नता	सूचकां क	पिछले महीने की तुलना में प्रतिशत भिन्नता	सूच कांक	पिछले महीने की तुलना में प्रतिशत भिन्नता	सूच कांक	पिछले महीने की तुलना में प्रतिशत भिन्नता	सूच कांक	पिछले महीने की तुलना में प्रतिशत भिन्नता	सूच कांक	पिछले महीने की तुलना में प्रतिशत भिन्नता	सूच कांक	पिछले महीने की तुलना में प्रतिशत भिन्नता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
अप्रैल	805	0.25	848	0.59	870	0.46	888	0.11	932	0.87	1014	0.70	1041	0.58
मई	811	0.75	860	1.42	872	0.23	891	0.34	940	0.86	1019	0.49	1049	0.77
जून	820	1.11	869	1.05	877	0.57	894	0.34	950	1.06	1018	-0.10	1057	0.76
जुलाई	822	0.24	877	0.92	884	0.80	902	0.89	958	0.84	1021	0.29	1061	0.38
अगस्त	832	1.22	876	-0.11	894	1.13	907	0.55	965	0.73	1026	0.49	1066	0.47
सितंबर	839	0.84	873	-0.34	893	-0.11	910	0.33	976	1.14	1037	1.07	1067	0.09
अक्टूबर	849	1.19	876	0.34	901	0.90	913	0.33	987	1.13	1052	1.45	1081	1.30
नवंबर	853	0.47	878	0.23	905	0.44	914	0.11	1000	1.32	1060	0.76	1092	1.01
दिसंबर	853	0.00	876	-0.23	900	-0.55	913	-0.11	1014	1.40	1047	-1.23		
जनवरी	849	-0.47	870	-0.68	895	-0.56	915	0.22	1016	0.20	1038	-0.86		
फ़रवरी	843	-0.71	869	-0.11	889	-0.67	917	0.22	1010	-0.59	1037	-0.10		
मार्च	843	0.00	866	-0.35	887	-0.22	924	0.76	1007	-0.30	1035	-0.19		

***श्रोत:** श्रम ब्यूरो, शिमला*

कोष्ठक: 17.4: सीपीआई (आरएल) में मासिक बदलाव (आधार 1986-87=100)

माह	2015-2016		2016-2017		2017-2018		2018-2019		2019-2020		2020-2021		2021-2022	
	सूच कांक	पिछले महीने की तुलना में प्रतिशत भिन्नता	सूचकांक	पिछले महीने की तुलना में प्रतिशत भिन्नता	सूचकांक	पिछले महीने की तुलना में प्रतिशत भिन्नता	सूचकांक	पिछले महीने की तुलना में प्रतिशत भिन्नता	सूचकांक	पिछले महीने की तुलना में प्रतिशत भिन्नता	सूचकांक	पिछले महीने की तुलना में प्रतिशत भिन्नता	सूचकांक	पिछले महीने की तुलना में प्रतिशत भिन्नता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
अप्रैल	809	0.25	854	0.71	876	0.46	896	0.22	939	0.75	1019	0.59	1049	0.58
मई	816	0.87	866	1.41	878	0.23	899	0.33	948	0.96	1025	0.59	1057	0.76
जून	824	0.98	874	0.92	884	0.68	902	0.33	957	0.95	1024	-0.10	1065	0.76
जुलाई	827	0.36	881	0.80	890	0.68	910	0.89	965	0.84	1028	0.39	1070	0.47
अगस्त	836	1.09	881	0.00	900	1.12	915	0.55	972	0.73	1033	0.49	1074	0.37
सितंबर	843	0.84	877	-0.45	899	-0.11	917	0.22	983	1.13	1043	0.97	1076	0.19
अक्टूबर	853	1.19	881	0.46	907	0.89	920	0.33	993	1.02	1057	1.34	1090	1.28
नवंबर	857	0.47	883	0.23	910	0.33	921	0.11	1006	1.31	1065	0.76	1101	1.00
दिसंबर	857	0.00	881	-0.23	906	-0.44	921	0.00	1019	1.29	1053	-1.13		
जनवरी	854	-0.35	876	-0.57	901	-0.55	923	0.22	1021	0.20	1045	-0.76		
फ़रवरी	849	-0.59	874	-0.23	896	-0.55	925	0.22	1016	-0.49	1044	-0.10		
मार्च	848	-0.12	872	-0.23	894	-0.22	932	0.76	1013	-0.30	1043	-0.10		

श्रोत: *श्रम ब्यूरो, शिमला*

तालिका: 17.5: कृषि मजदूरों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (आधार: 1986-87=100)

माह	2015-2016		2016-2017		2017-2018		2018-2019		2019-2020		2020-2021		2021-2022	
	सूचकांक	की दर से मुद्रास्फीति की दर	सूचकांक	की दर से मुद्रास्फीति की दर	सूचकांक	की दर से मुद्रास्फीति की दर	सूचकांक	की दर से मुद्रास्फीति की दर	सूचकांक	की दर से मुद्रास्फीति की दर	सूचकांक	की दर से मुद्रास्फीति की दर	सूचकांक	की दर से मुद्रास्फीति की दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
अप्रैल	805	4.41	848	5.34	870	2.59	888	2.07	932	4.95	1014	8.80	1041	2.66
मई	811	4.38	860	6.04	872	1.40	891	2.18	940	5.50	1019	8.40	1049	2.94
जून	820	4.46	869	5.98	877	0.92	894	1.94	950	6.26	1018	7.16	1057	3.83
जुलाई	822	2.88	877	6.69	884	0.80	902	2.04	958	6.21	1021	6.58	1061	3.92
अगस्त	832	2.97	876	5.29	894	2.05	907	1.45	965	6.39	1026	6.32	1066	3.90
सितंबर	839	3.45	873	4.05	893	2.29	910	1.90	976	7.25	1037	6.25	1067	2.89
अक्टूबर	849	4.43	876	3.18	901	2.85	913	1.33	987	8.11	1052	6.59	1081	2.76
नवंबर	853	4.92	878	2.93	905	3.08	914	0.99	1000	9.41	1060	6.00	1092	3.02
दिसंबर	853	5.70	876	2.70	900	2.74	913	1.44	1014	11.06	1047	3.25		
जनवरी	849	5.60	870	2.47	895	2.87	915	2.23	1016	11.04	1038	2.17		
फ़रवरी	843	4.98	869	3.08	889	2.30	917	3.15	1010	10.14	1037	2.67		
मार्च	843	4.98	866	2.73	887	2.42	924	4.17	1007	8.98	1035	2.78		

@पिछले वर्ष के इसी महीने के आंकड़ों की तुलना में प्रतिशत वृद्धि .881
स्रोत: श्रम ब्यूरो, शिमला।

तालिका: 17.6

2021 के दौरान जारी किए गए / अंतिम रूप दिए गए प्रकाशनों की सूची

क्र.सं.	प्रकाशन
1	वर्ष 2016 के लिए मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936
2	वर्ष 2016 के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
3	वर्ष 2018 के लिए कारखाना अधिनियम, 1948
4	वर्ष 2018 के लिए ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926

अध्याय-18

श्रम अनुसंधान और प्रशिक्षण

श्रम अनुसंधान और प्रशिक्षण

18.1 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई), जुलाई 1974 में स्थापित, किया गया था, जो श्रम अनुसंधान और शिक्षा के एक शीर्ष संस्थान के रूप में विकसित हुआ है। संस्थान ने आरंभ से ही अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रकाशन के माध्यम से संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रम के विभिन्न पहलुओं से जुड़े विविध समूहों तक पहुँच बनाने का प्रयास किया है। ऐसे प्रयासों के केंद्र में शैक्षिक अंतर्दृष्टि और समझ को नीति निर्माण और कार्रवाई में शामिल करना रहा है ताकि समतावादी और लोकतांत्रिक समाज में श्रम को न्यायोचित स्थान मिल सके।

18.2 विज़न

संस्थान को वैश्विक रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त ऐसे संस्थान के रूप में विकसित करना जो उत्कृष्टता का केंद्र हो तथा कार्य की गुणवत्ता और कार्य संबंधों को बढ़ावा देने के प्रति कृत संकल्प हो।

18.3 मिशन

निम्नलिखित के माध्यम से श्रम तथा श्रम संबंधों को विकास की कार्यसूची में विशेष केंद्र के रूप में स्थापित करना है:–

i) कार्य की दुनिया में परिवर्तन के मुद्दे पर कार्य करना;

ii) श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना;

iii) वैश्विक स्तर के अनुसंधानक संबंधी अध्ययनों और प्रशिक्षण के उपाय करना और

iv) ऐसे विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण और साझेदारी बनाना जो श्रम से संबंधित हैं।

उद्देश्य और अधिदेश

18.4 संगम ज्ञापन (एमओए) में स्पष्ट रूप से उन विविध कार्यकलापों का उल्लेख किया गया है जो संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। यह संस्थान को निम्नलिखित हेतु अधिदेशित करता है:

(I) स्वयं अथवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों तरह के अभिकरणों के सहयोग से अनुसंधान करना, उसमें सहायता करना, उसे बढ़ावा देना और उसका समन्वय करना;

(ii) शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करना और उनके आयोजन में सहायता करना;

(iii) निम्नलिखित के लिए स्कंध स्थापित करना

  क. शिक्षा, प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण;

  ख. अनुसंधान, जिसमें क्रियानिष्ठ अनुसंधान भी शामिल है;

  ग. परामर्श; और

  घ. प्रकाशन और अन्य ऐसे कार्यकलाप, जो संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हों;

(iv) श्रम तथा संबद्ध कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन में आने वाली विशिष्ट समस्याओं का विश्लेषण करना और उपचारी उपाय सुझाना;

(v) लेख, पत्र–पत्रिकाएं और पुस्तकें तैयार करना, उनका मुद्रण और प्रकाशन करना;

(vi) पुस्तकालय एवं सूचना सेवाएं स्थापित एवं अनुरक्षित करना;

(vii) समान उद्देश्य वाली भारतीय और विदेशी संस्थाओं और अभिकरणों के साथ सहयोग करना; और

(viii) फैलोशिप, पुरस्कार और वृत्तिकाएँ प्रदान करना।

संरचना

18.5 संस्थान का शीर्ष शासी निकाय महापरिषद है, इसके अध्यक्ष केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं तथा यह संस्थान के कार्यकलापों के लिए विस्तृत नीति संबंधी मानक निर्धारित करती है। कार्यपरिषद, जिसके अध्यक्ष सचिव (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) होते हैं, संस्थान के कार्यकलापों को नियंत्रित, मॉनीटर एवं निर्देशित करती है। महापरिषद एवं कार्यपरिषद, दोनों त्रिपक्षीय निकाय हैं और इनके सदस्यों में केंद्र सरकार, ट्रेड यूनियन महासंघों, नियोक्ता संघों के प्रतिनिधियों के साथ ही श्रम के क्षेत्र में काम करने वाले प्रख्यात विद्वान एवं व्यावसायी शामिल होते हैं। संस्थान के महानिदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और इसके कार्यों के प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। संस्थान के दिन–प्रतिदिन के कामकाज में विविध विषयों में पारंगत संकाय सदस्य और प्रशासनिक स्टाफ महानिदेशक की सहायता करते हैं।

प्रमुख कार्यकलाप

अनुसंधान

18.6 श्रम एवं संबद्ध विषयों पर अनुसंधान का संस्थान के अधिदेशों में प्रमुख स्थान है। संस्थान श्रम अनुसंधान से संबंधित मुद्दों जैसे कि रोजगार के नए रूप, कार्य का भविष्य, संरचनात्मक परिवर्तन और इसके निहितार्थ, कौशल विकास, श्रम कानून, औद्योगिक संबंध, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, बाल श्रम, श्रमिक प्रवास, उत्कृष्ट श्रम और कृषि संबंध की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हुए नीति अनुसंधान एवं क्रियानिष्ठ अनुसंधान कर रहा है। संस्थान श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और सरकार के अन्य नीति निर्धारण निकायों को अनुसंधान एवं तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। संस्थान के अनुसंधान कार्यकलापों को विशेषीकृत अनुसंधान केंद्रों के तत्वावधान में किया जाता है। प्रत्येक अनुसंधान केंद्र में प्रासंगिक सलाह एवं दिशा प्रदान करने के लिए प्रख्यात विद्वानों एवं व्यावसायिकों युक्त एक अनुसंधान सलाहकार समूह है।

18.7 संस्थान के विभिन्न अनुसंधान केंद्रों द्वारा जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 के दौरान पूरे किए गए एवं जारी अनुसंधान परियोजनाओं/मामला अध्ययनों की सूची निम्न प्रकार है:

1. **राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र**

पूरी की गई अनुसंधान परियोजनाएं/मामला अध्ययन

- बंधुआ मजदूरों की पहचान, रिहाई और पुनर्वास के लिए एडवाइजरी विकसित करने हेतु कोविड–19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन और प्रतिलोम पलायन के मद्देनजर बंधन की चुनौतियों, असुरक्षाओं और कमजोरियों का पता लगाना

- मत्स्य पालन समुदायों और मत्स्य पालन आजीविका पर चक्रवात और अन्य आपदाओं का प्रभावः भारत में चुनिंदा राज्यों का मामला अध्ययन (फेज I) – डॉ. हेलन आर. सेकर, सीनियर फेलो

- प्लेटफार्म और गिग अर्थव्यवस्था को विनियमित करनाः घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय अनुक्रियाएंः एक मामला अध्ययन – डॉ. रम्य रंजन पटेल

जारी अनुसंधान परियोजनाएं

- श्रम के असुरक्षित रूपों की पहचान, बचाव, पुनर्वास और प्रवर्तन की स्थिति

2. **श्रम बाजार अध्ययन केंद्र**

पूरी की गई अनुसंधान परियोजनाएं/मामला अध्ययन

- गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों पर इश्यू पेपरः श्रम बाजारों में भूमिका (भारत की अध्यक्षता में 2021 में आयोजित ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक के लिए तैयार किया गया)

- श्रम बाजारों के औपचारीककरण पर इश्यू पेपर (भारत की अध्यक्षता में 2021 में आयोजित ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक के लिए तैयार किया गया)

- राज्यों द्वारा किए गए श्रम सुधारों का प्रभाव आकलन अध्ययन

- नई मजदूरी संहिता पर जागरूकताः मामला अध्ययन

  जारी अनुसंधान परियोजनाएं

- कोविड–19 संकट, 2021 के संदर्भ में रोजगार और आय का सहारा (श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क के तत्वावधान में की गयी अनुसंधान परियोजना)

- गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों पर अनुसंधान अध्ययन (वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान और नीति आयोग द्वारा संयुक्त अध्ययन)

3. षि संबंध, ग्रामीण और व्यवहार अध्ययन केंद्र

पूरी की गई अनुसंधान परियोजनाएं/मामला अध्ययन

- कृषि संकट को समझनाः उभरती चुनौतियों का अध्ययन

- कृषि संकट को समझनाः उत्पादन, रोजगार और उभरती चुनौतियों का अध्ययन

- कर्मचारी प्रतिकर अधिनियमः एक मामला अध्ययन – डॉ. शशि बाला, फेलो

- कृषि में जेंडर के उभरते रुझानः उत्तर प्रदेश का मामला अध्ययन

  जारी अनुसंधान परियोजनाएं

- श्रम संहिताओं के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं के सशक्तिकरण पर ई–ग्रामीण श्रम शिविर

- श्रम संहिताओं और महिला कार्यबल के नेतृत्व कौशल को सुदृढ़ बनाने पर ई–ग्रामीण श्रम शिविर

4. रोजगार संबंध और विनियमन केंद्र

पूरी की गई अनुसंधान परियोजना/मामला अध्ययन

- सिविल सोसायटी द्वारा लोगों का सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरणः मुर्शिदाबाद जिला पीपुल्स एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी का एक मामला अध्ययन – डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो

- रोजगार सुरक्षा और औद्योगिक संबंध संहिताः संगठित गैर–कृषिगत क्षेत्र का मामला – डॉ. मनोज जाटव

  जारी अनुसंधान परियोजना

- भारत में औद्योगिक संबंधों पर चुंनिंदा प्रथाओं का दस्तावेजीकरण

5. एकी त श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम

पूरी की गई परियोजनाएं

- प्रमुख संग्रहों का डिजिटलीकरण और संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करना। अपलोड किए गए संग्रहों में ये शामिल हैं:

  - गांधी और श्रम
  - स्व–नियोजित महिला संघ (सेवा)
  - आईएलओ इंडिया मासिक रिपोर्टें (1929–1969)
  - विभिन्न श्रम आयोग
  - भारतीय मजदूर संघ

6. श्रम और स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र

पूरी की गई अनुसंधान परियोजना/मामला अध्ययन

- ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को बढ़ावा देने पर इश्यू पेपर (भारत की अध्यक्षता में 2021 में आयोजित ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक के लिए तैयार किया गया)

- असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए पेंशन योजनाओं – व्यापारियों और स्व–नियोजित व्यक्तियों के लिए एपीवाई, पीएम–एसवाईएम और एनपीएस का तुलनात्मक अध्ययन – डॉ. रूमा घोष और डॉ. धन्या एम. बी.

  जारी अनुसंधान परियोजना

- सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा – आगे की राह पर अनुसंधान अध्ययन

7. लिंग और श्रम अध्ययन केंद्र

पूरी की गई अनुसंधान परियोजनाएं/मामला अध्ययन

- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 का कार्यान्वयन
- प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन), अधिनियम, 2017 का रोजगार पर प्रभावः अधिनियम के कार्यान्वयन में सकारात्मक पहलों एवं चुनौतियों की पहचान करना
- कृषि संकट को समझनाः एक लैंगिक परिप्रेक्ष्य
- श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी पर ब्रिक्स इश्यू पेपर (भारत की अध्यक्षता के तहत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय रोजगार कार्य समूह, ब्रिक्स 2021 के लिए तैयार किया गया)

जारी अनुसंधान परियोजनाएं

- महिलाओं के सवेतन और अप्रदत्त कार्यः समय उपयोग सर्वेक्षण और पद्धति संबंधी मुद्दों से अंतर्दृष्टि
- श्रम संहिताओं और लैंगिक समानता की दिशा में संवेदनशीलता को बढ़ाना पर ई–ग्रामीण श्रम शिविर
- भारत में श्रम संहिताओं और जेंडर रेस्पोंसिव बजटिंग का परिचय पर ई–ग्रामीण श्रम शिविर

8. पूर्वोत्तर भारत केंद्र

पूरी की गई अनुसंधान परियोजनाएं/मामला अध्ययन

- दिल्ली में पूर्वोत्तर भारत के प्रवासीः एक सामाजिक–आर्थिक अध्ययन
- मणिपुर में हथकरघा बुनकरों की सामाजिक सुरक्षा
- असम में चाय बागान कामगारों की आजीविका सुरक्षा एवं सामाजिक संरक्षण
- कौशल प्रशिक्षण केंद्रों को उद्योग से जोड़नाः कर्नाटक जर्मन बहु कौशल विकास केंद्रों से सबक – एक मामला अध्ययन – डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो

9. जलवायु परिवर्तन और श्रम केंद्र

पूरी की गई परियोजना/मामला अध्ययन

- श्रम बाजारों के औपचारिककरण पर इश्यू पेपर (भारत की अध्यक्षता में 2021 में आयोजित ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक के लिए तैयार किया गया)

नेटवर्किंग (अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय)

18.8 वीवीजीएनएलआई ऐसे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थानों के साथ व्यावसायिक सहयोग स्थापित करने के लिए अधिदेशित है जो श्रम तथा इससे संबंद्ध मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं। संस्थान पिछले कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ (आईआईएम–एल); राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद (एनआईआरडी एंड पीआर–एच); टाटा समाजविज्ञान संस्थान, गुवाहाटी (टीआईएसएस–जी); स्व. नारायण मेघा जी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान, मुंबई (एलएनएमएल एमआईएलएस–एम); महात्मा गाँधी श्रम संस्थान, अहमदाबाद (एमजीएलआई–ए); दशरथ माँझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना (डीएमआईएल एंड ईएस–पी) और राज्य श्रम संस्थानों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

18.9 अपने अंतर्राष्ट्रीय आउटरीच के एक भाग के रूप में, संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी), ट्यूरिन के साथ श्रम और रोजगार से संबंधित प्रशिक्षण और शिक्षा गतिविधियों के क्षेत्रों में व्यावसायिक सहयोग को अगले 5 वर्षों के लिए अर्थात 2018–2023 तक बढ़ाने के लिए 28 नवंबर 2018 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एमओयू सभी के लिए उत्कृष्ट श्रम को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण गतिविधियों में दोनों संस्थानों के बीच सहयोग का विस्तार करने की परिकल्पना करता है। दोनों संस्थान अन्य बातों के साथ

(i) सहयोगात्मक प्रशिक्षण एवं शिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, (ii) प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने, और (iii) फैकल्टी की अदला–बदली से संबंधित परस्पर सरोकार के क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। वर्ष 2021–22 के दौरान, आईटीसी–आईएलओ, ट्यूरिन और आईएलओ, जिनेवा के संकाय सदस्य संस्थान द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान सत्र लेने के लिए शामिल हुए। इसी तरह, वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्यों ने भी आईटीसी–आईएलओ के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभागिता की और सत्र लिए।

18.10 वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को भारत सरकार द्वारा अन्य चार ब्रिक्स देशों के श्रम संस्थानों के साथ नेटवर्क के लिए नोडल श्रम संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है। तदनुसार, वीवीजीएनएलआई, चीन की अध्यक्षता में वर्ष 2017 में आयोजित ब्रिक्स देशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक में गठित **श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क का भी** एक सहभागी है। वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम अनुसंधान संस्थानों के ब्रिक्स नेटवर्क में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इस नेटवर्क का एक प्रमुख उद्देश्य कार्य की दुनिया से संबंधित समकालीन सरोकारों पर अनुसंधान अध्ययन करना है। वर्ष 2021–22 के दौरान कोविड–19 संकट, 2021 के संदर्भ में रोजगार और आय का सहारा विषय पर एक अनुसंधान अध्ययन शुरु किया गया है।

प्रशिक्षण और शिक्षा (2020–21)

18.11 वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम समस्याओं की बेहतर समझ को बढ़ावा देने तथा उन पर काबू पाने के उपायों और साधनों का पता लगाने के प्रति संकल्पबद्ध है। इस संकल्प की प्राप्ति के लिए यह संस्थान अपनी विभिन्न गतिविधियों के द्वारा एकीकृत तरीके से श्रमिकों की समस्याओं के बारे में शिक्षा प्रदान करता है। जबकि अनुसंधान गतिविधियों के द्वारा अन्य विषयों के साथ–साथ विभिन्न वर्गों की बुनियादी आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है, अनुसंधान से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग नए प्रशिक्षण कार्यक्रम परिकल्पित करने तथा मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए किया जाता है। प्रशिक्षण मॉड्यूलों को पुनः अभिकल्पित करने के साथ–साथ प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को अद्यतन बनाने के लिए इन कार्यक्रमों के प्रतिभागियों से प्राप्त होने वाले फीडबैक का प्रयोग किया जाता है।

18.12 संस्थान के शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को श्रम संबंधों में संरचनात्मक परिवर्तन के सशक्त साधन माना जा सकता है। ये कार्यक्रम सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अधिक सकारात्मक वातावरण के निर्माण में मदद कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये कार्यक्रम बुनियादी स्तर पर ऐसे नेतृत्व का विकास करने का प्रयास करते हैं जो ग्रामीण श्रमिकों के हितों का ध्यान रखने वाले स्वतंत्र संगठनों का निर्माण कर सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मनोवृत्ति परिवर्तन, कौशल विकास तथा ज्ञान के संवर्धन पर समान रूप से बल दिया जाता है।

18.13 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में श्रव्य–दृश्य प्रस्तुतीकरण, व्याख्यानों, समूह चर्चाओं, वैयक्तिक अध्ययनों तथा व्यवहार विज्ञान तकनीकों के उचित मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए संस्थान की फैकल्टी के अतिरिक्त गेस्ट फैकल्टी को भी आमंत्रित किया जाता है।

18.14 संस्थान निम्नलिखित समूहों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करता है:

- केंद्र और राज्य सरकारों के श्रम प्रशासक तथा अधिकारी;
- सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों के प्रबंधक एवं अधिकारी;
- संगठित/असंगठित क्षेत्रों के ट्रेड यूनियन नेता तथा आयोजक; और
- अनुसंधानकर्ता, प्रशिक्षक, क्षेत्र कार्यकर्ता तथा श्रम मुद्दों से संबद्ध अन्य व्यक्ति।

18.15 इस वर्ष के दौरान अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021 तक संस्थान ने 02 ऑनलाईन अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों सहित 97 ऑनलाईन/ऑफलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का

आयोजन किया जिनमें विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों सहित 2926 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विवरण निम्न प्रकार हैं:

प्रशिक्षण कार्यक्रम
(01.04.2021 से 31.12.2021 तक)

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	कार्यक्रम के दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1-	श्रम प्रशासन कार्यक्रम	21	81	675
2-	औद्योगिक संबंध कार्यक्रम	11	47	170
3-	क्षमता निर्माण कार्यक्रम	33	150	882
4-	अनुसंधान विधि कार्यक्रम	03	15	92
5-	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	02	38	39
6-	बाल श्रम कार्यक्रम	05	15	410
7-	पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	09	42	198
8.	सहयोगात्मक कार्यक्रम	13	36	460
	कुल योग	**97**	**424**	**2926**

01.01.2022 से 31.03.2022 तक आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	कार्यक्रम के दिनों की संख्या
1-	**श्रम प्रशासन कार्यक्रम**	03	14
2-	**औद्योगिक संबंध कार्यक्रम**	05	25
3-	**क्षमता निर्माण कार्यक्रम**	06	24
4-	**अनुसंधान विधि कार्यक्रम**	02	10
5-	**बाल श्रम कार्यक्रम**	02	06
6-	**पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम**	02	10
7-	**सहयोगात्मक कार्यक्रम**	09	33
8.	**आंतरिक कार्यक्रम**	01	02
	कुल योग	**30**	**124**

18.16 कार्यशालाएँ / वेबिनार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त संस्थान ने विभिन्न विषयों पर वेबिनार/ कार्यशालाओं का भी आयोजन किया। विवरण निम्न प्रकार हैं:

क्रम सं.	बेबिनार	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	समन्वयक
1-	भारत में रोजगार चुनौतियां और कार्यनीतियां: कोविड-19 के बाद का परिदृश्य (केरल विश्वविद्यालय) 23-24 जून 2021	02	57	धन्या एम. बी.
2-	श्रम संहिताएं: एक पर्यावलोकन, जीआईएमएस, ग्रेटर नौएडा के सहयोग से, 31 अगस्त 2021	01	28	शशि बाला

3-	कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का समाधान करना: कानून एवं नीति, एसएलआई ओडिशा के सहयोग से, 03 सितम्बर 2021	01	108	एलीना सामंतराय
4-	वेलपुर मंडल, जिला निजामाबाद में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए सफल हस्तक्षेपों के 20 वर्ष मनाने और श्रम संहिताओं पर जागरूकता का सृजन करने पर कार्यशाला, 08 अक्टूबर 2021	01	150	हेलन आर. सेकर
5-	श्रमिक मुद्दे, श्रम संहिताएं और महिला श्रमिकों से संबंधित कानून, एसएलआई ओडिशा के सहयोग से, 20-21 अक्टूबर 2021	02	39	एलीना सामंतराय
6-	भारत में सीमांत ग्रामीण श्रम की चुनौतियां: समावेश की आवश्यकता, गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के सहयोग से, 20-22 अक्टूबर 2021	03	20	शशि बाला
7-	आदिवासी और ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास: चुनौतियां और अवसर पर राष्ट्रीय कार्यशाला, मिजोरम विश्वविद्यालय के सहयोग से, 24-26 नवम्बर 2021	03	18	शशि बाला
8.	आजादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ट्रेड यूनियन नेताओं की भूमिका पर कार्यशाला, 16 दिसम्बर 2021	01	79	हेलन आर. सेकर रम्य रंजन पटेल
9.	'ई-गवर्नेंस'पर कार्यशाला, एनआईएसजी के सहयोग से, 28 दिसम्बर 2021	01	50	धन्या एम. बी.
		15	**549**	

प्रकाशन

18.17 विभिन्न श्रम संबंधी सूचनाओं का सामान्य तौर पर और संस्थान की अनुसंधान संबंधी उपलब्धियों का खासतौर पर प्रचार–प्रसार करने के लिए वीवीजीएनएलआई का एक गतिशील प्रकाशन कार्यक्रम है। इस कार्य को पूरा करने की दृष्टि से संस्थान जर्नल, सामयिक प्रकाशन, पुस्तकें और रिपोर्टें प्रकाशित करता है।

लेबर एण्ड डेवलपमेंट

18.18 लेबर एण्ड डेवलपमेंट संस्थान की एक छमाही अकादमिक पत्रिका है। यह पत्रिका सैद्धांतिक विश्लेषण और अनुभवजन्य परीक्षणों के माध्यम से श्रम के विभिन्न पहलुओं की समझ को बढ़ाने के प्रति समर्पित है। इसमें श्रम एवं संबद्ध मुद्दों के क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक के साथ–साथ कानूनी पहलुओं पर उच्च अकादमिक स्तर के लेख प्रकाशित किए जाते हैं और इसमें खासकर विकासशील देशों के संदर्भ में अनुसंधान टिप्पणियों एवं पुस्तक समीक्षा को भी प्रकाशित किया जाता है। यह जर्नल श्रम संबंधी अध्ययन में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले प्रेक्टिशनरों और विद्वानों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

अवाड्र्स डाइजेस्ट: श्रम कानूनों की पत्रिका

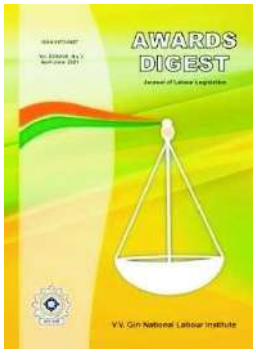

18.19 अवाड्र्स डाइजेस्ट एक तिमाही पत्रिका है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णीत कानूनी मामलों का सार दिया जाता है। इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय दिए जाते हैं। इसमें लेख, श्रम कानूनों के संशोधन और अन्य संबंधित सूचना शामिल होती है। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और वर्करों, श्रम

कानूनों के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रैक्टिस करने वाले वकीलों और श्रम कानूनों के छात्रों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

श्रम विधान

18.20 श्रम विधान एक तिमाही हिंदी पत्रिका है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णीत कानूनी मामलों का सार दिया जाता है। इस पत्रिका में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों तथा केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय रिपोर्ट किए जाते हैं। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं वर्करों, श्रम कानूनों के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रैक्टिस करने वाले वकीलों और श्रम कानूनों के छात्रों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

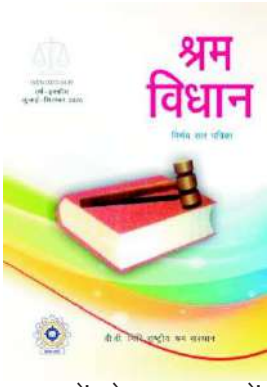

इंद्रधनुष

18.21 संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला यह एक द्विमासिक न्यूजलेटर है जिसमें संस्थान की अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं शिक्षा, कार्यशाला, सेमिनार आदि विविध गतिविधियों की जानकारी दी जाती है। इस न्यूजलेटर में संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न घटनाओं की जानकारी भी दी जाती है। इसमें संस्थान के दौरों पर आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के प्रोफाईल के साथ ही फैकल्टी और अधिकारियों की शैक्षिक गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला जाता है।

चाइल्ड होप

18.22 चाइल्ड होप संस्थान का तिमाही न्यूजलेटर है। यह समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच बनाकर, इस दिशा में अपने प्रयासों को गति प्रदान करते हुए बाल श्रम को समाप्त करने के लिए एक मुख्य मार्ग तैयार करने के लिए प्रकाशित किया जा रहा है।

श्रम संगम

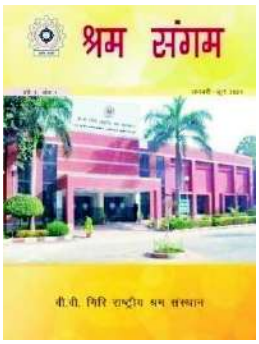

18.23 श्रम संगम संस्थान के कर्मचारियों को हिंदी के प्रगामी प्रयोग की ओर उन्मुख करने तथा हिंदी के प्रसार में उनकी रचनात्मकता का उपयोग करने के लिए प्रकाशित की जाने वाली छमाही राजभाषा पत्रिका है। कर्मचारियों द्वारा स्वरचित कविताओं, निबंधों एवं कहानियों के अलावा इसमें कला एवं संस्कृति, ज्ञान–विज्ञान, समसामयिक घटनाओं, खेलों और महान व्यक्तियों/लेखकों की जीवनी को शामिल किया जाता है।

एन.एल.आई. अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला

18.24 संस्थान अपने अनुसंधानिक निष्कर्षों को प्रसारित करने के लिए एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला शीर्षक वाली एक श्रृंखला का प्रकाशन भी कर रहा है। अभी तक संस्थान ने इस श्रृंखला में 146 अनुसंधान निष्कर्षों को प्रकाशित किया है।

143/2021 – डिकोडिंग एग्रेरियन क्राइसिसः इमर्जिंग चैलेंजिज़ – डॉ. शशिला

144/2021 – डिकोडिंग एग्रेरियन क्राइसिसः अ जेंडर पर्सपेक्टिव – डॉ. शशि बाला

145/2021 – फॉर्मलाइजेशन अनूप
ब्रिक्स एंड दि वर्ल्ड ऑफ वर्क: ऑफ लेबर मार्किट – डॉ. सतपथी

146/2021 – लेबर फोर्स –
पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन डॉ. एलीना सामंतराय

वीवीजीएनएलआई प लिसी पर्सपेक्टिव्ज

18.25 वीवीजीएनएलआई पॉलिसी पर्सपेक्टिव्ज सरकार के प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेपों तथा श्रम एवं रोजगार पर इनके प्रभावों पर फोकस करता है तथा साथ ही, यह तदुपरांत उन कार्यनीतियों/नीतिगत पहलों पर भी फोकस करता है जिन्हें भविष्य में श्रम एवं रोजगार के क्षेत्र में अंगीकृत किया जा सकता है।

- नई श्रम संहिताएं – भारत को उच्च विकास पथ के महत्वपूर्ण माध्यम – डॉ. एच. श्रीनिवास
- भारत में समावेशी विकास को बढ़ावा देना: श्रम सुधार और श्रम कल्याण योजनाओं का पर्यावलोकन – डॉ. एच. श्रीनिवास

वीवीजीएनएलआई मामला अध्ययन श्रृंखला, द्वितीय संस्करण

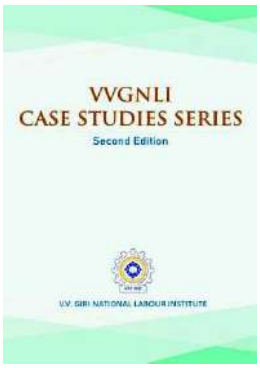

- मत्स्य पालन समुदायों और मत्स्य पालन आजीविका पर चक्रवात और अन्य आपदाओं का प्रभाव: भारत में चुनिंदा राज्यों का मामला अध्ययन – डॉ. हेलन आर. सेकर
- सिविल सोसायटी द्वारा लोगों का सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण: मुर्शिदाबाद जिला पीपुल्स एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी का एक मामला अध्ययन – डॉ. संजय उपाध्याय
- कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम: एक मामला अध्ययन – डॉ. शशि बाला
- कौशल प्रशिक्षण केंद्रों को उद्योग से जोड़ना:

  कर्नाटक जर्मन बहु कौशल विकास केंद्रों से सबक– डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
- आउटरीच और पक्ष समर्थन कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान का प्रसार, श्रम और विकास पर संवेदीकरण: उन तीन विशेष कार्यक्रमों, जिनमें वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने प्रतिभागिता की, के मामले – श्री पी. अमिताभ खुंटिआ
- नई मजूदरी संहिता पर जागरूकता: मामला अध्ययन – डॉ. धन्या एम. बी.
- प्लेटफार्म और गिग अर्थव्यवस्था को विनियमित करना: घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय अनुक्रियाएं: एक मामला अध्ययन – डॉ. रम्य रंजन पटेल
- रोजगार सुरक्षा और औद्योगिक संबंध संहिता: संगठित गैर–कृषिगत क्षेत्र का मामला – डॉ. मनोज जाटव

समसामयिक प्रकाशन

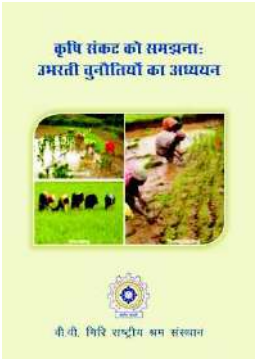

- कृषि संकट को समझना: उभरती चुनौतियों का अध्ययन
- कृषि संकट को समझना: एक लैंगिक परिप्रेक्ष्य

पक्ष समर्थन और प्रसार

18.26 वंचित लोगों और पिछड़े क्षेत्रों को लाभान्वित करने हेतु शुरु किए गए कल्याणकारी कार्यक्रमों के

विस्तार को बढ़ाने के लिए प्रासंगिक सूचना का पक्ष समर्थन और प्रसार करने को प्रमुख कार्यनीति समझा जाता है। ऐसे पक्ष समर्थन एवं प्रसार कार्यकलापों का हिस्सा बनने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालय एवं संगठन समय–समय पर वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान से अनुरोध करते हैं। इस अवधि के दौरान, नवीनतम अभिनव सरकारी योजनाओं और लोगों के कल्याण को बढ़ाने हेतु किए गए सरकारी हस्तक्षेपों पर जानकारी का प्रसार करने के लिए संस्थान ने 16–17 सितम्बर 2021 के दौरान रामनगर, उत्तराखंड में **'मेक इन उत्तराखंड 2021'**, 28 – 30 सितम्बर 2021 के

दौरान सोलन, हिमाचल प्रदेश में **'डेस्टिनेशन हिमाचल प्रदेश'2021, 22–24 दिसम्बर 2021** के दौरान गाजियाबाद,

उत्तर प्रदेश में **'राइज़ इन उत्तर प्रदेश'** और 24–26 दिसम्बर 2021 के दौरान गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में **'उज्ज्वल उत्तर प्रदेश'** जैसे बड़े कार्यक्रमों में भाग लिया।

इस तरह के कार्यकलापों में भाग लेते हुए संस्थान मुख्य रूप से अपने प्रशिक्षण एवं अन्य व्यावसायिक कार्यकलापों से संबंधित जानकारी का प्रसार करने पर ध्यान केंद्रित करता है तथा श्रम के विभिन्न पहलुओं जैसे कि रोजगार, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम, बाल श्रम, लिंग एवं कार्य, ग्रामीण एवं कृषि श्रमिक आदि पर तकनीकी जानकारी भी प्रदान करता है। संस्थान इस तरह के आयोजनों में अपने सभी प्रकाशनों को भी प्रदर्शित करता है।

एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र (एनआरडीआरसीएलआई)

18.27 एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र (एनआरडीआरसीएलआई) देश में श्रम अध्ययन के क्षेत्र में एक अत्यन्त विख्यात पुस्तकालय–सह–प्रलेखन केंद्र है। केंद्र का नाम संस्थान के संस्थापक डीन स्वर्गीय (श्री) नीतिश आर. डे की स्मृति में 01 जुलाई 1999 को संस्थान के रजत जयंती समारोह के अवसर पर बदलकर एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र रखा गया था। केंद्र पूरी तरह कंप्यूटरीकृत है और अपने उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करता है।

18.28 भौतिक उपलब्धियां

1. **पुस्तकें / पत्र–पत्रिकाएं / सेवाएं:** अप्रैल–दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान पुस्तकालय में 08 किताबें / रिपोर्ट्स / सजिल्द पत्र–पत्रिकाएं / सीडी / एवी / वीसी खरीदी गयीं जिसके कारण पुस्तकालय में इन पुस्तकों / रिपोर्टों / सजिल्द पत्र–पत्रिकाओं की संख्या **65560** तक पहुंच गई है। पुस्तकालय ने इस अवधि के दौरान **148** व्यावसायिक पत्र–पत्रिकाओं, मैंगजीनों और अखबारों का मुद्रित और इलेक्ट्रोनिक दोनों रूपों में, नियमित रूप से अंशदान किया। यह ज्ञान केंद्र उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है: सूचना का चयनित प्रसार (एसडीआई), सामयिक (करंट) जागरूकता सेवा, संदर्भ सेवा, ऑनलाइन खोज, पत्रिकाओं के लेखों की अनुक्रमणिका, समाचार पत्रों के लेखों की कतरनें, माइक्रो–फिच खोज और मुद्रण, रिप्रोग्राफिक सेवा, सीडी–रोम

खोज, श्रव्य–दृश्य सेवा, सामयिक (करंट) विषय–वस्तु सेवा, आर्टिकल अलर्ट सेवा, उधारी सेवा, तथा अंतर्पुस्तकालय ऋण सेवा।

2. उत्पाद

पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं के लिए निम्नलिखित उत्पाद मुद्रित रूप में उपलब्ध करता है;

- आवधिक साहित्य की मार्गदर्शिका – तिमाही अंतः संस्थान प्रकाशन, जो 120 से भी अधिक चुनिंदा पत्रिकाओं/मैगनीजों में छपे लेखों की संदर्भ सूचना प्रदान करता है।
- करेंट जागरूकता बुलेटिन – तिमाही अंतःसंस्थान प्रकाशन, जो एनआरडीआरसीएलआई में श्रम सूचना केंद्र में संग्रहीत संदर्भ सूचना प्रदान करता है।
- आर्टिकल अलर्ट – साप्ताहिक प्रकाशन, जिसमें चुनिंदा पत्रिकाओं/मैगनीजों में छपे महत्वपूर्ण लेखों की संदर्भ जानकारी प्रदान की जाती है।
- वर्तमान विषय–वस्तु सेवाः यह मासिक प्रकाशन है। यह अंशदान दिए गए जर्नलों के विषय–वस्तु वाले पृष्ठों का संकलन है।
- आर्टिकल अलर्ट सेवा – यह एक साप्ताहिक सेवा है, जिसे जनता की पहुंच के लिए संस्थान की वेबसाइट पर डाला जाता है।
- ई–न्यूजपेपर कतरन सेवाः श्रम और संबद्ध विषयों से संबंधित सभी प्रमुख समाचार पत्रों की स्कैन कॉपी की साप्ताहिक सेवा।

3. विशिष्टी त संसाधन केंद्रों का रखरखाव

निम्नलिखित दो विशिष्टीकृत संसाधन केंद्रों का सृजन किया गया है और संदर्भ सेवाओं के लिए उनका रखरखाव किया जाता हैः

- राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र
- राष्ट्रीय लैंगिक अध्ययन संसाधन केंद्र

डिजिटल अभिलेखागार

18.29 डिजिटल संग्रह में लगे अभिकरणों (राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय) के साथ नेटवर्किंग अभिलेखागार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह अभिलेखागार देश के श्रमिक प्रलेखों का एक सबसे बड़ा डिजिटल संग्रहालय है, जहां सार्वजनिक सुलभता के लिए विश्वव्यापी वेब (www.indialabourarchives.org) में डाटा के 15 से अधिक गिगाबाइट्स मौजूद हैं। अभिलेखागार के लिए संकलन, श्रमिक इतिहास के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों, जिसमें देश के अंदर और देश के बाहर के विशेषज्ञों और अभिकरणों के साथ बातचीत और नेटवर्किंग शामिल है, के संबंध में अनुसंधान और संकलन परियोजनाओं के संचालन और अनुवीक्षण के जरिए सृजित किए जाते हैं।

18.30 प्रमुख उपलब्धियाँ

- अप्रैल – दिसम्बर 2021 की अवधि के दौरान वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने विभिन्न सामाजिक भागीदारों के लिए 02 ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों सहित 97 ऑनलाइन/ ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 2926 प्रतिभागियों ने भाग लिया। संस्थान ने 09 कार्यशालाओं/वेबिनार का भी आयोजन किया जिनमें 549 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- इस अवधि के दौरान वीवीजीएनएलआई ने श्रम एवं रोजगार के विभिन्न पहलुओं पर 22 अनुसंधान परियोजनाएं/अध्ययन/मामला अध्ययन पूरे किए।
- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 08 मार्च 2021 को संस्थान में **'कामकाजी महिलाएँः कोविड–19 की चुनौतियों पर काबू पाना'** पर

एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य महामारी के दौरान महिला श्रमिकों द्वारा अनुभव की गई चुनौतियों और उन्हें दूर करने की रणनीतियों पर विचार–विमर्श करना था। परिचर्चा के पष्चात इस विषय पर काव्य पाठ किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने किया। कार्यशाला के संसाधन व्यक्तियों में प्रो. रीता सिंह, प्रोफेसर और पूर्व निदेशक, महिला अध्ययन और विकास केंद्र, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी; डॉ रचना बिमल, एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय, तथा सुश्री सोनल दहिया, पत्रकार और कवि शामिल थे। कार्यशाला में संस्थान के संकाय सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई और श्री बी. एस. रावत, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वीवीजीएनएलआई ने किया।

- वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने 17 मार्च 2021 को **'औद्योगिक संबंध संहिता 2020'** पर एक ऑनलाईन कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की प्रमुख विशेषताओं और संहिता एवं इसके निहितार्थों पर विभिन्न हितधारकों के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस कार्यशाला के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार थेः (1) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की बेहतर समझ को बढ़ाना, और (2) सामान्य रूप से विभिन्न हितधारकों और ट्रेड यूनियनों, नियोक्ताओं एवं सरकार के प्रतिनिधियों के बीच संहिता की विभिन्न विशेषताओं पर विस्तृत चर्चा को सुगम बनाना। कार्यशाला में ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संगठनों, केंद्रीय और राज्य श्रम विभागों, उद्योग और शैक्षणिक समुदाय के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 53 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो और डॉ मनोज जाटव, एसोसिएट फेलो ने संयुक्त रूप से किया।

संस्थान ने 23 मार्च 2021 को **'नेतृत्व की कला'** पर एक ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया।

इस कार्यशाला का उद्देश्य संकट के दौरान गतिशील परिस्थितियों के संदर्भ में स्वयं और दूसरों का अन्वेषण करना था। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को उनकी नेतृत्व शैली का मानचित्रण और विश्लेषण करने, प्रभावी नेतृत्व और प्रदर्शन के लिए कार्यनीति तैयार करने में मदद करना था। इस कार्यशाला में सरकारी अधिकारियों, मानव संसाधन पेशेवरों, ट्रेड यूनियन नेताओं, शिक्षाविदों और परास्नातक के छात्रों

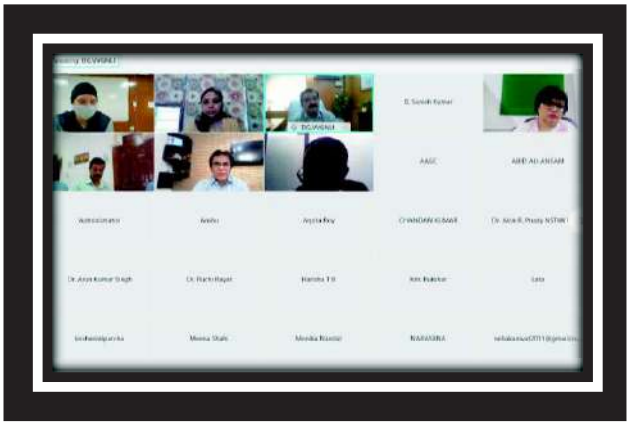

का प्रतिनिधित्व करने वाले 39 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। कार्यशाला का समन्वय डॉ. शशि बाला, फेलो ने किया।

- वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने 26 मार्च 2021 को **'कोविड–19 और भारत के श्रम बाजार पर इसका प्रभाव'** पर निम्निलिखित उद्देश्यों के साथ एक ऑनलाइन राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन

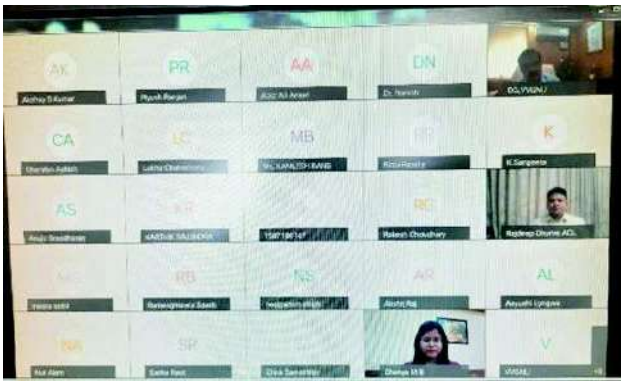

कियाः (i) रोजगार के स्तर पर कोविड–19 लॉकडाउन के प्रभाव का आकलन करना, ii) कोविड के बाद की स्थिति में श्रम बाजार की गतिशीलता का पता लगाना और यह समझना कि इन हालिया परिवर्तनों ने युवाओं और महिला रोजगार को कितना प्रभावित किया है, iii) केविड के बाद की स्थिति के गतिशील परिवर्तनों को समझने के लिए डेटा के मौजूदा स्रोत कितने प्रभावी हैं, और (iv) विभिन्न हितधारकों द्वारा किए गए उपाय प्रवासी श्रमिकों, स्वरोजगार वाले व्यक्तियों और गिग श्रमिकों आदि सहित सबसे कमजोर कार्यबल की असुरक्षा को कम करने में किस हद तक प्रभावी रहे हैं। कार्यशाला में मध्य और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों, नियोक्ताओं और सिविल सोसायटी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और श्रम बाजार अध्ययन में विशेषज्ञता वाले शोधकर्ताओं सहित 39 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. धन्या एम.बी., एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई द्वारा किया गया।

- गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के विभिन्न पहलुओं पर विचार–विमर्श करने के लिए 30 मार्च 2021 को **'रोजगार के नए रूपों में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना'** विषय पर एक वर्चुअल

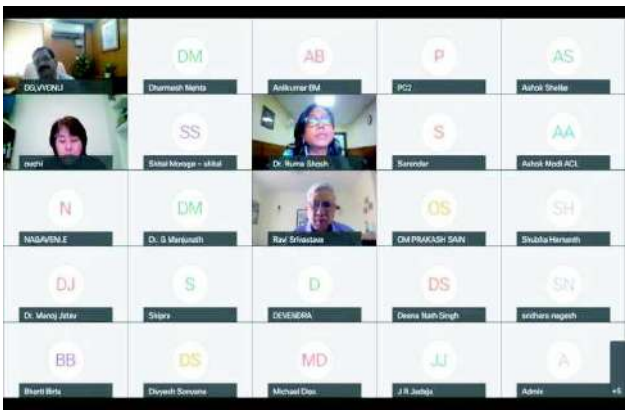

परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में नीति निर्माताओं, कामगारों, नियोक्ताओं, सिविल सोसायटी संगठनों और शिक्षाविदों का प्रतिनिधित्व करने वाले 37 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. रूमा घोष फेलो ने किया।

- **'विविधता समावेश और समानता कानूनों के माध्यम से श्रम संहिताएं'** पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 30 मार्च 2021 को किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य कार्य की दुनिया में विविधता, समावेश और समानता, कार्यस्थल भेदभाव और उत्पीडन तथा नई श्रम संहिताओं के अनुरूप संगठनों द्वारा नीति निर्माण में उचित समायोजन के पहलुओं पर चर्चा करना था। इस कार्यशाला में सरकारी अधिकारियों, ट्रेड यूनियन नेताओं, शिक्षाविदों और जेंडर विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करने वाले 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. शशि बाला, फेलो ने किया।

- वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने 31 मार्च 2021 को **'प्रौद्योगिकी और कार्य का भविष्य'** पर एक ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर विचार – विमर्श किया गयाः समकालीन तकनीकी परिवर्तन की प्रकृति और प्रसार अर्थात वह किस हद तक ऐतिहासिक रूप से 'अभूतपूर्व'है और यह दुनिया भर में समान रूप से या असमान रूप से कितना फैला है (स्वचालन का प्रश्न और नौकरियों पर इसके प्रभाव एवं नौकरियों के लिए इसके निहितार्थ, नई तकनीक और उनके परिणामों से जुड़ी बढ़ती आय एवं मजदूरी असमानता के मुद्दे, तकनीकी परिवर्तनों और रोजगार, श्रमिकों के अधिकारों एवं सामाजिक सुरक्षा पर उनके प्रभाव से प्रभावित कार्य संबंधों के प्रमुख मॉडल में परिवर्तन, और कार्य के भविष्य के उभरते प्रक्षेपवक्र पर अनुक्रिया करने के लिए नीतिगत विकल्प। डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला के पैनलिस्ट में ये शामिल थेः प्रो. प्रभु महापात्रा, दिल्ली विश्वविद्यालय (सुश्री ऐश्वर्या रमन, ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट (प्रो. बालाजी पार्थसारथी, आईआईआईटी, बेंगलुरु और प्रो. विनोज अब्राहम, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, तिरुवनंतपुरम। कार्यशाला में सभी

संबंधित हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 88 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. एस. के. शशिकुमार, सीनियर फेलो ने किया।

- वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा और केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम द्वारा संयुक्त रूप से **'भारत में रोजगार चुनौतियां और कार्यनीतियाँः** कोविड–19 के बाद का परिदृश्य' पर एक ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन 23–24 जून 2021 के दौरान किया गया। कार्यशाला के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार थेः i) राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर रोजगार में उभरती प्रवृत्तियों के कोविड–19 के बाद के परिदृश्य का अवलोकन प्रदान करना, ii) भारत में कोविड के बाद श्रम बाजार की गतिशीलता के बारे में जानकारी प्राप्त करना, iii) रोजगार, विशेषकर महिला रोजगार के पैटर्न और जटिल फिनोमिना को समझना, iv) रोजगार सृजन में श्रम बाजार सर्वेक्षण और कार्यनीतियां शुरू करने के लिए क्षमता निर्माण। डॉ. एच. श्रीनिवास आईआरपीएस, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने अध्यक्षीय भाषण दिया और इसके बाद उद्घाटन भाषण श्री वी. पी. महादेवन पिल्लई, कुलपति, केरल विश्वविद्यालय ने दिया। श्रम बाजार और कोविड–19 परिदृश्य के विभिन्न विषयों

पर सत्र डॉ. एस. के. शशिकुमार, सीनियर फेलो, वीवीजीएनएलआई (डॉ. हेलन सेकर, सीनियर फेलो (डॉ. मंजू एस. नायर, प्रोफेसर और डीन, केरल विश्वविद्यालय (डॉ अनुजा श्रीधरन, एसोसिएट प्रोफेसर, रमैया कॉलेज ऑफ लॉ (डॉ धन्या एम.बी., एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई (डॉ. दीपा सिन्हा, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा लिए गए। कार्यशाला में श्रम बाजार अध्ययन में विशेषज्ञता वाले संकायों और शोधकर्ताओं सहित 57 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. धन्या एम. बी., एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई और डॉ. अनीता वी., प्रोफेसर और प्रमुख, केरल विश्वविद्यालय ने किया।

- **'श्रम संहिताएंः एक पर्यावलोकन'** पर एक कार्यशाला का आयोजन 31 अगस्त 2021 को इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ग्रेटर नौएडा के पीजीडीएम छात्रों के लिए किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने किया और स्वागत भाषण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ग्रेटर नौएडा के डॉ. अरुण कुमार सिंह द्वारा दिया गया। कार्यशाला का उद्देश्य श्रम संहिता के बारे में जागरूकता फैलाना था। इस कार्यशाला में 28 छात्रों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. शशि बाला, फेलो ने किया।

- वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा ने राज्य श्रम संस्थान (एसएलआई), ओडिशा के सहयोग से 03 सितंबर 2021 को **'कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न को समाधान करनाः कानून और नीति'**

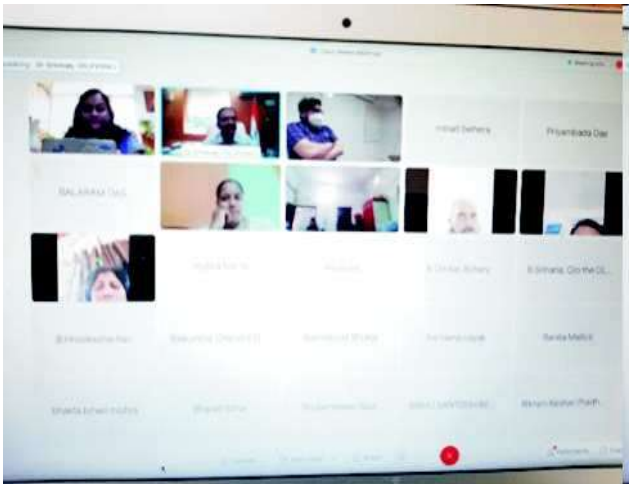

पर एक–दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाल के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार थेः (i) कार्यस्थल पर उत्पीड़न से संबंधित वैचारिक मुद्दों को समझना और पीओएसएच अधिनियम 2013 के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा करना (ii) कार्यस्थल पर उत्पीड़न और अच्छी प्रथाओं पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों (सी 190) को समझना (iii) कानून के कार्यान्वयन में विभिन्न हितधारकों और सामाजिक भागीदारों की भूमिका को समझना (iv) जांच प्रक्रियाओं आंतरिक शिकायत समितियों की भूमिका, स्थानीय शिकायत समिति आदि पर चर्चा करना (v) हर स्तर पर कानूनी प्रावधानों को लागू करने और संबंधित प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण करना और आगे की राह पर चर्चा करना। कार्यशाला में ओडिशा राज्य के सरकारी अधिकारियों, श्रमिकों, नियोक्ताओं, सिविल सोसायटी और शिक्षाविदों का प्रतिनिधित्व करने वाले 108 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो ने किया।

- वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा **आजादी का अमृत महोत्सव** के एक भाग के रूप में वेलपुर मंडल, जिला निजामाबाद में **'बाल श्रम के उन्मूलन के लिए सफल उपायों को 20 वर्ष मनाने'** और श्रम संहिताओं पर जागरूकता का सृजन करने के पर कार्यशाला का आयोजन 08 अक्टूबर 2021 को प्रगति हॉल, कलेक्टर कार्यालय, निजामाबाद में किया गया। डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने बाल श्रम के मुद्दे का समाधान करने और संबंधित कानून के प्रभावी प्रवर्तन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कार्यशाला का संदर्भ निर्धारित किया। श्री अशोक कुमार, अपर सचिव और मिशन निदेशक, राष्ट्रीय जल मिशन, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय (एमओडब्ल्युआर, आरडी एंड जीआर) ने जिला निजामाबाद, तेलंगाना के जिला कलेक्टर के अपने कार्यकाल के दौरान वेलपुर मंडल में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए उनके और उनकी टीम के द्वारा शुरु की गई विभिन्न पहलों और कैसे यह जिला बाल श्रम मुक्त जिला बना, के बारे में विस्तार से बात की। श्री अरविंद धर्मापुरी, माननीय सांसद (लोकसभा), निजामाबाद निर्वाचन क्षेत्र ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और जिला को बाल श्रम मुक्त बनाने में तत्कालीन कलेक्टर द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। श्री बाजीरेड्डी गोवर्धन, पूर्व विधायक और अध्यक्ष, टीएसआरटीसी ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया। श्री के. श्रीनिवास, निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (सुश्री रानी कुमुदिनी, विशेष मुख्य सचिव, श्रम विभाग, तेलंगाना सरकार (श्री नारायण रेड्डी, जिला कलेक्टर, निजामाबाद (श्री सुधाकर राव, तत्कालीन सीएमओ (डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई (डॉ. महावीर जैन, सीनियर फेलो (सेवानिवृत्त), वीवीजीएनएलआई और डॉ. हेलेन आर. सेकर, सीनियर फेलो, वीवीजीएनएलआई ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया।

- कार्यशाला से पहले, तेलंगाना भवन, नई दिल्ली में एक शुरुआती कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान सुश्री एम. सत्यवती, सदस्य यूपीएससी और पूर्व सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (श्री आनंद बोस, वन मैन कमीशन,

सीएसीएलबी, एमओएलई, और पूर्व विशेष मुख्य सचिव, केरल सरकार (श्री के. एम. साहनी, पूर्व सचिव, एमओएलई (और श्री जी. अशोक कुमार, अपर

सचिव, एमओडब्ल्युआर, आरडी एंड जीआर और मिशन निदेशक (डॉ. गौरव उप्पल, रेजिडेंट कमिश्नर, तेलंगाना (डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई और डॉ. हेलन आर. सेकर, सीनियर फेलो, वीवीजीएनएलआई ने भाषण दिया।

- संस्थान द्वारा राज्य श्रम संस्थान (एसएलआई), ओडिशा के सहयोग से 20–21 अक्टूबर 2021 के दौरान **'श्रमिक मुद्दे, श्रम संहिताएं और महिला श्रमिकों से संबंधित कानून'** पर दो– दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार थेः (i) लिंग और श्रम बाजार का पर्यावलोकन प्रदान करना (ii) मजदूरी, कार्यदशाओं, रोजगार सुरक्षा आदि के संबंध में मौजूदा असमानताओं और कोविड–19 महामारी के कारण महिलाओं के लिए उभरती चुनौतियों का विश्लेषण करना (iii) कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा कानूनी दस्तावेजों और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के बारे में प्रतिभागियों को संवेदनशील बनाना (iv) भारत में श्रम कानून के समग्र ढांचे और श्रम कानून सुधार के संदर्भ पर चर्चा करना, और (vi) भारत में नई श्रम संहिताओं की प्रमुख विशेषताओं और महिला श्रमिकों के लिए प्रावधानों पर चर्चा करना। कार्यशाला में ओडिशा राज्य के सरकारी अधिकारियों, श्रमिकों, नियोक्ताओं, सिविल सोसायटी और शिक्षाविदों का प्रतिनिधित्व करने वाले 46 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वेबिनार के समन्वयडॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा ने किया।

- संस्थान ने गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के सहयोग से 20–22 अक्टूबर 2021 के दौरान **'भारत में सीमांत ग्रामीण श्रम की चुनौतियांः** समावेश की आवश्यकता' पर एक सहयोगात्मक ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार थेः भारत में ग्रामीण श्रम के सामाजिक समावेश पर चर्चा करना (भारत में श्रम

बाजार में लैंगिक मुद्दों को समझना (ग्रामीण श्रम की गतिशीलता और उनके मुद्दों का विश्लेषण करना (भारत में श्रम अनुसंधान के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान विधियों को जानना; ग्रामीण श्रम पर प्रवासन के प्रभाव का पता लगाना (ग्रामीण भारतीय संदर्भ में संगठित और असंगठित क्षेत्र पर विस्तार से चर्चा करना (श्रम बाजार में सामाजिक सुरक्षा की समझ विकसित करना (श्रम की वित्तीय समावेशन नीतियों का आकलन करना। कार्यशाला में 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. शशि बाला, फेलो वीवीजीएनएलआई (डॉ. ए. मणि और डॉ. अंजुली चंद्रा, सहायक प्रोफेसर – सह –सहायक निदेशक, जीआरआई ने किया।

- वीवीजीएनएलआई और समाज कार्य विभाग, मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल द्वारा 24–26 नवंबर 2021 के दौरान **'आदिवासी और ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकासः चुनौतियां और अवसर'** पर एक सहयोगात्मक ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस

कार्यशाला के विशिष्ट उद्देश्यों में निम्नलिखित पर चर्चा करना था: आदिवासी और ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास चुनौतियाँ और अवसर, आदिवासी और ग्रामीण युवाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने वाला कौशल विकास; आदिवासी और ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास से संबंधित समावेशन नीतियां; कौशल विकास के माध्यम से आदिवासी और ग्रामीण युवाओं की बेहतरी और समावेश की दिशा में सरकार, सिविल सोसायटी और निजी क्षेत्र की भूमिका। इस कार्यशाला में 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. शशि बाला, फेलो वीवीजीएनएलआई और डॉ. सी. देवेंद्रन प्रोफेसर, मिजोरम विश्वविद्यालय ने किया।

- **आजादी का अमृत महोत्सव** के एक भाग के रूप में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान **'ट्रेड यूनियन नेताओं की भूमिका'** पर एक कार्यशाला का आयोजन 16 दिसंबर 2021 को किया गया। इस कार्यशाला में अकादमिक और सिविल सोसायटी के सदस्यों के अलावा त्रिपक्षीय घटकों – ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संगठनों और सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ट्रेड यूनियनों की भूमिका पर चर्चा करना और इससे ऐसे सबक लेना था जो समकालीन संदर्भ में प्रासंगिक हो सकते हैं। कार्यशाला का समन्वय डॉ. हेलेन आर. सेकर, सीनियर फेलो और डॉ. आर. आर. पटेल, एसोसिएट फेलो द्वारा किया गया।

- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस (एनआईएसजी) के सहयोग से 28 दिसंबर 2021 को **'ई–गवर्नेंस'** पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की शुरुआत डॉ एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए और संदर्भ स्थापित करने के साथ की। कार्यशाला को श्री सुनील बड़थ्वाल, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने संबोधित किया। उन्होंने ई–श्रम पोर्टल सहित ई–गवर्नेंस सेवाओं के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला और उन्होंने पे–रोल डेटा के महत्व और डेटा एनालिटिक्स के मुद्दों और चुनौतियों का भी उल्लेख किया। श्री जे. रामकृष्ण राव, महानिदेशक और सीईओ, एनआईएसजी ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया। इस कार्यशाला में सत्र प्रोफेसर एस. शिवेंदु, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, लॉस एंजेल्स के प्रोफेसर द्वारा लिया गया। इस कार्यशाला की योजना निदेशक और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों और साथ ही श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के विभागों और संगठनों के प्रमुखों के लिए बनाई गई थी। इस कार्यक्रम में ईपीएफओ, ईएसआईसी, सीएलसी, डीजीएलडब्ल्यु, डीजीएफएएसएलआई, डीजीएमएस, डीटीएनईडब्ल्युईडी, एनआईसीएस, वीवीजीएनएलआई सहित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के 37 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का समन्वय डॉ. धन्या एम. बी., एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया।

- वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया:

(I) वर्ष 2019–20 के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यकलापों में उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा द्वारा 29.01.2021 को

आयोजित 41वीं बैठक (ऑनलाइन) में **प्रथम पुरस्कार (चल वैजयंती एवं प्रथम शील्ड)**।

(ii) वर्ष 2019–20 के दौरान राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के **राजभाषा कीर्ति पुरस्कार** की बोर्ड/स्वायत्त निकाय/ट्रस्ट/सोसायटी श्रेणी के **तहत 'क' क्षेत्र में द्वितीय पुरस्कार**। ये पुरस्कार 14 सितंबर 2021 को हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर वितरित किए गए क्योंकि देश में जारी कोविड–19 महामारी की स्थिति के कारण वर्ष 2020 में राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी दिवस समारोह का आयोजन नहीं किया जा सका था।

डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो और श्री बीरेंद्र सिंह रावत, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी वीवीजीएनएलआई श्री अरविन्द कुमार, सदस्य सचिव, नराकास से पुरस्कार ग्रहण करते हुए

अध्याय-19

सूचना प्रौद्यौगिकी/मीडिया संबंधी पहलें/ई.गवर्नेंस

19.1 राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) पूरे देश में ई–गवर्नेंस प्रणालियों को जोड़ने और सरकारी सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदायगी के लिए एक राष्ट्र व्यापी नेटवर्क का निर्माण करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई एक पहल है। राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) की परिकल्पना "आम आदमी को उसके इलाके में ही सामान्य सेवा प्रदायगी केंद्रों के माध्यम से सभी सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना और आम आदमी की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, इन सेवाओं की किफायती मूल्यों पर दक्षता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने" के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर ई–गवर्नेंस संबंधी पहलों पर बल देने के उद्देश्य से की गई थी। इसके संबंध में, "सूचना प्रौद्योगिकी स्कीम" का कार्यान्वयन मंत्रालय में किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य मंत्रालय में मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना को मजबूत बनाना और उन्नयन करना है। इसका अभिप्राय सरकार के कार्यों को उच्चतर मानक पर लाना और कागज रहित (पेपरलेस) कार्यालय बनाने की दिशा में कार्य करना है। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान आईटी अवसंरचना के लिए 2.71 करोड़ रूपये की राशि निर्धारित की गई थी।

19.2 राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा इसके अधीन विभिन्न संगठनों द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप संचालित किए गए हैं:

क. मंत्रालय में किए गए कार्यकलाप:

i. मंत्रालय में कई आईटी पहल की गईं हैं उदाहरण के लिए मंत्रालय के आंतरिक डैशबोर्ड का विकास, आधिकारिक वेबसाइट पर मंत्रालय के डैशबोर्ड का उन्नयन, मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल के साथ इन्वेस्ट इंडिया पोर्टल का एकीकरण। उप–मुख्य श्रमायुक्त दिल्ली कार्यालय के लिए पोर्टल विकसित किया गया था जो अब तक कार्यरत है, उसमें अभियोजन पक्ष पोर्टल के माध्यम से कारण सूची, निविदाओं, अगली सुनवाई की तारीख आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ii. मंत्रालय के समाधान कार्यों को (निगरानी और निपटान अनुप्रयोग, संभावित/मौजूदा औद्योगिक विवाद से निपटने के लिए सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग) पोर्टल डाल दिया गया था।

iii. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के रूप में ई–आफिस का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सरकारी लेनदेन में ई–ऑफिस के उपयोग से पारदर्शिता लाने, जिम्मेदारी तय करने और अधिनिर्णयन में तेजी लाने में सहायता मिलती है। रियल टाइम ट्रेकिंग, लोकेशन एगनॉस्टिक डिस्पोजल, यूनिवर्सल सर्च–एबीलिटी, फाइलों को पुनः प्राप्त करना जैसे ई–ऑफिस से कुछ अन्य लाभ हैं ।

iv. संशोधित बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम के उपबंधों का प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बेहतर निगरानी एवं रिपोर्टिंग प्रणाली के लिए पेंसिल (बाल श्रम निषेध के कारगर प्रवर्तन हेतु प्लेटफार्म) पोर्टल आरंभ किया गया है। पेंसिल पोर्टल के पांच घटक हैं, नामतः (i) कम्प्लेन्ट कॉर्नर, (ii) जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ), (iii) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम, (iv) राज्य सरकार और (v) केंद्र सरकार। वर्तमान में 36 राज्यों के 620 जिला नोडल अधिकारियों को शिकायतों के ऑनलाइन निपटान के लिए नामित किया गया है। विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में नामांकित बच्चों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक मॉड्यूल भी शुरू किया गया था और इसके माध्यम से पात्र बच्चों को स्वचालित वजीफा प्रसंस्करण सक्रिय किया गया था।

v. मंत्रालय द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2017 को जारी अधिसूचना से श्रम विधानों के अनुपालन में सहजता के लिए केंद्रीय श्रम विधानों/नियम के अंतर्गत अनुरक्षण हेतु यथाउपबंधित 56 रजिस्टरों के स्थान पर इनकी संख्या को घटाकर मात्र 5 किया गया है। प्रतिष्ठानों दवारा अनुपालन को और सुविधाजनक बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जो प्रतिष्ठानों दवारा इन रजिस्टरों के अनुरक्षण के लिए उपयोग में लायी जाती है और इसे अपलोड करने के लिए मंत्रालय की बेवसाइट https://labour.gov.in /eRegister से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। 25.01.2022 की स्थिति के अनुसार, इस वेबसाइट के शुरू होने के बाद से पूरे भारत में प्रतिष्ठानों द्वारा इस वेबसाइट से 69549 डाउनलोड किए गए हैं।

vi. रोजगार महानिदेशालय (डीजीई) ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल www.ncs.gov.in के माध्यम से नियोक्ताओं, प्रशिक्षकों और बेरोजगारों को एक मंच पर लाने की पहल की है। दिनांक 14.01.2022 तक, 1.35 करोड़ सक्रिय नौकरी चाहने वाले, 1.76 सक्रिय नियोक्ता पंजीकृत हैं और इसमें 92 लाख रिक्तियां हैं। एनसीएस ने नौकरी चाहने वालों के पंजीकरण को बढ़ाने के लिए डाक विभाग, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएसी) और विभिन्न अन्य मंत्रालयों/विभागों (एमएसडीई, एमएचआरडी, एआईसीटीई आदि) के साथ साझेदारी की है। युवाओं के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और समृद्ध करने के लिए, अग्रेणी रोजगार पोर्टलों, प्लेसमेंट संगठन और ख्याति प्राप्त संस्थाओं के साथ रणनीतिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत सरकार ने हाल ही में सरकारी रिक्तियों को एनसीएस पोर्टल पर डालना अनिवार्य कर दिया है। एनसीएस पोर्टल, ऑनलाइन नौकरी मेलों के आयोजन करने में एक महत्वपूर्ण घटक है। डीजीई ने शुरूआत के बाद से 14.01.2022 तक 6688 नौकरी मेले और इस वित्त वर्ष में दिनांक 14.01.2022 तक 1000 से भी अधिक नौकरी मेले आयोजित किए हैं।

vii. श्रम सुविधा पोर्टल (एसएसपी) व्यापार में सुगमता लाने और श्रम कानून के अनुपालन में जटिलताओं को कम करने कि दिशा में मंत्रालय द्वारा की गई एक प्रमुख आईटी पहल है।

viii. सीएलसी संगठन की पहलें निम्नानुसार हैं:

क. सीएलसी (सी) संगठन आईटी आधारित प्रणाली का उपयोग निरीक्षण के लिए, लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने और श्रमसुविधा पोर्टल के माध्यम से विभिन्न श्रम कानूनों के तहत एकीकृत वार्षिक रिटर्न प्राप्त करने के लिए कर रहा है।

ख. एलआईएमबीएस पोर्टल का उपयोग सीएलसी (के.) संगठन के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, श्रम न्यायालयों और निचली अदालतों के मामलों का ब्यौरा दर्ज करने के लिए किया जा रहा है।

ग. श्रमिकों/प्रवासी श्रमिकों की शिकायतों को हल करने के लिए कोविड –19 के मद्देनजर घोषित लॉकडाउन के दौरान सीएलसी (सी) की देखरेख में क्षेत्रीय मुख्यालय में बीस निगरानी केंद्र (पहले नियंत्रण कक्ष के नाम से जाना जाता था) स्थापित किए गए थे। शिकायतों के समाधान में आईटी सिस्टम/प्रविधियों का उपयोग किया गया।

घ. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) संगठन के माध्यम से असंगठित श्रमिकों का ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकरण माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने 31 अगस्त 2021 को "100 दिवसीय योजना" की समीक्षा के दौरान असंगठित क्षेत्र के पंजीयन में तेजी लाने के निर्देश दिये। सीएलसी (सी) संगठन के फील्ड अधिकारियों ने दूरस्थ क्षेत्रों में शिविरों के अलावा अलग–अलग विकलांग व्यक्तियों, ट्रांसजेंडर आदि सहित असंगठित श्रमिकों के लिए पंजीकरण अभियान/जागरूकता शिविर आयोजित किए। इन प्रयासों से 3,21,95,333 असंगठित श्रमिकों को पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया गया।

ix. आंकड़ों का सृजन और संकलन श्रम ब्यूरो का मुख्य कार्य है। तदनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उपकरणों के साथ ब्यूरो की मौजूदा गतिविधियों को एकीकृत करने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। इस तरह के एकीकरण प्राप्त करने के संबंध में ब्यूरो पहल कर रहा है:

क. सीपीआई (आईडब्ल्यू) के लिए नये आधार के अंतर्गत मूल्यों के ऑनलाइन संग्रहण के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है जिसमें हैंड–हेल्ड उपकरणों जैसे टैप्स का उपयोग किया जाता है। इससे आंकड़ों के संग्रहण की गुणवाता में सुधार लाने में सहायता मिलेगी साथ ही सूचकांक संख्याओं को जारी करने में होने वाली देरी भी कम होगी।

ख. पहले कदम के रूप में, ब्यूरो निम्नलिखित सर्वेक्षण के लिए डेटा के संग्रह और प्रसंस्करण के लिए आईटी आधारित ऑनलाइन सर्वेक्षण समाधान का उपयोग करने जा रहा है:

i. प्रवासी कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण

ii. घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण

iii. अखिल भारतीय तिमाही स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण

ग. ब्यूरो उन सभी गतिविधियों का पूर्ण डिजिटलीकरण और स्वचालन शुरू करने का प्रस्ताव कर रहा है, जो संग्रहण से लेकर प्रसार–प्रचार तक आँकड़ों के सृजन की पूरी श्रृंखला को शामिल करेगा। आईटी हस्तक्षेप न केवल आंकड़ा संग्रहण की दक्षता बढ़ाएगा, बल्कि आंकड़ा प्रसार–प्रचार में लगने वाले समय को भी कम करेगी।

घ. इसके अलावा, ब्यूरो बड़े क्षेत्रों की तरह नए क्षेत्रों का भी लाभ उठाने का इरादा रखता है। जैसे बेहतर डेटा वितरण के लिए आंकड़ा विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता।

ङ. प्रस्तावित डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन परियोजना के व्यापक उद्देश्य हैं:

- उन्नत उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के साथ ब्यूरो की मौजूदा मुख्य गतिविधियों को एकीकृत करना और उन्हें कागज रहित बनाना। आर्काइव डेटा रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण।

- सर्वेक्षणों को पेपरलेस बनाने के लिए ब्यूरो द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के लिए आईटी आधारित सर्वेक्षण समाधान।

- डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का विकास, जो अंत प्रयोक्ताओं के लिए एक गतिशील डैशबोर्ड बनाने सहित ब्यूरो की वेबसाइट के साथ बनाए गए डेटाबेस के सहज डेटा हस्तांतरण, भंडारण, पहुंच और एकीकरण की आवश्यकता को पूरा करता है।

च. श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़, शिमला और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में ई–कार्यालय लागू किया गया है।

छ. ब्यूरो अपनी वेबसाइट को और अधिक उपयोगकर्ताओं के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया में है।

x. डीजीएमएस ने वर्ष 2021–22 के दौरान कई आईटी पहलें की जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क) विभिन्न हितधारकों के लिए बेहतर यूजर इंटरफेस और पारदर्शिता प्रदान करने के लिए डीजीएमएस की वेबसाइट को रिडिजाइन और अनुकूलित किया गया है।

ख) डीजीटल इंडिया पहल की तर्ज पर "अनुमोदन प्रणाली", "अनुमति/छूट/रियायत प्रणाली" नामक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल तैयार किए गए हैं और उन्हें उपयोगकर्ता उद्योग के लिए उपयोग हेतु सक्रिय किया गया है। दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार अनुमति/छूट/रियायत के लिए कुल 12440 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त

किए गए हैं और उनमें से 11857 आवेदनों पर उपयुक्त कार्रवाई की गई है तथा अनुमोदन के लिए कुल 837 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं और 801 को तदनुसार निपटाया गया है।

ग) एनएसए (खान) के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने, आंकड़ों के मूल्यांकन और सत्यापन तथा पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सूची तैयार करने के लिए "राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) प्रणाली" सॉफ्टवेयर मॉड्यूल को सक्रिय बनाया गया है। इससे प्रणाली में पारदर्शिता और जिम्मेवारी आई है। प्रतियोगिता वर्ष 2015 और 2016 के लिए क्रमशः कुल 290, 378 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) समारोह 16 दिसंबर 2019 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। प्रतियोगिता वर्ष 2017, 2018, 2019 और 2020 के लिए संबंधित वर्षों के लिए कुल 315, 223, 470 और 425 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। पुरस्कार सूची को मंजूरी दे दी गई है और निकट भविष्य में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा।

घ) "दुर्घटना और सांख्यिकी प्रणाली" सॉफ्टवेयर मॉड्यूल विकसित किया गया है और 01.08.2020 को प्रभावी किया गया है। इस प्रणाली ने सुरक्षा मानकों में सुधार करने के लिए खदान उपयोगकर्ता द्वारा दुर्घटना की सूचना भेजना, डीजीएमएस के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा दुर्घटना जांच रिपोर्ट दाखिल करना, दुर्घटना की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई करना, कार्रवाई को अंतिम रूप देना और प्रासंगिक सूचना और खनन उद्योग को अलर्ट का प्रसार–प्रचार ऑनलाइन समर्थ किया है। इसके अतिरिक्त, प्रणाली खान उपयोगकर्ताओं द्वारा सांख्यिकीय विवरण ऑनलाइन दाखिल करने के लिए मंच प्रदान करती है। 31.12.2021 तक कुल 149 घातक दुर्घटनाएं, 255 गंभीर दुर्घटनाएं और 56 खतरनाक घटनाएं वेब पोर्टल पर दर्ज की गई हैं।

ङ) निरीक्षण, पूछताछ, अनुवर्ती कार्रवाई, दैनिक आधार पर की गई प्रचार पहलों का विवरण तैयार करने के लिए अधिकारियों द्वारा दैनिक गतिविधियों की ऑनलाइन लॉगिंग के लिए मॉड्यूल विकसित किया गया है। इससे अधिकारियों द्वारा मासिक सारांश कार्य की ऑनलाइन पीढ़ी और रिपोर्टिंग और डीजीएमएस वेबसाइट पर डैशबोर्ड को वास्तविक समय में अपडेट करने की सुविधा होगी।

च) निरीक्षण के ऑनलाइन संचालन के लिए कोयले की खानों के लिए "जोखिम–आधारित निरीक्षण प्रणाली" के लिए कार्य प्रणालियां तैयार की गई है और इन्हें श्रम सुविधा पोर्टल में सम्मिलित किया गया है।

छ) कोयला खान विनियमन, 2017 और धातुयुक्त खान विनियम, 1961 के तहत सभी वैधानिक परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित परीक्षण (सीबीटी) मोड पर आयोजित की जा रही हैं। कोल माइन्स रेगुलेशन, 2017 और मेटलीफेरस माइन्स रेगुलेशन, 1961 के तहत मैनेजर्स, ओवरमैन, फोरमैन, सर्वेयर, सरदार, मेट, ब्लास्टर्स और गैस टेस्टिंग कॉम्पिटेंसी एग्जामिनेशन के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) पूरे भारत में 19 से 29 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया गया था। उपरोक्त परीक्षाओं में कुल 15,082 उम्मीदवार शामिल हुए।

xi. पहले संस्करण के सफल कार्यान्वयन के बाद वेबसाइट और एमआईएस एप्लीकेशन में आवश्यक परिवर्तन करने की परियोजना प्रक्रियाधीन है। डेटा के जिलेवार अद्यतनीकरण के लिए आवश्यक परिवर्तनों के साथ एमआईएस का डीबीटी भारत पोर्टल के साथ एकीकरण अंतिम चरण में है। मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, पीएफएमएस के साथ एमआईएस के एकीकरण की परियोजना शुरू की गई है और एनआईसी के माध्यम से विकास के अधीन है। यह एमआईएस पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन डीटीएनबीडब्ल्यूईडी के 50 क्षेत्रीय निदेशालयों द्वारा

आयोजित संगठित, असंगठित और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों / गतिविधियों के वास्तविक समय के आंकड़ों को दर्ज करने और बनाए रखने के लिए विकसित किया गया है। यह एमआईएस एप्लिकेशन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के संबंध में डेटा के ऑनलाइन अद्यतन के लिए डीबीटी भारत पोर्टल के साथ एकीकृत है, और यूट्यूब चैनल वर्ष 2021–22 के दौरान बोर्ड द्वारा बनाया गया है।

ख. ईपीएफओ में आईटी पहल

क.भ.नि.सं. ने विभिन्न पहल की हैं, जिनमें से व्यापक प्रभाव वाली प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

i. **ई–नामांकन की सुविधा:**

भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के रूप में, ईपीएफओ ने सदस्यों को ई–नामांकन दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अभियान शुरू किया। दिनांक 25.01.2021 तक 48 लाख ई–नामांकन पूरे हो चुके थे।

ii. **यूएएन की स्वः जनित सुविधा:**

नियोक्ता द्वारा जिन्हे यूएएन आवंटित नहीं किया गया है हर कर्मचारी को एकीकृत पोर्टल पर स्व–जनित यूएएन प्रदान किया गया है। इस सुविधा की यूएएनजी ऐप के माध्यम से प्रतिकृति बनाई गई है।

iii. **अपने यूएएन को जानने की सुविधा:**

कई बार सदस्य अपने यूएएन फॉर्म नियोक्ता को एकत्रित करने में विफल रहे और ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठाने की उन्हें जानकारी नहीं मिली। ऐसे सदस्य भी थे जिन्होंने दिनांक 01.01. 2010 से पहले छोड़ दिया था और उनका यूएएन उत्पन्न नहीं हुआ था। ऐसे सदस्यों की सुविधा के लिए, उनके यूएएन को जानने और मौजूदा सदस्य के लिए यूएएन उत्पन्न करने की सुविधा भी प्रदान की गई है।

iv. **अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक पोर्टल (आईडब्लयूयू) में ई–साइन सुविधा:**

ईपीएफओ को पेपर–मुक्त बनाने की प्रक्रिया में आईएस प्रभाग निरंतर प्रयासरत है। अंतर्राष्ट्रीय कामगारों से संबंधित सेवाओं के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, नियोक्ता पोर्टल और ईपीएफओ पोर्टल पर ई–साइन सुविधा को एकीकृत किया गया है। सुविधा सीओसी (कवरेज का प्रमाण पत्र), सीओसी– एक्सटेंशन और सीओसी–बीपी रद्द करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने में मदद करती है।

v. **प्रधान नियोक्ता, संविदा कर्मचारी:**

ईपीएफओ ने अपने ठेकेदारों के ईपीएफ अनुपालन को देखने के लिए प्रधान नियोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुविधा शुरू की है। वे प्रधान नियोक्ता (पीई) जो ईपीएफओ के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे अपने ठेकेदारों और अनुबंध कर्मचारियों के विवरण जोड़ने के लिए लॉगिन / पासवर्ड प्राप्त करने के लिए एकीकृत पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं।

vi. **एसबीआई के माध्यम से बैंक खाते का स्वतः सत्यापन:**

उन सभी सदस्यों के लिए जिनका भारतीय स्टेट बैंक में खाता है, खाता संख्या बैंक द्वारा ही सत्यापित की जाती है और सत्यापन के बाद खाता विवरण नियोक्ता के हस्तक्षेप के बिना सदस्य केवाईसी को दिया जाता है। यह कार्यक्षमता, केवाईसी की प्रक्रिया से मैन्युअल चरण को हटाकर उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार करती है।

vii. **क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ), जोनल कार्यालयों (जेडओ) और प्रधान कार्यालय द्वारा शिकायतों के पंजीकरण, प्रसंस्करण और निगरानी और वैकल्पिक निरीक्षण के लिए वेब सुविधा:**

सीएआईयू लॉगिन में पंजीकरण, प्रसंस्करण, शिकायतों की निगरानी और निरीक्षण के लिए एक कार्यात्मकता को तैनात किया गया है। इस कार्यात्मकता के साथ प्रत्येक आरओ निरीक्षण के लिए अनुरोध अपलोड कर सकता है जिसे जांच के बाद जेडओ द्वारा अनुमोदित या अस्वीकार किया जा सकता है। अनुमोदित निरीक्षण के लिए क्षेत्रीय

कार्यालय प्रवर्तन अधिकारी को नियुक्त कर सकता है और निरीक्षण के बाद रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है। प्रत्येक निरीक्षण में प्रगति की निगरानी क्षेत्रीय कार्यालयों और सीएआईयू, प्रधान कार्यालय द्वारा की जा सकती है। यह कार्यक्षमता निरीक्षण प्रक्रिया की पारदर्शिता में सुधार करने में मदद करेगी।

viii. **नियोक्ता लगिन में डीएससी/ई–साइन प्राधिकरण पत्र अपलोड करने की सुविधा**

इससे पहले पेंशनभोगी के पास योजना के पैरा 12 क के अनुसार तीन तरीकों से पेंशन की गणना का विकल्प था। ये विकल्प 26 सितंबर 2008 से पहले उपलब्ध थे। फील्ड ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक नई कार्यक्षमता जोड़ी गई है ताकि पेंशनभोगियों को लाभ जारी किया जा सके जिन्होंने आरओसी–III (एकमुश्त एकमुश्त) का विकल्प चुना था और अब वे लाभ के लिए पात्र हैं।

ix. **एप्लीकेशन सफ्टवेयर में आरओसी–III जारी करने की कार्यक्षमता**

ईपीएफओ को पेपरलेस बनाने के प्रयास में यूनिफाइड पोर्टल में डीएससी/ई–साइन ऑथराइजेशन लेटर को डिजिटल रूप से अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे संगठन को पारदर्शिता में सुधार लाने और डीएससी/ई–साइन अनुमोदन आवेदनों की बेहतर निगरानी में मदद मिलेगी।

x. **नियोक्ताओं के लिए बंदी की घोषणा करने की सुविधाः–**

गैर–अंशदायगी नियोक्ताओं के लिए पोर्टल के माध्यम से बंद करने की घोषणा करने की सुविधा शीघ्र निपटान और आवश्यक कार्रवाई करने में मदद करती है जिसे फील्ड कार्यालय द्वारा किए जाने की आवश्यकता होती है। यह नियोक्ताओं के डेटा बेस को अपडेट रखने में भी मदद करेगा। पहले नियोक्ताओं को बंद करने की घोषणा के लिए मैन्युअल रूप से आगे बढ़ना पड़ता था।

ग . ईएसआईसी में आईटी पहल

ईएसआईसी ने अपने आईटी मामलों के प्रबंधन में रणनीतिक भूमिकाएं और जिम्मेदारियां संभालने में कुछ प्रगति की है। सेवा प्रदाता मैसर्स. सीएमएस कंप्यूटर्स लिमिटेड को डेटा सेंटर (डीसी) और डेटा रिकवरी सेंटर (डीआरसी) के बुनियादी ढांचे के रखरखाव और व्यापार निरंतरता के साथ–साथ सभी केंद्रीय अनुप्रयोगों (ईआरपी बीमा और धनवंतरी, आदि सहित) का काम सौंपा गया है। कंप्यूटर इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रबंधन, नेटवर्क और बैंडविड्थ का प्रावधान और केंद्रीय गतिविधियों जिसमें लाइसेंस का नवीनीकरण, रखरखाव / तकनीकी अनुबंध, डीसी / डीआर में सभी मूर्त और अमूर्त केंद्रीय संपत्तियों की सदस्यता शामिल है जिसे, ईएसआईसी द्वारा अपने आंतरिक गैर– तकनीकी संसाधन के माध्यम से किया जाता है। ईएसआईसी ने वर्ष 2021–22 में निम्नलिखित पहलों को लागू किया हैः

i. मंत्रालय ने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की आसानी से पहुंच के लिए बीमित व्यक्तियों के ईएसआईसी बीमा संख्या को ईपीएफओ के सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) से जोड़ने का निर्णय लिया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 75 लाख श्रमिकों का लक्ष्य रखा गया है और 27.01.2022 तक 66 लाख श्रमिक खातों को जोड़ा गया है।

ii. लाभार्थियों के लिए आईपी पोर्टल में क्षेत्रीय भाषा (गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़) के चयन का प्रावधान किया गया है।

iii. नियोक्ता पोर्टल में क्षेत्रीय भाषा (गुजराती, पंजाबी, मलयालम और तमिल) के चयन का प्रावधान किया गया है।

iv. अप्रैल माह 2021 के मासिक अंशदान दाखिल करने की तिथि का विस्तार को पंचदीप मॉड्यूल में समर्थ कर दिया गया है।

v. उमंग मोबाइल ऐपः भारत सरकार के न्यू–एज गवर्नेंस (उमंग) के लिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभार्थियों को

कई पंचदीप मूल्य वर्धित जानकारी और कार्यक्षमता प्रदान की जाती है, जिसमें अतिरिक्त सुविधाओं के साथ (जून 2021) सफलतापूर्वक बढ़ाया गया है, जैसा कि परिकल्पना की गई है। किसी भी ईएसआई केंद्र या टाई–अप अस्पताल (पीएमजेएवाई या यूटीआई–आईटीएसएल) को वहां उपलब्ध दूरी और/या सेवाओं के आधार पर खोजा जा सकता है। आवश्यक अंतर्विभागीय समन्वित प्रयासों की जटिलताओं को देखते हुए यह डेटा गहन वृद्धि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

vi. धनवंतरी मोबाइल ऐपः धन्वंतरी मोबाइल ऐप धनवंतरी वेब ऐप का एक विस्तार है और यह एमआईएमपी योजना के ईएसआईसी और ईएसआईएस डॉक्टरों, एमआईएमपी, केमिस्ट / डायग्नोस्टिक केंद्रों के लिए है। डॉक्टरों को दवाओं, निदान और परीक्षणों की पूर्व–निर्धारित शर्तों को निर्धारित करने में मदद करने के लिए इसे (जून 2021) सफलतापूर्वक बढ़ाया गया है। एमआईएमपी हाथ से पकड़े जाने वाले उपकरणों के माध्यम से नैदानिक डेटा प्राप्त कर सकते हैं। ऐप में अब अपेक्षित परिणाम के अनुसार सुविधा है। रोग का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण वर्ज़न–10 (आईसीडी 10) और चिकित्सा और नैदानिक शब्दावली (एसएनओएमएएमडी–सीटी) का प्रणालीगत नामकरण, जैसा कि धनवंतरी वेब मॉड्यूल में उपलब्ध है, को भी निदान / रोग की मानकीकृत शर्तों को पकड़ने के लिए चिकित्सकों द्वारा विस्तारित टाइपिंग की आवश्यकता के बिना इस मोबाइल ऐप से जोड़ा गया है।

vii. आसानी से आईपी द्वारा डिस्पेंसरी बदलनाः बीमित व्यक्तियों के लिए अनुमेय सीमा और शर्तों के अधीन, अपनी पसंद के डिस्पेंसरी / आईएमपी क्लिनिक को बदलने के लिए, ऑनलाइन अनुरोध करने के लिए नई सुविधा का प्रावधान किया गया है। यह लाभार्थी को आसानी से सेवाओं तक पहुंचने और कार्यालयों/नियोक्ता की अनावश्यक यात्रा को रोकने के लिए सशक्त करेगा।

viii. आईपी को बहुभाषी एसएमएसः लाभार्थियों को अपनी पसंद की भाषा चुनने की सुविधा दी जा रही है जिसमें उन्हें मूल्य वर्धित एसएमएस भेजे जा सकते हैं। उसके पास राष्ट्रीय भाषा के अलावा, चुनने के लिए 12 अलग–अलग भाषाओं में से कोई एक चुनने का विकल्प होगा। डिफ़ॉल्ट रूप से, यह उत्तर भारत के लिए हिंदी और दक्षिण भारत के लिए अंग्रेजी में होगा। मॉड्यूल तैयार किया गया है। हालांकि, 10 क्षेत्रीय भाषाओं में एसएमएस का अनुवाद पूरा हो चुका है और बाकी का काम प्रगति पर है और जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा।

ix. www.esic.in पर कोविड–19 डैशबोर्डः राष्ट्र के नागरिक के लाभ के लिए कोविड–19 महामारी के इन कठिन समय के दौरान मदद करने के लिए एक नई मूल्य वर्धित सुविधा लागू की गई है। एक सूचना डैशबोर्ड विकसित किया गया है जो खाली बिस्तरों, ऑक्सीजन और आईसीयू सुविधाओं की उपलब्धता की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। आरटी–पीसीआर परीक्षण क्षमता, उपलब्धता और टीकाकरण कार्यक्रम संबंधी जानकारी। भले ही यह एक बहुत छोटा कदम है, लेकिन इस तरह की जानकारी की आवश्यकता वाले रोगियों के बीच वाहवाही बटोरी है।

x. डेटा माइग्रेशन प्रक्रिया के माध्यम से ईएसआईसी कोविड–19 पेंशन योजना से संबंधित लाभ को ऑनलाइन कर दिया गया है।

xi. आधार (प्रमाणीकरण और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 के विनियम 16(2) के अनुसार, ईएसआईसी को यूआईडीएआई द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का उप–एयूए बनने की अनुमति दी गई है, ताकि आधार का ऑनलाइन प्रमाणीकरण करने के साथ–साथ संपूर्ण ईकेवाईसी को संग्रहीत किया जा सके। ईएसआईसी द्वारा खरीदे जाने वाले आधार डेटा वॉल्ट में। यूआईडीएआई ने असंगठित कार्यकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति के पंजीकरण के लिए अनुमोदन प्रदान किया है, जैसा कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में अनिवार्य है।

xii. यूएएन सीडिंग– ईएसआईसी डेटाबेस में बीमित व्यक्ति के यूएएन को सीड करने के लिए नियोक्ता पोर्टल में "यूएएन सीडिंग" का प्रावधान किया गया है।

xiii. ईएसआईसी "प्रयास" (prayas.nic.in) में शामिल हो गया है और ईएसआई स्वास्थ्य केंद्रों की आउट पेशेंट सेवाओं पर 2 कुंजी प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) साझा कर रहा है और प्रयास डैशबोर्ड में जानकारी प्रदर्शित कर रहा है।

मीडिया सेल

मीडिया सेल का गठन जुलाई, 2014 में श्रम और रोजगार मंत्रालय की योजनाओं/नीतियों/ पहलों और उपलब्धियों की जानकारी आम कामगारों तक पहुंचाने के लिए वेबसाइटों और अन्य डिजिटल मीडिया सहित विभिन्न प्लेटफार्मों के कुशल और प्रभावी उपयोग पर बढ़ते जोर को देखते हुए किया गया था।

वर्ष 2021 में मीडिया प्रकोष्ठ द्वारा गतिविधियां/ उपलब्धियां:

i. मंत्रालय के ट्विटर और फेसबुक पर आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर जनवरी से दिसंबर, 2021 तक प्राप्त हुई 1442 से अधिक जन शिकायतों का निपटान।

ii. मीडिया सेल कम से कम खर्च पर रचनात्मक इन्फोग्राफिक्स, वीडियो या एनिमेशन पोस्ट करके सोशल मीडिया के माध्यम से मंत्रालय और भारत सरकार की पहल और प्रयासों का प्रचार करता है।

iii. टीम माननीय एलईएम और मंत्रालय के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की जानकारी एकत्र करने और प्रसारित करने के अलावा मंत्रालय से संबंधित जागरूकता क्रिएटिव भी नियमित रूप से अपलोड करती है।

iv. टीम विश्वसनीय समाचार एजेंसियों द्वारा प्रासंगिक ट्वीट साझा करने के साथ–साथ कार्यबल के लिए लाभकारी मंत्रालय से संबंधित समाचार लेखों को भी सक्रिय रूप से साझा करती है और नकली समाचारों का सामना करने के लिए नियमित रूप से समाचारों की निगरानी करती है।

v. मीडिया सेल मंत्रालय द्वारा की गई योजनाओं, उपलब्धियों और पहलों को प्रदर्शित करने के लिए कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वीआईपी संदर्भ/अनुरोध भी प्रसारित करता है।

vi. मीडिया प्रकोष्ठ मीडिया प्रचार अभियान में प्रभागों/संगठनों के साथ समन्वय कर रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस/प्रेस ब्रीफ/प्रेस विज्ञप्तियां आयोजित करता है और पीआईबी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करता है।

vii. मीडिया सेल प्रभावी मीडिया संबंधी रणनीति विकसित करने के लिए ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (बीओसी), भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) और अन्य मीडिया एजेंसियों के साथ समन्वय करता है।

viii. 26 जनवरी, 2021 को गणतंत्र दिवस की झांकी के माध्यम से चार (04) श्रम संहिताओं को दर्शाया गया है और यह गणतंत्र दिवस की झांकी में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की पहली भागीदारी थी। श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए झांकी का विषय "श्रम की गरिमा, मजदूरों के समान अधिकार" था।

ix. "26 अगस्त, 2021 को श्री रामेश्वर तेली, माननीय राज्य मंत्री (एल एंड ई) की उपस्थिति में श्री भूपेंद्र यादव, माननीय मंत्री (एल एंड ई) द्वारा ई–श्रम पोर्टल के उद्घाटन के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ई–श्रम की साल भर की जागरूकता पर, इसकी पंजीकरण प्रक्रिया और अन्य संबंधित मुद्दों पर पर प्रकाश डाला गया।

अध्याय-20

सतर्कता एवं लोक शिकायतों का निवारण

20.1 मुख्य सतर्कता अधिकारी की भूमिका और कार्य

पृष्ठभूमि – संगठन में शुद्धता, अखंडता और दक्षता बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय की है। मुख्य सतर्कता अधिकारी सचिव को उनके सतर्कता कार्यों के निर्वहन में सहायता करता है। सीवीओ मुख्य कार्यकारी के विशेष सहायक/सलाहकार के रूप में कार्य करता है और सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में उसे सीधे रिपोर्ट करता है। सीवीओ मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग का नेतृत्व करता है और मंत्रालय और केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय जांच ब्यूरो के बीच एक कड़ी प्रदान करता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पूर्व परामर्श से की जाती है और कोई भी व्यक्ति जिसकी उस क्षमता में नियुक्ति पर आयोग द्वारा आपत्ति की जाती है, इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

सीवीओ के सतर्कता कार्य व्यापक हैं और इसमें उनके संगठन के कर्मचारियों द्वारा की गई भ्रष्ट प्रथाओं, या किए जाने की संभावना के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करना शामिल है; उसे रिपोर्ट किए गए सत्यापन योग्य आरोपों की जांच करना या जांच कराना; जहां कहीं आवश्यक हो अनुशासनात्मक सलाह पर आगे विचार करने के लिए जांच रिपोर्ट को प्रक्रियान्वित करना, अनुचित प्रथाओं/कदाचार होने से रोकने के लिए कदम उठाना आदि। इसे मोटे तौर पर तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है – (i) निवारक सतर्कता, (ii) दंडात्मक सतर्कता और (iii) निगरानी और पता लगाना।

20.2 वर्ष 2021 के दौरान प्रदर्शन का एक अवलोकन

दंडात्मक सतर्कता

शिकायतें– वर्ष 2021–22 (आज तक) के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों का समुचित निराकरण किया गया है।

विभागीय कार्यवाही – संबंधित जांच प्राधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर लंबित विभागीय कार्यवाही को शीघ्रता से अंतिम रूप देने का प्रयास किया गया।

अभियोजन स्वीकृतियां– वर्ष के दौरान सीबीआई/एसीबी द्वारा मांगी गई सभी अभियोजन के लिए स्वीकृतियां प्रदान की गईं। अभियोजन स्वीकृति का कोई भी मामला तीन माह से अधिक समय से लंबित नहीं है।

निवारक सतर्कता – मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक संपत्ति विवरणी की भ्रष्ट मंशा, यदि कोई हो, को रोकने के लिए उचित रूप से जांच की गई थी। चल/अचल संपत्ति के खरीद/बिक्री के संबंध में दी गई सभी सूचनाओं की भी संबंधित कर्मचारियों की आय के ज्ञात स्रोतों के आलोक में उचित रूप से जांच की गई थी। मंत्रालय में 26.10.2021 से 01.11.2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। मंत्रालय में अधिकारी और कर्मचारियों ने 26.10.2021 को सत्यनिष्ठा की शपथ ली।

मंत्रालय के कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए 01.11.2021 को मंत्रालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सीवीसी के एक कुशन व्यक्ति द्वारा संगठन की नीतियों/प्रक्रियाओं और निवारक सतर्कता उपायों पर सत्र आयोजित किया गया।.

मुख्य सचिवालय में शिकायत निवारण

20.3 मंत्रालय में जन शिकायतें मुख्य रूप से दो तरीकों से प्राप्त होती हैं, **अर्थात केंद्री त सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स)** पोर्टल (https://pgportal.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन और विभिन्न स्रोतों से ऑफ़लाइन (भौतिक) रूप में भी। हाल ही में, कई पीड़ित व्यक्ति/पार्टियां भी अपनी शिकायतें ई–मेल और सोशल मीडिया के माध्यम से मंत्रालय तक पहुंचा रहे हैं।

20.4 मंत्रालय द्वारा लोक शिकायत निवारण के कार्य को अत्यधिक महत्व दिया जाता है और सचिव (एल एंड ई) की अध्यक्षता में इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। **मंत्रालय के सीपीजीआरएएमएस पोर्टल खाते में 03/01/2022 को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा पीजी पोर्टल (सीपीजीआरएएमएस) पर प्राप्त शिकायतों का औसत निपटान समय 01/01/2021 से 31/12/2021 की अवधि के लिए 12 दिन है.**

20.5 श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा सीपीजीआरएएमएस पोर्टल में प्राप्त और निपटाई गई जन शिकायतों के वर्ष–वार आंकड़ों के साथ एक तुलनात्मक तालिका और 2017 से 2021 की अवधि (अर्थात 01.01. 2017 से 31.12 तक) के दौरान ऐसी शिकायतों के निपटान का प्रतिशत .2021) **नीचे तालिका** में दिखाए गए हैं:

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 2017 से अ नलाइन सीपीजीआरएएमएस पोर्टल (https://pgportal.gov.in) में प्राप्त और निपटाई गई जन शिकायतों का वर्ष–वार ब्यौरा

क्र.सं. कॉलम. 1)	वर्ष (कॉलम 2)	पिछले वर्ष से अग्रेनीत शिकायतें (कॉलम. 3)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें (कॉलम. 4)	वर्ष के लिए प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या (कॉलम 5)(कॉलम3+कॉलम 4)	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले (कॉलम. 6)	वर्ष के अंत में लंबित मामले (कॉलम. 7) [कॉलम. 5-कॉलम. 6]	निपटान का प्रतिशतांक (कॉलम. 8) [कॉलम. 6/कॉलम. 5]X100
1.	2017	33	32461	32494	31058	1436	95.58%
2.	2018	1436	35054	36490	35295	1195	96.72%
3.	2019	1195	46540	47735	46397	1338	97.19%
4.	2020	1338	58862	60200	58637	1563	97.40%
5.	2021	1527	96378	97905	93900	4005	95.91%

ध्यान दें: 1. उपरोक्त आंकड़े सीपीजीआरएएमएस पोर्टल में 03.01.2022 को दी गई रिपोर्ट के अनुसार हैं।

2. सीपीजीआरएएमएस पोर्टल में दी गई रिपोर्ट में दिखाए गए आंकड़े गतिशील प्रकृति के हैं, यानी इनमें से कुछ आंकड़े समय-समय पर रिपोर्ट के निर्माण की तारीख और समय और उनके निपटान / लंबित आदि के आधार पर थोड़ा बदल सकते हैं।

लोक शिकायतों का निवारण

20.6 ईएसआई निगम एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा संगठन होने के कारण ईएसआई लाभार्थियों की 13.50 करोड़ से अधिक की जरूरतों को पूरा कर रहा है, यानी देश की आबादी का लगभग 10%। एक सेवा संगठन होने के नाते ईएसआईसी साल भर में अपने हितधारकों से कई सार्वजनिक शिकायतों/प्रश्नों का निपटान करना।

20.7 लोक शिकायत निदेशालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में निगम, प्राप्त सभी जन शिकायतों के गुणात्मक और त्वरित निवारण के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।

20.8 जन शिकायतें विभिन्न माध्यमों जैसे टेलीफोन, पोस्टल, ईमेल, सीपीजीआरएएमएस, सोशल मीडिया आदि से प्राप्त की जाती हैं।

20.9 निगम सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/ईएसआईसी अस्पतालों में तैनात नामोदिष्ट लोक शिकायत अधिकारियों के एक विशाल नेटवर्क के माध्यम से जन शिकायतों की निगरानी करता है।

20.10 हितधारकों/लाभार्थियों को मार्गदर्शन/सूचना प्रदान करने और शिकायत दर्ज करने को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए, निगम ने 24 घंटे टोल–फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800–11–2526 की स्थापना की है, जिसके माध्यम से हितधारक और जनता अपनी शिकायतों को दूरभाष पर दर्ज कर सकते हैं और उसी के लिए एक शिकायत पंजीकरण संख्या प्राप्त करें। वे इस तरह की शिकायत पंजीकरण संख्या प्रदान करके इस हेल्पलाइन से अपनी शिकायत की स्थिति भी प्राप्त कर सकते हैं। इस सुविधा ने उन आईपी/आईडब्ल्यू की मदद की है जो या तो निरक्षर हैं या उनमें लेखन/कंप्यूटर कौशल की कमी है.

20.11 सभी शिकायतों का यथाशीघ्र और अधिकतम 30 दिनों की समय सीमा के भीतर निवारण करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। परिणामस्वरूप निगम 01–04–2021 से 31–12–2021 की अवधि के दौरान सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की निम्नलिखित संख्या को संतोषजनक ढंग से निपटाने में सफल रहा है।

वर्ष	अग्रेनीत	प्राप्त	निपटाए गए	31/12/2021की स्थिति के अनुसार लंबित
01-04-2021 to 31-12-2021	270	11175	11086	359*

31/12/2021 की स्थिति के अनुसार लंबित	0-15 दिनों तक लंबित	16-30 दिनों तक लंबित	31-45 दिनों तक लंबित	46-60 दिनों तक लंबित
359	264	74	19	2

20.12 लाभार्थियों की शिकायतों के त्वरित और मौके पर निवारण के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों/उप–क्षेत्रीय कार्यालयों/संभागीय कार्यालयों में प्रत्येक माह के दूसरे बुधवार (अपराह्न) (यदि अवकाश है, तो अगले कार्य दिवस) और शाखा कार्यलयों में समय–समय पर सुविधा समागमों की व्यवस्था की जाती है। प्रत्येक माह के दूसरे शुक्रवार को नियमित रूप से कार्यालय/ईएसआईसी/ईएसआईएस अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक, जहां ईएसआईसी और ईएसआईएस अस्पताल एक ही नगर/शहर में स्थित हैं, वे भी क्षेत्रीय कार्यालयों/उप–क्षेत्रीय कार्यालयों / मंडल कार्यालयों द्वारा आयोजित इन सुविधा समागम का हिस्सा बनते हैं और मौके पर चिकित्सा संबंधी शिकायतों का। उनके माध्यम से निपटान किया जाता है।

20.13 कई मामलों में जहां टेलीफोन नंबर उपलब्ध हैं, शिकायतकर्ता से फीडबैक/संतुष्टि का स्तर भी प्राप्त किया जाता है और किसी भी असंतोष के मामले में तुरंत उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

20.14 शिकायतों के गुणात्मक और त्वरित निवारण की जाँच के लिए महानिदेशक, ईएसआईसी स्वयं प्रत्येक सप्ताह कम से कम 20 शिकायतों की समीक्षा द्वारा अपनी ओर से प्रयास करते हैं।

20.15 प्रत्येक स्तर पर लोक शिकायतों के समयबद्ध निवारण के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की गई है, जिसमें सभी कार्यालयों को प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी सार्वजनिक शिकायतों का निवारण करने का निर्देश दिया गया है।

20.16 विभिन्न ईएसआईसी कार्यालयों/अस्पतालों में प्राप्त शिकायतों के त्वरित और उचित निपटान की निगरानी के लिए समय–समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाती हैं।

ईएसआईसी में सतर्कता गतिविधियां

20.17 ईएसआई निगम की सतर्कता शाखा भ्रष्टाचार के उन्मूलन के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग की नीतियों, निर्देशों और दिशानिर्देशों को लागू करती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की जांच सहित विभिन्न निवारक और दंडात्मक सतर्कता गतिविधियों को करती है और अन्य स्रोतों के माध्यम से निगम के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, जो ईएसआईसी (कर्मचारी और सेवा की शर्तें) विनियम, 1959 में परिभाषित भ्रष्ट आचरण और कदाचार में लिप्त हैं। सतर्कता की दृष्टि से विभागीय पहल करती है उनके विरूद्ध मुख्यालय में सतर्कता प्रभाग का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किया जाता है, जिसकी सहायता एक अतिरिक्त आयुक्त और अन्य अधिकारों द्वारा की जाती है चार क्षेत्रीय सतर्कता कार्यालय और चार क्षेत्रीय जांच कार्यालय (विभागीय जांच) दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में स्थित हैं। एक चिकित्सा सतर्कता प्रकोष्ठ भी है जिसके अंतर्गत विभिन्न रैंकों के कई चिकित्सा सतर्कता अधिकारी कार्य कर रहे हैं जो चिकित्सा संबंधी मुद्दों से संबंधित निरीक्षण/जांच करने, एसएसटी भुगतानों की जांच आदि के लिए जिम्मेदार हैं। शिकायतों की जांच क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारियों और एमवीओ, द्वारा की जाती है और विभागीय पूछताछ क्षेत्रीय जांच अधिकारियों (विभागीय जांच) द्वारा और अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जांच अधिकारियों के रूप में नियुक्त/सूचीबद्ध अन्य अधिकारियों द्वारा की जाती है। निवारक उपाय के रूप में, विभिन्न राज्यों में तैनात क्षेत्रीय सतर्कता इकाइयां और चिकित्सा सतर्कता अधिकारी अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले ईएसआई कार्यालयों यानी क्षेत्रीय कार्यालयों, उप क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखा कार्यालयों, अस्पतालों और औषधालयों आदि का समय–समय पर औचक निरीक्षण करते हैं। क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारी एसएसओ द्वारा किए गए निरीक्षणों की सत्यता की जांच करने के लिए ईएसआई अधिनियम के तहत पंजीकृत नियोक्ताओं का परीक्षण निरीक्षण भी करते हैं।

20.18 01.04.2021 से 31.10.2021 की अवधि के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा संपन्न विभिन्न गतिविधियों के संबंध में स्थिति नीचे दी गई है:

1. इस अवधि के दौरान 69 अनुशासनात्मक मामलों में शास्ति आदेश पारित किए गए, जिनमें से 36 आदेश मुख्यालय से पारित किए गए।
2. इस अवधि के दौरान कुल 44 आरोप पत्र जारी किए गए, जिनमें से 17 आरोप पत्र मुख्यालय से जारी किए गए।
3. इस अवधि के दौरान विभिन्न अपीलकर्ताओं से 29 अपील प्रकरण प्राप्त हुए तथा पूर्व में प्राप्त अपीलों सहित 20 आदेश पारित किये गये।
4. प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान सतर्कता दृष्टिकोण से संबंधित 03 शिकायतों का निपटारा किया गया।
5. सभी त्रैमासिक निलंबन समीक्षा बैठकें समय पर आयोजित की गई हैं।
6. जनवरी 2020 से, स्पैरो (ऑनलाइन मोड) के माध्यम से संपत्ति रिटर्न दाखिल किया गया है।
7. केंद्रीय सतर्कता आयोग को मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक विवरणी समय पर भेज दी गयी है।
8. इस अवधि के दौरान 02 अभियोजन स्वीकृति मामले प्राप्त हुए और सभी मामलों में निर्धारित समय सीमा के भीतर 02 स्वीकृति प्रदान की गई।
9. अवधि के दौरान क्षेत्रीय सतर्कता कार्यालयों द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या 51 है
10. चिकित्सा अधिकारियों द्वारा सुपर स्पेशियलिटी उपचार बिलों की जांच की गई और उक्त अवधि के दौरान 1,73,23,474/– रुपये के अधिक भुगतान की वसूली की गई।

20.19 देश भर में निगम के सभी कार्यालयों में दिनांक 26.10.2021 से 01.11.2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। सतर्कता जागरूकता

सप्ताह की शुरुआत 26 अक्टूबर 2021 को ईएसआईसी मुख्यालय कार्यालय में **सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा** के साथ हुई, जिसे अधिकारियों और कर्मचारियों ने ईमानदारी से (ई–प्रतिज्ञा और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से ऑनलाइन) लिया। दिनांक 26.10.2021 को मुख्यालय एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं अस्पतालों में **निबंध लेखन प्रतियोगिता** का आयोजन किया गया। 28 अक्टूबर 2021 को मुख्यालय के कार्यालय में एक **संवादात्मक सत्र का** आयोजन किया गया, जिसमें श्री. पी.के. मोहंती, ओएसडी, केंद्रीय सतर्कता आयोग और श्री. जितेंद्र खरे, मुख्य सतर्कता अधिकारी, ईएसआईसी और ईपीएफओ ने सतर्कता मुद्दों के प्रभावी प्रबंधन पर ईएसआईसी/ईपीएफओ के अधिकारियों को संबोधित किया। **समापन समारोह** दिनांक 01.11.2021 को मुख्यालय में आयोजित किया गया था जिसमें श्री जितेंद्र खरे, सीवीओ, ईएसआईसी के सभी अधिकारी और ईपीएफओ के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया, जिसमें श्री मुखमीत सिंह भाटिया, महानिदेशक, ईएसआईसी ने ईएसआईसी मुख्यालय में आयोजित निबंध लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने ईपीएफओ में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया और किसी भी संगठन के पारदर्शी और सुचारू कामकाज के लिए प्रभावी निवारक/दंडात्मक सतर्कता पर जोर दिया। राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, ईएसआईसी के सहयोग से एमएस/डीन के लिए "खरीद प्रक्रिया" विषय पर एक वेबिनार भी आयोजित किया गया था। देश भर में ईएसआईसी के सभी कार्यालयों/अस्पतालों में, विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया, जिसमें कोविड–19 रोकथाम दिशानिर्देशों का पालन किया गया, जिससे हितधारकों और जनता के बीच सतर्कता गतिविधियों के बारे में जबरदस्त जागरूकता पैदा हुई है और सभी से बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।

सप्ताह के दौरान सभी हितधारकों के बीच पीआईडीपीआई के बारे में जागरूकता फैलाई गई और आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए पोस्टर मुख्यालय और सभी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा हितधारकों और आम जनता को सूचना के प्रसार के लिए प्रदर्शित किए गए।

ईपीएफओ में शिकायत निवारण तंत्रः

20.20 ईपीएफओ अपने उद्देश्यों के अनुरूप ग्राहक सेवा और सभी हितधारकों की शिकायतों के निवारण पर जोर देता है। पूरे देश में फैले अपने कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से अपने हितधारकों यानी नियोक्ताओं, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए संगठन के पास एक मजबूत तंत्र है। ईपीएफओ प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में मौजूद ग्राहक सेवा प्रभाग और देशभर में 21 क्षेत्रों और 138 क्षेत्रीय कार्यालयों में फील्ड फॉर्मेशन संगठन के सभी हितधारकों को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्ण सुविधा केंद्रों, पीआरओ और सहायक कर्मचारियों से लैस हैं। शिकायतों को दर्ज करने और हल करने के विभिन्न तरीके हैं–

- सीपीजीआरएएमएस
- शिकायत अपील
- ईपीएफआईजीएमएस
- कॉल सेंटर
- व्हाट्सएप बिजनेस हेल्पलाइन
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और श्रम और रोजगार मंत्रालय का ट्विटर और एफबी अकाउंट
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- सुविधा केंद्र

20.21 ईपीएफओ के अंशदाताओं, पेंशनभोगियों, खाताधारकों और छूट प्राप्त और बिना छूट वाले प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं से और राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ), लोक शिकायत निदेशालय (डीपीजी), प्रशासनिक सुधार निदेशालय और के माध्यम से भी शिकायतें प्राप्त होती हैं। लोक शिकायत (डीएआरपीजी), श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय

मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और सोशल मीडिया जैसे ट्विटर और फेसबुक से प्राप्तत होता है। कोविड–19 महामारी के दौरान देशव्यापी तालाबंदी और कार्यालय में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी उपस्थित होने के बावजूद शिकायतों की संख्या में बड़े प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद शिकायतों के समाधान में गति बनी रही।

ईपीएफओ में सतर्कता गतिविधियां

20.22 क.भ.नि.सं. में सतर्कता प्रभाग का नेतृत्व नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में संयुक्त सचिव स्तर का मुख्य सतर्कता अधिकारी करता है। हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता और नई दिल्ली में स्थित उप निदेशक (सतर्कता) की अध्यक्षता में इसके चार क्षेत्रीय सतर्कता निदेशालय हैं।

20.23 ईपीएफओ में सतर्कता प्रशासन ने बदलती संगठनात्मक जरूरतों और चुनौतियों के अनुरूप अपने दृष्टिकोण और रणनीति को ढालने का प्रयास किया है। यह भ्रष्ट गतिविधियों पर अंकुश लगाने और उन्मूलन के लिए निवारक सतर्कता पर जोर देता है और मुख्य कार्यात्मक क्षेत्रों के साथ निरंतर जुड़ाव के माध्यम से पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है। यह दंडात्मक सतर्कता के कार्य को भी परखता है जो एक संगठन में निरंतर नागरिक इंटरफेस और सार्वजनिक धन को संभालने के लिए आवश्यक है।

I. निवारक सतर्कता

20.24 दिनांक 01.01.2021 से 31.12.2021 की अवधि के दौरान ईपीएफओ के 13 कार्यालयों में निवारक सतर्कता निरीक्षण/ आकस्मिक जांच की गई। संबंधित कार्यात्मक प्रभागों को दावा निपटान, अनुपालन और मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में प्रणालीगत सुधार के सुझाव जारी किए गए थे।

II दंडात्मक सतर्कता

- **शिकायतें:**

01.01.2021 से 31.12.2021 तक 1222 नई शिकायतें प्राप्त हुई।

31.12.2021 तक 1229 शिकायतों का निस्तारण किया गया।

सीवीसी की प्रथम और द्वितीय चरण की सलाह:

वर्ष के दौरान 31.12.2021 तक 11 मामलों में सीवीसी की प्रथम चरण की सलाह का निपटारा किया गया था, जिनमें से 10 बड़े शास्ति मामले और 1 मामूली शास्ति मामले थे। 3 मामलों में सीवीसी की दूसरे चरण की सलाह का निपटारा कर दिया गया था, जो सभी बड़े दंड के मामले थे।

शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही :

वर्ष के दौरान 31.12.2021 तक 24 अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई।

अनुशासनात्मक कार्यवाही को अंतिम रूप दिया गया:

वर्ष के दौरान कुल 21 अनुशासनात्मक कार्यवाही को अंतिम रूप दिया गया

जिसमें 20 बड़ी शास्ति कार्यवाही थी और 1 मामूली दंड के लिए थी।

- **अभियोजन प्रतिबंध संस्वी तियां:**

वर्ष के दौरान 31.12.2021 तक 22 मामलों में अभियोजन स्वीकृति दी गई

III निगरानी और जांच

- **सीबीआई/एसीबी के साथ समन्वय बैठक:**

सीबीआई/एसीबी के साथ समन्वय बैठकें आयोजित की गईं और सहमत सूचियां तैयार की गईं और ओडीआई सूची को अद्यतन किया गया।

IV. सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021:

20.25 वी.ए.डब्लयू 2021, ईपीएफओ में 26.10.2021 से 01.11.2021 तक "स्वतंत्र भारत @75–स्व – अखंडता के साथ रिलायंस" विषय के साथ मनाया गया। वीएडब्लयू 2021 से संबंधित सभी गतिविधियों को कोविड –19 से संबंधित सामाजिक दूरियों के मानदंडों और सुरक्षा

प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और सरकार द्वारा निर्धारित आर्थिक उपायों का पालन करते हुए किया गया था।

वीएडब्ल्यू 2021 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां की गईं:

1. **सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा:** 26.10.2021 को सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा के साथ वीएडब्ल्यू 2021 गतिविधियों की शुरुआत हुई। ई–प्रतिज्ञा लिंक को ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट किया गया था और जन जागरूकता के लिए सोशल मीडिया खातों के माध्यम से प्रचारित किया गया था।

2. **हस्ताक्षर अभियान:** वीएडब्ल्यू की भावना और संदेश के प्रसार के लिए प्रधान कार्यालय में एक हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया था।

3. **वेबिनार सह प्रशिक्षण:** 29.12.2021 को आयोजित आईटी वातावरण में निवारक सतर्कता विषय पर एक वेबिनार सह प्रशिक्षण कार्यक्रम के लक्ष्य समूह में क्षेत्रीय और क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी शामिल थे और धोखाधड़ी को रोकने और दिन–प्रतिदिन की निगरानी में सुधार के लिए आईटी उपकरण और आईटी सक्षम लेखा परीक्षा उपकरणों का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

4. **ईपीएफओ के प्रधान नियोक्ता पोर्टल का प्रचार:** वीएडब्ल्यू 2021 के दौरान एक और उल्लेखनीय पहल ईपीएफओ द्वारा शुरू किए गए प्रमुख नियोक्ता पोर्टल का प्रचार था, जिसमें ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 के तहत ठेकेदारों के अनुपालन को ट्रैक करने के लिए सुविधा का उपयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था।

5. **पीआईडीपीआई पुस्तिका:** पीआईडीपीआई के प्रावधानों पर प्रकाश डालने वाली एक पुस्तिका का शुभारंभ दिनांक 28.10.2021 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान माननीय श्रम सचिव द्वारा किया गया।

6. **आउटरीच गतिविधियां:** फील्ड कार्यालय स्तर पर कई तरह की पहल की गई, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से सेमिनार, कार्यशालाओं, पैनल चर्चाओं और शिकायत निवारण शिविरों सहित हितधारकों की गंभीर भागीदारी देखी गई। भाग पीएफ पब्लिक आउटरीच के रूप में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए विभिन्न गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विभिन्न स्थानों पर ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। ग्राम सभाओं में कुल 604 नागरिकों ने भाग लिया और 1436 स्कूल और 210 कॉलेज के छात्रों ने विभिन्न गतिविधियों और प्रतियोगिता में भाग लिया।

7. इसके अलावा जन जागरूकता पैदा करने और विषय और भावना को दृश्यता देने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर वॉकथॉन, मैराथन, मार्च पास्ट, मानव श्रृंखला का आयोजन रोहतक, हैदराबाद और भोपाल में किया गया था। पीआईडीपीआई पर फोकस को ध्यान में रखते हुए, व्हिसलब्लोअर तंत्र पर हितधारकों और जनता के बीच प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए पोस्टरों को पीआईडीपीआई प्रावधानों के प्रसार के लिए प्रधान कार्यालय और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदर्शित किया गया था। यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि वीएडब्ल्यू 2021 के विषय और संदेश को बढ़ावा देने और सप्ताह के दौरान ईपीएफओ द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों को प्रचारित करने के लिए ईपीएफओ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का काफी हद तक उपयोग किया गया था।

समापन समारोह

20.26 वीएडब्ल्यू 2021 का पालन 01/11/2021 को केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अध्यक्षता में एक समापन समारोह के साथ संपन्न हुआ, जिसके दौरान सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिया गया और उन्हें सम्मानित किया गया।

अध्याय-21

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

21.1 भारत और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ)

भारत 1919 में अपने अस्तित्व के बाद से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक है और 1922 से आईएलओ शासी निकाय का स्थायी सदस्य रहा है। वर्तमान में आईएलओ में 187 सदस्य हैं। आईएलओ की एक अनूठी विशेषता इसकी त्रिपक्षीय प्रकृति है। संगठन में हर स्तर पर, सरकारें सामाजिक भागीदारों, अर्थात् श्रमिकों और नियोक्ताओं से जुड़ी होती हैं। आईएलओ के तीन अंग हैं (1) अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन – आईएलओ की महासभा जिसकी हर साल जून के महीने में बैठक होती है, (2) शासी निकाय – आईएलओ की कार्यकारी परिषद जिसकी बैठक वर्ष में तीन बार होती है अर्थात मार्च, जून और नवंबर और (3) अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय – एक स्थायी सचिवालय।

21.2 आईएलओ को मुख्य रूप से सदस्य राज्यों से प्राप्त योगदान से वित्तपोषित किया जाता है। आईएलओ का कुल बजट एसएफ 368823609 है। आईएलओ बजट उद्देश्य के लिए कैलेंडर वर्ष का अनुसरण करता है और सदस्य राज्यों की सरकारों द्वारा वार्षिक योगदान का भुगतान उस पैमाने के अनुसार किया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन साल–दर–साल आधार पर संयुक्त राष्ट्र के आकलन के पैमाने के अनुरूप तय करता है। वर्ष 2022 के लिए, भारत के अंशदान का हिस्सा एसएफ 3043635 है और यह 25,04,17,505/–रु0 है।. भारत ने हमेशा आईएलओ को वार्षिक योगदान का समय पर भुगतान किया है।

21.3 भारत और आईएलओ के बीच एक स्थायी और जीवंत संबंध है जो वर्षों से घनिष्ठ और गतिशील सहयोग से चिह्नित है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आईएलओ के सहयोग से आईएलओ की शताब्दी (1919–2019) और भारत और आईएलओ की 100 साल की घनिष्ठ साझेदारी को 22.01.2020 को श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में मनाया। आईएलओ शताब्दी समारोह के दौरान आईएलओ, जिनेवा के उप महानिदेशक श्री मूसा ओउमारो भी उपस्थित थे। इस अवसर पर, मंत्रालय ने **"आईएलओ के साथ भारत की भागीदारी के 100 वर्ष"** शीर्षक से एक पुस्तक निकाली, जिसमें भारत के 100 वर्षों के दौरान और आईएलओ के सहजीवी संबंधों के दौरान भारत द्वारा अनुसमर्थित आईएलओ उपकरणों की प्रतियां संकलित की गईं।

इस कार्यक्रम में आईएलओ द्वारा 'इंडियन एंड द आईएलओ– द क्रॉनिकल्स ऑफ शेयर्ड जर्नी 1919 –

2019' पर एक अन्य पुस्तक का विमोचन किया गया। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार द्वारा एक आईएलओ डाक टिकट भी जारी किया गया। भारत ने आईएलओ के उद्देश्यों, विचार प्रक्रियाओं, विचार–विमर्श और कार्यप्रणाली की शैली की उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

21.4 भारत द्वारा अनुसमर्थन

भारत ने 47 अभिसमयों और एक प्रोटोकॉल की पुष्टि की है जिसमें छह मूल / मौलिक अभिसमय शामिल हैं, अर्थात्, बलात श्रम अभिसमय (सी –29), समान पारिश्रमिक कन्वेंशन (सी –100), बलात श्रम का उन्मूलन अभिसमय (सी–105), भेदभाव (रोजगार) अभिसमय और व्यवसाय) सम्मेलन (सी–111), न्यूनतम मजदूरी अभिसमय, 1973 (सी–138) और बाल श्रम के सबसे खराब रूप, अभिसमय 1999 (सी–182), और तीन प्राथमिकता / शासन अभिसमय, अर्थात् श्रम निरीक्षण अभिसमय (सं। 81), रोजगार और सामाजिक नीति अभिसमय (नंबर 122) और त्रिपक्षीय परामर्श (अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक)।

21.5 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय की अध्यक्षताः अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का अध्यक्ष एक प्रतिष्ठित पद है। भारत ने आईएलओ के अस्तित्व के 100 वर्षों के दौरान केवल चार मौकों पर शासी निकाय अध्यक्ष का पद धारण किया।

श्री अपूर्ण चंद्रा ने अपनी अध्यक्षता के दौरान, आईएलओ के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में, आईएलओ के शासी निकाय की बैठकों को वर्चुअल मोड में आयोजित करने के लिए नई और नवीन प्रक्रियाओं का विकास किया गया। उन्होंने 2–14 नवंबर 2020 के दौरान और 15–27 मार्च 2021 के दौरान हाइब्रिड फार्मेट में आईएलओ के शासी निकाय के 340वें और 341वें सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने आईएलओ में जिनेवा 25 जून 2021 को आईएलओ के शासी निकाय के 342 वें सत्र की अध्यक्षता भी की।

21.6 आईएलओ के शासी निकाय के 341वें सत्रः

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय (जीबी) का 341वां सत्र 15–27 मार्च, 2021 तक वर्चुअल रुप में आयोजित किया गया था। श्री अपूर्व चंद्रा, सचिव (एल एंड ई), जो आईएलओ के शासी निकाय के अध्यक्ष भी थे, ने शासी निकाय की बैठकों और शासी निकाय के अधिकारियों की जो बैठकों की अध्यक्षता की। नई दिल्ली में 15–17 मार्च, 2021 तक वर्चुअल रुप से आयोजित की गई। श्री अपूर्व चंद्रा, सचिव (एल एंड ई) ने शासी निकाय के सत्र की शेष अवधि की अध्यक्षता करने के लिए 19–27 मार्च, 2021 तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड का दौरा किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में श्री आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव; श्री रूपेश कुमार ठाकुर, निदेशक; श्री शैलेश कुमार सिंह, अवर सचिव; सुश्री श्रुतिमाला राजबोंगसी, उप निदेशक; और सुश्री प्रिया सर्राफ, श्रम और रोजगार मंत्रालय की उप निदेशक ने लगभग 15–27 मार्च, 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय (जीबी) के 341वें सत्र में भाग लिया।

21.7 आईएलओ के अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) का 109वां सत्र

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) के 109 वें सत्र का पहला भाग 3– 19 जून, 2021 को वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया था। श्रम एवं रोजगार सचिव श्री अपूर्व चंद्रा ने वर्चुअल रूप से आयोजित आईएलसी के 109वें सत्र की अध्यक्षता की। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के

अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 109वें सत्र का दूसरा भाग 25 नवंबर, 2021 से 11 दिसंबर, 2021 तक वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजित किया गया। श्री सुनील बड़थ्वाल, सचिव, श्रम और रोजगार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें श्री आर के गुप्ता, संयुक्त सचिव, श्री रूपेश कुमार ठाकुर, निदेशक, सुश्री प्रिया सर्राफ, उप निदेशक और श्री सत्यम भारती सहायक निदेशक शामिल थे ने श्रम और रोजगार मंत्रालय बैठक में भाग लिया।

21.8 आई एल ओ के 109 वें आई एल सी के साथ–साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन (एन ए एम) के श्रम मंत्रियों की बैठक

श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने आईएलओ के 109वें आईएलसी के साथ–साथ 4 जून, 2021 को जिनेवा चैप्टर की वर्चुअल रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एलएएम) के श्रम मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। वर्चुअल बैठक में श्री आर के गुप्ता, संयुक्त सचिव, सुश्री प्रिया सर्राफ, उप निदेशक एवं श्री शैलेश कुमार सिंह, अवर सचिव भी उपस्थित थे।

21.9 आईएलओ के शासी निकाय का 342वां सत्र

आईएलओ के शासी निकाय का 342 वां सत्र 25 जून 2021 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। श्री अपूर्व चंद्रा, सचिव, एल एंड ई और आईएलओ के शासी निकाय के अध्यक्ष ने जिनेवा का दौरा किया और 342वीं जीबी बैठक की अध्यक्षता की। श्री आर के गुप्ता, संयुक्त सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें श्रम और रोजगार मंत्रालय के अन्य अधिकारी शामिल थे, ने 25 जून 2021 को वर्चुअल मोड में आईएलओ की 342वीं शासी निकाय की बैठक में भाग लिया।

21.10 आईएलओ के शासी निकाय का 343 वां सत्र

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के शासी निकाय का 343 वां सत्र 01–13 नवंबर 2021 से वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित किया गया था। श्री सुनील बड़थ्वाल, सचिव, एल एंड ई के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें श्री आर के गुप्ता, संयुक्त सचिव, श्री रूपेश कुमार ठाकुर, निदेशक और सुश्री प्रिया सर्राफ, उप निदेशक शामिल थे, ने श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से वर्चुअल मोड में शासी निकाय की बैठक में भाग लिया।

21.11 भारतीय प्रेसीडेंसी (2021) के तहत ब्रिक्स श्रम और रोजगार बैठक।

सचिव ने श्रम और रोजगार मंत्रालय की और

भारत ने वर्ष 2021 के लिए ब्रिक्स प्रेसीडेंसी का आयोजन किया। श्री अपूर्व चंद्रा, सचिव, श्रम और रोजगार, भारत सरकार ने वर्चुअल फार्मेट में सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में 11–12 मई 2021 को आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की बैठक की अध्यक्षता की। चर्चा का मुख्य एजेंडा ब्रिक्स देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को बढ़ावा देना; श्रम बाजारों का औपचारिककरण; श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी; और गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स – लेबर मार्केट में भूमिका था। सदस्य देशों जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ (आईएसएसए) के प्रतिनिधियों ने भी एजेंडा के मुद्दों पर मूल्यवान हस्तक्षेप और सुझाव दिए। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में सुश्री अनुराधा प्रसाद,

विशेष सचिव, श्री आर.के. गुप्ता, संयुक्त सचिव, श्री. अजय तिवारी, संयुक्त सचिव और डीजीएलडब्ल्यू, सुश्री कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव और श्री रूपेश कुमार ठाकुर, श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से शामिल थे।

दूसरी ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) बैठक

सुश्री अनुराधा प्रसाद, विशेष सचिव, श्रम और रोजगार ने वर्चुअल फार्मेट में सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में 8–9 जुलाई 2021 को आयोजित दूसरी ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की बैठक की अध्यक्षता की। दूसरी ब्रिक्स ईडब्ल्यूजी बैठक का एजेंडा मंत्रिस्तरीय घोषणा के मसौदे को अंतिम रूप देना था, जिसे 15 जुलाई, 2021 को ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में अपनाया गया था।

21.12 ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक

श्री भूपेंद्र यादव, माननीय श्रम और रोजगार मंत्री ने 15 जुलाई, 2021 को भारत की अध्यक्षता में आयोजित ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक (एलईएमएम) की अध्यक्षता की। सदस्य देशों, अर्थात ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के मंत्रियों ने वर्चुअल रूप से ने वस्तुतः बैठक में भाग लिया।

भारत ने वैश्विक श्रम बाजार पर कोविड –19 के प्रभाव पर विचारों का आदान–प्रदान करने, सूचना साझा करने को बढ़ाने, चर्चा करने और ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों पर सहमत होने के लिए ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया। सहयोग के चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा हुई, अर्थात् ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को बढ़ावा देना; श्रम बाजारों का औपचारिककरण; श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी; और गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्सः लेबर मार्केट में भूमिका। बैठक का महत्वपूर्ण पहलू ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की घोषणा को अपनाना था। मंत्रिस्तरीय घोषणा में माना गया कि कोविड–19 महामारी ने बेरोजगारी, अच्छे काम की कमी और असमानता को दूर करने के प्रयासों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इसने मजबूत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं, समावेशी श्रम बाजारों और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के साथ उबरने के लिए ब्रिक्स सदस्य देशों के मजबूत दृढ़ संकल्प को भी चित्रित किया।

2022 ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह के लिए भारत और चीन के बीच पूर्व बैठक

भारत और चीन के बीच 2022 ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह

के लिए एक ऑनलाइन प्री–मीटिंग 24–11–2021 को आयोजित की गई थी, जिसमें चीनी प्रेसीडेंसी के तहत ब्रिक्स ईडब्ल्यूजी 2022 के लिए तौर–तरीकों, मुद्दों के नोट्स तैयार करने और एजेंडा निर्धारित करने पर चर्चा की गई थी। श्री आर के गुप्ता, संयुक्त सचिव के नेतृत्व में श्रम और रोजगार मंत्रालय के एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें श्री रूपेश कुमार ठाकुर, निदेशक और सुश्री प्रिया सर्राफ, उप निदेशक शामिल थे, में एक ने वर्चुअल मोड के माध्यम से बैठक में भाग लिया।

21.13 इटली की अध्यक्षता में जी 20 रोजगार कार्य समूह की बैठकें

इटालियन प्रेसीडेंसी ने रोजगार कार्य समूह की बैठकों के दौरान विचार–विमर्श के लिए निम्नलिखित तीन मुख्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थीः –

क. महिलाओं के लिए अधिक बेहतर और समान वेतन वाली नौकरियां

ख. काम की बदलती दुनिया में सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ

ग. डिजिटलाइजेशन युग में कार्य पैटर्न, व्यावसायिक संगठन और उत्पादन प्रक्रिया

वर्चुअल सेटिंग के माध्यम से इतालवी प्रेसीडेंसी के तहत जी 20 प्रथम रोजगार कार्य समूह (ईडब्यूजी) की बैठक 15–17 फरवरी, 2021 तक आयोजित की गई थी। श्री आर के गुप्ता, श्रम और रोजगार मंत्रालय के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जी 20–पहली ईडब्ल्यूजी बैठक में भाग लिया। इटालियन प्रेसीडेंसी ने पहली रोजगार कार्य समूह की बैठकों के दौरान चर्चा के लिए श्रम और रोजगार पर निम्नलिखित दो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। (क) महिलाओं के लिए अधिक बेहतर और समान भुगतान वाली नौकरियां और (ख) काम की बदलती दुनिया में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बैठक के दौरान चार नई श्रम संहिताओं और महिलाओं के कल्याण और संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रमुख योजनाओं की शुरुआत पर प्रकाश डाला।

इतालवी प्रेसीडेंसी के तहत जी 20 दूसरा रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की दूसरी बैठक14–16 अप्रैल, 2021 को वर्चुअल मोड पर आयोजित की गई थी। दूसरी ईडब्ल्यूजी बैठक के दौरान चर्चा के लिए प्राथमिकता क्षेत्र 'डिजिटलाइजेशन युग में कार्य पैटर्न, व्यावसायिक संगठन और उत्पादन प्रक्रिया' था। सुश्री प्रिया सर्राफ, उप निदेशक और सुश्री श्रुतिमाला राजबोंगशी, श्रम और रोजगार मंत्रालय की उप निदेशक ने इस वर्चुअल बैठक में भाग लिया। प्राथमिकता वाले क्षेत्र पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा एक प्रस्तुति दी गई, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि डिजिटलीकरण ने काम की दुनिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रसार किया है और भारत सरकार द्वारा की गई पहल जैसे कि गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर की वैधानिक परिभाषा प्रदान करना भारतीय संसद द्वारा सितंबर, 2020 में पारित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में गृह आधारित कार्यकर्ता और एग्रीगेटर। असंगठित और काम के इन नए रूपों में शामिल गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए परिकल्पित तंत्र पर भी प्रकाश डाला गया।

जी 20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की घोषणा (एलईएमडी), 2021 के मसौदे के बारे में चर्चा करने के लिए इतालवी प्रेसीडेंसी के तहत 20–21 मई, 2021 को वर्चुअल फार्मेट आयोजित की गई थी।

इटालियन प्रेसीडेंसी के तहत जी 20 के चौथे, 5वें और 6ठें ईडब्ल्यूजी को जी 20 एलईएमडी, 2021 के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए वर्चुअल मोड के माध्यम से क्रमशः 1–6–2021, 8–6–2021 और 17–18 जून, 2021 को आयोजित किया गया था। जिसे जी 20 श्रम और रोजगार मंत्रियों द्वारा अपनाया जाना था। श्री आर.के. गुप्ता, संयुक्त सचिव, की अध्यक्षता में श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों ने इन बैठकों में भाग लिया।

21.14 इटालियन प्रेसीडेंसी के तहत जी 20 संयुक्त शिक्षा और श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक

इटालियन प्रेसीडेंसी के तहत जी–20 संयुक्त शिक्षा और श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 22 जून, 2021 को हाइब्रिड मोड में, कैटेनिया, इटली में 'स्कूल से काम में पथांतरण विषय पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी। श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें श्री राम कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव, श्री रूपेश कुमार ठाकुर, निदेशक, सुश्री प्रिया सर्राफ, उप निदेशक, सुश्री श्रुतिमाला राजबोंग्शी, उप निदेशक और श्री शैलेश कुमार सिंह अवर सचिव ने श्रम और रोजगार मंत्रालय की और से वर्चुअल रूप में बैठक में भाग लिया। शिक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में मंत्रिस्तरीय स्तर के प्रतिनिधिमंडल ने भी बैठक में वस्तुतः भाग लिया। जी20 देशों के शिक्षा और श्रम मंत्रियों के बीच विचार–विमर्श के बाद, जी–20 संयुक्त शिक्षा और श्रम और रोजगार मंत्रियों की 'स्कूल से काम की ओर संक्रमण' पर घोषणा को अपनाया गया।

21.15 इतालवी प्रेसीडेंसी के तहत जी 20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक (एलईएमएम)

इटली के राष्ट्रपति की अध्यक्षता में जी–20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक (एलईएमएम) 23 जून, 2021 को कैटेनिया, इटली में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी। श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें श्री आरके गुप्ता, संयुक्त सचिव, श्री रूपेश कुमार ठाकुर, निदेशक, सुश्री प्रिया सर्राफ, उप निदेशक, सुश्री श्रुतिमाला राजबोंग्शी, उप निदेशक और श्री शैलेश कुमार सिंह अवर सचिव ने श्रम और रोजगार मंत्रालय की और से वर्चुअल मोड में जी 20 एलईएम बैठक में भाग लिया।

जी 20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों ने ईडब्ल्यूजी प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान–प्रदान कियाः (i) महिलाओं के लिए अधिक बेहतर और समान वेतन वाली नौकरियों की दिशा में कैसे प्रगति की जाए, (ii) काम की बदलती दुनिया में सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को कैसे अनुकूलित किया जाए और (iii) कैसे आश्वस्त किया जाए कि प्लेटफॉर्म और रिमोट वर्किंग मानव केंद्रित काम करने का तरीका हो।

माननीय श्रम और रोजगार मंत्री ने स्वीकार किया कि कोविड –19 ने काम की दुनिया को बदल दिया है और भारत सरकार द्वारा रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की प्राथमिकताओं के संबंध में किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला, जिसमें महिला रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और दूरस्थ कार्य शामिल हैं। इस बात पर जोर दिया गया कि श्रम बल की भागीदारी में लैंगिक अंतर को कम करने और शिक्षा, प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास आदि सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं।

जी20 श्रम और रोजगार मंत्रियों के बीच विस्तृत विचार–विमर्श के बाद, इतालवी प्रेसीडेंसी के तहत 'श्रम बाजारों और समाजों की समावेशी, टिकाऊ और लचीली वसूली को बढ़ावा देने' पर जी20 श्रम और रोजगार मंत्रिस्तरीय घोषणा को अपनाया गया।

21.16 भारत के संदर्भ में कोविड–19 संकट से मानव–केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए वैश्विक आह्वान पर त्रिपक्षीय राष्ट्रीय वार्ता

भारत के संदर्भ में कोविड–19 संकट से मानव–केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए वैश्विक कॉल टू एक्शन पर एक त्रिपक्षीय राष्ट्रीय वार्ता का आयोजन 10 दिसंबर, 2021 को श्रम और रोजगार मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा किया गया था।

त्रिपक्षीय सम्मेलन का उद्देश्य ग्लोबल कॉल टू एक्शन के चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा करना था अर्थात क) समावेशी आर्थिक विकास और रोजगार; ख) सभी श्रमिकों की सुरक्षा; ग) सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा; घ) सामाजिक संवाद; भारत के संदर्भ में। सम्मेलन की परिकल्पना भारत में कार्य के भविष्य और सतत विकास लक्ष्यों के लिए आईएलओ शताब्दी घोषणा के कार्यान्वयन में योगदान देने वाले अभिसरण और त्रिपक्षीय कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान मुख्य भाषण दिया। इस अवसर पर अपने मुख्य भाषण में, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने देश में नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए त्रिपक्षीय सामाजिक संवाद और भविष्यवादी दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया।

दो पैनल डिस्कसन भी आयोजित किए गए। "भारत में काम की दुनिया में कोविड–19 से मानव केंद्रित टिकाऊ और लचीला वसूली के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण और सभी श्रमिकों की सुरक्षा" पर पहली पैनल चर्चा की अध्यक्षता एमओएलई के सचिव श्री सुनील बर्थवाल ने की, जिसमें सुश्री विनीता सिंघल, प्रमुख सचिव, सरकार। महाराष्ट्र के प्रो. प्रवीण कुमार सिन्हा, वरिष्ठ विशेषज्ञ, श्री अरुण चावला, महानिदेशक, फिक्की और कार्यकारी निदेशक, एआईओई (नियोक्ता प्रतिनिधि) और सुश्री मनाली शाह, राष्ट्रीय सचिव, सेवा (श्रमिक प्रतिनिधि) ने पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।

"भारत में काम की दुनिया में कोविड –19 से मानव केंद्रित टिकाऊ और लचीला पुनर्प्राप्ति के लिए समावेशी आर्थिक विकास, रोजगार और सामाजिक संवाद" पर दूसरी पैनल चर्चा की अध्यक्षता आईएलओ कंट्री ऑफिस, नई दिल्ली की निदेशक सुश्री डागमार वाल्टर ने की।.

21.17 कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैठकें/प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें भारत ने सक्रिय रूप से भाग लिया, वे इस प्रकार हैं: –

- श्री अपूर्व चंद्रा, सचिव, एल एंड ई और भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त श्री मुहम्मद इमरान और एच. ई श्री शफीउल आलम, कांसुलर के बीच श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 8 और 17 मार्च, 2021 को बैठक आयोजित की गई थी।

- श्री आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव और श्री मनोज कुमार गुप्ता, निदेशक ने 06–09 सितंबर, 2021 तक सोची, रूस में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के छठे अखिल रूसी सप्ताह में श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से भाग लिया।

- श्री आर के गुप्ता, संयुक्त सचिव, की अध्यक्षता में यूरोपिय यूनियन के शिस्ट मंडल की ओर से सुश्री रेनिता भास्कर, मंत्री परामर्शदाता और व्यापार और आर्थिक अनुभाग के प्रमुख और सुश्री मारिया फ्लैडल, काउंसलर, व्यापार और आर्थिक मामलें के अनुभाग अध्यक्षता में नई दिल्ली में 27 सितंबर, 2021 को एक बैठक आयोजित की गई।

- श्री सुनील बड़थ्वाल, सचिव की (एल एंड ई) और श्री ग्रेग वाइनद, डीडीजी, आईएलओ के साथ श्री ह्यूग बॉयलन, कॉन्सेलर (आर्थिक) और श्री जैक टेलर, ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग के दूसरे सचिव के बीच एक बैठक 25.10.2021 को आयोजित की गई थी जो। 2022–27 की अवधि के लिए महानिदेशक – अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के पद के लिए श्री ग्रेग वाइन की उम्मीदवारी के संबंध में थी।

- श्रम और रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की पहली बैठक दिनांक 25.10.2021 को श्री रूपेश कुमार ठाकुर, निदेशक, एमओएलई की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई। चर्चा में श्रम और रोजगार मंत्रालय और एनएसीओ के बीच समझौता ज्ञापन के उद्देश्य में एचआईवी और एड्स की रोकथाम गतिविधियों,

परामर्श, परीक्षण और उपचार से संबंधित सेवाओं, कलंक को कम करने और सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान के माध्यम से संक्रमित और प्रभावित व्यक्तियों के बीच एचआईवी के प्रभाव और भेदभाव करना को कम करना शामिल थे।

- श्री सुनील बड़थ्वाल, सचिव (एल एंड ई) और डॉ केविन फ्रे, निदेशक और सीईओ, यूनिसेफ मुख्यालय के साथ, सुश्री उर्मिला सरकार, यूनिसेफ और यूनिसेफ के उनके अधिकारियों के साथ श्रम और रोजगार मंत्रालय में 29.10.2021 को एक बैठक आयोजित की गई। जिसमें अभिनव सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से भारत में रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए यूनिसेफ युवा के समर्थन के बारे में चर्चा की गई। श्री राम कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव, श्री गोपाल प्रसाद, ईए और डीडीजी (ई) और सुश्री शिखा आनंद, श्रम और रोजगार मंत्रालय के निदेशक (ई) भी बैठक में उपस्थित थे।

- श्री आर. के. गुप्ता संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय और श्री योशियो अकाशी, प्रथम सचिव, भारत में जापान के दूतावास के बीच नई श्रम संहिताओं के एजेंडे पर चर्चा करने के लिए 08–12–2021 को एक शिष्टाचार कॉल आयोजित की गई था। बैठक के दौरान श्री जे.के. सिंह, उप सचिव, श्री संजीव नंदा, अवर सचिव और सुश्री प्रिया सर्राफ, उप निदेशक, श्रम और रोजगार मंत्रालय और श्रीरंजन आर. शिनॉय, अवर सचिव, विदेश मंत्रालय भी उपस्थित थे।

- प्रवासी कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए 10 दिसंबर, 2021 को आईएलओ जिनेवा से एक परिचयात्मक बैठक आयोजित की गई थी। श्रम और रोजगार मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ संयुक्त सचिव श्री आर के गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने वर्चुअल मोड के माध्यम से बैठक में भाग लिया। सुश्री बरखा ताम्रकर, प्रथम सचिव, पीएमआई, जिनेवा भी वर्चुअल बैठक में उपस्थित थीं।

- श्री रूपेश कुमार ठाकुर, निदेशक, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 13–17 दिसंबर, 2021 तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जलीय कृषि में काम के भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की तकनीकी बैठक में भाग लिया।

अध्याय-22

प्रधान लेखा कार्यालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्रम और रोजगार मंत्रालय का लेखा संगठन

22.1 सचिव मंत्रालय के मुख्य लेखा प्राधिकारी हैं तथा अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार(एएसएण्डएफए) तथा मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के लेखा संगठन के अध्यक्ष मुख्य लेखा नियंत्रक होते हैं जिनके सहायतार्थ उप लेखा नियंत्रक, प्रधान लेखा कार्यालय तथा 7 वेतन एवं लेखा कार्यालय होते हैं। संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार है:–

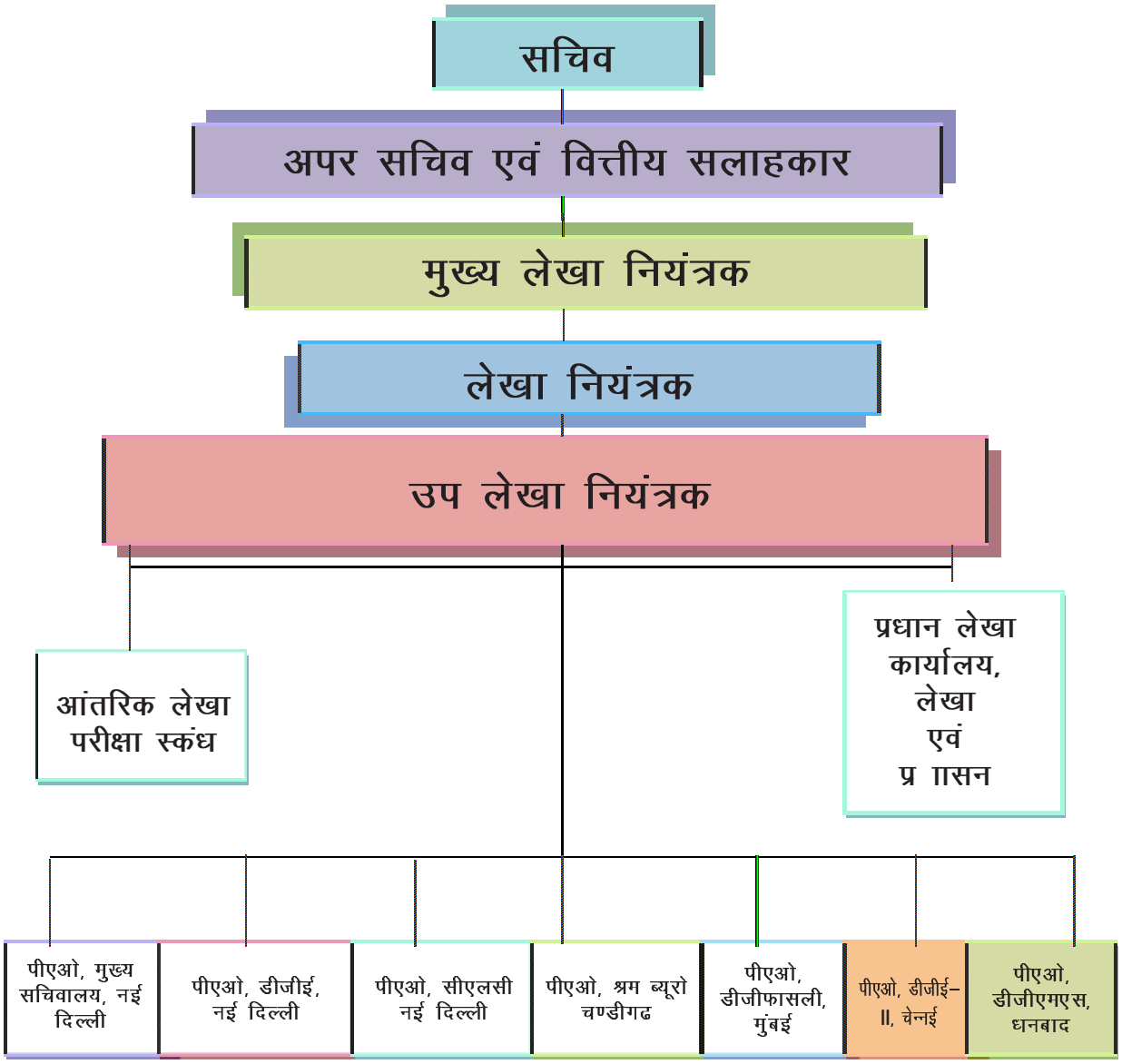

22.2 मुख्य लेखा नियंत्रक, श्रम और रोजगार मंत्रालय के कार्यालय द्वारा (वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 1 अप्रैल से 31 दिसम्बर, 2020 तक) की गई प्रमुख पहलें / कार्य

1. आंतरिक लेखा परीक्षा

सामान्य वित्तीय नियम 236(1) के अनुसार, प्रधान लेखा कार्यालय का लेखा–परीक्षा स्कंध अनुदानग्राही संस्थानों की लेखा–परीक्षा कराता है तथा इसके साथ ही नियमित लेखा–परीक्षा कराना प्रधान लेखा कार्यालय (मुख्यालय) का कर्तव्य है।

कोविड–19 महामारी की स्थिति के कारण, वित्तीय वर्ष 2021–22 में 1 अप्रैल से 31 दिसम्बर, 2021 के दौरान कोई लेखा–परीक्षा नहीं कराई गई तथा कोई नए पैरा नहीं जोड़े गए। लेखा–परीक्षीत एककों के मुख्य कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट के समुचित सत्यापन के बाद विगत अवधि के 399 पैराओं का निपटान किया गया।

2. अनुदान सहायता

मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय ने अपने वेतन एवं लेखा कार्यालयों के माध्यम से विभिन्न अनुदान ग्राही संगठनों को सामान्य वित्तीय नियम–2017 के नियम 228 से 245 के अनुसार समस्त देश में विभिन्न श्रम कल्याण गतिविधियों के लिए अनुदान–सहायता जारी की।

3. उपयोगिता प्रमाण–पत्र

सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 238 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार, स्वायत्त निकायों, गैर–सरकारी संस्थाओं, और अन्य संगठनों आदि को जारी अनुदानों के संबंध में अनुदानों के उपयोग का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय उत्साह के साथ विभिन्न प्रभागों से बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की निगरानी कर रहा है। लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना सभी ब्यूरो प्रमुखों को भेजी जा रही है तथा आवश्यक अद्यतन हेतु सचिव की अध्यक्षता में आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में इस पर चर्चा भी की गई।

4. लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

व्यय विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) की स्कीमों के लिए लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) की सार्वभौम शुरूआत के संबंध में बनाए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुख्य लेखा नियंत्रक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्रशिक्षण प्रदान करने तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में समय–सारणी के अनुसार सभी कार्यक्रम प्रभागों को लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग करने के लिए वरिष्ठ लेखा अधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय लोक वित्त प्रबंध प्रणाली (पीएफएमएस) निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया।

सभी स्कीमों की पूरी तरह से समीक्षा की जाती है। पीएफएमएस के व्यय, अग्रिम तथा अंतरण (ईएटी) मॉड्यूल के कार्यान्वयन हेतु पदानुक्रम कम्पोनेंट मैपिंग की गई है। आईटीडी, सीजीए के कार्यालय द्वारा जारी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकोल और दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

5. ई–भुगतान पद्धति

चूंकि आयकर अधिनियम, 2000 अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित दस्तावेजों अथवा किसी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति या कार्यविधि के माध्यम से डिजिटल रूप में अनुप्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों को मान्यता देता है, अतः महा लेखा नियंत्रक ने विद्यमान कॉम्पेक्ट एप्लीकेशन के स्थान पर डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं के माध्यम से इलेट्रॉनिक भुगतान हेतु कॉम्पेक्ट(COMPACT) में एक सुविधा का विकास किया।

ई–भुगतान पद्धति के अंतर्गत सरकार से मिलने वाले देयों का भुगतान एक सुरक्षित संप्रेषण प्रणाली पर सरकारी ई–भुगतान गेटवे (जीईपीजी) के माध्यम से कॉम्पेक्ट(COMPACT) से जनित डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित ई–सूचनाओं के माध्यम से सीधे आदाता

के बैंक खाते में किया जाता है।

6. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण(डीबीटी)

चूंकि श्रम और रोजगार मंत्रालय एक कल्याणकारी मंत्रालय है, अतः अनेक स्कीमें डीबीटी स्कीमों के वर्ग में आती हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय ने अपने वेतन एवं लेखा कार्यालयों के माध्यम से श्रम और रोजगार मंत्रालय की स्कीमों के अंतर्गत लाभार्थियों के खाते में सीधे जमा के लिए डीबीटी के अंतर्गत भुगतान किया था। लाभार्थियों के खातों में धन के संवितरण में किसी भी विलम्ब से बचने के लिए मंत्रालय में अधिकांश डीबीटी, ई–भुगतान कार्यात्मकता का उपयोग करते हुए पीएफएमएस के माध्यम से प्रोसेस किए जाते हैं।

7. ई–भुगतान प्रणाली का प्रोसेस प्रवाह

ई–भुगतान प्रणाली के मुख्य अंशः

कार्य सम्पादन के उच्च सुरक्षा मानक और तंत्र प्रचालेख।

पीएओ के अनुप्रयोगों में प्रभावी ई–भुगतानों के लिए सुरक्षा अपेक्षाएं हैं जो इस प्रकार हैं:

- 128 बिट पीकेआई कूटलेखन।
- सूचना का एकीकरणः द्रुतान्वेषण कलन विधि एसएचएआईः पीएओ द्वारा बैंक को इंटरनेट पर प्रेषित किए गए डेटा की गोपनीयता, प्रामाणिकता और निष्ठा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा मानक तैयार किए गए हैं।
- गैर–प्रत्याख्यानः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संस्तुत 128 बिट पीकेआई (सार्वजनिक मुख्य अवसंरचना) पर आधारित प्रमुख जनन/डिजिटल हस्ताक्षर।
- प्रत्येक ई–भुगतान प्राधिकरण एवं स्वचालित संराधन के मदवार मार्गन सहित डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित ई–भुगतान प्राधिकरण।

ई–भुगतान के लाभ

- डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित विशिष्ट ई–प्राधिकरण आईडी का उपयोग करते हुए ऑनलाइन निधि अंतरण के कारण समय और प्रयास की बचत।
- भुगतान की सुरक्षित रीति।
- भुगतान की कार्यप्रक्रिया में पारदर्शिता।
- भौतिक चेक और उनकी दस्ती प्रोसेसिंग का उन्मूलन।
- भुगतानों का ऑनलाइन स्वचालित संराधन।
- लेखों का कुशल संकलन।
- सभी स्तरों पर कार्य–सम्पादनों का पूर्ण मार्ग किसी भी समय पर उपलब्ध है।

वर्तमान में, श्रम और रोजगार मंत्रालय के सभी 7 पीएओ सफलतापूर्वक पीएफएमएस पर कार्यसंचालित हैं। सभी भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किए जाते हैं।

इसके अलावा, सभी 7 पीएओ और डीडीओ में वेतन भुगतान हेतु कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस) और ऑनलाइन जीपीएफ मॉड्यूल दोनों उनके नियंत्रणाधीन सफलतापूर्वक कार्यान्वित किए गए हैं।

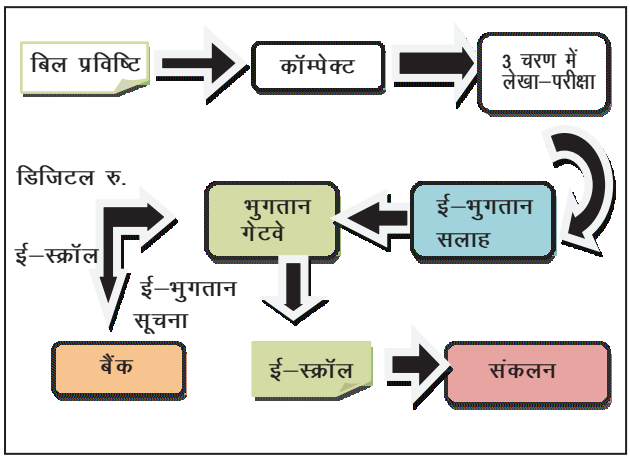

22.3 मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा उनके प्रधान लेखा कार्यालय तथा वेतन एवं लेखा कार्यालयों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021–22 के

दौरान 01 अप्रैल से 31 दिसम्बर, 2021 तक निम्नलिखित कार्य भी किए गएः–

(i) मंत्रालय और इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के बिलों का भुगतान।

(ii) मंत्रालय के स्टाफ के संबंध में वेतन और भत्तों का भुगतान।

(iii) अनुदानग्राही संस्थाओं को अनुदान सहायता का भुगतान।

(iv) मंत्रालय के स्टाफ को दीर्घावधि और अल्पावधि अग्रिमों का भुगतान।

(v) मंत्रालय द्वारा किए गए व्यय के संबंध में आकस्मिक बिलों का भुगतान।

(vi) यात्रा भत्ता और छुट्टी यात्रा रियायत बिलों का भुगतान।

(vii) चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान।

(viii) सेवानिवृत्ति/सेवांत लाभों, दीर्घावधि ऋणों और अग्रिमों का भुगतान तथा भविष्य निधि(एमटीएस से इतर सरकारी कर्मचारियों के संबंध में) से आहरण हेतु भुगतान।

(ix) भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से राज्य सरकारों को ऋणों और अनुदानों का भुगतान (तथा जहां इस कार्यालय का आहरण खाता हो, वहां संघ राज्य–क्षेत्र की सरकारों/प्रशासनों को इनका भुगतान)।

(x) महा लेखानियंत्रक द्वारा यथा विहित रीति में मंत्रालय के मासिक खातों का समेकन।

(xi) मंत्रालय के अनुदान के वार्षिक विनियोजन लेखे, केन्द्रीय सरकार (सिविल) के वित्त लेखा के केन्द्रीय लेन–देनों और सामग्री की विवरणी तैयार करना तथा महालेखा नियंत्रक के समक्ष प्रस्तुत करना।

(xii) मंत्रालय को वित्त एवं लेखा संबंधी मामलों पर सलाह देना।

(xiii) पीएओ को तथा संबंधित पीएओ के माध्यम से चेक आहरण डीडीओ को चेक बुकों की आपूर्ति।

(xiv) मंत्रालय की ओर से मान्यता–प्राप्त बैंक के माध्यम से की गई सभी प्राप्तियों और भुगतानों के सत्यापन और संराधन के लिए महा लेखा नियंत्रक और मान्यता प्राप्त बैंक के साथ संपर्क बनाना।

(xv) मंत्रालय के रोकड़ शेषों का समाधान।

(xvi) कार्यात्मक मंत्रालय द्वारा अपेक्षित कतिपय गतिविधि चलाने के लिए कार्यात्मक मंत्रालय के विभिन्न स्कंधों की ओर से एजेन्ट मंत्रालयों को संस्वीकृतियां जारी करना।

(xvii) भविष्य निधि सहित ऋण और जमा शीर्षों की विभिन्न किस्मों के अंतर्गत अग्रिमों का लेखा बनाना।

(xviii) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर पेंशन भुगतान को अधिकृत करना।

अध्याय-23

रोजगार महानिदेशालय

पृष्ठभूमि

23.1 पुनर्वास एवं रोजगार महानिदेशालय

(डीजीआरएंडई) तथा रोजगार एवं प्रशिक्षणमहानिदेशालय (डीजीईएंडटी), जिसे अब रोजगार महानिदेशालय (डीजीई) के रूप में जाना जाता है, की सीापना भूतपूर्व रक्षा सेवा कार्मिकों और कार्यमुक्त किए गए युद्ध कार्मिकों को नागरिक जीवन में पुनर्वास कराने के प्रयोजन से की गई थी ।

23.2 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्, महानिदेशालय को पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों से संबंधित कार्य भी सौंपा गया। तत्पश्चात, 1948 के प्रारम्भ में सभी श्रेणी के रोजगार चाहने वालों को रोजगार सेवा तथा 1950 में सभी नागरिकों की प्रशिक्षण सेवाओं की व्यवस्था को भी निदेशालय के कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया ।

23.3 प्रशिक्षण और रोजगार सेवा समिति (1952 में स्थापित शिवा राव समिति) की सिफारिशों के अनुसरण में, रोजगार कार्यालयों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का दैनंदिन प्रशासनिक नियंत्रण 01.11. 1956 से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्र एवं राज्यों के बीच लागत सहभागिता आधार पर हस्तांतरित कर दिया गया।

23.4 प्रतिष्ठान की लागत पर होने वाले खर्च का 60 प्रतिशत राज्य सरकारों के साथ केन्द्र द्वारा 31.03.1969 तक वहन किया जाता रहा, जिसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा मई, 1968 में लिए गए निर्णय के आधार पर यह योजना बन्द कर दी गई।

23.5 प्रत्येक क्रमिक पंचवर्षीय योजना के साथ केन्द्र तथा राज्यों में रोजगार सेवा और प्रशिक्षण सेवा के कार्यकलापों में विस्तार होता रहा है। कार्य कर रहे रोजगार कार्यालयों की कुल संख्या 997 (76 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो सहित) है।

रोजगार सेवा हेतु राज्य सरकारों के पास उपलब्ध अवसंरचना;–

- राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार भारत भर में कार्य कर रहे 997 रोजगार कार्यालय (दिव्यांगों (विकलांगो) हेतु 42 विशेष रोजगार कार्यालयों सहित) हैं।
- विभिन्न राज्यों में सामान्य रोजगार कार्यालयों में दिव्यांग व्यक्तियों हेतु 38 विशेष प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं।
- राज्य रोजगार निदेशालय सामान्यतः राज्यों की राजधानी में स्थित हैं।

23.6 वर्तमान में रोजगार महानिदेशालय (डीजीई) की अगुवाई महानिदेशक (रोजगार) द्वारा की जाती है। महानिदेशालय के संगठनात्मक ढाँचे में रोजगार निदेशालय तथा सचिवालय विंग नामक दो मुख्य विंग हैं।

उत्तरदायित्व

रोजगार निदेशालय

- राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रीय रोजगार सेवा के विस्तार एवं विकास हेतु कार्यक्रमों की योजना बनाना एवं निर्माण करना।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रोजगार सेवा के कार्य में समन्वय स्थापित करना।
- रोजगार सेवा कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना तथा स्टाफ प्रशिक्षण सामग्री को विकसित करना।

- राज्यों में रोजगार कार्यालयों की नीतियों, प्रक्रियाओं और कार्य–पद्धतियों के मूल्यांकन का सावधिक कार्यक्रम संचालित करना, ताकि सेवा के प्रगामी विकास हेतु राज्य सरकारों का मूल्यांकन किया जा सके तथा उन्हें परामर्श दिया जा सके और राष्ट्रीय नीतियों, मानकों एवं प्रक्रियाओं का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

- संगठित क्षेत्र एवं रोजगार कार्यालयों के लिए रोजगार बाजार सूचना का संकलन एवं प्रचार–प्रसार करना तथा समान रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं निर्धारित करना।

- बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता एवं कौशल के उपयुक्त करियर के चुनाव एवं योजना बनाने के लिए रोजगार कार्यालयों तथा विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो (यू ई आई जी बी एक्स), एमसीसी के माध्यम से दिए जाने वाले व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं करियर परामर्श सेवा का समन्वय करना।

- विक्लांगों की अवशिष्ट क्षमताओं का मूल्यांकन करना तथा उनके आर्थिक पुनर्वास को सुगम बनाने के लिए उन्हें समायोजन प्रशिक्षण प्रदान करना।

- भारत सरकार के उन मंत्रालयों के कार्यों में समन्वय करना तथा उनसे परामर्श करना जिनके कार्य देश में रोजगार की स्थिति को प्रभावित करते हैं।

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं अत्मविश्वास सृजन में प्रशिक्षण प्रदान करना।

- राष्ट्रीय रोजगार नीति तैयार करना।

सांविधिक उपबंध

23.7 डीजीई द्वारा प्रवर्तित किए गए सांविधिक उपबंध निम्न हैं:–

- रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम। गैर–सांविधिक निकाय डीजीई के तहत कार्य कर रहे हैं:–

गैर–सांविधिक निकाय

23.8 डीजीई के तहत कार्य कर रहे गैर–सांविधिक निकाय राष्ट्रीय रोजगार सेवा पर कार्यकारी समूह है।

रोजगार सेवा हेतु उपलब्ध अवसंरचना

राज्य सरकारों के पास;–

- भारत भर में 997 रोजगार कार्यालय, (दिव्यांगों (विकलांगो) हेतु 42 विशेष रोजगार कार्यालयों सहित) हैं।

- विभिन्न राज्यों में सामान्य रोजगार कार्यालयों में दिव्यांग व्यक्तियों हेतु 38 विशेष प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं।

- राज्य रोजगार निदेशालय सामान्यतः राज्यों की राजधानी में स्थित हैं।

केन्द्र सरकार के पासः

- दिव्यांगों हेतु 24 राष्ट्रीय करियर सेवा केन्द्र (पूर्व में वीआरसी), जिनमें से एक केन्द्र विशेष रूप में दिव्यांग महिलाओं हेतु वडोदरा में स्थापित किया गया है।

- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु 25 राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र (पूर्व में सीजीसी)।

- राष्ट्रीय करियर सेवा संस्थान (एनआईसीएस) (पूर्व में सीआईआरटीईएस) नोएडा (उ.प्र.) में

स्थित है।

- नई दिल्ली में रोजगार निदेशालय के अंतर्गत केन्द्रीय रोजगार कार्यालय।

विशिष्टताएँ

रोजगार सेवा

23.9 डीजीई किसी भी प्रकार की रोजगार सृजन योजना का कार्यान्वयन नहीं करता है। इसकी भूमिका देश में राष्ट्रीय रोजगार सेवा के माध्यम से देश में हो रहे रोजगार सृजन का समन्वय करना और इस पर नजर रखना है। रोजगार सेवा का नेटवर्क 1951 में 18 रोजगार कार्यालयों से बढ़कर 997 रोजगार कार्यालय हो गया है।

23.10 रोजगार कार्यालयों द्वारा निभाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण भूमिका बेरोजगार युवाओं को, वेतन वाले रोजगारों में कमी होने के कारण, स्व–रोजगार उपक्रमों हेतु प्रेरित करना एवं उनका मार्गदर्शन करना है। 22 चुनिन्दा रोजगार कार्यालयों में विशेष स्व–रोजगार संवर्धन प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं।

23.11 रोजगार चाहने वालों को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार परामर्श प्रदान करने के लिए देश के रोजगार कार्यालयों में 409 व्यावसायिक मार्गदर्शन एकक तथा विश्वविद्यालय परिसरों में 76 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो (यूईआईजीबीएक्स) कार्य कर रहे हैं।

राष्ट्रीय रोजगार सेवा

परिचय

23.12 रोजगार सेवा केन्द्र एवं राज्य सरकार का संयुक्त मुद्दा है और डीजीई, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ईएमआई एकत्र करने, व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी परामर्श देने और शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के नियोजन सहित रोजगार सेवाओं द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों, मानकों एवं प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रीय रोजगार सेवा हेतु नीतियां, मानक व प्रक्रियाएं निर्धारित की जाती हैं। राष्ट्रीय रोजगार सेवा पर एक कार्यकारी समूह, जिसमें केन्द्र व राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं, इस परामर्श प्रक्रिया में सहायता करता है। राष्ट्रीय रोजगार सेवा पर कार्यकारी समूह की नियमित बैठकें रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक, श्रम और रोजगार मंत्रालय, की अध्यक्षता में आयोजित की जाती हैं। राज्य के श्रम एवं रोजगार सचिवों / राज्य रोजगार निदेशकों/रोजगार महानिदेशालय के अन्य प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों द्वारा बैठकों में भाग लिया जाता है। कार्यकारी समूह ने राष्ट्रीय रोजगार सेवा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार किया तथा आवश्यक सिफारिशें कीं।

23.13 राष्ट्रीय रोजगार सेवा की विशेषताएं

- राष्ट्रीय रोजगार सेवा के अंतर्गत सिक्किम राज्य को छोड़कर समस्त राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र आते हैं।
- रोजगार कार्यालयों का दैनंदिन प्रशासन संबंधित राज्य सरकारों /संघ शासित प्रदेशों के नियंत्रणाधीन है।
- इसका 997 रोजगार कार्यालयों का नेटवर्क है।
- प्रशासनिक कार्यकरण के एक भाग के रूप में, रोजगार कार्यालय सांख्यिकीय विवरणियों के माध्यम से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं जिनमें प्रत्येक विवरणी में विभिन्न अवधियों के दौरान पंजीकरण, नियोजन, इत्यादि जैसे विशिष्ट क्षेत्र के कार्य शामिल हैं।
- रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा उसके तहत बनाई गई नियमावली के अंतर्गत निर्धारित ई. आर.–I विवरणियों में रोजगार, रिक्तियों, कर्मचारियों का व्यावसायिक एवं शैक्षिक

ढांचा इत्यादि के संबंध में संगठित क्षेत्र (समस्त सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान तथा 10 या अधिक कामगारों वाले समस्त गैर–कृषि निजी क्षेत्र प्रतिष्ठान) से आंकड़े एकत्र किए जा रहे थे। निजी क्षेत्र में 10 से 24 कामगारों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों को स्वैच्छिक आधार पर शामिल किया जाता है। तथापि, ईई (सीएनवी) अधिनियम, 1959/ईई (सीएनवी) नियम 1960 के आवश्यक प्रावधान जो कि नियोक्ताओं द्वारा रोजगार कार्यालयों को अनिवार्य अधिसूचना से संबंधित हैं, अब सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का अंग है तथा नए नियम अधिसूचना की प्रक्रिया में है।

23.14 राष्ट्रीय रोजगार सेवा को राष्ट्रीय करियर सेवा में परिवर्तित करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नवम्बर, 2013 के दौरान एक कार्यकारी समूह गठित किया जिसमें राज्य सरकारों, नियोक्ता संघों के प्रतिनिधि एवं अन्य हितधारी शामिल हैं। इस कार्यकारी समूह की प्रथम बैठक 03 दिसम्बर, 2013 को आयोजित की गई। सेवा की उपयोगिता, पहुंच तथा दक्षता में सुधार करने सहित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत रूप से चर्चाओं एवं ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, राष्ट्रीय रोजगार सेवा की आधारशीला रखते हुए सरकार द्वारा सिफारिशों का अनुमोदन किया गया। एनसीएस परियोजना को कार्यान्वित किया जा चुका है तथा एनसीएस पोर्टल कार्यरत है।

रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959

23.15 रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के तहत नियोक्ताओं द्वारा रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना तथा रोजगार कार्यालयों को रोजगार संबंधी विवरणियां (ई.आर.–I) प्रस्तुत करने का प्रावधान है। यह अधिनियम, सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त प्रतिष्ठानों तथा गैर–कृषि कार्यकलापों में रत और 25 या अधिक कामगारों को नियुक्त करने वाले निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। अधिनियम का प्रवर्तन राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का दायित्व है। अधिकतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस प्रयोजन के लिए विशेष प्रवर्तन तंत्र स्थापित है। अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर श्रम संबंधी संसदीय स्थाई समिति द्वारा विचार–विमर्श किया गया तथा उसने यह सिफारिश की है कि रोजगार कार्यालयों के कार्यों को समाज की आवश्यकताओं के प्रति और–अधिक संगत बनाने के लिए अधिनियम को व्यापक रुप से संशोधित किया जाए तथा मंत्रालय में इसकी जांच की जा रही हैं।

नियोक्ताओं द्वारा रोजगार कार्यालयों को अनिवार्य अधिसूचना से संबंधित ईई (सीएनवी) अधिनियम, 1959/ईई (सीएनवी) नियम 1960 के आवश्यक प्रावधान अब सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंग हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता (सीओएसएस), 2020, 19.09.2020 को लोक सभा में लाई गई थी। इसके पश्चात, इसे संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया तथा भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान की गई तथा 2020 के अधिनियम संख्या 36 के रूप में 29.09.2020 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। नए नियम अधिसूचना की प्रक्रिया में हैं।

राष्ट्रीय रोजगार सेवा का कार्य–निष्पादन'

23.16 997 रोजगार कार्यालयों के नेटवर्क का ब्यौरा **तालिका 23.18** में दिया गया है।

रोजगार कार्यालयों की मुख्य गतिविधियाँ रोजगार चाहने वालों का पंजीकरण, नियोजन, करियर परामर्श तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार बाजार सूचना एकत्रित करना हैं।

तालिका 23.18

➢ **रोजगार कार्यालयों की कुल संख्या, निम्नलिखित को शामिल करती है:**	**997**
➢ **विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो (यू.ई.आई.जी.बी.एक्स.)**	**76**
➢ **व्यावसायिक एवं कार्यकारी रोजगार कार्यालय**	**14**

➢ शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय	42
➢ बागान श्रमिकों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय	01
➢ विशिष्ट रूप से महिलाओं हेतु रोजगार कार्यालय	05

23.17 (31.12.2018) की स्थिति के अनुसार, रोजगार कार्यालयों का कार्य–निष्पादन निम्नानुसार है:

तालिका 23.19

(लाख में)

श्रेणी	पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की सं.	नियोजित रोजगार चाहने वालों की सं.	चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की सं. (लाख में)
पुरुष*	23.9	3.5	265.1
महिलाएं*	14.4	0.6	156.1
कुल*	38.3	4.05	421.2

*अनंतिम

रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण एवं नियोजन की मुख्य विशेषताएं

23.18 पंजीकरण:

दिसम्बर, 2018 के अंत तक पंजीकृत 38.3 लाख रोजगार चाहने वालों की कुल संख्या में से 23.9 लाख रोजगार चाहने वाले पुरुष थे तथा 14.4 लाख महिलाएं थीं। सर्वाधिक रोजगार चाहने वाले व्यक्ति 4.73 लाख व्यक्तियों का पंजीकरण गुजरात में हुआ। इसके बाद केरल और महाराष्ट्र थे, जिनमें प्रत्येक राज्य में पंजीकरण 4 लाख से अधिक था।

23.19 नियोजन:

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से जिन 4.05 लाख रोजगार चाहने वालों को रोजगार प्राप्त हुआ, उनमें से 0. 55 लाख महिलाएं थीं। इसी अवधि में सर्वाधिक नियोजन 3.40 लाख गुजरात में हुआ था।

23. 20 चालू रजिस्टर:

चालू रजिस्टर पर दर्ज 421.20 लाख रोजगार चाहने वालों की कुल संख्या में से 265.10 लाख रोजगार चाहने वाले पुरुष हैं तथा 156.10 लाख रोजगार चाहने वाली महिलाएं हैं। अधिकतम रोजगार चाहने वालों की संख्या पश्चिम बंगाल और उसके बाद तमिलनाडु में थी।

23.21 वर्ष 2008–2018 की अवधि के लिए वर्ष–वार पंजीकरण, नियोजन, अधिसूचित रिक्तियां, भेजे गए नाम तथा चालू रजिस्टर तालिका सं. 23.23 में दिए गए है।

तालिका 23.23

(हजार में)

वर्ष	रोजगार कार्यालय, यूईआईजीबीएक्स	जीकरण	नियोजन	अधिसूचित रिक्तियां	भेजे गए नाम	चालू रजिस्टर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2008	968	5315.9	305.0	570.8	3344.0	39112.4
2009	969	5693.7	261.5	419.5	2589.3	38152.2
2010	969	6186.0	505.4	706.9	3747.1	38818.5
2011	966	6206.3	471.5	819.7	5142.9	40171.6
2012	956	9722.2	427.6	682.8	2982.2	44790.1
2013	956	5969.4	348.5	510.7	3002.1	46802.5
2014	978	5957.2	338.5	762.0	4220.4	48261.1
2015	978	6939.4	395.0	810.3	4307.6	43502.7
2016	997	5959.9	405.5	1401.4	3906.4	43376.1
2017	997	3948.9	424.6	813.2	1851.1	42444.9
2018	997	3831.3	404.7	1225.3	2584.64	42122.3

केन्द्रीय रोजगार कार्यालय, दिल्ली

23.22 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय रोजगार कार्यालय, डीजीई केंद्रीय सरकारी प्रतिष्ठानों में वैज्ञानिक तथा तकनीकी स्वरूप वाली 1400–2300/–रुपए (पूर्व संशोधित), अथवा उससे अधिक के वेतनमान में सरकारी प्रतिष्ठानों की रिक्तियों का विज्ञापन करने हेतु उत्तरदायी है। डीओपीटी द्वारा निर्धारित संशोधित प्रक्रिया के अनुसार ईई(सीएनवी) अधिनियम, 1959 (अब सामाजिक सुरक्षा संहिता के एक भाग के रूप में परिकल्पित की गई) के अनुसार सीईई को अधिसूचित सभी रिक्तियों को केंद्रीय रोजगार कार्यालय (सीईई) द्वारा रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापित किया जाना है। इसके अतिरिक्त, ऐसी रिक्तियों को नवम्बर, 2016 में डीओपीटी द्वारा जारी अनुदेशों के द्वारा राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल पर भी रखा जाना है।

रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम (ई.एम.आई.) कार्य–क्षेत्र, विस्तार एवं सीमा

23.23 संगठित क्षेत्र में रोजगार संबंधी आंकड़े रोजगार बाजार सूचना (ईएमआई) कार्यक्रम के अंतर्गत एकत्र किए जा रहे थे जिसे रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 व इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा सांविधिक आधार प्रदान किया जाता है। फिर भी, नियोक्ताओं द्वारा रोजगार कार्यालयों को अनिवार्य अधिसूचना से संबंधित ईई (सीएनवी) अधिनियम, 1959/ईई (सीएनवी) नियम 1960 के आवश्यक प्रावधान अब सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंग हैं तथा नए नियम अधिसूचना की प्रक्रिया में हैं।

विशेष श्रेणियों को रोजगार सहायता

23.24 रोजगार सेवा के अन्तर्गत पूर्व की तरह ही महिलाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांगों तथा दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक जैसे रोजगार चाहने वाले कमजोर वर्गों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास जारी रखे गए। कमजोर वर्ग पर कार्यक्रमों के ब्यौरे अध्याय 24 में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय करियर सेवा

23.25 मंत्रालय रोजगार मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों, शिक्षुता, इन्टर्नशिप पर सूचना, आदि जैसी विभिन्न रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार सेवा के रूपान्तरण हेतु एक मिशन मोड परियोजना के रूप में राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। एनसीएस के तहत सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं तथा सीधे ही करियर केंद्रों, सामान्य सेवा केंद्रों, डाक घरों, मोबाइल उपकरणों, साइबर कैफे आदि के माध्यम से इन्हें देखा जा सकता है। एनसीएस मंच पर रोजगार चाहने वाले, उद्योग, नियोक्ता, रोजगार कार्यालय (करियर केंद्र), प्रशिक्षण प्रदाता, शैक्षिक संस्थान तथा नियोजन संगठन सहित विभिन्न हितधारक उपलब्ध हैं। इस परियोजना में तीन महत्वपूर्ण घटक शामिल है। नामतः एनसीएस पोर्टल (www.ncs.gov.in) (II) आदर्श करियर केंद्र; तथा (III) एनसीएस पोर्टल के साथ रोजगार कार्यालयों को आपस में जोड़ना।

23.26 एनसीएस के तहत सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं तथा सीधे ही करियर केंद्रों, सामान्य सेवा केंद्रों, डाक घरों, मोबाइल उपकरणों, साइबर कैफे आदि के माध्यम से इन्हें देखा जा सकता है। एन सी एस मंच पर विभिन्न हितधारकों में रोजगार चाहने वाले, उद्योग, नियोक्ता, रोजगार कार्यालय (करियर केंद्र), प्रशिक्षण प्रदाता, शैक्षिक संस्थान तथा नियोजन संगठन शामिल हैं।

23.27 एनसीएस पोर्टल (एनसीएसपी) को यूआरएल (www.ncs.gov.in) पर आरंभ कर दिया गया है। यह पोर्टल भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 20.07.2015 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। प्रयोगकर्ताओं की सहायता के लिए मंगलवार से रविवार तक एक समर्पित हेल्पडेस्क (बहु–भाषी) (सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक) 18004251514 पर भी उपलब्ध है। ये सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध है। इस पोर्टल पर सभी उपयोगकर्त्ताओं की पहुंच है जिसमें रोजगार चाहने वाले, नियोक्ताओं, प्रशिक्षण प्रदाता, नियोजन संगठन, करियर परामर्शदात्ता शामिल हैं, यह पोर्टल रोजगार मेलों के आयोजन को भी सुगम बनाता है, जहां नियोक्ता तथा रोजगार चाहने वाले दोनों परस्पर संपर्क कर सकते हैं।

एनसीएस पोर्टल के संक्षिप्त आंकडे नीचे दिए गए हैं:

राष्ट्रीय करियर सेवा		
क्र.सं.	**मापदंड**	**31 दिसम्बर, 2021 को संख्या**
1.	पंजीकृत सक्रिय रोजगार चाहने वालें	1.35 करोड़
2.	पंजीकृत सक्रिय नियोक्ताओं की संख्या	175043
3.	जुटाई गई सक्रिय रिक्तियां	150440
4.	जुटाई गई कुल रिक्तियां	92.12 लाख

23.28 करियर परामर्श पर सरकार के संकेन्द्रण के साथ, मंत्रालय द्वारा करियर सलाहकारों के एक नेटवर्क को सृजित किया गया है, जहां करियर केंद्र अपने क्षेत्र में करियर परामर्श का एक हब बन चुके हैं। इस प्रक्रिया के तहत, एनसीएस पोर्टल पर विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 9000 करियर परामर्शदाता पंजीकृत किए गए, जिनमें से 700 नियमित रूप से अपने कार्यक्रम एनसीएस पोर्टल पर प्रकाशित कर रहे हैं।

23.29 एनसीएस पोर्टल करियर एवं रोजगार संबंधी सेवाओं के वितरण हेतु संस्थानों एवं संगठनों की भागीदारी हेतु एक खुली संरचना भी प्रदान करता है। एनसीएस पोर्टल ने संकेन्द्रित क्षेत्रों अथवा अन्यों में सेवाओं के श्रेणिकरण तथा वितरण में सुधार की सहायता के लिए विशिष्ट पृष्ठ विकसित किए हैं। भागीदार संस्थानों को गैर–विशेष आधार पर सेवाओं के वितरण में सुधार के लिए एनसीएस पोर्टल पर उपयुक्त स्थान तथा लिंक प्रदान किया जाएगा तथा यह प्रवोधन प्रणालियों के प्रति उत्तरदायी होगा। हमारे कार्यबल को ज्यादा से ज्यादा रोजगार अवसर प्रदान कराने के लिए मंत्रालय ने अनेक संस्थानों तथा संगठनों का सहयोग लिया है, इनमें से कुछ अग्रणी संगठन/जॉब पोर्टल इस प्रकार हैं जैसे हायर मी, टाइम्स जॉब, फ्रेशर्स वर्ल्ड, फ्रेशर्स लाइव, क्वेस कॉर्प लिमिटेड, टीसीएस आईओएन, कैसियस टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड, फस्ट जॉब, आदि। डीओपीटी के अनुदेशों के अनुसार, रिक्तियों को एनसीएस पोर्टल (ncs.gov.in), जिसे श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया, पर भी डाला जाना अनिवार्य होगा।

23.30 एनसीएस पोर्टल ने यूपीएससी द्वारा उनके सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना के तहत प्रकाशित असंस्तुतय इच्छुक अभ्यर्थियों की जानकारी प्रदान की है। नियोक्ता इस सूची को एनसीएस के होम पेज तथा नियोक्ता भाग में पा सकते हैं तथा उन्हें रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए उपयुक्त नियोजनीय अभ्यर्थियों से संपर्क कर सकते हैं।

23.31 एनसीएस परियोजना के लिए विभिन्न अवसरों पर राज्य सरकारों के साथ अनेक बार विचार–विमर्श किया गया। राष्ट्रीय करियर सेवा एवं करियर केन्द्रों की संरचना को तैयार करने में प्रमुख मंत्रालय, शैक्षिक जगत एवं उद्योग शामिल रहे हैं। एनसीएस के अन्तर्गत, मौजूदा परामर्श संबंधी साहित्य को डिजिटाइज करके करियर परामर्श संबंधी विषय–वस्तु का ज्ञान–संग्रह सृजित करने और इसे हितधारियों द्वारा आवधिक रूप से अद्यतन करने और विभिन्न उपयोगकर्ताओं तक इसे सुगम बनाने का प्रस्ताव है। एनसीएस के तहत विभिन्न पहलुओं के लिए बहु–हितधारक विशेषज्ञ समूहों का गठन किया गया है, जैसे कैरियर काउंसलर का नेटवर्क, मूल्यांकन उपकरण, ग्रामीण आउटरीच रणनीति आदि परियोजना के संचालन के लिए समितियों का गठन भी किया गया है।

23.32 एनसीएस परियोजना में आदर्श करियर केंद्र (एमसीसी) की स्थापना की भी परिकल्पना की गई है, जो एनसीएस का एक वस्तुपरक मॉडल है, जिसमें अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा है और यह राज्यों तथा अन्य संस्थानों के सहयोग से आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से रोजगार चाहने वालों और नियोक्ताओं के लिए करियर परामर्श के केंद्र के रूप में कार्य करेगा और करियर से संबंधित सेवाएं भी प्रदान करेगा (जैसे रोजगार मेलों के आयोजन, नियोक्ताओं को संगठित करना, स्थानीय स्तर पर करियर परामर्श प्रदान करना आदि)। सरकार प्रस्तावों तथा योजना के दिशा निदेशों के आधार पर इन केंद्रो को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इन आदर्श केंद्रों को राज्यों द्वारा उनके अपने संसाधनों से दोहराया जा सकता है सरकार ने 207 आदर्श करियर केंद्रों (7 गैर–पोषित सहित) की स्थापना को अनुमोदन दे दिया है। एमसीसीज प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए रोजगार संबंधी विविध सेवाएं प्रदान के लिए आदर्श केंद्र सृजित करने की परिकल्पना करते हैं। इसके अलावा, 15वें वित्तीय चक्र के दौरान 200 और एमसीसी की स्थापना का भी प्रस्ताव किया गया है।

23.33 एनसीएस परियोजना को एनसीएस पोर्टल के साथ 997 रोजगार कार्यालयों को जोड़ने के लिए भी बढ़ाया गया है और इस योजना के तहत भारत सरकार राज्यों को रोजगार मेले आयोजित करने, आईटी के उन्नयन और रोजगार कार्यालयों के बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण के लिए धन उपलब्ध करा रही है। अब तक, 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान प्रदान किया जा चुका है। एनसीएस पोर्टल के साथ राज्य

डेटाबेस को जोड़ने के लिए एपीआई एकीकरण 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पूरा हो गया है और 5 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सीधे एनसीएस पोर्टल पर पंजीकरण कर रहे हैं। कोविड–19 महामारी की अवधि (30 जून 21 तक) के दौरान ऑनलाइन आयोजित 997 रोजगार मेलों के माध्यम से 13 हजार से अधिक उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब तक, 2021 (21 जनवरी से 21 दिसंबर) के दौरान राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) के तहत लगभग 546 ऑनलाइन रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है, जिसमें 12 हजार से अधिक रोजगार चाहने वालों ने भाग लिया और 3,547 अभ्यर्थियों को चयन सूची बनाई गई।

23.34 समानांतर कार्यवाही के रूप में, मंत्रालय ने राष्ट्रीय रोजगार सेवा के अधिकारियों के क्षमता–निर्माण के लिए तथा राष्ट्रीय करियर सेवाओं के क्षेत्र में उन्मुख, पुनश्चर्या तथा विशिष्ट प्रशिक्षण की बहु–आयामी कार्यनीति के अंतर्गत आदर्श करियर केंद्रों में युवा पेशेवरों की तैनाती के लिए एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है। राष्ट्रीय करियर सेवाओं, जैसे करियर परामर्श प्रशिक्षण, पोर्टल प्रबंधन प्रशिक्षण, एसआईवाईबी प्रशिक्षण आदि, के अनेक मॉड्यूल्स पर 412 (31.12.2021 तक) से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

23.35 एनसीएस पोर्टल के पास समस्त हितधारकों अर्थात् करियर केंद्रों, नोडल अधिकारियों तथा नियोक्ताओं को शामिल करने के द्वारा रोजगार मेला कार्यकलाप की प्रक्रिया को एक एकल ऑनलाइन मंच पर लाने के लिए एक रोजगार मेला मॉड्यूल है। यह ऑनलाइन तथा परिसर पर चालू, आगामी रोजगार मेलों एवं ईवेंट अथवा पूर्वकालिक ईवेंट के बारे में सूचना एकत्र करने में सहायता करता है, जिसे की होम पेज पर दिए गए लिंक पर कैलेंडर व्यू के रूप में दर्शाया जाता है। राज्य, जिला एवं उद्योग द्वारा रोजगार मेले कैलेंडर पर तलाशनीय हैं। करियर केंद्र रोजगार मेले कैलेंडर तलाशनीय हैं। करियर केंद्र रोजगार मेलें लगा सकते हैं तथा नियोक्ताओं एवं रोजगार चाहने वालों को रोजगार मेले में भाग लेने में समर्थ बनाते हैं। पोर्टल रोजगार मेलों, जहां नियोक्ता तथा रोजगार चाहने वाले–दोनों ही बातचीत कर सकते हैं, के आयोजन को भी सुकर बनाते हैं। डीजीई ने शुरूआत से (26 जनवरी 2022 तक) 6700 से अधिक रोजगार मेलों (ऑनलाइन और ऑफलाइन) का आयोजन किया है, जिनमें से 1362 रोजगार मेले 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2021 के दौरान आयोजित किए गए थे।

23.36 एनसीएस ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ भागीदारी की है और डिजिटल कौशल प्रदान करके युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए एक संयुक्त डिजिटल कौशल कार्यक्रम – डिजी सक्षम लॉन्च किया है, जो एक तेजी से प्रौद्योगिकी संचालित युग में आवश्यक है। यह पहल बेहतर करियर के अवसरों के लिए डिजिटल कौशल हासिल करने के लिए ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों के युवाओं का समर्थन करने के लिए सरकार के चल रहे कार्यक्रमों का विस्तार है। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं हैं: (i) रोजगार के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के सरकार के त्वरित प्रयासों का समर्थन करना; (ii) मानकीकृत पाठ्यक्रम और सामग्री विकसित करना जो उद्योग की लगातार विकसित हो रही मांगों को पूरा करने में सक्षम हो; और (iii) ज्ञान प्राप्ति और कौशल विकास के माध्यम से 'युवाओं' को 'कार्यस्थल के लिए तैयार पेशेवर' में बदलना। इस कार्यक्रम के तहत, एनसीएस रोजगार चाहने वालों को सेल्फ–पेस्ड लर्निंग, वर्चुअल इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग मोड और इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग मोड के माध्यम से एक्सेल, एज़्योर, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स और एचटीएमएल जैसे विभिन्न मुफ्त पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। डिजी सक्षम कार्यक्रम समाज के वंचित समूहों से संबंधित अर्ध शहरी क्षेत्रों के रोजगार चाहने वालों को प्राथमिकता देता है, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कोविड –19 महामारी के कारण अपना रोजगार खो दिया है।

23.37 एनसीएस अपने प्रयोगकर्त्ताओं के लिए एनसीएस योजना के बारे में अपडेट्स बताने के लिए मासिक आधार पर सामाचार पत्र प्रकाशित कर रहा है। इसमें एनसीएस पोर्टल में हाल ही में जोड़ी गई विभिन्न नई सेवाएं तथा विशेषताएं शामिल हैं। यह ऑनलाइन एवं ऑफलाइन रोजगार मेलों, ईवेंट एवं प्रशिक्षण, जिन्हें विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है, पर अद्यतनीकरण भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक समाचार पत्र में किसी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर करियर संबंधी

पूर्ण सूचना होती है। यह रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं की सफलता की कुछ कहानियां भी दर्शाता है। ये समाचार पत्र प्रति माह अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा में पोर्टल पर प्रकाशित किए जाते हैं तथा प्रत्येक माह के अंत में समाचार–पत्र के साथ एक ई–मेल अधिसूचना एनसीएस से पंजीकृत समस्त प्रयोगकर्त्ताओं को भेजा जाता है।

प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई)

23.38 रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 9 अगस्त, 2016 को प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ के माध्यम से नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस (समय–समय पर यथा स्वीकार्य) के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (अर्थात् 12%) का भुगतान कर रही है। योजना का लक्ष्य 15,000 रुपए प्रतिमाह तक कमाने वाले कर्मचारियों के लिए है तथा इसका उद्देश्य बड़ी संख्या में अनौपचारिक कामगारों को औपचारिक कार्यबल में भी लाना है। प्रतिष्ठान के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 है।

प्रारंभ में, सरकार इन नए कर्मचारियों के संबंध में सभी क्षेत्रों हेतु नियोक्ता के 8.33% ईपीएस अंशदान का भुगतान कर रही थी। इस योजना के लाभों को प्रधान मंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमपीआरपीवाई) के तहत बने–बनाए एवं परिधान क्षेत्र हेतु तक भी विस्तारित कर दिया गया था जहां पर सरकार इन नए कर्मचारियों के संबंध में नियोक्ता के अतिरिक्त 3.67% ईपीएफ अंशदान का भुगतान कर रही थी और इस प्रकार कुल प्रोत्साहन को 12% तक लाया गया। सभी क्षेत्रों हेतु नियोक्ताओं के संपूर्ण 12% अंशदान के लाभ प्रदान कराने हेतु सीसीईए के अनुमोदन से इस योजना के सीमा क्षेत्र को 1.4.2018 से बढ़ा दिया गया।

इस योजना का दोहरा लाभ है। जहां, एक ओर नियोक्ताओं को प्रतिष्ठान में कामगारों के रोजगार आधार को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है वहीं दूसरी ओर इन कामगारों की संगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच होगी। इस योजना के तहत सभी लाभार्थी आधार से जुड़े हैं।

31 दिसम्बर, 2021 तक, 1.21 करोड़ (ब्यौरा अध्याय 6 में) लाभार्थियों को शामिल करते हुए 1.52 लाख प्रतिष्ठानों को 9255.32 करोड़ रुपए का कुल लाभ प्रदान किया गया है।

अजा/अजजा हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र

23.39 अजा/अजजा हेतु पच्चीस राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र 25 राज्यों में स्थापित किए गए है। इन केंद्रों के माध्यम से अजा/अजजा के रोजगार चाहने वालों के लिए आत्मविश्वास–सृजन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे 14 केंद्रों में अजा/अजजा के रोजगार चाहने वालों को टंकण एवं आशुलिपि में अभ्यास हेतु सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ये केंद्र समूह 'ग' एवं समतुल्य पदों हेतु कर्मचारी चयन आयोग तथा अन्य भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परिक्षाओं में अजा/अजजा के अभ्यर्थियों की नियोजनीयता में सुधार के लिए भर्ती–पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाते रहे हैं। एनसीएससी–अजा/अजजा के ब्यौरे अध्याय 24 में दिए गए हैं।

अन्यथा सक्षम व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र

23.40 दिव्यांगजन हेतु चौबीस एनसीएससी (पूर्व में

वीआरसी) देश में कार्य कर रहे हैं, जिसमें से वड़ोदरा स्थित एक केंद्र विशेष रूप से दिव्यांग महिलाओं हेतु स्थापित किया गया है। ये केंद्र दिव्यांग व्यक्तियों की अवशिष्ट क्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं तथा उन्हें आर्थिक मुख्यधारा में लाने तथा देश का उत्पादक नागरिक बनाने के उद्देश्य से उन्हें समायोजन प्रशिक्षण तथा कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। ये केंद्र दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास में जन जागरूकता तथा सामुदायिक भागीदारी सृजित करने में पूर्व–सक्रिय भूमिका निभाते हैं। 2021–21 के दौरान इन केंद्रों में 6999 दिव्यांग व्यक्तियों का पंजीकरण, 6968 का मूल्यांकन एवं 2742 का पुनर्वास किया गया है। 2021 के दौरान (31.12.2021 तक) इन केंद्रों में 13753 दिव्यांग व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया, 13715 का मूल्यांकन किया गया तथा 4389 का पुनर्वास किया गया। कुशल कार्यबल की मांग तथा आपूर्ति के मध्य समन्वय के लिए, सरकार ने अन्यथा सक्षम व्यक्तियों हेतु एनसीएससी में दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु 5 आदर्श करियर केंद्रों की स्थापना की है। ये केंद्र दिव्यांग युवाओं हेतु प्रमुख कार्यकलापों के रूप में करियर परामर्श पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उन कौशल वृद्धि पाठ्यक्रमों को करने हेतु उन्हें प्रेरित करता है जो बाजार प्रेरित हैं। एनसीएससी–डीए के अधिकारियों को व्यावसायिक परामर्श तकनीकों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इन केंद्रों में आऊटरीच परामर्श सत्र तथा रोजगार–मेले एक प्रमुख कार्यकलाप है। एनसीएससी–डीए पर ब्यौरे अध्याय 24 में दिए गए हैं।

23.41 अन्य सक्षम भूतपूर्व सैनिकों/सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों एवं उनके आश्रितों को नियोजन सेवा रोजगार महानिदेशालय (मु.) में स्थित भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के माध्यम से प्रदान किया जाता है और आगे ब्यौरे के लिए कृपया अध्याय 24 के पैरा 24.14 का संदर्भ लें।

23.42 आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई)

सरकार ने कोविड़ पश्च बहाली चरण में अर्थव्यवस्था को बढ़ाने तथा रोजगार सृजन में वृद्धि करने के लिए आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के अंग के रूप में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संबंध में घोषित किए गए उपायों में से एक है

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जिसके अंतर्गत

ईपीएफओ से पंजीकृत प्रत्येक प्रतिष्ठान तथा उनके नए कर्मचारी लाभान्वित होंगे यदि प्रतिष्ठानों द्वारा नए कर्मचारियों अथवा 01.03.2020 से 30.09.2020 के मध्य रोजगार गंवा देने वाले कर्मचारियों को कार्य पर रखा जाता है।

इस योजना में कोविड–19 बहाली चरण के दौरान नए रोजगार अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करने की संकल्पना की गई है। कोविड–19 महामारी के कारण देश में अनिश्चितता के कारण मांग प्रभावित हुई है तथा इस अनिश्चितता के कारण, नियोक्ताओं द्वारा नए रोजगार सृजन को सीमित करने की प्रवृति बनी है। प्रस्तावित योजना नियोक्ताओं को नए रोजगार के सृजन एवं अनौपचारिक रोजगार के औपचारीकरण हेतु प्रोत्साहित करेगी तथा अनिश्चितता को घटाने एवं नए कामगारों के व्यय से अर्थव्यवस्था में मांग सृजित करने में सहायता करेगी।

09 दिसम्बर, 2020 को आयोजित बैठक में मंत्रिमंडल द्वारा एबीआरवाई योजना का अनुमोदन किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार 1 अक्तूबर, 2020 को अथवा उनके उपरांत 31 मार्च, 2022 तक नए कर्मचारियों के संबंध में दो वर्षों के लिए सब्सिडी प्रदान करेंगी एवं 1000 से अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के ईपीएफ अंशदानों के 12% का भुगतान करेगी और 1000 कर्मचारियों तक नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान, जिसमें कर्मचारियों का मासिक वेतन 15000/– रु. से कम है, उन्हें कर्मचारियों के अंशदान एवं नियोक्ताओं के ईपीएफ अंशदान के लिए मजदूरी के 24% का भुगतान होगा।

31 दिसंबर तक 1,21,778 प्रतिष्ठानों के माध्यम से 43,11,922 लाभार्थियों को 3002.85 करोड़ रुपये का लाभ दिया गया है। एबीआरवाई के तहत वर्ष–वार विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	यूनिक लाभार्थी यूएन	यूनिक लाभार्थी प्रतिष्ठान	सवितरित राशि (रु. करोड़ में)
2020-21	12,97,120	56,225	351.07
2021-22 (01.01.2021-31.12.2021	43,11,922	1,21,778	2651.78

राष्ट्रीय करियर सेवा संस्थान

23.43 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, रोजगार महानिदेशालय के तहत अक्तूबर 1964 में राष्ट्रीय करियर सेवा संसधान (पूर्व में केंद्रीय रोजगार सेवा संबंधी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संसधान) को रोजगार सेवाओं में अनुसंधान व प्रशिक्षण के लिए स्थापित किया गया था। बाद में इस संस्थान को 1970 में प्रकाशित करियर साहित्य के कार्य के साथ बढ़ाया गया था और पुनः 1987 में स्व–रोजगार के व्यवसायिक अनुसंधान तथा विस्तार का उत्तरदायित्व भी इसे दे दिया गया। अब, मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई–शासन प्लान (एनई–जीपी) के तहत रोजगार कार्यालय मिशन मोड का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत, एनआईसीएस नोएडा (पूर्व में सीआईआरटीईएस) को एनसीएस के तहत क्षमता निर्माण के लिए नोडल संस्थान के रूप में घोषित किया गया है। एनआईसीएस, एनसीएस परियोजना के समस्त हितधारकों जैसे नियोक्ताओं, रोजगार चाहने वाले, प्रशिक्षण प्रदाता, विश्वविद्यालय छात्र/परामर्श दात्ता/नियोजन संगठन सरकार संस्थान, राज्य सरकारों राष्ट्रीय रोजगार सेवाओं के व्यय अधिकारी जो केंद्रीय एवं राज्य सरकारों में कार्य कर रहे हैं आदि को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है। एनआईसीएस श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की मुख्य युवा पेशवर योजना के कार्यान्वयन के रूप में भूमिका निभा रहा है। और एनसीएस परियोजना के तहत देश भर में आदर्श करियर केंद्रों की गतिविधियों का समन्वय कर रहा है।

23.44 आदर्श करियर केंद्रों (एमसीसी) के रूप में एनआईसीएस विभिन्न गतिविधियों जैसे रोजगार चाहने वालों का पंजीकरण, करियर परामर्श सत्रों, रोजगार/नियोजन मेलों के आयोजन का संचालन और स्थानीय सेवा प्रदाताओं आदि गतिविधियों के आयोजन के लिए उत्तरायी है। अप्रैल, 2021 से दिसम्बर, 2021 के दौरान एमसीसी, नोएडा ने 24 रोजगार अभियानों का आयोजन किया।

एनआईसीएस में प्रशिक्षण कार्यकलाप

- दिसम्बर, 2021 तक रोजगार सेवाओं के अधिकारियों, एवं वाईपी के लिए उन्नीस (19) क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी) आयोजित किए गए और उपरोक्त लिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 412 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया।
- दिसम्बर, 2021तक एनआईसीएस के विभिन्न हितधारियों के लिए बाईस (22) उन्नमुख कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किए गए और उपरोक्तलिखित उन्मुख कार्यक्रमों में 985 लोगों ने उपस्थिति दर्ज की।
- दिसम्बर, 2021तक एनआईसीएस के विभिन्न हितधारियों के लिए 16 कार्यशालाएं आयोजित की गई है और उपरोक्त लिखित कार्यशाला कार्यक्रम में 482 लोगों ने उपस्थित दर्ज की।
- दिसम्बर, 2021तक रोजगार चाहने वालों के लिए बीस (20) नियोजनीयता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और 1996 प्रशिक्षुओं ने कार्यक्रम में भाग लिया।

23.45 एनआईसीएस में राष्ट्रीय करियर सेवा कार्यकलाप

- एनआईसीएस क्षमता निर्माण के लिए नोडल संस्थान होने के नाते, एनसीएस परियोजना के सभी हितधारकों, रोजगार सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।
- एनसीएस परियोजना के तहत विभिन्न एमसीसी में तैनात युवा पेशेवरों के कार्य का प्रबंधन एवं कार्यान्वयन।
- एनआईसीएस, नोएडा के ई–न्यूज पत्र का मासिक प्रकाशन।
- राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल का सुधार एवं आंकड़ा विश्लेषण।

अध्याय-24

विशेष श्रेणियों को रोजगार सहायता

24.1 रोजगार सेवा के अन्तर्गत पूर्व की तरह ही महिलाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांगों तथा दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक जैसे रोजगार चाहने वाले कमजोर वर्गों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास जारी रखे गए।

अजा/अज जातियों हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र

24.2 अजा/अजजा हेतु अध्यापन–सह–मार्गदर्शन केंद्र (अब अज/अजजा हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र के रूप में घोषित) की स्थापना रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (अब रोजगार महानिदेशालय), श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई थी। ये केंद्र रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अजा/अजजा के रोजगार चाहने वालों की अध्यापन, परामर्श एवं संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से नियोजनीयता बढ़ाने हेतु उन्हें सेवाएं प्रदान करते हैं। इन केंद्रों द्वारा आयोजित किए गए कुछ कार्यक्रमों में आत्मविश्वास सृजन, व्यक्तिगत मार्गदर्शन, कृत्रिम साक्षात्कार, टंकण, आशुलिपि एवं कम्प्यूटर आदि में प्रशिक्षण शामिल हैं। सीजीसी योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं:

i) व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं करियर संबंधी सूचना प्रदान करना;

ii) रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अजा/अजजा के शिक्षित रोजगार चाहने वालों को उपयुक्त व्यवसायों में लगाना; तथा

iii) अध्यापन/प्रशिक्षण/मार्गदर्शन के माध्यम से उनकी नियोजनीयता में वृद्धि करना।

यह योजना प्रायोगिक आधार पर 4 केन्द्रों में 1969–70 में आरंभ की गई थी। योजना की सफलता के मद्देनजर, इसका विस्तार उन्नीस और राज्यों में चरणबद्ध रूप से किया गया। वर्तमान में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए पच्चीस राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र पच्चीस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं जिसमें दिल्ली, जबलपुर, कानपुर, चेन्नई, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, जयपुर, राँची, सूरत, आइजोल, बंगलौर, इम्फाल, हिसार, नागपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, मंडी, कोहिमा, जोवई, जम्मू, जालंधर, नाहरलागुन, पुडुचेरी एवं विशाखापट्टनम प्रत्येक में ऐसा एक–एक केंद्र स्थित है। जोवई एवं विशाखापट्टनम के राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्रों को कार्यात्मक बनाने की प्रक्रिया चल रही है।

इसके अतिरिक्त, इनमें से चौदह केन्द्र आशुलिपि एवं टंकण में प्रशिक्षण हेतु सुविधाएं प्रदान करते हैं। जनवरी, 2021 से दिसंबर, 2021 तक विभिन्न राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्रों की वास्तविक उपलब्धियां और जनवरी, 2022 से मार्च, 2022 तक का अनुमान नीचे दिया गया है:

कार्यकलाप	शामिल किए गए अभ्यर्थियों की संख्या (जनवरी, 2021 से दिसम्बर, 2021)	अनुमानित अभ्यर्थियों की संख्या (जनवरी, 2022 से दिसम्बर, 2022)
एनसीएस पर पंजीकरण	13471	3550
व्यक्तिगत मार्गदर्शन/करियर सूचना	25275	2915
आत्मविश्वास सृजन कार्यक्रम	26324	2475
टंकण एवं आशुलिपि में प्रशिक्षण	18859	1740
भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण (पीआरटी)	2229	625

ये केन्द्रः

- अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को रोजगार से संबंधित अध्यापन–सह– मार्गदर्शन प्रदान करना।
- परीक्षा/साक्षात्कार के प्रकार और रोजगार की अपेक्षाओं संबंधी वह जानकारी उपलब्ध कराना जिसका नियोक्ताओं द्वारा बुलाए जाने पर संभावित रूप से सामना करना पड़े गा।
- आरक्षित रिक्तियों के प्रति प्रस्तुति का परिणाम जानने के लिए नियोक्ताओं के साथ उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- रोजगार चाहने वालों के लिए व्यावसायिक सूचना/व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श और आत्मविश्वास सृजन कार्यक्रमों के आयोजन के साथ–साथ रोजगार विकसित करने संबंधी कार्य करना।
- रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत आवेदकों को उनके पंजीकरण के समय और जब वे अधिसूचित रिक्तियों के लिए प्रायोजित किए जाते हैं, तब मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। केन्द्र, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों हेतु आरक्षित रिक्तियों के मामले में नियोजन हेतु नियोक्ताओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई भी करता है।
- आइजोल, हिसार, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, मंडी, कोहिमा, जोवई, जम्मू, जालंधर, नाहरलागुन और विशाखापट्टनम स्थित राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्रों को छोड़कर उक्त केन्द्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों को आशुलिपि एवं टंकण में अभ्यास की सुविधाएं प्रदान करना।
- समय–समय पर, विभिन्न नियोजनकर्ता प्राधिकरणों तथा भर्ती अभिकरणों के सहयोग से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की नियोजनीयता में सुधार के लिए उनके लिए कर्मचारी चयन आयोग आदि द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा समूह 'ग' पदों पर भर्ती हेतु पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करना।

24.3 अनु.जा./अ.ज.जा. हेतु विशेष अध्यापन योजना की मुख्य विशेषताएं

- अजा/अजजा हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र के जरिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को समूह 'ग' पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं/चयन परीक्षाओं हेतु तैयार करने के लिए एक विशेष अध्यापन योजना चलाई जा रही है।
- अध्यापन की अवधि 11 माह है तथा प्रशिक्षुओं को मुफ्त पाठ्यक्रम पुस्तकों और सीमित लेखन सामग्री के अलावा वृत्तिका प्रदान की जाती है। शिक्षण संस्थाओं को अनु.जा./अनु.जन.जा. के अभ्यर्थियों को अध्यापन प्रदान करने के लिए व्यावसायिक प्रभार दिए जाते हैं।
- यह योजना 1973 में प्रायोगिक आधार पर दिल्ली में शुरू की गई थी।
- उक्त विशेष अध्यापन योजना से मिले लाभों को देखते हुए, इस योजना का विस्तार कानपुर, कोलकाता, बंगलौर, हैदराबाद, राँची, सूरत, गुवाहाटी, इम्फाल, हिसार, जबलपुर, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, जयपुर, भुवनेश्वर, मण्डी, नागपुर, दिल्ली, जम्मू, जालंधर, कोहिमा और नाहरलागुन के बीस और स्थानों में कर दिया गया है।
- दिसंबर 2021 तक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 22289 अभ्यर्थी सफलतापूर्वक विशेष कोचिंग पूरी कर चुके हैं।

रोजगार कार्यालयों में पंजी त अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु योजना

24.4 रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शिक्षित रोजगार चाहने वालों को बाह्य स्रोतों से प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराकर कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना फरवरी, 2004 से आरंभ की गई। छह माह की अवधि का

प्रशिक्षण बंगलौर, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हिसार, हैदराबाद, जयपुर, जबलपुर, कोलकाता, नागपुर, सूरत, कानपुर, तिरुवनंतपुरम, रांची एवं मंडी में देने की व्यवस्था की गई तथा इसका समन्वय इन स्थानों पर स्थित डीजीई के संबंधित राष्ट्रीय करियर सेवा केन्द्रों द्वारा किया गया। यह पाया गया कि श्रम बाजार की बदलती हुई मांगों के मद्देनजर उम्मीदवारों को छह माह का कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उन्हें नियोजनीयता प्रदान करने के लिए अधिक लाभप्रद नहीं रहा है। अतः, वर्ष 2009–10 से यह निर्णय लिया गया कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जिसे 3.08.2009 से प्रारंभ किया गया है, के तहत डीओईएसीसी सोसाइटी के माध्यम से अ. जा./अ.ज.जा के 1000 अभ्यर्थियों को एक वर्षीय 'ओ' स्तरीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाए। उपर्युक्त वर्णित स्थानों के अतिरिक्त, 03.08.2009 से जम्मू, जालंधर, इंफाल एवं कोहिमा में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जुलाई, 2021 तक अ.जाति/अनु.ज.जाति के 24260 अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) के माध्यम से 'ओ'–स्तरीय एक–वर्षीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण (सॉफ्टवेयर) के अंतर्गत प्रवेश एवं प्रशिक्षण दिया गया है।

24.5 01.8.2012 से एक–वर्षीय "ओ"–स्तरीय कम्प्यूटर हार्डवेयर अनुरक्षण प्रशिक्षण भी आरंभ कर दिया गया है। अगस्त, 2021 तक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के 9500 अभ्यर्थियों को प्रवेश एवं प्रशिक्षण दिया गया।

24.6 2021–22 के दौरान 19.90 करोड़ रुपए का बजट, "अध्यापन, मार्गदर्शन एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों का कल्याण एवं विद्यमान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्रों (एनसीएससी) में नए पाठ्यक्रमों का आरंभ तथा अब तक शामिल नहीं किए गए राज्यों में नए एनसीएससी की स्थापना" नामक योजना हेतु आवंटित किया गया है।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) (योजना "0586") के माध्यम से अजा/अजजा को प्रदान किए गए लाभ

अध्यापन सह–मार्गदर्शन केंद्रों (सीजीसी) के माध्यम से अजा/अजजा के रोजगार चाहने वालों का कल्याण

24.7 इस समय, अध्यापन/प्रशिक्षण/मार्गदर्शन आदि के माध्यम से रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनु.जा./अ.ज.जा. के शिक्षित रोजगार चाहने वालों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति हेतु 25 एनसीएससी (पूर्व में अजा/अजजा हेतु सीजीसी) केंद्र चलाए जा रहे हैं। डीबीटी योजना के तहत तीन उप–योजनाओं में 6,550 लाभार्थियों को शामिल करते हुए अजा/ अज जातियों हेतु 22 राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र शामिल हैं, अर्थात् (1) विशेष अध्यापन योजना (1350 लाभार्थी), (2) कम्प्यूटर "ओ"–स्तरीय प्रशिक्षण सॉफ्टवेयर पाठ्यक्रम (4200 लाभार्थी) तथा (3) कम्प्यूटर "ओ"–स्तरीय कम्प्यूटर हार्डवेयर रखरखाव प्रशिक्षण (1000 लाभार्थी) हैं। 01.07.2017 से डीबीटी के माध्यम से किसी विशेष माह के दौरान न्यूनतम 80% उपस्थिति के आधार पर 1000 रु./– प्रति प्रशिक्षु प्रति माह की दर से वृत्तिका का भुगतान किया जाता है। कैलेंडर वर्ष 2021 में डीबीटी के तहत लाभार्थियों को कुल 4.62 करोड़ रुपये का वृत्तिका का भुगतान किया गया।

अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां

24.8 वर्ष 2012 के दौरान और इससे आगे के वर्षों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रोजगार चाहने वालों के लिए रोजगार कार्यालयों के कार्य निष्पादन का ब्यौरा तालिका 24.1 में नीचे दर्शाया गया है।

तालिका - 24.1

(रु लाख में)

श्रेणी	कार्यकलाप	2013	2014	2015	2016	2017*
अनुसूचित जाति	पंजीकरण	10.25	7.66	8.00	6.16	4.37
	नियोजन	0.32	0.22	0.27	0.29	0.31
	चालू रजिस्टर	72.92	76.44	70.48	71.35	71.05

अनूसूचित जनजाति	पंजीकरण	3.44	3.48	3.75	2.70	2.48
	नियोजन	0.21	0.24	0.28	0.27	0.33
	चालू रजिस्टर	24.87	24.17	25.22	25.69	26.08
अन्य पिछड़ा वर्ग	पंजीकरण	18.33	14.85	15.88	11.01	7.98
	नियोजन	0.23	0.10	0.11	0.09	0.05
	चालू रजिस्टर	114.14	121.34	113.99	116.5	118.21

*अनंतिम

अन्यथा सक्षम व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा केन्द्र (अन्यथा सक्षम व्यक्तियों हेतु एनसीएससी)

24.9 श्रम और रोजगार मंत्रालय, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एसजेई मंत्रालय), जो दिव्यांगों के कल्याण हेतु नोडल मंत्रालय है, से रोजगार महानिदेशालय (डी जी ई) नियमित रूप से समन्वय एवं सहयोग करता रहा है।

- **अन्यथा सक्षम व्यक्तियों हेतु चौबीस राष्ट्रीय करियर केंद्र (राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र–डीए) (पूर्व में व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र)** देश में कार्य कर रहे हैं, इनमें से वडोदरा स्थित एक केन्द्र विशेष रूप से दिव्यांग महिलाओं हेतु स्थापित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान दीमापुर (नागालैंड), शिलांग (मेघालय) और देहरादून (उत्तराखंड) में तीन नए केंद्र शुरू किए गए हैं। ये केंद्र कार्यात्मक बनने की प्रक्रिया में है।

- ये केन्द्र दिव्यांगों की अवशिष्ट कार्यक्षमता का आकलन करते हैं और उन्हें आर्थिक मुख्यधारा में लाने तथा उन्हें देश के उत्पादक नागरिक बनाने के उद्देश्य से अनौपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

- ये केन्द्र दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु जन–जागरूकता एवं सामुदायिक भागीदारी उत्पन्न करने के लिए पूर्व–सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

- 2020–21 के दौरान इन केन्द्रों ने 6999 दिव्यांगों का पंजीकरण, 6968 का मूल्यांकन एवं 2742 का पुनर्वास किया।

- 2021 के दौरान इन केन्द्रों ने 13743 दिव्यांगों का पंजीकरण, 13705 का मूल्यांकन एवं 4305 का पुनर्वास किया।

- कौशलयुक्त कार्यबल की मांग एवं आपूर्ति के मध्य सम्पर्क में समन्वय बनाने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र–डीए में 5 आदर्श करियर केंद्रों की स्थापना की है। ये केन्द्र कौशल संवर्धन पाठ्यक्रमों, जो बाजार–प्रेरित हैं, का अनुसरण करने के लिए दिव्यांग युवाओं हेतु एक मुख्य कार्यकलाप के रूप में करियर परामर्श पर ध्यान केन्द्रित करेंगे। इसके अतिरिक्त, पहुंच परामर्शी सत्र एवं रोजगार–मेले इन करियर केन्द्रों का एक मुख्य क्रिया–कलाप होंगे।

डीबीटी (योजना "3468") के माध्यम से अन्यथा सक्षम प्रशिक्षुओं को प्रदान किया गया लाभ

"विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (वीआरसी) योजना के अंतर्गत अभ्यर्थियों को वृत्तिका"

24.10 इस समय, देश में 21 राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र (पूर्व में विकलांगो हेतु वीआरसी) हैं, जो विकलांगों (दिव्यांग व्यक्तियों के रूप में भी संदर्भित) की चलने–फिरने की बाधा, दृश्य–श्रवण बाधा, हल्की मंद बुद्धिमता एवं इलाज किए गए कुष्ठ श्रेणियों में उनकी अवशिष्ट क्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं तथा उनके जल्द आर्थिक पुनर्वास को सरल बनाने के लिए उन्हें

समायोजन प्रशिक्षण प्रदान करते है। इन केंद्रों में कोई औपचारिक रोजगार–उन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाता है। तथापि, किसी विशेष माह में न्यूनतम 80% उपस्थिति की शर्त पर 2500 रु./– प्रति प्रशिक्षु की वृत्तिका प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, चल कैम्पों के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों तक पुनर्वास सेवाओं का विस्तार किया गया है। कैलेंडर वर्ष 2021 में लाभार्थियों को डीबीटी के तहत 10.95 लाख रुपये वृत्तिका का भुगतान किया गया।

दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों तथा आश्रितों को सहायता

24.11 भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित तथा प्राथमिकता श्रेणियों के लिए चिन्हित रिक्तियों के प्रति दिव्यांगों भूतपूर्व सैनिकों/सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों तथा युद्ध में मारे गए या गंभीर रूप से दिव्यांग रक्षा सेवा कार्मिकों/सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों के आश्रितों को नियोजन सेवाएं प्रदान करने के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय में एक भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ की जुलाई, 1972 में स्थापना की गई। तत्पश्चात, विशेष सेवा के कार्यक्षेत्र का शांति काल के दौरान दिव्यांग हुए भूतपूर्व सैनिकों के साथ–साथ शांति काल के दौरान मारे गए अथवा गंभीर रूप से विकलांग हुए रक्षा सेवा कार्मिक के आश्रितों के लाभार्थ भी विस्तार किया गया बशर्ते कि मृत्यु अथवा दिव्यांगता फरवरी, 1981 से सैन्य सेवा के कारण थी। वर्ष 2022 के दौरान (जनवरी से नवम्बर) रोजगार सहायता हेतु 18 दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों तथा आश्रितों को पंजीकृत किया गया।

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को सेवाएं:

24.12 रोजगार सेवा रोजगार चाहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों की विशेष आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए विशेष प्रयास करती रही है जिसका विगत पांच वर्षों का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार दिया गया है:–

रोजगार चाहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के संबंध में रोजगार कार्यालयों का कार्य निष्पादन

वर्ष	पंजीकरण	नियोजन	चालू रजिस्टर
2012	54.1	2.1	715.2
2013	30.5	1.9	717.3
2014	28.4	1.7	698.2
2015	42.1	2.8	689.0
2016	41.3	2.6	681.5
2017	32.1	2.2	700.6

'अनंतिम

दिव्यांगजनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय:

24.13 यद्यपि, राष्ट्रीय रोजगार सेवा के अंतर्गत रोजगार कार्यालय सामान्यतया दिव्यांगों के नियोजन के प्रति उत्तरदायी हैं, फिर भी उनके विशेष/चयनित नियोजन हेतु विशेष रोजगार कार्यालयों की स्थापना भी की गई थी । ये रोजगार कार्यालय दिव्यांगों को उनकी अवशिष्ट शारीरिक एवं मानसिक संभाव्यताओं के सबसे अनुकूल रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रयास करते हैं। जैसा कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, दिव्यांगों हेतु 42 विशेष रोजगार कार्यालय है तथा रोजगार चाहने वाले शारीरिक रूप से दिव्यांगों से संबंधित 38 विशेष प्रकोष्ठ थे।

24.14 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा केन्द्र सरकार से वित्तपोषित तथा सामान्य रोजगार कार्यालयों से संबद्ध एक विशेष नियोजन अधिकारी के साथ दिव्यांगों के लिए अब तक अड़तीस विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है। ये विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा रोजगार कार्यालयों में दिव्यांग आवेदकों के लिए खोले गए विशेष प्रकोष्ठों/एककों के अतिरिक्त हैं।

24.15 रोजगार चाहने वाले अन्यथा सक्षम व्यक्तियों हेतु विशेष रोजगार कार्यालयों का कार्यनिष्पादन निम्न तालिका में दिया गया है:–

वर्ष	2013	2014	2015	2016	2017
पंजीकरण	5653	3251	4434	3783	2798
नियोजन	249	61	147	125	71
चालू रजिस्टर	94657	96251	93197	93224	93295

महिलाएं

24.16 रोजगार चाहने वाली महिलाओं के संबंध में रोजगार कार्यालयों का वर्ष–वार कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है **(तालिका 24.2)**:

तालिका 24.2 **(हजार में)**

वर्ष	पंजीकरण	नियोजन	महिलाओं का चालू रजिस्टर	कुल चालू रजिस्टर	कुल चालू रजिस्टर की तुलना में महिलाओं के चालू रजिस्टर का %
2007	1835.5	46.5	12001.5	39974.0	30.0
2008	1756.1	51.9	12328.2	39114.9	31.5
2009	1989.9	53.4	12404.7	38152.2	32.5
2010	2005.4	107.1	12924.1	38818.5	33.3
2011	2122.6	85.7	13694.8	40171.6	34.1
2012	3511.0	67.8	15645.8	44790.1	34.9
2013	2233.2	58.7	16549.1	46802.5	35.4
2014	2189.4	60.8	17078.3	48261.1	35.4
2015	2532.7	59.9	15540.0	43502.7	35.7
2016	2256.8	59.7	15731.4	43376.1	36.3
2017	635.5	49.8	15649.5	42809.1	36.6
2018	1437.0	58.2	15611.0	42122.3	37.1

अल्पसंख्यक

24.17 राष्ट्रीय जनजीवन के सभी क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की पूर्ण एकजुटता के लिए राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण और नामों की सूची भेजने के मामलों में अल्पसंख्यक समुदायों के साथ कोई भेदभाव न किया जाए। अल्पसंख्यकों के पंजीकरण तथा नियोजन के मामले में हुई प्रगति की निगरानी करने के लिए तथा अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में चल–रोजगार कार्यालय पंजीकरण कैम्पों को आयोजित करने के लिए रोजगार कार्यालयों को निदेश देने हेतु निगरानी प्रकोष्ठों का गठन करने के लिए भी राज्य सरकारों को सलाह दी गई है।

दिसंबर 2017 के अंत में अल्पसंख्यक समुदाय से संबधित रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर कुल 59 लाख रोजगार चाहने वाले थे। ये चालू रजिस्टर पर कुल रोजगार चाहने वालों का 13.9% हैं।

24.18 वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए रोजगार निदेशालय की योजनाओं के बजट अनुमानों का ब्यौरा नीचे तालिका–24.17 में दिया गया है।

तालिका-24.17

क्र.सं.	रोजगार निदेशालय के तहत योजनाएं	वित्तीय वर्ष 2021-22	
	योजनाएं / कार्यक्रम	बजट अनुमान (करोड़)	व्यय (2021 तक) करोड़
1	"अध्यापन, मार्गदर्शन एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों का कल्याण एवं विद्यमान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति हेतु राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्रों (एनसीएससी) में नए पाठ्यक्रमों का आरंभ तथा अब तक शामिल न किए गए राज्यों में नए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र की स्थापना।"	19.90	12.86
2	राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना	57.00	12.58
3	प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना	900.00	250.00
4	आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना	3130.00	2396.00

अध्याय-25

लिंग आधारित बजट

25.1 लिंग आधारित बजट के प्रमुख मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए) हैं जिनकी सहायता उप लेखा नियंत्रक (उप सीए) और अवर सचिव (बजट एवं खाता) करते हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक ने वर्ष 2021–22 के लिए लिंग आधारित बजट–वार्षिक कार्य योजना को अद्यतन करने की प्रक्रिया भी शुरू की है। लिंग आधारित बजट प्रकोष्ठ व्यापक वार्षिक कार्य योजना तैयार करता है ताकि मंत्रालय की निधियों की लिंग–वार उपयोगिता की वास्तविक तस्वीर केंद्रीय बजट से संबंधित विभिन्न विवरणों या दस्तावेजों में परिलक्षित हो सके।

25.2 लिंग संबंधी समस्याओं को दूर करने की दिशा में आगे बढ़ने के किए गए कार्य का मूल्यांकन करने और कार्य योजना का सुझाव देने एवं लिंग बजटीय कार्य को आगे बढ़ाने हेतु मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा करने के लिए सरकारी और निजी हितधारकों के साथ महिला और बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यू एवं सीडी) के सचिव की अध्यक्षता में लिंग विश्लेषण और बजटीय कार्य हेतु व्यापक आधारवाली समिति का गठन किया गया है। मुख्य लेखा नियंत्रक, श्रम और रोजगार को समिति में श्रम और रोजगार मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

अ.जा./अ.ज.जा. का कल्याण

25.3 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति हेतु राष्ट्रीय कैरियर सेवा केंद्र के अंतर्गत उपरोक्त श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों का आत्मविश्वास सृजन, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु योजना शामिल है। ये राष्ट्रीय कैरियर सेवा केंद्र, विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा एजेंसियों हेतु भर्ती–पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में सम्मिलित हैं।

कार्यक्रम	अनुमानित परिणाम / उद्देश्य	कार्यक्रम / उपकार्यक्रम का लिंग घटक	कुल सार्वजनिक व्यय (रूपये) 2020-21	वित्तीय वर्ष (2020-21) के लिए महिलाओं पर कुल सार्वजनिक व्यय	लिंग के आधार पर अवर्गीकृत लाभार्थी (महिलाओं तक लाभों का विस्तार) (2020-21) लक्ष्य एवं महिला लाभार्थियों / वस्तुपरक / वित्तीय/अन्यों की निष्पादन संख्या
1	2	3	4	5	6
''कोचिंग, मार्गदर्शन और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नौकरी चाहने वालों का कल्याण और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए मौजूदा राष्ट्रीय कैरियर सेवा केन्द्रों (एनसीएससी) में नए पाठ्यक्रमों की शुरूआत और जो राज्य अभी तक, कवर नही किए गए उनमें नए एनसीएससी की स्थापना''	अध्यापन, मार्गदर्शन एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अ.जा./ अ.ज. जातियों के रोजगार चाहने वालों की नियोजनीयता में वृद्धि करना।	कार्यक्रम बेरोजगार शिक्षित रोजगार चाहने वाले पुरुषों व महिलाओं दोनों के लिए है	10.75	4.95	53189 (46%)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
(भारत सरकार)

श्रमेव जयते

Website : www.labour.gov.in